# Page No 1

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७ ] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का ४२वां दिवस [ संख्या ३१



मंगलवार, दिनांक ६ अप्रेल, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.६ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

---

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

---

## तारांकित प्रश्नोत्तर

(विद्युत, सार्वजनिक निर्माण, यातायात, शिक्षा, सहकारी व उद्योग-विभाग)

### कस्बा समदड़ी में पॉवर हाउस की योजना

७३९. श्री हरिराम चारू (सिवाना-सु.) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सिवाना तहसील के कस्बा समदड़ी में पॉवर हाउस लगाने की कोई सरकार की योजना है ? अगर हां, तो वह कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री चन्दनमल वैद) : पॉवर हाउस लगाने की तो योजना नहीं है किन्तु सादड़ी को जोधपुर से सन् १९६५-६६ ई० के एल० डी० प्रोग्राम में बिजली देने की योजना विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या ७४०

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

### जोधपुर-जयपुर रोड की बसों का समय

७४१. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि तारीख १५-१२-६४ से रोडवेज का समय जयपुर जोधपुर के बीच चलने वाली बसों का तय हो जाने पर भी डिपो मैनेजर जानबूझ कर उसका पालन नहीं करते ?

(श्री तेजाराम गहलोत)

(२) यदि नहीं, तो अजमेर से जोधपुर ८.३० पर चलने वाली बस १५-१२-६४ से १५-१-६५ के बीच किस किस समय पर अजमेर से चली व जयपुर-जोधपुर मेल कब कब अजमेर पहुंची व छूटी ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी नहीं। गाड़ियां निर्धारित समय के अनुसार ही चलाई जा रही हैं लेकिन ८.३० बजे अजमेर से जोधपुर जाने वाली गाड़ी के समय में डिपो प्रबन्धक, अजमेर द्वारा कुछ कारणवश परिवर्तन किये गये हैं क्योंकि ८.३० बजे से पहले ८ बजे एक गाड़ी इसी मार्ग पर अजमेर ब्यावर जाती है तथा दूसरी ९.१५ बजे जाती है, इसलिए ८.३० पर छूटने वाली गाड़ी के लिये सवारियां पूरी तादाद में नहीं मिलती इसलिये इस गाड़ी के समय में परिवर्तन कर इसको १०.१५ पर चलाया गया था।

(२) जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ८.३० बजे के बजाय दूसरी बस १०.१५ बजे जोधपुर के लिये चलती है।

अजमेर से जोधपुर के लिये कुल गाड़ियां ७.१५, १०.००, १०.१५ ११.००, १३.३०, १४.४५, १६.४५ व १८.०० बजे चलती हैं। ८.३० बजे का समय निर्धारित किया गया था, उस पर डिपो मैनेजर अजमेर द्वारा बतलाई गई स्थिति पर पुनः विचार किया और डिपो मैनेजर, अजमेर को आदेश दिया गया कि तुरन्त समय सारिणी के मुताबिक ८.३० बजे गाड़ी चलाई जाय। दिनांक ४-३-६५ से यह आदेश कार्यान्वित कर दिये गये हैं।

जयपुर-जोधपुर मेल १५-१२-६४ से १५-१-६५ तक कब कब अजमेर पहुंची तथा कब कब छूटी इसकी सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

**श्री तेजाराम गहलोत** : आपने बताया कि ८॥ बजे चलने वाली गाड़ी के लिये पूरी सवारियां नहीं मिलती थीं क्योंकि वे आधा घन्टे बाद ही चलती थीं। मेरा निवेदन यह है कि ब्यावर से गाड़ी चलती है यह अजमेर से ब्यावर की है। जब जोधपुर डाइरेक्ट गाड़ी जाती है तो इस गाड़ी को जल्दी रवाना करना चाहिये ताकि रोडवेज को भी आमदनी हो और सवारियों को भी आराम रहे।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : जो भी परिवर्तन रहा वह अब ४-३-६५ तक रहा और उसके बाद अब फिर ८.३० बजे ही गाड़ी चलाई जा रही है। इसलिए यह प्रश्न अब नहीं रहता।

**श्री जयनारायण सांलोदिया** (निवाई) यह समय सारणी में संशोधन करने का अधिकार किसको है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : अधिकार है। लेकिन जब हमने यह आवश्यक समझा कि संशोधन की जरूरत नहीं है तो पूर्वतः गाड़ियां चलनी शुरू हो गई हैं।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : पहले किसने समय सारणी में संशोधन किया ? क्या उनको अधिकार था ?

# Page No 3



**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैंने निवेदन किया कि अधिकार था ।

प्रश्न संख्या ७४२

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट

### जमीन व इमारत का दान

७४३. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां०-सु० ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :........

(१) क्या यह सही है कि करीब १५–२० वर्ष पूर्व बारां नगर में (सिविल लाइन में ) एक पक्की इमारत व सैंकड़ों फुट वाली जमीन जच्चाखाने के लिए किसी फर्म ने सरकार को मुफ्त दी थी ?

(२) यदि हां, तो यह जायदाद कितनी रकम की है ?

(३) क्या जिस कार्य के लिए सरकार को यह जायदाद दी गई उसे उसी कार्य में लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**सार्वजनिक निर्माण मन्त्री** : ( श्री हरिश्चन्द्र ) : (१) जी हां ।

(२)जायदाद की कीमत रुपये १०,०००) की है ।

(३) जी नहीं । क्यों कि यह भवन मेटेर्निटी होम के लिए अनुपयुक्त है ।

**श्री दयाचन्द सोन** : आपने प्रश्न के भाग २ के उत्तर में जायदाद की कीमत १० हजार रुपया बताई है तो क्या आप उस जायदाद को ५० हजार रुपये में देने को तैयार है ?

( कुछ क्षण विराम )

यह क्या, उत्तर ही नहीं देते ।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** ( कोटा) : जायदाद की कीमत १० हजार रुपया बताई है, क्या यह सही है कि वह ५० हजार से भी अधिक कीमत की है और बारां वाले उसे ५० हजार से अधिक में खरीदने को तैयार हैं ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : मेरे पास जो सूचना है, उसके अनुसार १० हजार की कीमत की है ।

**श्रीकृष्णकुमार गोयल** : यह जमीन जच्चाखाने के उपयुक्त नहीं है, तो इसे सरकार ने क्यों एक्सेप्ट किया ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : जिलाधीश कोटा ने कहा है कि वह मकान मेटेर्निटी होम के लिए उपयुक्त नहीं, इसलिये इसे दूसरे काम में लिया जाय ।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : यह जिलाधीश कोटा ने कब कहा, और भूमि को कब एक्सेप्ट की ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : -मेरे पास तारीख नहीं है पर जिलाधीश कोटा ने कहा

# Page No 4



(श्री हरिश्चन्द्र)

कि मैटर्निटी होम के लिए उपयुक्त नहीं है इसलिये दूसरे काम में आ रही होगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस भूमि को किस अधिकारी ने कब एक्सेप्ट किया था?

श्री हरिश्चन्द्र : यह डेट भी मेरे पास नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिस समय यह भूमि दी गई जच्चाखाने के लिये दी थी, यह भूमि जच्चाखाने के लिये उपयुक्त नहीं है तो अब क्या सरकार उस भूमि को वापिस उसी व्यक्ति को देने को तैयार है?

श्री हरिश्चन्द्र : क्या टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स हैं, यह मुझे मालूम नहीं है; यह मैं मेडीकल विभाग को लिख सकता हूँ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक लाख की जायदाद इसलिये दी कि उसमें जच्चाखाना बने, जच्चाखाना नहीं बना सकते तो वापिस दो।

श्री अध्यक्ष : या एक लाख रुपये में बेच कर और उपयुक्त जगह जच्चाखाना बनाया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र : किन टर्म्स और कन्डीशन्स में ली है, यह मेरे पास नहीं है। जहां तक पी. डब्ल्यू. डी. का ताल्लुक है इसकी कीमत १० हजार की आंकी है, मैं मेडीकल डिपार्टमेंट को लिख दूंगा कि आप काम में ले सकते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : इस जायदाद की कीमत आंकने में बहुत अन्तर दिखता है; आप १० हजार कह रहे हैं और माननीय सदस्य ५० हजार से भी ज्यादा कीमत बताते हैं, तो क्या आपकी कूंत पुराने जमाने पर निर्धारित है?

श्री हरिश्चन्द्र : वेल्यूएशन के रूल्स हैं, प्रोसीजर ले डाउन किया हुआ है, उसके अनुसार पी. डब्ल्यू. डी. ने आंका है, वही कीमत अर्ज कर रहा हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ऐसी प्रोपर्टी है तो उसका सदुपयोग होना चाहिये, व्यर्थ ही नहीं पड़ा रखना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र : हेन्डिक्राफ्ट में काम आ रही है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : इससे स्पष्ट होता है कि जो कीमत आंकी गई है वह सही नहीं आंकी गई है तो क्या मन्त्री महोदय निश्चित रूप से कहेंगे कि इसकी सही कीमत का अंकन वापिस भेज कर करवाया जायगा?

श्री हरिश्चन्द्र : कीमत आंकने से मतलब क्या है? क्या मकसद है?

श्रीमती नगेन्द्रबाला : ५० हजार की प्रोपर्टी की आपके विभाग ने केवल १० हजार कीमत आंकी है ...

श्री हरिश्चन्द्र : आपका मतलब क्या यह है कि सरकार से इसके बदले कोई पैसा लिया जाने को है?

**श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) :** पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकार में यह बिल्डिंग किस कारण आई ?

**श्री हरिश्चन्द्र :** स्टेट की बिल्डिंग होती है वे एस. डी. ओ. हैड क्वार्टर तक की पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकार में आती है, तहसील हैड क्वार्टर्स की नहीं ।

**श्री भैरोंसिंह :** किसी विशेष पर्पज के लिये पी. डब्ल्यू. डी. को डोनेट किया होगा?

**श्री हरिश्चन्द्र :** मेटर्निटी होम के लिये डोनेट किया था पर जिलाधीश ने कहा कि मेटर्निटी के उपयुक्त नहीं है । इसलिये इसमें हैन्डिक्राफ्ट चल रहा है और मेटर्निटी डिस्पेन्सरी भी चल रही है ।

**श्री भैरोंसिंह :** जिन लोगों ने इसे डोनेट किया मैटर्निटी के पर्पज़ के लिये, क्या उनको आपने सूचना दे दी है कि यह मेटर्निटी के उपयुक्त नहीं है ।

**श्री हरिश्चन्द्र :** उसका पी. डब्ल्यू. डी. से कोई ताल्लुक नहीं है । मैं मेडीकल डिपार्टमेंट को लिख दूंगा और यह सूचना भी मांग लूंगा कि यह प्रोपर्टी किस लिये दी थी, जिस लिये दी उस काम में लेने को तैयार हैं या नहीं और जैसा उत्तर आयगा, डोनेटर्स को भी सूचना दी जायगी ।

**श्री अध्यक्ष :** श्री रावतराम !

## माध्यमिक शाला, सिद्धमुख में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने का आश्वासन

७४४. **श्री रावतराम (सादूलपुर) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि माध्यमिक शाला सिद्धमुख जिला चूरू को हायर सेकेन्डरी शाला में बदलने के लिये मुख्य मन्त्रीजी ने सन् ५७-५८ में आश्वासन दिया था. लेकिन इस साल तक इस कस्बे में हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं खुली है ?

(२) क्या यह सही है कि इस कस्बे के आस पास २० माइल दूरी में कोई भी हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं है, यदि हां, तो इस साल में क्या सरकार हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

**उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) :** (१) यह सही है कि सिद्धमुख कस्बे में कोई हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं है परन्तु मुख्य मन्त्रीजी द्वारा आश्वासन देने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

(२) जी नहीं । लगभग २० मील के फासले पर राजगढ़ में बहुद्देशीय उच्चत्तर माध्यमिक शाला है ।

**श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) :** मुख्य मन्त्रीजी के आश्वासन के बारे में आपने कहा कि जानकारी नहीं है तो क्या आपने जानकारी ली है, हायर सेकन्डरी स्कूल खोले जाने के बारे में आपके विभाग को आवश्यकता के बारे में कहा है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य :** मुख्य मन्त्रीजी के आश्वासन के बारे में न तो जानकारी की है और न दी है ।

# Page No 6



**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मन्त्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों का रिकार्ड मेंटेन किया जाता है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : ऐसे मामलों में नहीं, नीति के मामले होते हैं उनमें, ऐसे मामलों में नहीं ।

**श्री भैरोंसिंह** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि मन्त्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों का रेकार्ड मेंटेन किया जाता है या नहीं ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : नहीं ।

**श्री भैरोंसिंह** : जब कोई रेकार्ड ही मेन्टेन नहीं किया जाता तो मन्त्री आश्वासन देते हैं, उनका विभागों को किस तरह से पता चलता है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : रेकॉर्ड से मतलब आपका रजिस्टर से है, रजिस्टर तो मेन्टेन तो नहीं किया जाता, पर आश्वासन देते हैं तो वे खुद अपना कर्त्तव्य समझ कर उसे उसी वख्त कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास करते हैं ।

**श्री फूलचन्द जैन** : मैं कहता हूँ कि मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया है अगर आप कहते हैं कि नहीं दिया है...

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सर्यसिंहनगर): क्या हम दुखी विधान सभाइयों की करुण पुकार सुनेंगे कि आपके आश्वासनों का रजिस्टर बना लीजिये और उन आश्वासनों को अपने सेक्रेटरीज के द्वारा उसमें दर्ज करवा लीजिये ताकि आपको भी ध्यान रहे ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : दुखी विधान सभाई ? विधान सभाई कभी दुखी नहीं होते । आपका यह कहना उचित नहीं है...

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आपसे बहुत दुखी हैं ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : जैसा कि मैंने निवेदन किया आश्वासन जिन मन्त्रियों द्वारा दिये जाते हैं वे अपने कर्त्तव्य के आधार पर उसे कार्य रूप में लाने का उसी वख्त कर लेते हैं ।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय में मन्त्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों का रेकार्ड रखा जाता है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के इस काम की मुझे जानकारी नहीं है ।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या आपने जानकारी की कि इस प्रकार का आश्वासन प्रेस नोट में निकला है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : जानकारी तो नहीं की पर निकला होता तो हमारे विभाग में अवश्य आता ।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर) : मन्त्रियों के आश्वासन कुछ तो महत्व रखते हैं, मन्त्रियों के और खास तौर से मुख्य मंत्री के आश्वासन की क्या वेल्यू है, यह भी कटु अनुभव हो गया है । आखिर आप सरकार हैं और सिद्धान्त के अनुसार चलना चाहते हैं तो आश्वासकों का रेकॉर्ड

# Page No 7



(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आपके पास होना चाहिये। आश्वासन देते हैं तो पूरा करने के ध्येय से देते हैं। सरकार अपने आश्वासनों को पूरा नहीं कर पाती तो आप सरकार हैं या बनिये की दुकान है या क्या हैं।

**उप-मंत्री, उद्योग** (श्री चन्दनमल वैद) : बनिये की दुकान में तो पूरा हिसाब रखा जाता है, महाराजाओं की दुकान में नहीं रहता था।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मैं मानता हूँ बनिये की दुकान तो बहुत अच्छी होती है; पर यहां तो कुछ भी हिसाब नहीं रहता।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : भड़भूंजे की दुकान है यह।

**श्री चन्दनमल वैद** : विरोधी दल के माननीय नेता ने जो कहा है बड़ा कन्टेम्प्चुअस है, वे इन शब्दों को वापिस लें।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मैं वापिस लेता हूं तुरन्त, आपका कहना सत्य है।

**श्री चन्दनमल वैद** : इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : राजस्थान सरकार बनियों की दुकानों से नहीं बनी है, पहले जो अलग अलग दुकानें थी उनसे बनी है।

**श्री फूलचन्द जैन** : हम यह नहीं सुनना चाहते, आप इस तरह प्रश्न को टाल रहे हैं.........

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मैं अभी आ रहा हूँ...........

**श्री अध्यक्ष** : आश्वासन पर आ रहे हैं।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : जहां तक आश्वासन का प्रश्न है मुख्य मंत्रीजी का आश्वासन महत्वपूर्ण है और मुख्य मंत्री जब कभी आश्वासन देते हैं तब उसको जैसा कि मैंने निवेदन किया उसी वक्त पत्रावलि, पत्रों द्वारा शुरू कर देते हैं। ऐसी कभी स्थिति नहीं आती है कि मुख्य मंत्रीजी आश्वासन दें और पूरा न हो।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : कन्वीनियेन्स पर आश्वासन देते हैं।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा आश्वासन जिसका रूप आप बताते हैं वह वहां से नहीं दिया गया।

**श्री भैरोंसिंह** : आप एक बात बता दीजिये कि आपने इस सम्बन्ध में मुख्य-मंत्रीजी से जानकारी की या नहीं ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : जानकारी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आश्वासन होता तो रेकॉर्ड पर आ जाता। मुख्य मंत्रीजी ने कोई संकेत किसी सम्बन्ध में किया नहीं।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या आप कह सकते हैं कि मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था

# Page No 8



(श्री भैरोंसिंह)

गलती के कारण कारेस्पोन्डेन्स और पत्रावली चलनी चाहिए वह नहीं चली ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : यह हाइपोथेटिकल है अगर मगर । तथ्य हों तो मैं उनका जवाब दे सकता हूं ।

**श्री फूलचन्द जैन** : आप जवाब दे रहे है, क्या यह शिक्षा विभाग की ओर से जवाब आया है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : सोर्सेज बताये थोड़े जाते हैं ।

**श्री फूलचन्द जैन** : यहां झूठे जवाब दिये जाते हैं ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : जितनी एजेन्सीज हैं उनका निचोड़ है ।

**श्री अध्यक्ष** : शिक्षा विभाग कभी झूठा जवाब नहीं देता ।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर)** : स्पष्ट प्रश्न है कि आश्वासन दिया गया था या नहीं ? हां या ना ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : No.

**श्री फूलचन्द जैन** : क्या सरकार इस माध्यमिक शाला को उच्चतर माध्यमिक-शाला में परिवर्तित करने की आवश्यकता महसूस करती है या नहीं । छः साल पहले आश्वासन दिया गया था और बार बार इस पर जोर दिया जाता रहा है लेकिन सरकार कोई विचार ही नहीं करती ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : यह नीति का प्रश्न है । सारे राजस्थान का प्रश्न है ।

**श्री फूलचन्द जैन** : छः साल से यह चल रहा है । शिक्षा विभाग की इस बारे में क्या राय है और वह क्या सोचता है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : राय मैं नहीं दे सकता, अध्यक्ष महोदय । यह सारे राजस्थान का प्रश्न है ।

**श्री फूलचन्द जैन** : राय नहीं दे सकते तो आप क्या दे सकते हैं ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मैं यह कह सकता हूं कि उपयुक्त नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष** : नियमों के अन्तर्गत प्रश्नोत्तर-काल में ये जवाब नहीं दे सकते ।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : मुख्य मंत्रीजी ने निवाई में जल-योजना के लिए आश्वासन दिया था ?

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि इलेक्शन के दिनों में दिये गये आश्वासनों का कोई मूल्य नहीं है ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आसन से सरकार को इस प्रकार के आदेश दिये जायं कि एक सच्ची बात का एक झूठे सा से उसका मिलान किया जाय कि कितने आश्वासन दिये जाते हैं और कितने झूठे जवाब दिये जाते है ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : यह आपके अभ्यास में है ।

# Page No 9



**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** आश्वासनों का रेकार्ड देखा जाय फिर...

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : हमेशा झूठ दिखाई देता है, कभी सच नहीं दिखाई देता ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आप रेकॉर्ड करिये तब पता चल जावेगा ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : इनका कोड रेकॉर्ड नहीं रहता ।

**श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** : और मंत्रियों का न भी रखा जाय लेकिन आपका तो जरूर रखा जाय ।

**श्री अध्यक्ष** : कई जिल्दें भर जावेंगी ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : आप बड़ी सतर्क हैं । विधान सभा में भी सतर्क हैं ।

**योजना मंत्री** (श्री मथुरादास माथुर) : कभी कभी यदि सदन में विचाराधीन कहा जाता है तो उसको आश्वासन मान लिया जाता है और आश्वासन समिति के सामने वह जाता है । कोई कॉलेज खुलवाना चाहते हैं कि कम से कम इतना तो आप कह ही दीजिये । उसको वे लोग आश्वासन समझ लेते हैं और पकड़े रहते हैं उस बात को ।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : सरकारी नीति भाषण, चाटन और झूठे आश्वासन देने की है, वे लोग कहते हैं; क्या यह सही है ?

**श्री मथुरादास माथुर** : आपका यह चार्ज बिल्कुल गलत है । मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन कहीं किसी जगह पर दे दिया होगा, यहां पर यदि दिया जाता है विधान सभा में तो वह रिकॉर्ड में आता ही है । लेकिन कहीं दूसरी जगह पर लोगों ने कहा होगा कि ऐसा तो कह ही दीजिये जैसा कि आज वक्त होता है तो उन्होंने कह दिया होगा और उसको आश्वासन समझ लिया होगा । वाटर स्कीम निवाई की है । कार्यवाही की जा रही है । मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया और नल और आप के घर पर एक दम टूंटी लग जाय यह सम्भव नहीं है ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : इनकी कोई केटेगरीज बना दीजिये । आश्वासन यह होंगे; "विचाराधीन, हो जायगा, शीघ्र, शीघ्रातिशीघ्र" । पांच छः केटेगेरीज़ बना दीजिये ।

**श्री मथुरादास माथुर** हाउस के लिए बनी हुई है एश्योरेन्स कमेटी ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : बाहर के लिये ?

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : बाहर तो झूठ बोलना, झूठे आश्वासन देना ।

**श्री मथुरादास माथुर** : आप भी कहते हो कि विरोधी दल ने...

(व्यवधान)

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : हम तो ना जोगे हैं, लेकिन आपके हाथ में तो सत्ता होते हुए भी क्यों ऐसे आश्वासन

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

देते हो ? मैं सहमत नहीं हूँ । आपका कहना गलत है ।

### प्रश्न संख्या ६४५

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये )

श्री कृष्णकुमार गोयल ।

### पंचायत केलबाड़ा जिला कोटा में सहरियों की सहकारी समितियां

७४६. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत केलवाड़ा जिला कोटा में सहरियों की कि. सहकारी समितियां हैं ?

(२) उक्त समितियां क्या क्या कार्य करती हैं ?

(३) उक्त समितियों के एसेट्स व लाएबिलीटज क्या क्या हैं ?

(४) क्या यह सत्य है कि समितियों में ठेके की रकम व माल का जमा खर्च नहीं है ?

उप मंत्री, सहकारी (श्री भीमसिंह): पंचायत केलवाड़ा, जिला कोटा में सहरियों की दो सहकारी समितियां हैं ।

(२) केलवाड़ा बहुधन्धी सहकारी समिति, सदस्यों को कृषि कार्य के लिये ऋण खाद, बीज उपलब्ध कराती है तो केलवाड़ा जंगल उपज उत्पादक सहकारी समिति, गोंद, शहद, मोम एवं लाख का ठेका लेने का कार्य करती है ।

(३) उक्त समितियों के एसेट्स व लाबिएलिटीज की संतुलन चित्र संलग्न 'ब' व 'स' से जानकारी हो जावेगी ।

(४) महुआ के ठेकों का जमा–खर्च नहीं है । गोंद, शहद, लाख मोम आदि ठेकों का जमा खर्च है

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

श्री कृष्णकुमार गोयल : इन समितियों को खाद और बीज के लिए सरकार की ओर से कितना ऋण दिया गया ?

श्री भीमसिंह : जैसा मैंने निवेदन किया दो समितियां अलग अलग हैं और दोनों के लिए सूचना अलग अलग परिशिष्ट में दी हुई हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : केलवाड़ा सहरिया बहुधन्धी सहकारी समिति जो खाद और बीज देने का काम करती है सरकार ने इसको खाद और बीज के लिए कितना ऋण दिया है ?

श्री भीमसिंह : यह आपने स्पेसिफिक नहीं पूछा इसलिये फिलहाल मैं नहीं बता सकता ।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या इन सोसाइटीज का रेगुलर ऑडिट हुआ है।

**श्री भीमसिंह** : हुआ है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री अब्दुलजब्बार।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : अध्यक्ष महोदय,...

**श्री अध्यक्ष** : शीघ्र पूछिये। प्रश्न बहुत बाकी रह जाते हैं।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : दूसरी जो सहकारी समिति है...

**एक माननीय सदस्य** : बहुत गड़बड़ घोटाले होते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आगे और भी आवेंगे।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : उसमें २०,२३२) रुपया रॉयल्टी के निकल रहे हैं, यह सरकार का रुपया कब से बकाया है और यह ठेका कब से चला आ रहा है?

**श्री भीमसिंह** : यह जो फिगर आपने पूछा है यह ३०.६.६४ की असेट्स और लाएबिलिटी के रेकॉर्ड से आता है।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** यह रॉयल्टी कितने साल की बकाया है। और उसकी वसूली के सिलसिले में क्या क्या कदम उठाये गये? कितनी रोयल्टी आरम्भ में बकाया थी और कितनी आ चुकी है।

**सहकारी मंत्री** (श्री मथुरादास-माथुर) : रोयल्टी वसूल करने का काम वन विभाग करता है। ३०.६.६४ तक जो रॉयल्टी ड्यू है वह हमने बता दी।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : क्या सहकारी विभाग इस सम्बन्ध में मोके पर जाकर कितनी रोयल्टी बाकी हैं और कितनी चुकायी जा चुकी है यह देखेगा? सहकारी विभाग जागरूक क्यों नहीं है?

**श्री मथुरादास माथुर** : मोके पर जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : क्या आपके सहकारी विभाग के अधिकारी भी उन समितियों में सदस्य के रूप में रहते हैं?

**श्री मथुरादास माथुर** : जी हां।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : कितनी रॉयल्टी बकाया है और कितनी बकाया नहीं है वहां इस प्रकार का जमा खर्च हो रहा है; हर वक्त उत्तर देते रहते हैं...

**श्री भीमसिंह** : वे तो स्टेट के इन्ट्रेस्ट को वाच करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट में जितनी अनियमिततायें होती हैं वे सामने आ जाती हैं।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय यह स्वीकार करेंगे कि जिस सहकारी समिति में सरकार के तीन तीन प्रतिनिधि हों, जैसा आपने स्वीकार किया है, वह आदर्श रूप में नहीं चल सके तो सहकारी समितियां कैसे चलगी? यही बात आपके बैंक्स वगैरह

# Page No 12



(श्री अध्यक्ष)

में भी लागू होती हैं। वहां अफसर डाइरेक्टर होते हैं फिर भी उनमें गबन होते हैं, अकाउन्ट्स ठीक नहीं होते । तो क्या जिम्नेदारी है फिर ?

**श्री मथुरादास माथुर** : कुछ हद तक रोकने का प्रयत्न किया जाता है। कुछ हद तक सरकारी अफसरों की गलती हो सकती है। विधान और कानून में उनके भी पॉवर लिमिटेड हैं तीन आदमी होते हैं उनका फर्ज है अपना जितना प्रेशर डाल सकें डाल कर रोकें। जनरल मीटिंग में पास हो जाते हैं। इसी कारण यह रॉयल्टी बाकी है।

**श्री अध्यक्ष** : मेरा यह निवेदन है कि सरकारी अधिकारी उन समितियों के सदस्य हैं उन्हें सतर्कता से काम करना चाहिये और किसी तरह की गड़बड़ी न हो, विशेष रूप से उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदार होनी चाहिये।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : जिस माल का जमा-खर्च आपने बताया....

प्रश्न संख्या ७४७

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

**श्री अब्दुलजब्बार** ।

( अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

## विभिन्न विभागों से आये कर्मचारियों की सहकारी इन्स्पेक्टर के पदों पर नियुक्ति तथा वरिष्ठता सूची

७४८. **श्री गणपतिलाल वर्मा** ( माण्डलगढ़ ) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग ने राजस्थान पंचायत विभाग तथा अन्य विभागों से कुछ कर्मचारी लेकर सहकारी इन्स्पेक्टर के पदों पर नियुक्त किये थे ? और उनके नाम उसी वक्त वरिष्ठता सूची में दर्ज किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि इस प्रकार के कर्मचारियों के नाम उस वक्त सहकारी निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची में दर्ज न होने से उन्हें सहकारी निरीक्षक द्वितीय ग्रेड न मिल सकी ?

**उप-मन्त्री, सहकारी (श्री भीमसिंह)** : (१) हां पंचायत एवं अन्य विभागों के सरप्लस व्यक्तियों को सहकारी विभाग में समावेश किया है उनके नाम वरिष्ठता सूची में दर्ज करने के पहले जनसेवा आयोग की सहमति लेना जरूरी है। जिनके लिये कार्यवाही जारी है।

(२) जी नहीं। सूची रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**श्री गणपतिलाल वर्मा** : यह कब लिये गये ?

**श्री भीमसिंह** : जब जब भी सरप्लस डिक्लेअर किये गये अलग अलग जगह पर लिये गये सन् ६३ में और दूसरे समय में भी लिये।

**श्री गणपतिलाल वर्मा** : क्या यह सही है १६६१ और ६२ के बीच में नये असिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर भरती किये गये ?

**श्री भीमसिंह** : सरप्लस जो होते हैं उनके नाम एब्सोर्प्शन कमेटी के पास भेजते हैं वहां से वे जहां जहां जगह खाली होती हैं वहां भेजे जाते हैं ।

**श्री गणपतिलाल वर्मा** : जिनको असिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर लिया गया उनको इन्स्पेक्टर का ग्रेड दिया गया और इनको ग्रेड भी नहीं मिला इस तरह से इनकी सीनियोरिटी चली गई ?

**श्री भीमसिंह** : इनके अलग अलग जगहों से रिकॉर्ड मंगाये जा रहे हैं, उनके आने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर करना जरूरी था वहां से आने पर ही फिक्सेशन इनका हो सकता है ।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** ( मांडल ) : पंचायतों में जिनको काम करते हुए पांच साल से अधिक हो गये जिनकी पन्द्रह पन्द्रह साल की सर्विस है उनका क्या कुसूर है कि उनको ग्रेड नहीं मिला ? उनका क्या कुसूर है जिससे बेचारों को ग्रेड नहीं मिले? आपने पंचायत डिपार्टमेन्ट अलग कर दिये, वे चले गये; उन गरीबों की क्या गलती जिससे उनको ग्रेड नहीं मिले और नये जो आयें उनसे सीनियर हो जावें ।

**सहकारी मन्त्री** ( श्री मथुरादास माथुर ) : यह पोलिसी का सवाल है जो विभागों से सरप्लस कर्मचारी होते हैं उनको एब्जोर्बशन कमेटी के पास भेजा जाता है वहां से वे जिन जिन विभागों में खाली स्थान होते हैं वहां भेजते हैं । हमारे पास जो आये उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल के आधार पर उनका एप्रूवल होना जरूरी है । जब तक वहां से एप्रूवल होकर न आ जाय सिनियोरिटी और कन्फर्मेशन का सवाल पैदा नही होता ।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : लेकिन उसमें उन लोगों का क्या कुसूर है जब आप नये लोगों को लेकर सीनियर कर देते हैं और जो बीस बीस साल के पुराने नौकर हैं उनको ग्रेड तक नहीं मिलता ?

**श्री मथुरादास माथुर** : मैंने निवेदन किया यह पॉलिसी का सवाल है, अगर पब्लिक सर्विस कमीशन से कन्फर्म होकर वे आ जाते हैं तो उसके बाद उनको क्या ग्रेड दिया जावेगा यह सोचने की बात है । डिपार्टमेंट में भी पुराने आदमी हैं जो काम कर रहे हैं । ऐसे व्यक्तियों के लिये कोई न कोई फॉर्मुला सोचा जायगा ।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : नये आदमी रख दिये गये, उनको ऊंचा ग्रेड पर फिक्स कर दिया गया; पुराने जो सर्विस में हैं उनका ख्याल नहीं किया गया ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

## पीतल ढलाई का कारखाना

**७४६. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** ( भीम ) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

# Page No 14



(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(१) क्या यह सही है कि जयपुर में पीतल की खुदाई और मीनाकारी का काम बढ़िया होता है और यहां का माल विदेशों तक को निर्यात होता है ?

(२) क्या यह सही है कि यहां पीतल की ढलाई का कारखाना न होने की वजह से मुरादाबाद में बने हुए बर्तन लाकर उन पर खुदाई और मीनाकारी का काम जयपुर में होता है ?

(३) क्या यह भी सही है कि सिर्फ इसी कारण जयपुर को ब्रास वेयर मंहगा पड़ जाता है और जितना निर्यात होना चाहिए नहीं हो पाता ?

(४) क्या यह भी सही है कि पीतल की ढलाई का कारखाना न होने से जयपुर में कारीगरों को मुरादाबाद में जाकर भी काम करना पड़ता है ?

(५) क्या सरकार के ध्यान में है कि केवल उक्त कारखाना न होने के कारण राज्य में उद्योग की अर्थ-व्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है तथा पीतल का उद्योग पनप नहीं पा रहा है ?

(६) यदि हां, तो पीतल की ढलाई का कारखाना राज्य सरकार अथवा लघु उद्योग निगम क्यों नहीं स्थापित कर रहा है ?

उप-मन्त्री, उद्योग ( श्री चन्दनमल बैद ) : (१) जी हां, सही है।

(२) जयपुर में भी पीतल की ढलाई का काम होता है मुरादाबाद की ढलाई का काम काफी समय से होता है और सस्ता होता है।

(३) जी नहीं । जयपुर की खुदाई और मीनाकारी मुरादाबाद से अलग और अच्छी है अतः निर्यात पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(४) जी नहीं, आवश्यकतानुसार मुरादाबाद से केवल बर्तन ही मंगवाये जाते हैं जिन पर खुदाई व मीनाकारी का काम किया जाता है।

(५) जी नहीं । भारतवर्ष में प्रत्येक स्थान अपना अपना औद्योगिक व आर्थिक दृष्टि से अलग स्थान रखते हैं जिससे हर एक स्थान या नगर में लागू नहीं किया जा सकता ।

(६) अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आपने कहा कि यहां ढलाई का कारखाना है अगर है तो कहां ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कारखाने के लिये नहीं कहा। ढलाई का काम होता है। ऑफ हैन्ड में नहीं कह सकता जितनी जरूरत होती है मुरादाबाद की ढलाई सस्ती होती है यहां हर कारखाना इकोनोमिकली चल नहीं सकता काफी मुरादाबाद से आता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आपका कहना गलत है। यहां कारखाना न होने से निर्यात पर बड़ा असर पड़ता है।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

यहां मंहगा पड़ता है मुरादाबाद से; यहां आता है यह मंहगा पड़ेगा ही ।

**श्री चंदनमल वैद** : मुरादाबाद में बहुत दिनों से काम चल रहा है । इकोनोमिकली वहां सस्ता पड़ता है । वहां का मजदूर काफी सस्ता है, ढलाई में माहिरपना हासिल कर लिया है इसलिये वहां का काम सस्ता पड़ता है ।

**श्री फूलचंद जैन** ( सुजानगढ़ ) : माल निर्यात होता है अधिक माल निर्यात हो इसके लिये राज्य सरकार क्या विशेष प्रयत्न करने जा रही है ?

**श्री चंदनमल वैद** : जो यह काम करते हैं उनको हर तरह की सुविधा देने का प्रयत्न करते हैं ।

**श्री फूलचंद जैन** : जो यहां ढलाई का कारखाना लगाना चाहें उनको पर्याप्त मात्रा में माल आदि देने के लिये राज्य सरकार तैयार है ?

**श्री चंदनमल वैद** : ढलाई का कारखाना स्थापित करने के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** : लघु उद्योग निगम के अन्तर्गत सरकार कारखाने को क्यों नहीं लगाना चाहती ?

**श्री फूलचंद जैन** : जो कारखाना लगाना चाहें क्या सरकार उसे ब्रास वेयर का कोटा देने के लिये तैयार है ?

**श्री चंदनमल वैद** : स्कीम पेश करें, कितना कारखाना लगाना चाहते हैं, कितने माल की जरूरत पड़ेगी आज तक किसी ने नहीं लगाया । यह इस बात का सुबूत है कि मुरादाबाद के मुकाबले यहां ढलाई सस्ती नहीं पड़ सकती ।

**श्री फूलचंद जैन** : क्या ढलाई के कारखाने के लिये कोई आवेदन पत्र अब तक नहीं आया ?

**श्री चंदनमल वैद** : कम से कम मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है ।

**प्रश्न संख्या ७५०**

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामकिशन !

( अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

## जिला सहकारी संस्था संघ, बून्दी

७५१. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बून्दी में जिला सहकारी संस्था संघ का कब निर्माण हुआ और इसके पदाधिकारी कौन हैं ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार के द्वारा उक्त संस्था को अनुदान के रूप में रकम दी गई है ? यदि हां, तो अब तक कुल कितनी रकम संस्था संघ को दी जा चुकी है और उस रकम का उपयोग किस प्रकार किया गया है ?

# Page No 16



(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(३) क्या यह सही है कि उक्त संस्था संघ का ऑडिट किया गया है जिसमें भारी अनियमितताओं, रकम का गबन व दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। ? यदि हां, तो ऑडिट रिपोर्ट, वर्ष १९६२-६३ व १९६३-६४ को सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, सहकारी विभाग (श्री भीमसिंह) : (१) बून्दी में जिला सहकारी संघ का निर्माण दिनांक २७.१२.५७ को हुआ। इसके पदाधिकारी निम्न व्यक्ति हैं :

१. श्री मूलचन्द कावरा, अध्यक्ष

२. श्री पूरबचन्द यादव, उपाध्यक्ष

(२) जी हां। अब तक संघ को ४८७६०.५० नये पैसे अनुदान मिला है। ४०१४२.६२ नये पैसे का उपयोग हो चुका है तथा ८६२३.२८ नये पैसे वापिस ट्रेजरी में जमा किये जा चुके हैं।

(३) जी हां। ऑडिट रिपोर्ट में गबन व दुरुपयोग का आरोप नहीं लगाया गया है। अनियमिततायें दर्ज हैं। ऑडिट रिपोर्ट वर्ष १९६२-६३ व १९६३-६४ की प्रतियां परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जो अनुदान की रकम ४८ हजार दी गई है वह किस प्रकार से खर्च हुई है इसकी जानकारी नहीं मिली ?

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया ४८ हजार में से ८ हजार तो वापिस जमा करा दिये और बाकी के रुपये का उपयोग हो चुका है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कौन सा कार्य था किस काम के लिये उपयोग में आया इसका स्पेसिफिक अलग से पूछा था ?

श्री भीमसिंह : यह सब ऑडिट रिपोर्ट में दिया हुआ है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उसमें आठ हजार रुपये तो केवल स्टाफ पर ही खर्च हो जाता है; २० रुपया माहवार किराया देते हैं, बाकी का पैसा कहां जाता है ?

श्री अध्यक्ष : आप कोई भी बात रखें गम्भीरता के साथ रखें, आप इस बारे में पूरी जानकारी लिख कर मन्त्री महोदय को दें; सरकार इसकी जानकारी करेगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ऑडिट रिपोर्ट के अन्दर यह सब कुछ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य गम्भीर आरोप लगा रहे हैं कि आदमी तनख्वाह लेते हैं और काम कुछ नहीं होता। आप सरकार को यह सब लिख कर दें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सालाना खर्चा देख लें, सब पता चल जायगा।

## रुइया कॉलेज रामगढ़

७५२. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल,

(श्री भैरोंसिंह)

जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि रूइया कॉलेज रामगढ़ (सीकर) को सरकारी अनुदान न दिये जाने के परिणाम स्वरूप कॉलेज के संचालकों ने कॉलेज बन्द करने का नोटिस दिया है ?

(ख) क्या यह सही है कि रामगढ़ तथा आस-पास की जनता ने इसके विरोध स्वरूप आन्दोलन करने की सरकार को सूचना दी है ?

(ग) सरकारी अनुदान न दिये जाने का क्या कारण है ?

**उप-मंत्री, शिक्षा** (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) जी हां ।

(३) जुलाई १९६० के पूर्व यह संस्था इन्टरमीजियेट कॉलेज के रूप में थी । ६-३-५६ को राज्य आदेश से एक समिति ने जिसमें श्री एस० एस० सक्सेना भूतपूर्व संचालक कॉलेज शिक्षा राजस्थान भी थे इस कॉलेज का निरीक्षण इस हेतु किया कि इसको डिग्री स्तर का कॉलेज बनाया जावे या नहीं । समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस कॉलेज को डिग्री कॉलेज बनाने की राय प्रकट नहीं की अपितु पी० यू० सी० कक्षायें ही खोलने की राय दी । तदुपरान्त प्रिन्सीपल रूइया कॉलेज, रामगढ़ ने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को इस कार्यालय द्वारा प्रार्थना पत्र २१-१०-५६ को प्रेषित किया । प्रार्थना-पत्र संचालकालय में विचाराधीन रहा और २३-३-६० को प्रिन्सिपल का यह तार आया कि उनकी जोखम पर ही प्रार्थनापत्र को राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दिया जावे । संचालकालय ने पत्र सं०य०ए० ०४। ६२४० । ६० दिनांक ३१-३-६० द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान विश्वविद्यालय को विचारार्थ प्रेषित कर दिया, किन्तु यह स्पष्ट लिख दिया कि राज्य सरकार संस्था को डिग्री स्तर की बनाने के लिये कोई आर्थिक सहायता के बारे में उत्तरदायित्व नहीं देती है । इसकी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्रिन्सीपल रूइया कॉलेज, रामगढ़ को भी भेज दिया गया ।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि ग्रान्ट इन एड इस समय मन्जूर कर दी गई है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : एडहॉक बेसिस पर दी गई है । ग्रान्ट इन एड नहीं ।

**श्री भैरोंसिंह** : किस कारण पर यह दी गई है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : अभी-अभी उन्होंने इस कार्य के सम्बन्ध में बहुत अनुनय विनय की और इस स्टेज पर इनको ग्रान्ट इन एड नहीं देने का प्रश्न थोड़ा गहन प्रश्न था इसलिए अब एडहॉक ग्रान्ट दे दी गई है ताकि उनकी कोई क्षति अभी फिलहाल नहीं हो सके ।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या रूल्स के अनुसार यह एडहॉक ग्रान्ट दी जा सकती है ?

# Page No 18



श्री निरंजननाथ आचार्य : यह ग्रान्ट इन एड से परे है। और रूल्स की बात इसमें इसलिए नहीं आती कि सेविंग जहां कहीं हुई हो इधर उधर से पैसा कबाड़ करके इनको दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : जो रकम दी गई है वह लोन है या ग्रान्ट इन एड है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : शुद्ध सहायता दी है।

श्री भैरोंसिंह : सहायता का मतलब क्या ग्रान्ट इन एड नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ग्रान्ट इन एड कमेटी के अनुसार नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आप जिस तरह से जवाब देते हैं उसमें आप कोई समझदारी समझते है अपनी, ऐसा नहीं है। यह आपकी कोई एफीशियेन्सी भी नहीं है। चालाकी से जवाब देते हैं। आप यह मान कर चलें कि इस तरह के चालाकी भरे जवाब से सदन में और सदन के बाहर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। आप यह बताइये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ग्रान्ट इन एड के रूल्स बना रखे हैं तो इन रूल्स के अनुसार यह मदद दी गई है और अगर नहीं, तो फिर किन रूल्स के अनुसार दी गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ग्रान्ट इन एड कमेटी के सामने यह प्रश्न आया था और उसने ५० पर्सेन्ट कैटेगरी बी. में देने का संकल्प किया। उस संकल्प के आधार पर यह नहीं है। यह एडहॉक ग्रान्ट निश्चित की गई है वह दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : ग्रान्ट इन एड कमेटी के बारे में जानना नहीं चाहता। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि यह अमाउन्ट जो दिया गया है वह ग्रान्ट इन एड है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ग्रान्ट इन एड नहीं है। एडहॉक है।

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जा सकती है एडहॉक। नियम नहीं हैं ऐसे कोई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नियम नहीं हैं, पर सहायता दी है। नियमों का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : फिर किन नियमों के अन्तर्गत दी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सरकार की डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट है।

श्री भैरोंसिंह : कौन से हैड में है यह ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सरकार के असीम डिस्क्रिशन हैं। किसी शिक्षण संस्था परिसंस्था को निभाना उस आधार पर यह २५ हजार रुपया दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार के डिस्क्रिशनरी ग्रान्ट मन्जूर करने के नियम नहीं हैं ? डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट भी नियमों के आधार पर दी जाती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नियम नहीं हैं। नियम आवश्यक भी नहीं हैं।

# Page No 19



(श्री निरंजननाथ आचार्य)

राज्य सरकार अगर आवश्यक समझती है तो अपनी ही ग्रान्ट में से सेविंग करके दे सकती है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह एडहॉक फिर अनुनय विनय के आधार पर दी जा सकती है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : आवश्यकता देखी गई है। अनुनय विनय से भी नहीं। यह डिग्री कॉलेज है। इसी साल खत्म न हो जावे, इसलिये यह एडहॉक मदद मिली है इसको।

**श्री भैरोंसिंह** : इसलिये यह माना जावे कि यह डिग्री कॉलेज की आवश्यकता को महसूस किया गया है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : आवश्यकता को तो महसूस किया कि इस साल खत्म न हो जावे, मदद इस साल दे दी जावे ताकि संचालकों को पर्याप्त समय मिल जावे आगे इसको कायम रखने के लिए कोशिश करने में।

## मोटर वाहन मालिकों से कर की वसूली

७५३. **श्री जुझारसिंह (चेचट)** : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कर (टैक्सेशन) अधिकारी, कोटा द्वारा मोटर वाहन मालिकों को पहले मांगे गये रुपये २५०) प्रति त्रैमासिक के स्थान पर रुपया ३१२) ५० पैसे प्रति त्रैमासिक की दर से कर का भुगतान करने की सूचना दी गई है और यह दर अक्टूबर, १९५९ से प्रभावशाली मानी गई है ?

(२) कोटा तथा झालावाड़ जिले के कितने ट्रक मालिकों पर ऐसी सूचना की तामील की गई है तथा उनसे कितनी राशि की मांग की गई है ?

(३) अक्टूबर १९५९ से की गई अतिरिक्त मांग (एक्सेस डिमाण्ड) के क्या कारण हैं तथा इतने वर्षों से विभाग द्वारा यह मांग क्यों नहीं की गई ?

(४) क्या यह सही है कि ५ टन की भार क्षमता वाले ट्रकों की प्रविष्टि १४० मन की भार क्षमता के लिए की गई तथा यह तकनीकी भूल अतिरिक्त मांग करने का कारण बनाई गई है ?

**उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह)** : (१) जी हां।

(२) कोटा जिले के १२७ ट्रक-मालिकों को ऐसी सूचना की तामील कराई गई व झालावाड़ जिले के ८ ट्रक मालिकों को ऐसी सूचना की तामील कराई गई। इन सब से ९७५३९) रुपये की कुल मांग की गई।

(३) यह मांग मार्च, १९५९ से ही की गई है, क्योंकि मार्च, १९५९ में वाहनों का ग्रास वेट बढ़ाने का नोटिफिकेशन प्रकाशित हो चुका था, मगर उस वक्त आर० ए०

# Page No 20



(श्री भीमसिंह)

रजिस्टरिंग ऑथोरिटी ने रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेटों में बढ़े हुए भार का इन्दराज नहीं किया। इसलिये यह टैक्स नहीं लिया जा सका।

(४) जी हां, यह सही है कि ५ टन की भार क्षमता १४० मन के बराबर की गई है और इस तरह से टैक्स बढ़ाया, मगर ऐसा हुआ नहीं है। हुआ यह है कि ग्रॉस वेट पर १२॥ प्रतिशत और २५ प्रतिशत बढ़ाया गया है और इस बढ़े हुए भार में से खाली वाहन का भार निकालने पर जो भार-क्षमता बनती है उस पर टैक्स लागू है। और यह भार क्षमता ५ टन से ऊपर है तो टैक्स ३१२)५० पैसे लगेंगे और अगर पांच टन तक ही है तो २५०) रुपया ही टैक्स लगेगा। पाच टन को १४० मन मान कर टैक्स नहीं बढ़ाया गया है बल्कि २२४० पाउन्ड को एक टन के बराबर की तकनीक को आधार बनाया गया है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो कुछ समझ में बैठा नहीं। पर जो परिस्थिति है वह यह है कि एक ही मोडल का ट्रक जिसकी कैपेसिटी बराबर है अब उसमें किसी पर लिख दिया १४० मन तो उसे पांच टन से ज्यादा मान लिया और किसी पर पांच टन लिखा है तो १४० मन और लिख दिया तो ३१२) मान लिया। जिस कम्पनी ने मोडल और ईयर लिखा है वह तो एक ही है। भार-क्षमता को फिर कैसे नपाते हैं। कम्पनी के मोडल से और ईयर से वह तो सभी ट्रकों में समान है जो उस मोडल और ईयर के हैं। तो उसके अनुसार क्यों नहीं लिया जाता ?

श्री भीमसिंह : १९५७ में सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट ने ट्रान्सपोर्ट एडवाइजरी कमेटी बिठाई थी उसमें ओपरेटर्स के प्रतिनिधि भी थे तो सबने मिल कर एक फार्मूला निकाला था कि लोडन वेट जो है ५२ तक के उनको और ५३ से ओनवर्ड जो हैं उनको तय किया जावे। उन्होंने वह तय किया। अब सरकार ने ५३ से ओनवर्ड हैं उन पर २५ परसेन्ट बढ़ा दिया और जो ५२ के हैं उन पर १२॥ परसेन्ट रखा। तो यह इसका फर्क है।

श्री जुझारसिंह : यह है कि ६२ में डिमाण्ड शुरू हुई तो ठीक है आप ६२ से इसे लागू करते और लेते। पर आपने ५९ से यह मांगना शुरू कर दिया। आपने उनको सर्टीफिकेट दिये कागज उनके रिन्यू किये चार वर्षों से बराबर चल रहे हैं। अब अगर आपको ५९ से लेना था तो उनको आपके विभाग को नोटिस देना था, वह नहीं दिया गया। अब चार वर्ष बाद में एक दम उन पर एक्युमुलेटेड अमाउन्ट निकाल कर वसूली का नोटिस दे दिया। तो यह भी ज्यादती है। कुसूर इसमें आपके विभाग का है कि वह इतने दिन चुप रहा या सुस्ती से काम लिया। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इन्स्टालमेंट कर दीजिये उनको। लम्प सम में वसूल करना यह तो ज्यादती होगी, गलती आपके विभाग की भी कम नहीं है। तो इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये।

श्री भीमसिंह : वैसी बात नहीं है। ५९ में लोगों पर टैक्स लागू करने का था। और उसमें टैक्स में रजिस्ट्रेशन कागजों में

# Page No 21



(श्री भीमसिंह)

उनका वेट लिखा था उस पर टैक्स लागू किया जाने को था। तो ५६ में उनको नोटिस दिया गया कि उनके कागजों में वेट दुरुस्त करा कर टैक्स दे दो। पर उन लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट पेश नहीं किये। और लगातार इग्नोर करते रहे। तो टोकन और दूसरे पेपर उनके हमने रोकने शुरू किये। तब खलबलाये वे। फिर हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट ने अभी स्टे किया है।

प्रश्न संख्या ७५४

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा।।

**स्टेनलैस स्टील, जिंक व तांबे का कोटा**

७५४. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) संचालक उद्योग विभाग राजस्थान द्वारा १९५५ से आज तक स्टेनलैस स्टील, जिंक व तांबे का राजस्थान में जिलेवार किस किस व्यक्ति को कितना कितना कोटा दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(२) क्या उपरोक्त कोटा प्राप्त करने वालों ने नियमानुसार कोटे का उपयोग किया है ? कोटा प्राप्त करने वालों के नाम के अनुसार सूचना दें।

(३) जिन्होंने नहीं किया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

**उप-मंत्री, उद्योग** (श्री चन्दनमल वैद) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में दस साल की सूचना चाही है। इसे एकत्रित करना कठिन कार्य है और इसमें काफी समय लगेगा। इस सैशन में तो इसका जवाब देने की आशा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसे सीमित करके पूछ सकते हैं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : दो सालों में भी अगर इन्फोर्मेशन सरकार कलेक्ट नहीं कर सकी है तो फिर अब भी नहीं कर सकेगी।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : दो साल तक लगातार प्रश्न हो। इसके बावजूद भी जवाब नहीं दिया जावे, इसका कारण क्या है ?

**श्री चन्दनमल वैद** : क्वेश्चन पेपर तो इसी साल आया।

वह भी पार्टीवाइज मांगा गया है। जो जो चीजें इसमें मांगी है उनका यह उत्तर सैकडों पत्रों में होगा।

हजारों पार्टियों के नाम होंगे।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेडा) : २८ आदमी हैं सिर्फ।

**श्री चन्दनमल वैद** : इसमें किसी पार्टी के बारे में आप स्पेसिफिकली पूछना चाहें कोई स्पेसिफिक शिकायत हो और उसकी जानकारी जानना चाहें तो बता दीजिये। मैं देने को तैयार हूं।

# Page No 22



**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या तो आपके निर्णय की मोहताज है। आखिर किसी भी सूचना के लिये देने की कोई अवधि तो होनी चाहिये। क्वेश्चन पूछा जावे और सरकार उसका जवाब ही नहीं देना चाहे। बार बार टालती है तो आखिर अवधि तो होनी चाहिये. अध्यक्ष महोदय ! यह बहुत खराब व्यवस्था है. असन्तोषजनक व्यवस्था है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अध्यक्ष महोदय...

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य चाहें तो प्रश्न को सीमित करके पूछ लें।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : सीमित तो स्वयं ही है। सिर्फ २८ आदमियों में यह कोटा वितरित है।

**श्री अध्यक्ष** : २८ आदमी नहीं सैंकड़ों आदमी हैं। फिर इसके अलावा ३ मैटल हैं इसमें क्या सिर्फ २८ आदमी ही होंगे आप इसको स्वयं मानते हैं। आपने जैसा प्रश्न पूछा है वह तो बहुत लम्बा है। प्रश्न केवल स्टेनलेस स्टील का ही नहीं है ३ मैटल का है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आप कॉपर का रिमूव कर दो स्टेनलैस स्टील का दे दो और जिंक का दे दो।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय, इसके बारे जानकारी करा लें।

**श्री चन्द्नमल वैद** : मैं केवल स्टेनलैस स्टील के बारे में जानकारी दे सकता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट, श्री गोविन्दसिंह।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : स्टेनलैस स्टील का भी जवाब कब देंगे ? नैक्स्ट टर्न पर देंगे या कब देंगे ?

**उद्योग मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र)** : अध्यक्ष महोदय यह दस साल का मांगा है इसलिए इसमें समय लगेगा। Tere is no doubt abou1 it, Wrill, It will take time.

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : तमाम प्रश्न यह है कि क्या सरकार और विभाग के पास पिछले दस साल के जो कि कन्ट्रोल आइटम्स हैं इनका यूटीलाइज़ेशन किया गया या नहीं इसकी परवाह ही सरकार ने नहीं की और इसको कोई एग्ज़ामिन नहीं करना चाहते हैं और इसके सम्बन्ध में सदन में बहुत बार गम्भीर आरोप लगाये गये हैं।

**श्री अध्यक्ष** : यहां सदन में यह कई बार बात आई है कि अमुक कोटा दिया गया वह काम में आया या नहीं। मंत्री महोदय कहते हैं कि उनका इन्सपेक्शन करने का तरीका है, रिट्र्न्स मंगाने का तरीका है। उसमें माननीय सदस्य यदि असंतुष्ट हों तो कहें कि अमुक व्यक्ति इस तरह का काम करता है। उनके कहने का मतलब यह है कि उनकी जानकारी के मुताबिक यूटीलाइज़ेशन ठीक हुआ है। उसके प्रतिकूल आपकी इन्फर्मेशन है तो कहें। वर्ना यह तो बहुत लम्बा प्रश्न हो जायेगा और न उसका कोई महत्व रहेगा।

# Page No 23



**श्री मानिकचन्द सुराणा** : एक बार इस सदन में आपके द्वारा कोई क्वेश्चन एड्मिट कर लिया जाय तो मैं समझता हूं कि फिर गलत परम्परा हो जायेगी कि इस क्वेश्चन को इस हाउस के मन्त्री महोदय के कहने पर अमेन्ड कर दिया जावे।

**श्री अध्यक्ष** : वे तो हर एक के कहने पर अमेन्ड कर सकते हैं। इसमें रिजेक्ट का प्रश्न नहीं है। आखिरकार बिना नोटिस के भी तो अमेन्डमेंट स्वीकार करते हैं। उसके उपरान्त जाते हैं तो ठीक नहीं होता। आप स्वयं स्वीकार कर सकते हैं कि कितना समय लगेगा इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने में। कोई निश्चित सूचना पूछी जाये तो ठीक है। मैं कई दफा कह चुका हूं कि इतने लम्बे प्रश्न न पूछे जायें। निश्चित रूप से जो शिकायत है उसका निराकरण करने हेतु उसी बात के लिये पूछें ताकि उसका निराकरण हो सके, वर्ना फिर लम्बे क्वेश्चन आते हैं उनकी सूचना एकत्रित नहीं हो पाती और उनका जवाब नहीं दिया जा सकता।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : स्टेनलेस स्टील की इन्फोर्मेशन दे दें।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : स्टेनलेस स्टील और जिंक हैं उसके फिगर्स तो दें। जिन रा मैटीरियल्स की कीमत गवर्नमेंट किसी भी व्यापारी को दे उसके हाथ से पास होते ही चार गुना बढ़ जाती है। उसके यूटीलाइजेशन का प्रश्न है और इस सदन में श्री मुरलीधर झुंझुनू वाला के खिलाफ कई बार आरोप लगे हैं...

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य इस तरह से चलते हुए किसी का नाम लेना उचित नहीं है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : सदन में उनको प्रोटेक्ट करने के लिये सरकार की ओर से उसका कोई जवाब नहीं दिया जाये...

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न कुछ और है और चलते हुये किसी के लिये रिमार्क लगा देना उस व्यक्ति के लिये ठीक नहीं और सरकार के लिये भी ठीक नहीं है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : उसके लिए सदन में आधा घन्टे तक कहा गया, सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य इस तरह से बगैर नोटिस के कोई प्रश्न उठाना ठीक नहीं है। उसके लिये बहस कीजिये उसका निराकरण करेंगे। आधा घन्टे की चर्चा उठाइये। तो मैं निवेदन करता हूँ कि स्पेसिफिक इश्यू लेकर चलते हैं तो सदन के सामने तथ्य आयेंगे। इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ शंकायें हों तो आप पूछें, कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो पूछें। पांच बार ५ छः, दस बार पूछें और माननीयसदस्यों की शंकाओं का निराकरण किया जायेगा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : जानकारी के बाद संतोष होगा तो कोई प्रश्न नहीं उठता।

**श्री अध्यक्ष** : श्री गोविन्दसिंह।

## कोटा में झालावाड़-अकलेरा रूट की बसें

७५५. **श्री गोविन्दसिंह** (पिड़ावा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री गोविन्दसिंह)

(१) कोटा से झालावाड़-अकलेरा रूट पर राजस्थान स्टेट रोडवेज़ की बसें कब से चलना प्रारम्भ हुई ? जब से ये बसें प्रारम्भ हुई तब से लेकर नवीनतम आंकड़ों की उपलब्धि तक बसों पर कितना खर्चा हुआ व कितनी आमदनी हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त रूट पर अब भी प्राइवेट मालिकों की बसें चल रही हैं और दोनों प्रकार की बसें करीब करीब साथ ही चलती हैं और इसी कारण रोडवेज की बसों को जितनी आमदनी होनी चाहिये नहीं हो पा रही है ?

(३) उपरोक्त मार्ग पर प्राइवेट मालिकों की बसें क्यों चलाई जा रही हैं ? अब ये बसें कब तक बन्द हो जावेंगी ?

**उप-मन्त्री, राजस्व** (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) कोटा से झालावाड़-अकलेरा मार्ग पर निगम की बसें ६-११-६४ से चालू हैं। तथा इस पर होने वाली आय की सूची संलग्न है। नवम्बर ६४ से फरवरी १९६५ तक कुल आय ७०,८७६.६५ रुपये हुई। चूंकि व्यय के आंकड़े डिपो द्वारा रखे जाते हैं; अतः यह नहीं कहा जा सकता कि इस रूट पर क्या व्यय हुआ।

(२) यह सही है कि रोडवेज़ और प्राईवेट बसें इस मार्ग पर चलती हैं, परन्तु उनके समय अलग अलग हैं उनके चालू रहने से रोडवेज़ की आय पर काफी धक्का पहुंचता है।

(३) ६ नवम्बर, १९६४ को निजी मालिकों ने स्टे के लिये प्रार्थना राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की और ये आदेश जारी हुये कि फैसले तक निगम व निजी मालिक साथ साथ अपनी गाड़ियां चलावें इसलिये हाईकोर्ट के आदेशानुसार ही निगम और निजी मालिकों की गाड़ियां साथ साथ चल रही हैं इसकी अन्तिम सुनवाई ५ फरवरी, १९६५ को हो चुकी है, निर्णय होना बाकी है, निर्णय होने पर ही प्राइवेट मालिकों की बसों को बन्द किया जा सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

**श्री गोविन्दसिंह** : प्रश्न १ अधूरा है। कितना खर्च हुआ है यह नहीं बताया। दूसरी बात यह है कि इस पर प्राईवेट बसेज़ क्यों चल रही हैं जब कि रूटों का राष्ट्रीयकरण कर लिया है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैंने निवेदन किया कि योजना राष्ट्रीयकरण की स्वीकार हो गई उसके मुताबिक बसें चलनी शुरू हो गई। लेकिन प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने हाई-कोर्ट के अन्दर रिट पेश कर दी और हाई-कोर्ट ने यह ऑर्डर दे दिया कि यह प्राइवेट बसें जब तक रिट पिटीशन का फैसला नहीं हो तब तक यह भी चलेंगी और सरकार की भी चलेंगी। इसलिए उनको इजाजत चलाने की हो गई उसमें हम क्या कर सकते हैं ? हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसका पालन हमें करना होता है।

**श्री गोविन्दसिंह** : यह जो रोडवेज की और प्राइवेट बसेज़ चलती हैं इनके टाईमिंग्ज में १०-१५ मिनट का ही फर्क रहता है और

(श्री गोविन्दसिंह)

बस स्टेन्ड्स पर एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं इससे एक्सीडेंट्स होते हैं तो कम से कम टाइमिंग्ज में एक घन्टे का फर्क रहना बहुत जरूरी है क्या मन्त्री महोदय इसको मानते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टाइमिंग्ज तो वसेज़ के होते ही हैं।

श्री गोविन्दसिंह : पर रवाना होने का टाइम जो है उसमें दोनों वसेज़ का १०-१५ मिनट का फर्क है और हर वक्त एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बसें आती हैं और जाती हैं तो टाइमिंग्स तो जो निश्चित हैं उसी के हिसाब से हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : टाइमिंग्स तो आपको निर्धारित करने चाहिए और काफी फर्क रखना चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टाइमिंग्ज तो निर्धारित हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना है कि इतना कम फर्क हैं टाइम का कि आगे वाली बस को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं इसलिए व्यवस्था बिगड़ जाती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें कैसे सुधार हो सकता है इसकी छानबीन कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम धारू।

### सिवाना में डिग्री कालेज या एग्रीकल्चरल कालेज की मांग

७५६. श्री हरिराम धारू (सिवाना-सु) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सिवाना में डिग्री कॉलेज या एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने हेतु वहां की जनता ने चार लाख रुपये देने का शिक्षा मंत्रीजी को लिख कर दिया है?

यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई अग्रेत्तर कार्यवाही की है?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरजननाथ आचार्य) : सिवाना की जनता कॉलेज की स्थापना हेतु ३ लाख २५ हजार रुपये देने को उत्सुक है, परन्तु राज्य सरकार की नीति है कि जिन जिलों में कोई कालेज न हो वहां कॉलेज खोलने में जिले के हैड-क्वार्टर को प्राथमिकता देनी चाहिए। अतः राज्य सरकार ने बाड़मेर में ही कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : क्या बाड़मेर स कन्ट्रीब्यूशन के लिए कोई आवेदन पत्र आये?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं, ऐसा अभी कोई नहीं है।

श्री फूलचन्द जैन : तो फिर किस आधार पर आपने निश्चय किया है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्राथमिकता जिले के हैडक्वार्टर के आधार पर।

# Page No 26



**श्री फूलचन्द जैन** : सिवाना में ४ लाख लोग देने के लिए कह रहे हैं, वहां तो आप नहीं खोलते हैं और दूसरी तरफ जहां से कोई आवेदन-पत्र नहीं है तो वहां आप कैसे निर्णय करते हैं खोलने का ?

**विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर के अन्दर जनता ने आश्वासन दिया है रुपये देने के लिए और सिवाना में जो आश्वासन है ४ लाख का वह बिल्कुल बाड़मेर जिले के कोने में पड़ता है और न हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं इसको देखते हुए बाड़मेर हैडक्वार्टर होने की वजह से राज्य सरकार ने फैसला किया है कि वहां पर खोला जायेगा और लोग वहां पर १॥-२ लाख रुपये तक का चन्दा देंगे ।

(१२ मध्यान्ह)

**श्री हरिराम धारू** : सिवाना तहसील में चार हायर सेकण्डरी स्कूल हैं, साहब, उन कॉलेजेज़ में इतने लड़के हैं और चार लाख रुपया जनता देने को तैयार है तो बाड़मेर में अलग से दूसरी कॉलेज भले ही खोलें लेकिन वहां की जनता में सेठ मानिक चन्दजी, मानमलजी ललवानी, घेवरचन्दजी हरकचन्दजी, मिश्रीमल दूंडियां जी चार लाख रुपया लगाकर कॉलेज खोलने को तैयार हैं तो बाड़मेर में कालेज बने तो भले ही बने, लेकिन सिवाना में दूसरी बना दें तो जनता चार लाख रुपया लगाने को राजी है ।

**श्री निरन्जननाथ आचार्य** : अभी ऐसा विचार नहीं है कि लालचन्दजी ने दिया है या देना चाहते हैं तो जब बाड़मेर में खुल जाय तो उसके बाद विचार करेंगे ।

**श्री गोविन्द सिंह (पिड़ावा)** : जब जनता चार लाख रुपये देने को तैयार है तो खोलने को तैयार क्यों नहीं है ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोहरसिंह !

**श्री हरिराम धारू** : वहां पर डिग्री कॉलेज नहीं खोलें तो एग्रीकल्चरल कॉलेज ही खोल दिया जाय ।

**श्री अध्यक्ष** : आप हिन्दी बोलिये थोड़ी ।

**श्री हरिराम धारू** : कृषि कॉलेज ।

## राजगढ़-पिलानी सड़क के निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

७५८. **श्री मोहरसिंह (चूरू)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजगढ़ से पिलानी तक सड़क का निर्माण कब हुआ और इस पर कितना रुपया व्यय हुआ ?

(२) क्या इस सड़क के निर्माण हेतु ली गई भूमि का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब दिया जायेगा मुआवजे की धन-राशि क्या होगी ?

(३) यदि मुआवजा दिया गया है तो कब और कितना दिया गया है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) झुन्झुनू जिले में वर्ष १६५७ में तथा चूरू जिले में १६६३, में ७,८६,८६,५८० की लागत पर हुआ है।

(२) झुन्झुनू जिले में आने वाले भाग का मुआवजा दे दिया गया है तथा चूरू जिले में आने वाले भाग का अवार्ड राजस्व विभाग से ११,४४५) रु० का प्राप्त हुआ था।

(३) यह रकम वितरण के लिए राजस्व विभाग को दे दी गई है।

श्री मोहरसिंह : कब दी गई है? कौन सी तारीख को।

श्री हरिश्चन्द्र : ६-१२-६२ को चैक भेज दिया गया है।

श्री मोहरसिंह : अब तक वितरण हुआ या नहीं?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी सूचना नहीं है। पी० डब्लू० डी० ने ११,५५५) रु० चेक के द्वारा भेज दिये हैं।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : ६२ में भिजवा दिये और ६५ में पूछा जा रहा है कि वितरण हुआ है कि नहीं, तो इसका जवाब मिलना चाहिए कि ३ साल में वास्तविक रूप से मिला या नहीं?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरी सूचना है कि पी० डब्ल्यू० डी० ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिये चक भिजवा दिया है। मैंने कहा है कि सूचना नहीं है मेरे पास कि काश्तकारों को मिल गया या नहीं? मैं कलेक्टर को लिखकर पूछ लूंगा।

श्री मोहरसिंह : चूरू जिले के किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है आज तक एक भी सड़क का।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि मेरे पास यही सूचना थी कि चैक भिजवा दिया और मैंने आश्वासन दिया कि I would write to the collecpor.

श्री रामचन्द्र अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह मुआवजे का प्रश्न बार-बार उठता है तो क्या मन्त्री महोदय इस प्रकार का स्टेटमेंट तैयार करवा सकते हैं कि अब तक मुआवजे के सारी स्टेट में कितने पुराने केसेज़ बाकी हैं और फिर उनको अपने लेबल पर एक्सपीडाइट कराने का प्रयत्न करें, क्योंकि हरेक सेशन में यह प्रश्न आता है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : मुआवजे के बारे में सिरोही में भी कई मामले चल रहे हैं। इसका कुछ न कुछ निराकरण करना चाहिए। किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है और उनकी जमीनें सड़कों के नीचे आ गई हैं। इसका कन्क्लूज़न होना चाहिए।

श्री हरिश्चन्द्र : मुआवजे का प्रश्न इस सदन में कई मर्तबा उठाया है और सरकार भी इसको बड़ी गम्भीरता से सोच रही है कि क्या ऐसा उपाय निकाला जाय कि जिसके जरिये जल्दी से जल्दी मुआवजा काश्तकारों को मिल जाय और मैं समझता हूं कि उसके मुताबिक उपाय हम जल्दी से जल्दी निकालेंगे।

श्री फूलचन्द जैन : ६२ में जो चैक भेजा गया और ६५ तक भी उस चैक का पैसा किसानों को नहीं मिला मान लें तो क्या सरकार पी० डब्ल्यू० डी० के आफिसर्स, जिनके पास में वह पैसा पड़ा रहा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का आश्वासन दे सकती है।

श्री अध्यक्ष : यह पैसा जो निर्माण विभाग ने भेजा वह रेवेन्यू से लिस्ट आई थी उस बेसिस पर या एडहॉक बेसिस पर ट्रान्सफर करके भेजा है ? एवार्ड होकर आये थे या यों ही ट्रान्सफर हो गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : The award amounting to Rs. 11.545 was intimated by the Collector, chura.

श्री अध्यक्ष : एवार्ड इन्टीमेट होने के बाद भी नहीं मिला ?

श्री हरिश्चन्द्र : Thereafter a cheque on 12-6-62 was sent to the Collector.

श्री अध्यक्ष : यह तो बड़ी गम्भीर बात है ?

( विराम )

श्री हरिराम घारू।

लूनी नदी पर पुलिया का निर्माण

७५६. श्री हरिराम घारू (सिवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि सिवाना और करमावास क्षेत्रों के किसानों को समदड़ी मण्डी में जाने के लिए लूनी नदी पार करके जाना पड़ता है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार नदी पर कोई पुलिया बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): घारूजी के प्रश्न का उत्तर तो चीफ मिनिस्टर से कम को नहीं देना चाहिए।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां।

(२) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है अतः प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हरिराम घारू : माननीय अध्यक्ष, वहां पर किसानों को समदड़ी मन्डी में धान लाने में बड़ी तकलीफ पड़ती है और आड़े नदी है कोई डेढ़ मील। धान मण्डी में सभी सिवाना क्षेत्र से वहां आता है समदड़ी में।

श्री हरिश्चन्द्र : इसका मैं सर्वे करवाकर, इसमें कितना एमाउन्ट खर्च होगा वह मैं मंगवा लूंगा और अगर बजट में कोई गुन्जाइश हो तो इस पर विचार करेंगे।

श्री हरिराम घारू : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास, नेक्स्ट।

# Page No 29



स्थगित प्रश्न

(२६–३–६५)

क्राफ्ट शिक्षक के लिए योग्यता

५६१. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि हायर सेकेन्डरी बोर्डक्राफ्ट शिक्षक के लिए मेट्रिक व उस विषय में बोर्ड द्वारा मान्य डिप्लोमा प्राप्त शिक्षक को हायर सेकन्डरी पढ़ाने के लिए योग्य माना जाता है; यदि हां, तो फिर ऐसे शिक्षकों को ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड (सैकिण्ड ग्रेड ११०-२२५) क्यों नहीं दिया जाता है ? क्या यह सही है कि इन्हें १-६-६१ के पहले यह ग्रेड दिया जाता था ? यदि हां, तो फिर अब क्यों बन्द कर दिया गया है ?

(२) क्या इसी प्रकार की योग्यता वाले किन्हीं शिक्षकों को ये ग्रेड दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) सरकार ने यह परिवर्तन किस आधार पर और क्यों किया जब कि ऐसे शिक्षकों से बोंड भरवा कर फुल पे पर ट्रेनिंग पर भेजा गया था ? इसका जिम्मेवार कौन है ?

(४) क्या यह सही है कि आई० टी० आई० से सरप्लस स्टाफ को शिक्षा विभाग में उसी ग्रेड (सेकण्ड ग्रेड) पर लिया गया है जब कि वे उक्त क्वालिफिकेशन भी नहीं रखते ?

(५) क्या यह सही है कि बी० सी० टी० सी० में इसी योग्यता वाले शिक्षकों को १५०-१५-३०० का ग्रेड दिया जा रहा है। जब कि वे बी० ए० नहीं हैं ? फिर हायर सकण्डरी स्कूलों में पढ़ाने वालों को इस ग्रेड से क्यों वंचित किया जा रहा है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां, अब ११०-२२५ का कोई ग्रेड नहीं है। कुछ क्राफ्ट शिक्षकों को १-६-६१ से पहले ११०-२२५ का ग्रेड भूल से दे दिया गया था। इस गलती का पता चलने पर इसका सुधार कर दिया गया।

(२) ११०-२२५ का अब कोई वेतन-श्रृंखला नहीं है किन्तु जो क्राफ्ट शिक्षक १-६-६१ से पहले भर्ती हो चुके थे और ६०-५-१४० की वेतन-श्रृंखला में उन्हें इस तारीख से ११५-३३५ का ग्रेड दिया जाता है।

(३) कुछ क्राफ्ट शिक्षकों को कार्यालय की भूल से ११०-२२५ का ग्रेड दिया गया था। यह एक क्लेरिकल गलती है जिसके लिए किसी खास व्यक्ति की जिम्मेदारी निश्चित करने की जरूरत नहीं समझी जाती।

(४) जी हां, वे ११५-३३५ की वेतन श्रृंखला में पहले से ही थे।

(५) बी० एस० टी० के इन्सपेक्टर्स को १७०-३३५ का ग्रेड दिया जाता है किन्तु इन्स्ट्रक्टर्स का पद क्राफ्ट शिक्षकों में से ही पदोन्नति से दिया जाता है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : जो नं० १ में यह जो आप दूसरे शिक्षकों को इस प्रकार का ग्रेड देते हैं, दूसरी जगह इस प्रकार के ट्रेन्ड ग्रेज्युएट्स को यह ग्रेड दिया जा रहा है तो वहां पर जो इस प्रकार के ट्रेन्ड हैं उनको यह ग्रेड क्यों नहीं दिया जाता है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : किस प्रकार के ट्रेन्ड ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह जो क्राफ्ट टीचर्स के लिए जिस प्रकार से बीकानेर हायर सेकण्डरी के अन्दर जो क्राफ्ट टीचर्स हैं उनको जो आपने ऑलरेडी ट्रेनिंग के लिए भेजा वे अपने खर्चे पर गये और किसी आधार पर उदयपुर में ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेते समय यह अन्डरस्टेंडिंग था कि उसके बाद यह ग्रेड मिलेगा, उसके बावजूद अपने खर्चे पर गयें तो उनको यह ग्रेड क्यों नहीं दिया जाता है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : कौन से ग्रेड से मतलब है आपका ? ११०-३३५ से ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : जी हां।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : इसमें दो हैं, एक तो वे टीचर्स जो मैट्रिक और रिकॉगाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट बोर्ड का है उनकी ग्रेड अलग हैं और Graduates and craft Graduates or any diploma recognised by the Board, दोनों की अलग अलग वेतन श्रृंखला हैं। जो मैट्रिक हैं उनको ७५-१४० का ग्रेड है और जो ग्रेजुएट हैं उनको ११५-३३५ का ग्रेड देते हैं जिससे दोनों का सम्मिश्रण नहीं होता है।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या यह सही है कि आज भी आपके इस ग्रेड को रिवाइज़ करने के बाद भी कई जगह अध्यापक ऐसे हैं जो केवल मिडल पास हैं या मैट्रिक पास है और उनको आज भी आपके द्वारा बताया गया ग्रेजुएट ग्रेड दिया जा रहा है, मैट्रिक या मिडल पास होते हुए भी ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : यानी आपका मतलब है, उनको ११५ से ३३५ का ग्रेड मिल रहा है; ऐसा तो नहीं है।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : मैं आपको स्पैस्फिक इन्सटान्स बताता हूं। कोटा में जब डिप्टी डाइरेक्टोरेट ऑफ एज्युकेशन था उसको तोड़ कर उसका कुछ भाग उदयपुर के साथ मिलाया और कुछ जयपुर के साथ चला गया। जो आपके अध्यापक उदयपुर के साथ गये उनको रेशनेलाइज़ किया उसमें कटौती शुरू हो गई। लेकिन जो अध्यापक जयपुर की तरफ आ गये उनको यही ग्रेड दिया जा रहा है मैं आपको स्पेसिफिक नाम दे रहा हूं। आपके एक श्री बनेसिंह हैं सवाई माधोपुर में उनको मैट्रिक पास होते हुए भी ग्रेज्युएट ग्रेड मिल रहा है। एक श्री रामचन्द्र कल्ला हैं उनको ग्रेज्युएट ग्रेड मिल रहा है, एक हैं श्री एस. टी. प्रसाद करौली में उनको भी ग्रेज्युएट ग्रेड मिल रहा है। एक श्री ब्रद्रीप्रसाद हैं झालावाड़ में जो सिर्फ मिडल पास हैं उनको ग्रेज्युएट ग्रेड मिल रहा है। एक श्री नारायणलाल हैं उनको भी ग्रेज्युएट ग्रेड दे रहे हैं और ये भी मिडल पास है। आप कहते हैं कि रेशनलाइजेशन कर दिया है इसलिये केवल ग्रेज्युएट्स को ही ग्रेज्युएट ग्रेड देगे। अब तक आप

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

रेशनलाइज़ नहीं कर पाये हैं। आपके पास जो सूचना है वह झूठी है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : इसके अलावा जो ग्रेज्युएट हैं उनको मैट्रिक ग्रेड मिल रहा है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : दो ग्रेड्स हैं। मैट्रिक ग्रेड अलग है दूसरा ग्रेज्युएट विद क्राफ्ट एंड डिपलोमा रिकॉग्नाइज्ड बाई बोर्ड के लिए अलग ग्रेड है। दोनों की अलग अलग श्रेणियां हैं। आपने स्पेसिफिक इन्सटान्सेज़ कोट कीं और बताया कि उनको ग्रेज्युएट ग्रेड मिल रहा है, यह मेरी जानकारी में नहीं है।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : आप दो ग्रेड्स बताते हैं क्या यह सत्य है कि उदयपुर में ट्रेनिंग होती है उसका एक सर्टिफिकेट होता है और एक बिलासपुर में ट्रेनिंग होती है। उदयपुर में एक साल तक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और बिलासपुर में उसके बाद ६ महीनों के लिये ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ऐसे भी लोग हैं जो अपने खर्चे से जाकर ट्रेनिंग करके आये हैं। आपने डिप्लोमा होल्डर को और सर्टिफिकेट होल्डर को अलग अलग डिस्टिंग्युशन किया है क्योंकि उनको अलग अलग ग्रेड मिलेगा ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मैंने डिस्टिंक्शन यह किया है कि मैट्रिक विद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाइ दि बोर्ड की अलग केटेगरी है। ग्रेज्युएट विद क्राफ्ट रिकॉग्नाइज्ड बाइ दि बोर्ड और इक्विवेलेन्ट एग्ज़ामिनेशन की अलग ग्रेड है। पहली ग्रेड तो ९०-५-१४० की है और दूसरी ग्रेजुएट ग्रेड ११५-३३५ है। और इनमें अलग अलग फिक्स-अप करते हैं।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : एक व्यक्ति जो उदयपुर के विद्या भवन का सर्टिफिकेट होल्डर है उसके लिये ग्रेड है और विद्याभवन के अलावा बिलासपुर का डिप्लोमा होल्डर है तो उसके लिये अलग ग्रेड है, मैट्रिक या मिडल दोनों बराबर हैं लेकिन एक व्यक्ति ने उदयपुर में ट्रेनिंग ली है और एक ने बिलासपुर में ली है; तो दोनों के लिये अलग अलग है क्या ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : आप कौन से डिप्लोमा की बात कह रहे हैं ? जो जिस ग्रेड में फिट-इन हो सकता है उसको उसी ग्रेड में किया जाता है। मैं नहीं कह सकता कि बिलासपुर का किस ग्रेड में जायगा और दूसरा किस ग्रेड में जायगा। अलग अलग केटेगरीज़ हैं।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : क्या यह सत्य है कि आपकी हैन्डीक्राफ्ट के लिये खास योग्यता यह है कि केवल क्राफ्ट में ट्रेन्ड होना चाहिये, इन्टरमीजियेट या ग्रेजुएट का भेद नहीं है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : योग्यता निर्धारित है। मैट्रिक और ग्रेज्युएट के लिये डिफरेन्ट ग्रेड्स।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : आपने सन् ६१ में रेशनलाइजेशन किया उससे पहले एग्ज़ामिनेशन की कोई आवश्यकता

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

नहीं थी ग्रेज्युएट ग्रेड मैट्रिक या ग्रेज्युएट में से किसी को दिया जा सकता था। अब एक ग्रेज्युएट के लिये रास्ता खुला है वह बी. एड. करले तो हैड मास्टर तक जा सकता है लेकिन हैन्डिक्राफ्ट के लिये ग्रेज्युएट होने की आवश्यकता नहीं थी। पहले वह उदयपुर में पढ़ कर सर्टिफिकेट ले और बाद में फिर बिलासपुर से डिप्लोमा कर ले तो उसको इस ग्रेड में रखना चाहिये उसके लिये ग्रेज्युएट होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। केवल क्राफट की ट्रेनिंग किया हुआ होना चाहिये। आज तक उनको आपने अपोइन्टमेंट दिया है। उन्होंने अपने खर्च पर जाकर बिलासपुर और उदयपुर में ट्रेनिंग ली, अध्यापक बन गये। सन् ६१ में आपने रेशनलाइज्ड ग्रेड्स का किया और सन् ६३ में उनका ग्रेड कम करने का ऑर्डर निकाला और उसके अनुसार उनसे रिकवरी कर रहे हैं, क्या यह उचित है?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : नियमानुसार जो होना चाहिये वही हो रहा है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : क्राफ्ट्स के जिन लोगों को ग्रेज्युएट ग्रेड दिया था इस बिना पर कि उन्होंने मैट्रिक पास करने बाद क्राफट का डिप्लोमा उदयपुर से लिया और उनको इसी आधार पर वह ग्रेड सन् ६१ में मिलती है। वे इसी आधार पर अपने खर्च से गये और ट्रेनिंग लेकर आये और हायर सेकेन्ड्री विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो क्या जो लोग ट्रेन्ड हैं, हायर सेकन्ड्री के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं उनको यह ग्रेड दिया जायगा या नहीं?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : कौनसा ग्रेड ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : ग्रेज्युएट ग्रेड।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : उनको ७५-१६० का ग्रेड दिया जाता है, मेट्रिक ग्रेड।

**श्री मुरलीधर व्यास** : मैं खास करके ११०-२२५ ग्रेड के बारे में स्पेसिफिक रूप से कह रहा हूं वह ग्रेड उनको क्यों नहीं दी जाती ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : हमने बाद में केटेगोरीज़ डिफरेन्ट बना ली हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : बाद में बनाई हैं। यह सवाल दूसरा है। ६१ में उनको मिलता था जिस आधार पर ६१ में दिया गया था उसी आधार पर बाद में भी क्यों नहीं दिया गया ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मैंने निवेदन किया कि उसके बाद २ केटेगरीज़ बनाईं मैट्रिक और सर्टिफिकेट रिकोग्नाइज्ड बाई बोर्ड और दूसरा ग्रेज्युएट, क्राफ्ट ग्रेज्युएट एंड डिप्लोमा रिकोग्नाइज्ड बाई बोर्ड दोनों में से जिसमें फिट होता है उसको वही ग्रेड दिया जाता है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह केटेगरी कब बनाई ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : सन् ६१ के बाद ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : कौन से माल में ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : अक्टोबर ६१ में ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : ६२ में क्या, आज तो ६५ चल रहा है; कौनसे साल में ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : १-९-६१ के पश्चात् ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : कौनसे साल से शुरू किया ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : २-९-६१ के बाद १-१०-६१ मान लीजिये ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इससे पहले ट्रेनिंग में यदि कोई चला गया था इस अंडरस्टेन्डिग पर कि ट्रेनिंग से आते ही उसको वह ग्रेड मिलेगा उनको क्यों नहीं दिया गया ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : उनका ग्रेड पहले ७०-१५० का था आगे जाकर उसको ईक्वेट कर दिया ७५-१५० से । दो अलग केटेगरीज बना दी हैं ।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : क्या यह सच है आपका काफ्ट. और मैट्रिक पास व्यक्ति ग्रेज्एयुट ग्रेड में पी. एस. सी. द्वारा एप्रूव हो चुका है जो मैट्रिक पास है या मिडल है उसके बाद उदयपुर और बिलासपुर से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुका उसको ग्रेज्युएट ग्रेड मिल गया और पी. एस. सी. ने उसको एप्रूव कर दिया ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : पी. एस. सी. ने एप्रूवल दिया है तो हम उससे बाध्य हैं ।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : जब एप्रूवल दे दिया है तो क्या वजह है कि ग्रेजुएट ग्रेड ऐसे लोगों को नहीं देते ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : जिनके लिये एप्रूवल दिया है वे एक्सेप्शनली गुड होंगे । हम अपनी नीति के खिलाफ नहीं जा सकते । चन्द व्यक्ति एप्रूव हो गये इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी नीति बदल दें ।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : अध्यक्ष महोदय, सन् ६१ से ६५ तक वे लोग सरविस करते रहे इस आश्वासन पर ट्रेनिंग पाते गये कि ग्रेड मिलेगा और सन् ६३ में ऑर्डर कर दिया कि वह ग्रेड उनको नहीं मिलेगा, यह कहां तक उचित है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : है तो है यह नीति । नीति जो निर्धारित की है वह न्यायासंगत है । मैं यही कहूंगा ।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार कोई तकनीकी विशेषज्ञ है तो तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में तकनीकी विशेषज्ञ को प्राथमिकता देना उचित नहीं समझती ? क्या सरकार ने यह जो क्राइटेरिया तय किया है यह अनसाईन्टिफिक हैं या साइन्टिफिक है ? क्या सरकार ने जो पुराने तकनीकी विशेषज्ञ थे उनको स्थान देकर के सेवायें उनकी प्राप्त कीं और फिर दो तीन वर्ष के बाद उनके साथ जो टर्म्स की व्यवस्था थी उसको फेर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

बदल किया ? मेरी समझ में सरकार की नीति है वह सन्तोषजनक नहीं है। अब सरकार ज़िद्द पर आकर जो इस सम्बन्ध में उसने निर्णय ले लिया है उस पर पुनर्विचार करना उचित समझेगी या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मैंने उत्तर दे दिया है, अध्यक्ष महोदय !

**श्री मुरलीधर व्यास** : अध्यक्ष महोदय, नीति से क्या होगा ? टैक्निकल हैंड जो हैं और जो ट्रेनिंग लेकर आते हैं वे नहीं आयेंगे। आप देख लीजिये, क्राफ्ट वगैरह के जो शिक्षक हैं, जो ट्रेन्ड हैं वे दूसरी जगहों पर चले जायेंगे क्योंकि आपकी ग्रेडस कम हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप प्रोत्साहन नहीं देंगे तो लोग दूसरी जगह चले जायेंगे। जो ट्रेनिंग लेकर आये हैं उनसे आपने बोण्ड्स भरवा लिये थे कि वह तीन साल तक आपके यहां काम करेंगे...

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : हाई कोर्ट में जायेंगे।

**श्री मुरलीधर व्यास** : बोण्ड्स भर दिये हैं इसलिए वह काम कर रहे हैं। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : हाई कोर्ट में जायेंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : आखिर में कह दिया है कि विचार करेंगे।

(शेष प्रश्नोतर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

## अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

### सरदार शहर—राजगढ़ सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

७४०. **श्री मोहरसिंह (चूरू)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सरदारशहर से राजगढ़ तक सड़क-निर्माण कब किया गया और उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

(२) क्या इस सड़क निर्माण के लिये ली गई भूमि का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ?

(३) यदि अब तक मुआवजा नहीं दिया गया तो अब कब तक दिया जायेगा और उसकी धनराशि कितनी होगी ?

### उत्तर

(१) राजगढ़ से तारानगर का भाग वर्ष १९४० में तथा तारानगर से सरदारशहर का भाग १९४९ से पूर्व बना था, कितनी धनराशि व्यय हुई यह जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(२) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(३) प्रश्न नहीं उठता।

### तुंगा-लवाण सड़क का निर्माण

७४२. श्री भूलचन्द चौधरी (दौसा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील दौसा में तुंगा-लवाण सड़क का निर्माण कार्य अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ है?

(२) क्या यह सही है कि इस कार्य को पूरा करने की अवधि समाप्त हो चुकी है और ठेकेदार को भुगतान किया जा चुका है?

उत्तर

(१) कार्य योजनानुसार चल रहा है।

(२) जी नहीं, यह कार्य तृतीय योजना के अन्त तक पूर्ण होने को है।

जी हां।

### पहाड़ी-बीवा सड़क निर्माण कार्य

७४५. श्री मजलिस खां (कामा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर में पहाड़ी-बीवा सड़क के निर्माण का सरकार ने अप्रेल सन् ६४ में निर्णय ले लिया था?

(२) यदि हां, तो क्या उस सड़क का सर्वे हो गया है और उसके टेन्डर मांग लिये गये हैं? यदि हां, तो निर्माण कार्य शुरू न होने का क्या कारण रहा है?

(३) क्या सरकार इस छोटे से महत्व-पूर्ण सड़क के टुकड़े को शीघ्र पूरा करने की चेष्टा करेगी?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां-कार्य ठेकेदार को दे दिया गया है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

### निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ा सड़क निर्माण कार्य

७४९. श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में सड़क निर्माण कार्य के लिये विभिन्न सड़कों को प्राथमिकता किस आधार पर दी जाती है?

(२) क्या निर्धारित आधारों के अनुसार निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ सड़क के निर्माण को प्राथमिकता मिल सकती है?

(३) क्या यह सही है कि अधीक्षण अभियन्ता, उदयपुर तथा निष्पादन (एग्जीक्यूटिव) अभियन्ता चित्तौड़ के कार्यालयों द्वारा इस सड़क का सर्वे भी हो चुका है?

(श्री अब्दुलजब्बारखां)

(४) क्या सरकार इस सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) सूची (अ) प्रस्तुत है

(२) यह ग्रेवल रोड बनी हुई है।

(३) जी हां, जब ग्रेवल रोड बनी थी।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

( कृपया परिशिष्ट ३ देखिये )

## नीम का थाना-पाटन रोड के निर्माण में एक्वायर की गई जमीन का मुआवजा

७५०. श्री रामकिशन ( वैर ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नीम का थाना-पाटन रोड की जमीन कब एक्वायर की गई थी ?

(२) सड़क निर्माण का काम कब प्रारम्भ हुआ और सड़क में आने वाली भूमि को एक्वायर करने की कार्यवाही कब प्रारम्भ की गई ?

(३) सड़क कब तैयार हो गई थी ? इस भूमि का मुआवजा कब दिया गया ? अगर अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है तो क्या कारण है और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(१) भूमि अवाप्तगी की कार्यवाह चालू है।

(२) मार्च १९६५ में। अवाप्तगी की कार्यवाही १९५६ से आरम्भ की गई है।

(३) यह सड़क वर्ष १९६३ में पूर्ण हुई है। मुअवजा अभी नहीं दिया गया है। भूमि अवाप्तगी की कार्यवाही चालू है।

## ग्राम गालड में माध्यमिक शाला के लिए भवन का निर्माण

७५७. श्री रावतराम ( सादूलपुर ) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम गालड़ तहसील राजगढ़, जिला चूरू के निवासियों ने करीब ३० हजार रुपये चन्दे के एकत्रित करके माध्यमिक शाला के लिये नया भवन निर्माण किया है ? यदि हां, तो लगातार पिछले तीन साल से सरकार इस ग्राम में माध्यमिक शाला क्यों नहीं खोलती ? क्या इस साल के लिए सरकार आश्वासन देगी ?

उत्तर

जी हां। पिछले तीन वर्षों में इस गांव

(श्री शिक्षा मंत्री)

की प्राथमिक शाला की कक्षा ५ की छात्र संख्या बहुत कम होने तथा जनता की ओर से माध्यमिक शाला का ३ वर्ष का खर्च बर्दाश्त करने के लिए जनता का आश्वासन न मिलने के कारण माध्यमिक शाला नहीं खोली गई । इस वर्ष भी माध्यमिक शाला खोलने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है ।

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### क्रशर व कमप्रेसर पर मासिक व्यय

७२. श्री दयाचन्द सोन (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बारां सब–डिविज़न में सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास जो क्रशर व कम्प्रेसर है उनका औसतन माहवारी खर्चा कितना है व कितना मेटीरियल कितनी कीमत का इनसे तैयार होता है ?

(२) इनसे जो मेटिरियल तैयार होता है वह बेचा जाता है या सरकारी कामों में आता है ?

(३) यह काम कितने वर्षो से हो रहा है व इस पर अब तक कुल कितना खर्चा व इनसे कितनी आमदनी हुई ?

### उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

### रामगढ़ शेखावाटी से फतहपुर सड़क का निर्माण-कार्य

७३. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) रामगढ़, शेखावाटी से फतहपुर की सड़क का निर्माण कब शुरू किया जावेगा ?

(२) इस सड़क की लम्बाई क्या होगी, इसका अनुमानित व्यय क्या होगा ?

(३) क्या इस सड़क पर अकाल के समय कुछ काम हुआ है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि खर्च हुई ?

(४) इस सड़क का निर्माण कब तक पूरा कराने की सरकार की योजना है ?

### उत्तर

(१) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है ।

(२) प्रश्न नहीं उठता

(३) जी हां । धनराशि खर्च होने की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

### टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल सिवाना का भवन

७४. श्री हरिराम घारू (सिवाना-सु०) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सिवाना में टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल के लिए अलग भवन बनाने की राज्य सरकार

# Page No 38



(श्री हरिराम धारू)

को कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

**जालौर से मांडवला होती हुई गोल व सायला तक बिजली**

७५. श्री विरदाराम फुलवारिया (जालौर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या जालौर में मांडवला होती हुई गोल व सायला तक बिजली इस वर्ष पहुंच जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है इस बिजली की लाइन से बहुत अधिक संख्या में काश्तकारों को कुओं पर बिजली लगाने का अवसर मिल सकेगा ?

उत्तर

(१) जिला जालौर के गोल और सायला ग्रामों को सन् १९६५–६६ ई० की देहाती विद्युतीकरण योजना में बिजली देने की योजना विचाराधीन है।

(२) जी हां।

**बन्ध माधोसागर व उकाली की घाटी तक सड़क निर्माण योजना**

७६. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सिकराय से बन्ध माधोसागर व उकाली की घाटी तक सड़क निर्माण योजना में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

उत्तर

यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

**मांगरोल से खातोली तक पक्की सड़क का निर्माण**

७७. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि कोटा जिले में मांगरोल से खातोली तक सड़क कच्ची है ?

(२) क्या यह सच है कि इस सड़क को पक्की बनाने की स्वीकृति हो गई है ? लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है ?

(३) क्या यह सच है कि इस सड़क में से मांगरोल में गनेशगंज तक का १५ मील का टेन्डर हो गया है और मांगरोल से सीमल्या तक पत्थर और मिट्टी डाल दी गई है, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ ?

(४) क्या सरकार अब तुरन्त ही इसको पक्की बनवाने का कार्य शुरू करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

[redacted]



(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

(१) गनेशगंज से इटावा के भाग को छोड़ कर बाकी सड़क कच्ची है।

(२) जी हां। कार्य चल रहा है।

(३) जी नहीं। मांगरोल से सीमल्या तक का ठेका दे दिया था जो पुनः विचाराधीन है।

(४) मांगरोल से गनेशगंज के भाग १२।० से १४।७ मीलों में कार्य चालू है।

(१२.२१ म० प०)

## जन-लेखा एवं प्राक्कलन समितियों के नामजद उम्मीदवारों की घोषणा

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जन लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति १९६५-६६ के हेतु निम्नलिखित उम्मीदवार नामजद किये गये हैं :

जन-लेखा समति १९६५-६६

(१) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

(२) श्री रघुनाथ विश्नोई

(३) श्री हरिदेव जोशी

(४) श्री फूलचन्द जैन

(५) श्री गोकुलप्रसाद शर्मा

(६) श्री गोविन्दसिंह

(७) श्री मानिकचन्द सुराणा

(८) श्री दुर्गालाल बाढ़दार

(९) श्री डूंगाराम राजोरिया

(१०) श्री कृष्णकुमार गोयल

(११) रावत श्री उम्मेदसिंह

(१२) श्री मानसिंह

(१३) श्री मान्धातासिंह

प्राक्कलन समिति १९६५-६६

(१) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

(२) श्री मोतीलाल

(३) श्री रावतराम

(४) श्री चतुर्भुज उपाध्याय

(५) श्री गणपतिलाल वर्मा

(६) श्री उमरावसिंह ढाबरिया

(७) श्री अमरसिंह (दूदू)

(८) श्री मोहनलाल सारस्वत

(९) श्रीमती सुमित्रा

(१०) श्री गंगासिंह (४७)

(११) श्री विजयपाल

(१२) श्री श्रवणलाल

(१३) श्री हरिप्रसाद शर्मा

(१४) श्री भरतलाल

(१५) श्री रावत उम्मेदसिंह

(१६) श्री सांवलिया राम

(श्री अध्यक्ष)

(१७) श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ।

(१८) श्री नत्थीलाल ।

(१९) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

(२०) श्री अब्दुलज़ब्बार ।

जो माननीय सदस्य अपने नाम वापिस लेना चाहें वे कृपया सदन में वक्तव्य देकर जिसमें केवल इसी बात का उल्लेख हो अपना नाम वापिस ले सकते हैं ।

**श्री मानसिंह महार** (आमेर) : नाम वापिस लेने का समय कल शाम तक कर दिया जाय ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): कल तक कर दिया जाय ।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : आज शाम के पांच बजे तक कर दिया जाय ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : कल तक कर दिया जाय ।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : आज पांच बजे तक बढ़ा दिया जाय ।

**श्री अध्यक्ष** : नाम वापिस लेने का समय, आज सदन की कार्यवाही समाप्त हो तब तक है ।

**श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना नाम वापिस लेता हूं ।

**रावत श्री उम्मेदसिंह** (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी से अपना नाम वापिस लेता हूँ ।

**श्री मानसिंह महार** : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना नाम पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी, दोनों से, वापिस लेता हूँ ।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द): Very good.

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : यह देश निकाला ले रहे हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : राजस्थान...

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : प्राक्कलन समिति से मैं अपना नाम वापिस लेना चाहती हूँ ।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव कल दिया था, खास करके किसी....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैं असमर्थ हूं हर स्थगन-प्रस्ताव का उत्तर देने के लिए । आपको...

**श्री मुरलीधर व्यास** : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

**श्री अध्यक्ष** : महत्वपूर्ण हो या नहीं हो—यह मेरे और आपके सोचने की बात है । सदन में कहने की बात नहीं है ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : सूचना नहीं मिली है ।

श्री अध्यक्ष : सूचना नहीं मिली है, इसका मतलब अस्वीकार होना माना जाता है। आप उठें या नहीं उठें, उसके बारे में...

श्री मुरलीधर व्यास : बात यह है कि...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मुरलीधर व्यास : कोई घटना वैसी न हो जाय, इसलिए दिया है।

श्री अध्यक्ष : उसका क्या बाह्य महत्व है और क्या आन्तरिक महत्व है–उसके बारे में आप उसमें बताये। आपने केवल दो लाइन का एक प्रस्ताव लिख कर दे दिया जिससे स्थिति मालूम नहीं हो और पृष्ठभूमि मालूम नहीं हो और इससे सरकार से उत्तर आने में समय लगता है। यह सारी सूचना देने की अहमियत है–यह आप विचार करिये।

श्री मुरलीधर व्यास : कल सुबह दिया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया इस पर विवाद न उठायें।

(१२.२५. म. प.)

## राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६५

(पूर्व क्रम से विचार-विमर्श)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : थोड़ा एक स्पष्टीकरण कर दूं...

श्री अध्यक्ष : आप जवाब देने वाले थे।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं थोड़ा पोइन्ट रखना चाहता हूँ जिससे उसका भी वह जवाब दे दें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मुझे टाइम मिला नहीं, पांच-दस मिनट का टाइम मिल जाता।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की राय हो तो सामान्य बहस का समय बढ़ा दें इस बात को स्वीकार करते हुए कि इसे आज ही पास करना है; इसलिए क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिस्कशन में समय कम लेंगे, क्योंकि क्लॉज बाई क्लॉज के समय वही बातें आती हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें ज्यादा समय लें और क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिस्कशन में कम समय लें ताकि यह विधेयक आज ही पारित हो जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, एक...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इन्होंने कल समय ले लिया था।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बोल नहीं रहा हूँ।

इस बिल में, अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण संशोधन पेश किये गये हैं जिनकी संख्या काफी है। इसलिए इस बात को मद्दे-नजर रखते हुए इस बिल पर जनरल डिबेट होगी वह महत्वपूर्ण होगी। लेकिन इस पर क्लॉज़ वाइज जो डिबेट होगी वह और भी महत्वपूर्ण होने की सम्भावना है क्योंकि जो

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

अमेंडमेंट माननीय मन्त्रीजी ने पेश किये हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हैं कई देखने में तो बहुत सरल लगते हैं लेकिन वह दूरगामी परिणाम वाले हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल पर क्लॉज़वाइज़ डिस्कशन के लिए पूरे एक दिन का समय आवश्यक रूप से लिया जायगा। अगर आज ही इसे पास करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि सदन १२ बजे तक बैठने की पूरी तैयारी कर ले।

श्री अध्यक्ष : बारह बजे तक बैठने की तैयारी करने का प्रश्न नहीं है। सदन ने यह स्वीकार कर लिया है कि दो दिन में इसे स्वीकार करेंगे। इसलिए आज का जो समय है उसमें हेर फेर किया जाय इसकी आवश्यकता नहीं है। क्लाज वाई क्लाज डिस्कशन में थोड़ा बोलिये तो सब माननीय सदस्य भाग ले सकते हैं। करीब एक घंटे का समय बढ़ा दिया जायगा तो मैं समझता हूं कि काफी समय रह जायगा क्लाज़ बाई क्लाज़ डिस्कशन के लिए!

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट! मदेरणा साहब ने कल बोलते हुए सैल्स टैक्स के विषय में कहते हुए कहा था कि इन्कम टैक्स एक्ट में प्रॉवीजन है उसके अनुसार जो कमिश्नर को पॉवर देनी है वह दे रहे हैं। जो सेक्शन उन्होंने पढ़ा था वह था २६५। लेकिन आपके सामने. अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह कमिश्नर के बारे में बिल्कुल नहीं है, वह जिसके बारे में है, वह जनरल क्लॉज़ेज में है और वह यह है:—

Section 265 reads as follows :

"Notwithstanding that a reference has been made to the High Court or the Supreme Court or an appeal has been preferred to the Supreme Court, tax shall be payble in accordance with the assesment made in the case.

इसका सीधा-सादा अर्थ यह होगा कि जो इसके अन्तर्गत टैक्स पेएबल है वह पेएबल है—हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अपील वगैरह के बारे में बातें बता दी हैं। इसमें कमिश्नर को पॉवर्स नहीं दी गई हैं। जहां पावर्स दी गई हैं वह इन्कम टैक्स ऑफिसर को दी हैं और वह है २६७!

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय...........

श्री अध्यक्ष : आप जवाब दें, उसमें ही इसका उत्तर दे दें।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसलिए ही रखा है कि आप इसका उत्तर दे दें।

श्री माकिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : पहले उनको उत्तर देने दें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय. इन्कम टैक्स ऑफिसर की पॉवर्स हैं. उसमें लिखा है:

Sec. 220-(3) Without prejudice to the provisions contained in sub-section (2) on an application made

(श्री परसराम मदेरणा)

by the assessee before the expiry of the due date under sub-section (1) the Income-tax officer may extend the time for payment or allow payment by instalments, subject to such conditions as he may think fit to impose in the circumstances of the case."

यानी इन्कम टैक्स ऑफिसर, जो असेसिंग ऑथोरिटी है, उसको इन्स्टालमेंट की, स्टे की सारी पॉवर्स दे दी गई हैं। इससे आगे कोई झगड़ा हो और वह जस्टिस नहीं दे तो उसके ऊपर जो इन्सपेक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर है उसके पास अपील की जा सकती है, कम्प्लेन्ट की जा सकती है। उसके बाद जो अपीलेट कमिश्नर है उसके पास कम्प्लेन्ट की जा सकती है, अपील की जा सकती है। उसके बाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अपील की जा सकती है। तो इन्कम टैक्स ऑफिसर के ऊपर ऑथोरिटी दी गई है वह आई. ए. सी. है, कमिश्नर है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। इस तरह चार चार ऑथोरिटी है। तो वह अगर जस्टिस नहीं करे तो यह सब किस लिए हैं। तो सबसे पहले इन्कमटैक्स के ऑर्डर के स्टे की एप्लीकेशन कमिश्नर को दे तो वह महीने दो महीने का स्टे दे सकता है। तो इस सम्बन्ध में सेक्शन २६५ कोट नहीं किया था। कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने एक कॉन्स्टीट्यूशनल पोइन्ट रेज किया था जो सैल्स टैक्स एक्ट के सेक्शन १५ ए. के सम्बन्ध में था। उसके जवाब में मैंने यह कहा था, रेफरेन्स करने के सम्बन्ध में और स्टे देने का प्रावधान है उसमें हाई कोर्ट को पॉवर है। तो जो १५ ए. लाये हैं उसमें प्रावधान दिया है, उसमें जो अलग अलग पॉवर्स दी थीं उनको एक जगह ले आये हैं। इसलिये जो हाई कोर्ट की पॉवर्स थीं वह उनके अनुसार आज भी कॉम्पीटेन्ट है।

**श्री सम्पत्ति लाल बोहरा** : इससे हाउस में यह इम्प्रेशन क्रिएट हुआ कि आपने जो कानून बनाया है वह इन्कम टैक्स के कानून से कॉपी किया गया है और आपने सेक्शन १५ ए में पॉवर्स दे रखे हैं....

**श्री परसराम मदेरणा** : मैंने हाई-कोर्ट के रेफरेन्स में कहा था।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : आपने जिस सेक्शन का हवाला दिया है उसको रिव्यू करने का कष्ट करेंगे क्या और उसका नम्बर क्या है यह भी बतावेंगे ?

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** : Section 265 : "Notwithstanding that a reference has been made to the High Court or the Supreme Court or an appeal has been preferred to the Supreme Court, tax shall be payable in accordance with the assessment made in the case."

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता था कि जो इनहेरेन्ट पॉवर्स हैं इसके लिये मैं एक लेटर आपको पढ़ रहा हूँ, "With reference to your application requesting for keeping the demand in abeyance till the decision of 27 applications and appeals, I am to inform you that it is not possible for me to keep the whole demand in

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

abeyance. You should atleast pay 50% of payment within a week of the receipt of this letter and thereafter approach me for further consideration failing which I will be constrained to take penal action as provided in law."

यहां ५० पर्सेन्ट तो पहले ही इन्कम टैक्स ऑफिसर ने दे दिया और उसके बाद में आई. सी. वह लिखता है :

"With reference to your petition, I am writing this to inform you that necessary instructions in this matter have been issued to the Income-tax Officer, Jaipur, whom you may please contact."

और उसमें जो ऑर्डर दिया वे कहते हैं,

"With reference to your application for keeping the demand in abeyance till decision of the appeal, this is to inform you that if you further deposit Rs. 2500/- by 25-2-63 and 25-3-63, the balance demand can be kept in abeyance. Please note that in case of your failure to deposit on the due date, the concession will automatically stand cancelled."

और यहां तक कि एक ऑर्डर में २५ मार्च को स्टे किया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि आप पॉवर्स कमिश्नर को दे रहे हैं और दूसरे को नहीं है। आपके इन्कम टैक्स ऑफिसर हैं, इन्कम टैक्स कमिश्नर हैं और उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड है। अध्यक्ष महोदय, और तो और, एटेचमेंट का पॉवर है वह किसी और अफसर को नहीं है। वह सर्टीफिकेट इश्यू कर सकता है। टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर को अधिकार होता है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। यह कानून ७८ वर्ष पुराना है और आपको तीन दिन का एक्सपीरियेन्स है। आप तो तीन दिन से आये हैं।

'When atan assessee is in default or has been in default in making payment of tax, the Income-tax Officer may forward to the Tax Recovery Officer a certificate under his signatures prescribing the amount of arrears due from the assessee and on receipt of the certificate, the officer shall proceed against the assessee in accordnace with the rules laid down in section/schedule.

जहां पर डाइरेक्ट इन्कम टैक्स ऑफिसर को अटेचमेंट के और सील करने के पॉवर नहीं जो आपने इन्स्पेक्टर को दे रखे हैं। वे इन्कम टैक्स ऑफिसर को नहीं हैं। और वह है टैक्स रिकवरी ऑफिसर को और आपने जो पॉवर्स कमीश्नर को दे रखे हैं वह सेण्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू को भी नहीं है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

**श्री परसराम मदेरणा** : इनके सम्बन्ध में तो जैसे एसिस्टेंट कमीश्नर, कमीश्नर. सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने तो रेफरेन्स आया था उसके बारे में कहा था वह भी हाई कोर्ट के बारे में। मैं यह समझता हूं, कि, कल माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दिया गया था मागर कल वे ज्यादा नहीं बोल सके इसलिए आज यह कॉन्स्टीट्यूशनल पोइन्ट को उठा कर इस पर बोलना चाहते हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर इनको दुबारा में बोलने का मौका दिया जावे मगर अभी रेफरेन्स के बारे में मैंने जो कहा उसी तक आप सीमित रहें को ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: "Instructions to subordinate authorities: All officers and persons employed for the execution of this Act, shall observe and follow orders, instructions and directions of the Board, provided that no such orders, instructions or directions shall be given, so as to interfere with the directions of the Appellate Assistant Commissioner in the exercise of the appellate functions;"

फर्स्ट अपील जिसके पास लाई होती है उसको अधिकार नहीं है और आपने कमीश्नर को और डिप्टी कमीश्नर को पॉवर्स दिये हैं। और तो और, मैं इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन आपका अपीलेट ट्रब्यूनल बना है उसको किसकी अपील हो सकती है? Appellate Tribunal is not governed by the Finance Ministry. It is directly under the Law Ministry and not under the Finance Minister.

यह मैंने इसलिए बताया कि आप जब जवाब दें उस समय आपको उत्तर देने में ज्यादा सहूलियत रहेगी।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवारमगढ़): अध्यक्ष महोदय..............

श्री अध्यक्ष: श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री डूंगाराम राजोरिया: अध्यक्ष महोदय, कल मैं बोल रहा था, मेरा भाषण जारी था।

श्री अध्यक्ष: इस तरह की परम्परा हमें स्थापित करनी चाहिये कि उस दिन की कार्यवाही उसी दिन समाप्त हो जावे। अगर सदन चाहता और माननीय सदस्य चाहते तो आपको पांच-दस मिनट और मिल सकते थे।

श्री डूंगाराम राजोरिया: अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ छोटे वर्ग के लिये कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: आप इसे इस रूप में लेने की कोशिश न करें, लेकिन हमारा जो नियम है उसको हम नहीं तोड़ सकते हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया: मैंने कल बराबर बार बार निवेदन किया...

श्री अध्यक्ष: अभी बहुत अवसर बोलने के आवेंगे। आप क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पर बोल लीजिये मगर कुछ व्यवस्था में सहयोग दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६५ के जरिये राजस्थान के बिक्री कर अधिनियम, १९५४, राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर अधिनियम, १९५७, राजस्थान यात्री तथा माल कर अधिनियम, १९५९ आज विचारार्थ हैं।

सैल्स टैक्स में जो अमेन्डमेंट्स सरकार ने प्रस्तुत किये हैं उसके सम्बन्ध में राज्य के सेल्स कन्सल्टेन्ट्स, और व्यापारी मण्डल की ओर से और माननीय सदस्यों ने भी इस

# Page No 46



(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सम्बन्ध में काफी कहा है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्य के वित्त मन्त्री का प्रश्न है, उनकी एक विचारधारा टैक्स कन्सटेल्न्ट्स के बारे में है और उस विचार-धारा को उन्होंने एक स्थान पर प्रकट किया। सेल्स टैक्स कन्सल्टेन्ट्स ने क्या राय दी और मैं क्या राय रखता हूं और वित्त मन्त्री की राय जो मैं सदन में आपको पढ़कर सुनाता हूं। सेल्स टैक्स की और व्यवस्था थी। राज्य के वित्त मन्त्री ने यह कह कर भेजा कि :

"In a modern society, taxes have been proliferous and taxation laws are getting more and more complex and consequently those who are required to pay taxes to the Government directly, need the assistance of expert Tax Consultants. It is, however, commonly believed that the assistance of Tax Consultants is sought mainly with a view to circumvent or evado paymet of taxes by manipulation of accounts. This creates a vicious circle, because when Government is unable to realise the anticipated revenues from the taxes imposed by it, it has to resort to further measures of taxation."

टैक्स कन्सल्टेन्ट्स को राज्य के वित्त मन्त्री केवल टैक्स इवेज़न को रोकने का सोर्स और मशीन मानकर चलते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे इस बिल को यहां लाते डाक्टर कालदर की टैक्स इवेज़न के बारे में जो रिपोर्ट है उसका अध्ययन करते। मैं मानता हूं टैक्स इवेज़न हो रहा है। आज सैल्स टैक्स के अन्दर बिल लाये हैं जिसमें १५ ए क्लाज का प्रावधान कर अनलिमिटेड पॉवर एग्ज़ीक्यूटिव को दिये हैं। उसके पीछे यह भावना दिखती है कि टैक्स इवेजन हुआ है उसको रोका जाय और उसको रोकने का ढंग सरकार ने यह इस्तेमाल किया है अपील के, रिविजन के सारे प्रावधान हटा कर राज्य को अनलिमिटेड पॉवर दे दिये जायं। क्या यह उचित है?

मैं राज्य का ध्यान १९६४ की ऑडिट रिपोर्ट की ओर दिलाऊंगा जिसमें बड़े सीरियस फैक्ट्स प्रस्तुत किये हैं। यह ठीक है कि १९६३-६४ के जो आपके टैक्स प्रोपोजल्स के एम्स थे उनको आपने एक्सीड कर लिया; ८ करोड़ के आपके एम्स थे पर आपने ९ करोड़ वसूल कर लिया। वित्त मंत्री और उनकी मशीनरी इस पर गर्व कर सकती है पर वास्तव में यह गर्व की बात नहीं है क्यों कि सीरियल्स और पल्सेज़ के ऊपर टैक्सेज हैवी हुए हैं और रिकवरीज ज्यादा हुई है। इसके बाद के आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। ६३-६४ के अन्त तक ६२ हजार केसेज़ ऐसे थे और ३१ मार्च ६४ तक ६४।। हजार केसेज ऐसे हैं, इन केसेज़ में सबसे बड़ी बात यह है कि एक दो दिन के नहीं १९५९ के बैकलॉग्स चले आ रहे हैं और ऐसे केसेज़ की क्यू हो गई है। ५९-६० के पहले के केसेज थे ३१ मार्च ६० को ११३० और ६०-६१ के बैकलॉग के पहले के केसेज थे १८७९६, ३१-६२ में बैकलॉग के केसेज़ थे ३५९०५ व ६२-६३ के अन्दर बैक लॉग के केसेज़ के आंकड़े ६२००० के करीब है। ३१ मार्च के अन्त तक इनके एरियर्स हैं ६०-६१ में ७६४१, १९६१-६२ में १७७४७ और ६२-६३ में हैं ३७८१४।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

ये आंकड़े बताते हैं कि पुराने केसेज़ का डिस्पोज़ल बड़ा निराशाजनक रहा है। आज जब कि एग्ज़ीक्युटिव को आपी ओम्निपोटेन्ट बनाना चाहते हैं तो हम देखें कि इस मशीनरी को टाइटन करके इन एरियर्स की वसूली के द्वारा एक्स्चेकर में ज्यादा पैसा ले सकते हैं। इसके अलावा पुरानी रिकवरीज़ में मैं वित्त मंत्रीजी को बधाई दूंगा इस बात की कि खर्चे के मुकाबले में रिकवरीज़ का पर्सेन्टेज बढ़ा है। ३१ मार्च, ६३ तक १०,६५,००० की रिकवरीज़ ६१–६२ से पहले की बकाया थी, ६१-६२ से पहले की रिकवरीज़ ३१-३-६३ और ३१-३-६४ तक १६,५६,००० की बकाया थीं, १५,०३००० की बकाया थीं। ६२-६३ की रिकवरीज़ के आंकड़े आगे ४६,७६,००० तक पहुंचे।

(गणपूरक घंटी)

( २ मिनट तक विराम )

अध्यक्ष महोदय, ३१ मार्च ६४ के अन्त तक १ करोड़ ३ लाख के सैल्स टैक्स के बकाया के आंकड़े हैं। आज एग्ज़ीक्यूटिव को अधिक पॉवर देकर हम व्यापारियों से इस बात के तो अधिकार छीनना चाहते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर रिविज़न नहीं हो सके, अपील नहीं हो सके। ऑल ओम्नीपोटेन्ट पॉवर कमिश्नर को, कुर्की के पॉवर कमिश्नर को। उसी विभाग को हम यह शक्ति प्रदान करना चाहते हैं, जिसके केसेज़ हीप अप हो गये हैं, जिसके एरियर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे भी अधिक चित्र तब स्पष्ट होगा जब आप गौर करेंगे कि एक्सस्चेकर को १,२६,००० की हानि हुई है, इर्रेगुलेरिटीज़, गबन, फ्राड, रोंग एस्टीमेट्स, ओवर एस्टीमेट्स, अन्डर एस्टीमेट्स, इल्लिगल असेसमेंट्स के जरिये एक्सचेकर को हानि हुई है, वह डिपार्टमेंट जो इल्लीगल असेसमेंट्स करता है, इर्रेगुलेरिटीज़ करता है, फ्रॉड्स करता है जिसके ऑडिट रिपोर्ट ने स्पष्ट केसेज़ के आंकड़े ६४–६५ की में प्रस्तुत किये हैं, उनको मैं सदन के सामने रिपोर्ट रखना चाहता हूं। हम इन आंकड़ों पर गौर करें।

| | No. of cases | Amount of loss. |
|---|---|---|
| 1. Non-levy of tax on enhanced rate– | 125 | 27,048/– |
| 2. Incorrect determi. nation of taxes on turnover– | 24 | 22,015/– |
| 3. Irregular grant of exemption– | 24 | 22,015/– |
| 4. Omission to include all items of taxable turnover– | 97 | 14,780/– |
| 5. Incorrect application of law in respect of goods taxable– | 88 | 10,283/– |
| 6. Arithmetical errors (due to inefficient machinery). | 139 | 4,082/– |
| 7. Irregular grant of rebate to cloth dealers– | 18 | 2,625/– |
| 8. Excess refund –3,667/– | | |
| 9. Diduction of advance payment of tax in anticipation of realisation– | 6 | 737/ |
| Total | | Rs. 1,29,082/– |

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

इसके अलावा फ्राडुलेन्ट एड्जस्टमेंट, जोधपुर में १६ केसेज थे जिनमें डिपार्टमेंट में फ्रॉड किया गया, रोंगफुली एड्जस्टमेंट किया गया टैक्स पेम्रर ने टैक्स पे नहीं किया जिससे एक्स्चेकर को हानि हुई एक्स्चेकर को फ्रॉडुलेंट पेमेंट से १२। हजार की हानि हुई।

जिस मशीनरी की यह हालत हो, उसे आज और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और उस मशीनरी को आप जुडिशियरी के ऊपर लादना चाहते हैं ? हम जुडिशियरी के सारे प्रोविज़न्स उससे छीन लेना चाहते हैं ?

इसके तिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, मैं यह नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल के क्लाज़ में जो केजुवल डीलर को रजिस्ट्रेशन के फील्ड से हटा दिया गया है उससे कोटेज इन्डस्ट्रीज पर एक बड़ी भारी चोट पहुंची है और केजवल डीलर भी वहां एक्स्प्लायट होंगे। फैक्टरी प्रोडक्शन में टैक्स पे होता है, परचेज के बाद टैक्स पे होता हैं और केजवल डीलर ले जाते हैं तो केजवल डीलर भी उसी में शुमार हो जाता है, इस प्रकार के केजुअल डीलर को ट्रिबल टैक्स देने की स्थिति होगी। इसके साथ साथ कोटेज इन्डस्ट्रीज भी ज्यादा टैक्स लग जाने के कारण डिस्करेज हुई हैं। बिज़निस के सम्बन्ध में जो परिभाषा की गई है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि १७ वर्ष के बाद सरकार को यह विचार आया कि बिजनिस को एक्स्प्लोयट किया जाय। और किस प्रकार एक्स्प्लोइट किया है ? रिलीजियस इन्स्टीट्युशन्स, एजुकेशनल इन्स्टीट्युशन्स रन करने वाले हैं, बल्कि होटल्स में, रेस्टोरेन्ट्स केन्टीन्स या लेबर फैक्ट्रीज़ में केन्टीन्स रन होती हैं उनको भी टेक्सेबल बना दिया है जिनका प्रोफिट्स से ताल्लुक नहीं है। ऐसी इन्स्टीट्युशन्स जो बिल्कुल एन्टायरली मिशनरी टाइप की इन्स्टीट्युशन्स हैं, जो सोशियल फन्क्शन्स हैं उनको भी टैक्सेबल बना दिया है। वित्त मंत्री ने मन्दिर नहीं बख्शा, मस्जिद नहीं बख्शी। मंदिर–मस्जिद में चलने वाले सदाव्रत भी टैक्सेबल होंगे।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** (मांडल) : सदाव्रत तो दिया जाता है, कैसे टैक्सेबल होगा ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : इसकी जो डेफिनिशन रखी गई है उसके तहत हो गया है।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : सदाव्रत तो बांटा जाता है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : नाथद्वारा में कुछ पैसा देते हैं। वह भी तो सदाव्रत के रूप में है।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : कौनसा सदाव्रत है ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : पैसा दे देते हैं और प्रसाद मिल जाता है। वह भी एक प्रकार का यही रूप आता है। पैसा दिया और प्रसाद लिया। कई स्थलों पर मिलता है। वृन्दावन में मिलता है वृन्दावन धाम के आपने दर्शन नहीं किये, नाथद्वारा के दर्शन नहीं किये हैं आपने।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : आपका सदाव्रत समझ में आया नहीं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अध्यक्ष महोदय, यह तो एक काफी ज्यादती की चीज़ है कि एक धर्म स्थान है, मिशिनरी इन्स्टीट्यूशन है, या केन्टीन्स, मजदूरों की केन्टीन चलती हो, उसमें मजदूर भोजन प्राप्त करते हैं, वेलफेयर की दृष्टि से उनको लीगल प्रोटेक्शन भी है । उन केन्टीन्स में भी भोजन प्राप्त करते हैं तो उनको भी इस बिल के जरिये टैक्सेबल बना दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त मैं यह अर्ज करना चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत बढ़िया जजमेन्ट्स हैं कि हमारे जो कानून हैं केवल पोलिटिशियन्स के लिये ही नहीं है या हमारे कानून केवल लॉयर्स के लिए या स्टेट के लिये, या गवर्नमेंट के लिये नहीं हैं बल्कि हमारे कानून जो हैं वह एक बेकर के लिये भी हैं । मैं इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कुछ लाइन्स पढ़ कर सुनाना चाहूँगा । आज हम इस कानून को एक केजुयल ट्रेडर तक ले जाना चाहते हैं, इसको हम कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ तक ले जाना चाहते हैं एक मिशिनरी इन्स्टीट्यूशन तक ले जाना चाहते हैं । एक वर्कर की केन्टीन है उसमें भी उसको इन्क्लूड करना चाहते हैं । इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं । जस्टिस विवन बोस और जस्टिस एन. आर. दास ने कुछ रूलिंग दी हैं जो एक बीड़ी सप्लाई कम्पनी वर्सेज यूनियन ऑफ इण्डिया का केस था । उसमें उन्होंने तथ्यपूर्ण बातें कही है । उनको मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं । इससे पहले कि वित्त मन्त्री महोदय टार्गेट्स करना चाहें उन महत्वपूर्ण इन्स्टीट्यूशन्स और केन्टीन्स को वे कृपा कर इन लाइन्स पर गौर करें :

"I am clear that the Constitution is not for the exclusive benefit of Governments and States. It is not only for lawyers, politicians and officials and those highly placed. It also exists for the common man, for the poor, for the humble and for those who have business at stake; for the butcher, baker and the candle-stick maker. It lays down for this land rule of law as understood in the free democracies of the world. It constitutes under it a sovereign democratic republic and guarantees in every page rights of freedom to the individuals side by side and consistent with the over-riding power of the State to act for the common good of all."

मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करके इस सम्बन्ध में अब अधिक नहीं कहना चाहूँगा और बड़ी नम्रता से विनती करूंगा कि १५-ए क्लाज के अन्दर जो अनलिमिटेड पावर्स आपने प्रदान किये हैं कृपा करके वह विधड्रा कर लीजिये । आज माननीय सदस्यों के द्वारा ऐसे बहुत से केसेज रेफर किये गये हैं जिनमें रेवेन्यू कोर्ट्स के जजमेंट्स को राज्य सरकार के द्वारा नहीं माना है । सुप्रीम कोर्ट के जजमेन्ट मेरे पास हैं जिनमें यह अफसोस किया गया है कि राज्य के अन्दर ज्युडिशियरी को न मानने और उसको इवेड करने की एक भावना बढ़ती जा रही है और एग्जीक्यूटिव को आँल पॉवरफुल बना कर ज्युडिशियरी के पावर्स को कम करें यह हेल्दी कन्वेन्शन नहीं होगा ।

अब पैसेन्जर्स और गुड्स टैक्सेशन के

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बारे में अर्ज करना चाहूंगा। मैं उन तथ्यों को दोहराना नहीं चाहूँगा। ६० लाख के करीब राज्य सरकार का यह टैक्स रिकवरी के लिए ड्यू था। पैनल्टी को रद्द कर देने के बाद भी २२ लाख रुपया रह जाता है और रिकवरी चली आ रही है, और कुछ लाख रिकवरी हो गई है लेकिन इसी सत्र में बराबर माननीय सदस्यों ने कहा है, बारम्बार माननीय सदस्यों ने कहा, तो वित्त-मन्त्रीजी के द्वारा बड़ा जोश दिखाया गया, और इस बात का सदन में आश्वासन दिया गया कि पैसेन्जर्स टैक्स जो आम पैसेन्जर्स देते हैं, जो पैडस्ट्रियन्स देते हैं, जो सन् ५६ से ड्यू चला आ रहा है वे उसको मय ब्याज के वसूल करेंगे।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : कहां है ५६ ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सन् १९५८ से पहले के चले आ रहे हैं। मैं सदन के अन्दर कई बार बता चुका हूँ और बार २ बता कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। यह आंकड़े २२ लाख तक पहुंचे हैं, और पिछले ५९ से लेकर भी सात वर्ष के अन्दर इतने एरियर्स के बकाया हैं। यह आम पैडस्ट्रियन्स का पैसा है जो उन बस वालों की जेबों में पड़ा है जो कि वसूल नहीं हुआ है। इस प्रकार उनके द्वारा यह आम जनता का लिया गया पैसा अपने पास रखना एक प्रकार का एम्बेजलमेन्ट उनके द्वारा किया गया है। जनता के पैसे को अपने व्यक्तिगत उपयोग में सन् ५९ से रहे हैं। वित्त मंत्री ने बड़े जोश के साथ सदन में कहा था कि हम इसको क्रिमिनल लाएबिलिटी बनायेंगे। मुझे आशा थी कि कोई इस सम्बन्धी क्लाज उनके कथन के बाद आयेगा इस एक्ट में। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि पैसेन्जर टैक्स के लिए टिकिट्स छपवा दिये जावेंगे, कुछ माननीय सदस्यों ने बुक्स का कहा था। इस एक्ट में अटेचमेंट के पॉवर टैक्स कमीश्नर को देने के अलावा यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वित्त मंत्रीजी ने इस में और कोई प्रावधान नहीं किया। जो वादा उन्होंने किया था सदन से वह उन्होंने पूरा नहीं किया। उनकी डिफिकल्टीज को मैं महससूस करता हूँ। बारम्बार उन बातों को मैं सदन में दोहराना नहीं चाहता, उनको दोहरा कर मैं सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। शायद कठिनाइयां समझ में आ सकती हैं और उन कठिनाइयों के कारण, वह उन लोगों के कारण से क्रिमिनल लाएबिलिटी नहीं बना पा रहे हों जिनमें पैसा बाकी है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : किनका नाम ? नाम बताइये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं नाम बारबार नहीं बताना चाहता हूँ सदन में, मैं पहले बता चुका हूँ। सदन का इस प्रकार समय नहीं बर्बाद करना चाहता, बसन्तकुमारजी, दीनानाथजी वगैरह, वगैरह।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कोई पैसा बाकी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप सुनते नहीं हैं। श्रीमान्जी, खुद स्वीकार करते हैं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कि उनमें बकाया है और उसको स्वीकार कर लिया है। सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। आप प्रोसिडिंग्ज़ को पढ़ लीजिये। कृपा करके थोड़ा कष्ट करिये।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (ग्रासीन्द): गंगानगर का भी बकाया है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : दौलतराम का रेफर किया है। बार बार कहा है। मेरे दिमाग में "Ifs and buts" नहीं हैं जो आपके दिमाग में हो सकते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ वित्त मंत्री महोदय कि अपने वायदे को आप पूरा करें। पैसेन्जर टैक्स के टिकिट्स छपवा कर दें। लेकिन वित्त मंत्री ने जोश के साथ यह कहा था कि क्रिमिनल लाएबिलिटी मान कर रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट बनायेंगे। जोश में वे कह तो गये लेकिन रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट तो दे नहीं सकते।

अब मैं एन्टरटेनमेंट टैक्स के बारे में निवेदन करूंगा। चालीस-पचास पर्सेन्ट टैक्स को बढ़ा कर चालीस, पचास, साठ पर्सेन्ट तक कर दिया है। जब इस एन्टरटेनमेन्ट टैक्स पर चर्चा हो रही थी इस समय इस सदन में बार बार कहा गया कि 'हकीकत' पिक्चर पर सरकार ने एन्टरटेनमेन्ट टैक्स को माफ कर दिया। इससे गवर्नमेंट के खजाने में करीब करीब तीन लाख रुपये का घाटा हुआ है। माननीय सदस्यों ने यहां तक कहा है कि इससे ६ लाख तक का घाटा हुआ है। सत्तारूढ़ दल से बोलने वाले व्यक्तियों ने जिस प्रकार के भाषण दिये उससे यह प्रगट हुआ कि उनको फाइनेन्स मिनिस्टर की बोनाफाइड्स पर भी डाउट है। उनका कहना यह था कि ६ लाख का घाटा रही पिक्चर पर टैक्स माफ कर के दे दिया गया। यह ऐसा पिक्चर है कि जिसमें इस प्रकार की दास्तान बतायी गई है जिसमें देश का नौजवान डिमोरेलाइज़ होता है। बड़े जोश के साथ ये बातें कही गईं। 'दोस्ती' जैसी पिक्चर के लिए एन्टरटेनमेंट टैक्स माफ करने का सवाल आया सरकार ने मना कर दिया। जब भारत सरकार ने माफ किया तब जाकर राज्य सरकार ने इसे स्वीकार किया। वित्त मंत्री के बोनाफाइड्स क्या हैं? उन्होंने इस टैक्स को क्या सोचकर माफ किया? मैं समझता हूँ उन्होंने यह टैक्स माफ किया है उससे सिनेमा मालिक को कोई फायदा नहीं होने वाला है। आम कॉमन मेन है उसको फायदा होने वाला है। जो सिनेमा जाने वाले व्यक्ति हैं हो सकता इससे उनकी तादाद में वेरियेशन हो जाय। सदस्यों का यहां तक कहना था कि इसमें वित्त मंत्री कुछ खा गये, पी गये। यह कांग्रेसी सदस्यों का कहना था। इससे भी गंभीरतम बात जो कही गई वह यह कि ऑल इन्डिया कॉन्स्पीरेसी चल रही। 'हकीकत' को जो टैक्स माफ किया गया वह आॅल इन्डिया कॉन्स्पीरेसी के कारण टैक्स माफ किया गया। मध्य प्रदेश, पंजाब, इनकी आल-इन्डिया कॉन्स्पीरेसी के कारण टैक्स माफ किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस पिक्चर को देखा है और कल फिर दुबारा देखा।

( १.०२ म० प० )

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं इस बात को चेलेंज देकर कह सकता

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हूं कि सदन के पांच सदस्यों की कमिटी बनायी जाय जो इस पिक्चर को एग्ज़ामिन करे कि यह पिक्चर कैसी है इससे भारत का सिपाही गौरवान्वित हुआ है या नहीं ? अगर किसी राष्ट्र की सेना इस प्रकार की हो जैसी कि इस पिक्चर में बतायी गई है.........

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : आज आपके भाषण में जोश नहीं है, मायूसी छायी हुई है

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप में मायूसी है,मेरे में तो कोई नहीं है । यह इस प्रकार की पिक्चर है जो देश के सिपाही के मोरल को पॉइन्ट आउट करता है । इसमें एक ऐसे सिपाही की कहानी है जो नवविवाहित है, जो अपनी स्त्री के साथ तीन रात गुजारने के बाद फ्रन्ट पर चला जाता है; इसमें ऐसी कहानी है; एक बाप के तीन बेटे हैं; तीनों को वह आर्मी में भेज देता है और तीनों ही बुलेट्स खाकर मर जाते हैं । इसमें एक ब्रिगेडियर की कहानी है जो अपनी फौज को खत्म होने पर अपने तीन आदमियों के साथ घायल रेजीमेंट को बचाता है । उसके लिये अपने बेटे का बलिदान दे देता है । यह ऐसे सैनिक की कहानी है जो पहाड़ों के अन्दर खो जाने के बाद जिसके हाथ पैर गल जाते हैं; उसके बावजूद भी टाइगर की लीडरशिप में थकने के बाद भी चलता है । तब तक चलता है देश की आजादी की रक्षा करना चाहता है । है । इसके विपरीत हमारा एक सिपाही घायल है उसको दस-दस मील तक अफसर लोग लेकर चलते हैं इसके विपरीत चाइनीज़ १००-५०० एक एक के बाद एक हज़ारों की संख्या में झोंकते चले जाते हैं । यह पिक्चर आल इन्डिया स्टेन्डर्ड का है जिन माननीय सदस्यों ने इस पर टैक्स माफ करने के लिए टोका है मैं यह मानता हूं उनका यह करना ठीक था इसलिए क्यों कि उस समय देश में प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने इस प्रकार का का वातावरण पैदा करना चाहा कि इस सारी चीजों की जिम्मेवारी भारत सरकार की है कि हमारे जवानों के पास गोलियां नहीं थी । नेहरू की भी इस बारे में आलोचना की गई थी प्रतिक्रियावादी तत्वों ने उनको भी टारगेट बनाया । एक प्रकार का प्रचार किया गया था कि हमारी फौजों के पास कारतूस नहीं थे वे किस से लड़ते ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह भी (हकीकत) में देखा था क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उस समय प्रतिक्रियावादी तत्वों ने लाभ उठाकर प्रगतिशील शक्तियों को उछालने का प्रयत्न किया था । (हकीकत) पिक्चर इसकी हकीकत है इसमें इस बात का प्रदर्शन किया गया था कि हमारा जिस दोस्त पर विश्वास था उसने धोखा । दिया इसका स्पष्ट एम्फेसिस किया गया । नेशनल फोरम आफ ब्लिट्ज़ और लिंक एसोसियेशन का नाम लेकर वे माननीय सदस्य टारपीडो करना चाहते थे ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप विषय से बाहर जा रहे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कांग्रेस में ऐसे लोग घुसे हुए है जो प्रतिक्रियावादी तत्वों से सांठगांठ कर प्रचार करना चाहते है ।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

प्रतिक्रियावादी तत्व मिल कर सरकार को पस्त करना चाहते हैं । मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ऐसी पिक्चर पर मनोरंजन कर माफ किया मैं तो उनसे यह आशा करता था कि वे सब्सीडाइज्ड रेट पर इस पिक्चर को सारे राजस्थान के अन्दर दिखाने का प्रयत्न करते । यह कहा गया कि एम० एम० की रील बतला कर डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स को बरगला दिया । मैं यह सैद्धांतिक रूप से कहना चाहता हूं कि इसमें जो टैक्स माफ किया है वह इसलिये किया है कि देश की मातायें गौरवान्वित होती हैं, हमारे देश की फौज गौरवान्वित होती है इसमें हमारी विदेश नीति एस्टेब्लिश होती है । इस बात को सख्ती के साथ कहना चाहिए और प्रतिक्रियावादी शक्तियों की साजिश का मन्डाफोड़ करना चाहिये । मैं कहता हूं कि राज्य के वित्त मंत्री ने इस पर से टैक्स हटा कर राज्य का भला किया है, एक अच्छा कार्य किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं और भी अर्ज करना चाहूंगा कि आज हम टैक्स इवेजन की आड़ लेकर अधिक से अधिक शक्तियां लेते जा रहे हैं । लेकिन यह कोई तारीफ की बात नहीं होगी ।

( घंटी )

हमें जुडीशियरी की शक्तियों को बरकरार रखना पड़ेगा । जो विधान सभा से हमें अपील के राइट्स मिले हैं उनको समाप्त नहीं करना चाहिए । यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं होगी । इस टैक्स इवेजन के लिये इसकी जरूरत नहीं है । इसके लिये तो सरकार को अपनी ही मशीनरी टाइटन करना पड़ेगा ।

मैंने बाकायदा आंकड़े देकर बता दिया है कि इन सारी इर्रेगुलेरिटीज के लिए यह विभाग स्वयं जिम्मेदार हैं । यह सही है कि कमिश्नर रामसिंह ईमानदार हो सकते हैं । यह ठीक है डिपार्टमेन्ट को वे इम्प्रूव कर सकते हैं । वे सैक्शन ए, बी में डिवाइड कर सकते हैं । वे रिकवरीज भी ज्यादा कर सकते हैं । पर एक व्यक्ति पर निर्भर रह कर कार्य नहीं किया जा सकता । आज सर्विस का जो जनरल माइन्ड है इस ब्यूरोक्रेसी में इस ब्यूरोक्रेटिक सर्विस के माइन्ड आज भी एन्टी पीपल्स हैं इनका एटीच्यूड एन्टी पीपल है जो पहले था वही आज भी बाकायदा मौजूद है । सारी स्थिति जो हमारे सामने है उससे यह स्पष्ट है कि यह एन्टी पीपल्स एटीच्यूड इस सर्विस का काफी डिवास्टेटिंग है । काफी खतरनाक है । इसके बावजूद उसको और अनलिमिटेड पॉवर देकर तो और भी खतरनाक स्थिति पैदा करने के आसार खड़े कर दिये हैं । अपील के प्रोवीजन छीन कर सरकार और बुरा करेगी । टैक्स रिकवरीज को इन एट्रोसिटी से भरे तरीकों से किसी हालत में नहीं बढ़ा पावेगी । इससे तो अनार्की बढ़ेगी कामन मैन का विक्टीमाइजेशन होगा । पहले से ज्यादा होगा । इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा ।

## जन-लेखा समिति से नाम वापिस लेना

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवा महल, जयपुर) : मैं अपना नाम पी. ए. सी. से वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाढ़दार अपना नाम पी. ए. सी. से वापिस लेते हैं।

## राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १६६५

( पूर्व क्रम से विचार-विमर्श )

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस टैक्सेशन के कानून के बारे में मैं भी अपने विचार व्यक्त करूंगा।

इस बारे में उस ओर बैठने वालों सदस्यों ने काफी शंकाएं जाहिर की कि राज्य सरकार बहुत सी पावर अपने हाथ में लेकर टैक्स पेअर को हैरेस करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि टैक्स का सही असेसमेंट हो और इवेज़न न हो और एन्टी टैक्स एक्टीविटीज़ जो लोगों की है उसको किसी तरह से चैक किया जा सके। पिछले कानून के दरमियान जो जो अनुभव हुए, कहां कहां टैक्स एवेड होते हैं क्यां क्या इस कानून में गलतियां है उन अनुभवों के आधार पर ही इस संशोधन कानून को राज्य सरकार यहां लाई है।

व्यापारी लोगों ने कई बार राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि व्यापार की कोई व्याख्या स्पेसिफिक तौर से नहीं की गई है, वह इसमें की गई है। तो माननीय सदस्यों को तो इससे खुश होना चाहिये कि अनडिफाइन्ड शब्द होने से जो व्यापारी को हैरेसमेन्ट होता था वह अब नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, कई माननीय सदस्यों ने यहां अपनी शंकाएं जाहिर की कि व्यापार के डेफीनिशन में एसोसियेशन, क्लब, रिलीजियस संस्थाएं भी रख दी गई हैं। तो इस बारे में मद्रास में जो सेल्स टैक्स एक्ट है उससे प्रेरणा ली गई है। तो केवल इसके लिये राजस्थान सरकार के मैलाफाइड इन्टेन्शन के रूप में लेना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। आखिर मद्रास में भी काफी अनुभवों के बाद यह डेफीनिशन तय की गई है। तो उनके अनुभव का लाभ हमने उठाया है। अब आगे इसका क्या इन्टरप्रीटेशन हो सकता है, फिर कोई मिसयूज की सम्भावना इसमें है या नहीं, यह कोर्ट के इन्टरप्रेट करने का सवाल है। मद्रास में भी यह कई स्टेजेज़ में से निकला है, वहां भी हाईकोर्ट में केसेज़ गये और तब जाकर रिवाइज़्ड फॉर्म में इसे डिफाइन किया गया है। तो इससे अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसके सैक्शन १२ के अन्दर डिस्प्यूटेड केसों में डिटर्मिनेशन करने के बारे में व्यवस्था की गई है। इससे व्यापारियों को सहूलियत होगी। बार बार रिप्रेजेन्टेशन आया करते थे, सालों तक केस पड़े रहते थे, डिटर्मिन नहीं होते थे। तो इस प्रावधान के जरिये कमिश्नर इन डिस्प्यूटेड केसों का निपटारा कर देगा। अब इसमें शंकाएं करना यह उचित नहीं है। इससे व्यापारियों को हैरानी नहीं होगी, बल्कि सहूलियत होगी। जो केस पहले महीनों, सालों पड़े रहते थे अब वे तय हो जाते हैं तो इससे व्यापारियों और सरकार

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

दोनों को लाभ ही होगा। इसलिये इस रूप में जो प्रावधान इस बारे में रखा गया है वह बिल्कुल उपयुक्त है।

माननीय उपाध्यक्षजी, अपील रिवीज़न के प्रोवीजन के बारे में भी इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें रिवर्स ऑर्डर को रिवाइज़ करने के लिये अपीलेट ऑथोरिटी का प्रावधान रखा है। इसमें एक बात तो जरूर कहूंगा कि कमिश्नर की अपीलें हैं डिप्टी कमिश्नर अपील्स के पास पेश होगीं तो इसमें अगर पैरेलल ओथोरिटी होती तो उत्तम होता। इसके बावजूद भी यह होता है तो इन्डिपेन्डेन्ट ओथोरिटी है, कानून उसके सामने है। अब वह कोर्ट के रूप में कार्य करते हुए कानून की अवहेलना करेगा, कमिश्नर का सबोर्डिनेट है तो उसका खयाल रखेगा और इससे न्याय नहीं मिल सकेगा, ऐसी शंका करना उचित नहीं है। पहले मजिस्ट्रेट काम करते थे, जिला मजिस्ट्रेट के नीचे पहले जुडीशियरी अलग नहीं थी तो दूसरी तरह से भावना व्यक्त करना बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है और जब अलग ऑथोरिटी कायम की गई है तो बराबर इन्साफ होगा। कमिश्नर यह अपने हाथ में रखते तो उत्तम नहीं होता।

माननीय उपाध्यक्षजी, तीसरी बात जो इसमें सिंगल मेम्बर बैंच को निगरानी सुनने का प्रावधान किया जा रहा है इसमें मेरी एक आपत्ति जरूर है। सिंगल मेम्बर बैंच में केस का शीघ्र निपटारा होगा' शायद यह मंशा है। परन्तु शीघ्र निपटारे के साथ ही साथ ऐसे कॉम्पलीकेटेड क्वेश्चन्स इन्वोल्व्ड हैं तो सिंगल मेम्बर की बैंच में कुछ मुद्दे अगर डिसाइड नहीं हो पाये और ऐसे कॉम्पलीकेटेड क्वेश्चन्स जो कि सिंगल मेम्बर बेन्च में इन्टरप्रिटेशन लिए हुए होंगे तो इस बारे में सिंगल मेम्बर न रहकर डिवीज़न बैंच का रखना बिल्कुल उत्तम होगा। यह जो सिंगल मेम्बर का प्रावधान किया गया है यह मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इसमें बहुत सी डिफिकल्टीज़ अराइज़ होने की सम्भावनायें हैं। इसमें यह होगा कि ज्यादातर रिटें होंगी और रिटों में स्टे ऑर्डर भी हो सकते हैं और राज्य सरकार का कर भी रुक सकता है और व्यापारियों को परेशानी भी हो सकती है। तो इस रूप में राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि सिंगल मेम्बर की जगह पर डबल मेम्बर रखें या डिवीज़न बेन्च रखें।

माननीय उपाध्यक्षजी, सब तरह के ऑफेन्सेज़ हैं उनको मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइ करने का प्रावधान रखा जा रहा है। माननीय सदस्यों ने यह शंका जाहिर की थी कि एग्ज़ीक्यूटिव ऑथोरिटीज़ को पेनल्टी और सज़ा इम्पोज़ करने का प्रावधान नहीं होना चाहिए। इसलिए सारे आफेन्सेस मजिस्ट्रेट को ट्राइ करने का अधिकार दिया जा रहा है वह बहुत अच्छा है।

( समय–समाप्ति– सूचक घंटी )

इससे सही फैसले होंगे और व्यापारियों को सहूलियतें मिलेंगी।

माननीय उपाध्यक्षजी, जो मिस्टेक को करेक्ट करने के बारे में हाईकोर्ट को रेफरेन्स भेजने के लिए रखा है कि ४ महीने तक

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

इसमें फैसला हो जाये और हाईकोर्ट में रिवीजन करने के लिए रेफरेन्सेज करने के लिए ६ महीने की मयाद रखी है तो उसमें पैरेलल यह मियाद नहीं रखी कि नीचे की ऑथोरिटी को रेफरेन्स के कागजात दो महीने के अन्दर अन्दर या ४ महीने के अन्दर भेज दिये जायें इस तरह का प्रावधान रखना चाहिए, ताकि नीचे की ऑथोरिटी के ऊपर अंकुश रहे कि इतने समय में कागजात हर हालत में चले जायें। अगर यह अंकुश नहीं रहेगा तो अधिकारियों की गलतियों के कारण रेफरेन्स के कागजात समय पर नहीं गये तो जो एप्लीकेन्ट का प्रार्थना-पत्र है वह खारिज हो जायेगा। इसलिए राज्य सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। डिस्पोजल का प्रावधान तो आपने रख दिया कि इतने समय में होना चाहिए लेकिन कागजात इतने समय में चले जायें उसका भी प्रावधान होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्षजी, दूसरा एक प्रावधान जो दफा २६ के अन्दर किया जा रहा है कि रूल्स को बिना पब्लिकेशन के ही राज्य सरकार उचित समझे तो उसको प्रभावशाली मानकर कई तरह के टैक्सेशन लागू कर सकते हैं। तो इसके बारे में मेरी मान्यता यह है कि कोई भी रूल जो कि ऐसे कानून के बारे में हो तो उसको प्रकाशित करना न्यायसंगत है और बगैर प्रकाशित किए ही कई तरह के टैक्सेस लगा दें तो इसमें कइयों के साथ इनजस्टिस हो सकता है, कइयों के साथ हैरेसमेन्ट हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए रूल्स का पब्लिकेशन होना बहुत जरूरी है। यह प्रावधान किस मन्शा से रखा, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें ऐसा प्रावधान और अपवाद रखने का क्या कारण है, इसे राज्य सरकार को बताना चाहिए।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए ताकि सभी मसलों पर विचार किया जा सके। इन मुद्दों के साथ इस विधेयक को प्रवर समिति में सुपुर्द करने के लिए मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बिल के ऊपर कल से बहस चल रही है और उस पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा नजर आया कि इस बिल को प्रस्तुत करने के लिए इसके पीछे दो मूल विचारधाराएं हैं। एक तो यह विचार है कि कमिश्नर महोदय को ज्यादा से ज्यादा पॉवर्स दे दी जायें और दूसरा मकसद यह है कि सेल्स टैक्स लगाने के लिए विभाग के दायरे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाये। जहां तक कमिश्नर महोदय को अधिक से अधिक अधिकार देने का प्रश्न है वह डेमोक्रेसी के अनुरूप नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि कमिश्नर को अधिकाधिक पॉवर्स न दिये जायें। उपाध्यक्ष महोदय, जहां दूसरा मकसद

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

है कि इस टैक्स के लगाने के दायरे को अधिक से अधिक बढ़ाया जाये एक सवाल यह उठता है कि यदि मौजूदा बिल को जिस ढंग से हमारे सामने रखा गया है बिना परिवर्तन के अगर हमने इसे स्वीकार कर लिया तो इसका नतीजा आगे अच्छा नहीं होगा, भयंकर होगा। यह बिल केवल व्यापारियों तक ही सीमित नहीं रहता। इस कानून के बनाने का मकसद यह है कि इस का दायरा बहुत दूर तक संस्थाओं तथा सर्वसाधारण तक पहुंचा दिया जाये और यदि यह बिल इसी रूप में स्वीकार कर लिया तो इसका नतीजा यह होगा कि हमारे स्कूलों के ऊपर शिक्षण संस्थाओं के ऊपर, यूनीवर्सिटी, कॉलेज और मन्दिरों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। जो हमारे राष्ट्रीय विद्यालय हैं हटून्डी और वनस्थली जैसी संस्थायें हैं यहां पर भी सेल्स टैक्स लागू कर दिया जायेगा। इस प्रकार का प्रावधान इस वर्तमान विधेयक में किया गया है और इसके लिए हमारे पास ठोस प्रमाण हैं कि इसी मकसद को लेकर यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है और वह प्रमाण कई रूप में सदन के सामने रखा जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून के दायरे में लाने के लिए सोफिया कॉलेज, अजमेर के ऊपर नोटिस दिया गया था कि वहां पर जो पुस्तकें दी जाती हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स लागू किया जाये। सोफिया कॉलेज, अजमेर स्त्री शिक्षा के लिए एक अनुपम संस्था हैं और यह एक मिशन कॉलेज है। उसके ऊपर नोटिस सर्व किया गया है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिसेज़ पर भी सेल्स टैक्स लागू करना चाहा है। यहां तक कि पब्लिक सर्विस कमीशन के फॉर्मों पर भी मांगा। लेकिन ये इनके कानून के दायरे में नहीं आने की वजह से यह बिल हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इसलिए हमारी सदन की यह राय है कि इस बिल को उसी रूप में स्वीकार नहीं किया जाये और सेल्स टैक्स का जहां तक सवाल है और जिस ढंग से हमारे यहां पर कर लगाये गये हैं उससे न राज्य सरकार को फायदा मिला है और न जनता को मिला है। पिछले दो तीन सालों में जिस ढंग से ऊंचे दर्जे के सेल्स टैक्स लगाये गये हैं उससे हमारे यहां के व्यापारी प्रभावित हुए हैं।

इसके अलावा हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे पड़ौसी राज्यों के मुकाबले में हमारे यहां पर क्या क्या टैक्सेज़ हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब सवाल यह सामने आता है कि आखिर हम इन टैक्सों के बल पर नये नये कानून बना कर कहां तक अपने विकासशील राज्य का और महत्वाकांक्षी राज्य का राज्य संचालित कर सकते हैं। हमें अपने इस राज्य के विकास के लिए आखिर हमें अपनी नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ानी पड़ेगी। जब तक हम नॉन-टैक्स रेवेन्यू को नहीं बढ़ायेंगे हम अपने राज्य का विकास नहीं कर सकते हैं और न राज्य की बहबूदी ही कर सकते हैं। मैं हमारे वित्त मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा हालांकि यहां पर वह इस समय नहीं है कि जितने टैक्सों के लगाने के बारे में और कानून के बनाने के ऊपर ध्यान दिया जाता है उनकी तरफ ध्यान न देकर यदि हम नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की तरफ

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

ध्यान दें तो उससे राज्य सरकार का जो मकसद है वह हल हो सकता है। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील नहीं है और जो कुछ हमारे स्टेट अण्डरटेकिंग्ज चल रहे हैं वह बहुत से घाटे में चल रहे हैं और यदि उदाहरण के तौर पर मैं आपको नजीर दूं कि हमारे डीडवाने में सोडियम सल्फेट का कारखाना जिससे करोड़ों की नहीं सही लेकिन लाखों की आमदनी हो जानी चाहिए थी आज उसके ऊपर हमें लाखों रुपया खर्च करना पड़ रहा है। २० टन प्रतिदिन की कैपेसिटी के कारखाने का कम से कम २०० रुपये टन की कीमत लगाई जाये तो ४००० रुपये प्रतिदिन की आमदनी होनी चाहिए। इसी प्रकार से राजस्थान रोडवेज की बसें है मार्गो का राष्ट्रीयकरण हम नहीं कर पाये। वह दिन तो दूर है कि जब हम ट्रक्स का राष्ट्रीयकरण करेंगे लेकिन हम इससे भी दूर हैं कि हमारे जितने रूट्स हैं उसका राष्ट्रीयकरण कर दें। आज तो हम 'ए' क्लास रूट को भी साल, दो साल में कर लें तो मैं मिनिस्टर महोदय को धन्यवाद दिये बिना नहीं रहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह रहा है कि हमारे राज्य की इन्कम है उसको बढ़ाया जाय और जो हमारी फिजूलखर्ची है उन फिजूलखर्चियों को रोक दिया जाय तो इस तरह के अनेकानेक तरह के टैक्सेज को बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे विभाग हैं जिनके लिए कहा जाता है कि ठीक से चल रहे हैं फिर भी कम से कम २५ पर्सेन्ट का अपव्यय है। और करोड़ों की बकाया राज्य की लोगों में बाकी है। न उनसे वसूल करने की चेष्टा करते हैं और न अपव्यय को रोकते हैं, न नॉन रेवेन्यू टैक्स बढ़ाने की चेष्टा करते हैं और हमारा ध्यान जाता है सिर्फ टैक्सेज को बढ़ाने का। आखिर इन टैक्सेज को कहां तक बढ़ाते जायेंगे? हम कैसे इस प्रकार से चल सकेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, इस एन्टरटेनमेंट टैक्स को लेकर मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूं। हम सभी जानते हैं कि एन्टरटेनमेंट के मामले में, मनोरंजन के साधनों में हमारा राज्य दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ है, हमारा राज्य इन गतिविधियों में बहुत ही बेकवर्ड है हमारे पूर्वजों की अर्जित की हुई संपत्ति चाहे कितनी रही हो, लेकिन आज की स्थिति यह है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले में मनोरंजन के साधन नहीं हैं। आगे लो या पीछे लो, केवल एक सिनेमा है। सिनेमा का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ रहा है? आज जन-जीवन उससे कितना प्रभावित है? कितने हमारे विद्यार्थीगण, युवक और युवतियां सिनेमा देख कर उसकी भद्दी नकल करते हैं उसको देखने के लिए न हमें अखबार पढ़ने की जरूरत है न सुनने की जरूरत है, हम अपने घरों में देख रहे हैं कि क्या बुरा प्रभाव है। चाहे होलीवुड की फिल्में हों या इस देश की फिल्में हों, ८० पर्सेन्ट फिल्में ऐसी हैं जो हमारे जीवन को उत्पादन की ओर नहीं बढ़ाती है बल्कि पतन की ओर ले जाती हैं। लेकिन यह सभी जानते हुए भी हम हमारे विद्यार्थियों को, बच्चों को या आम जनता को सिनेमा देखने से नहीं रोक सकते।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि दूसरे मनोरंजन के साधन उनके सब्स्टीट्यूट नहीं हैं, और मनोरंजन हमारे जीवन के लिए खास जरूरी है चाहे मानसिक विकास के लिए चाहे शारीरिक विकास के लिए हो। मनुष्य जब से पैदा हुआ है वह मनोरंजन उसके साथ रहा है और आगे भी मनोरंजन उसके साथ चलेगा। लेकिन समाज का और राज्य का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम ऊंचे दर्जे का और स्वस्थ मनोरंजन दे सकें, लेकिन हमारी राज्य सरकार इस बारे में ध्यान नहीं देती है। फर्ज तो राज्य सरकार का यह होता है कि वह शुद्ध और ऊंचे दर्जे का मनोरंजन दे। लेकिन होता क्या है कि आज थोड़ा बहुत काम एपेच्योर्स या नॉन-प्रोफेशनलमैंन करते हैं तो एन्टरटेनमैन्ट टैक्स लिया जाता है। इस मामले में हमें अपने पड़ौसी राज्यों की ओर देखना चाहिए। पंजाब में रवीन्द्र मंच है जैसा कि हमारे यहां है और रवीन्द्र मंच पर जो कुछ भी कार्यक्रम होता है तो उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। प्रोफेशनल लोग भी करते हैं तो भी टैक्स नहीं लगता है। इधर बंगाल की ओर देखना चाहिए क्योंकि बंगाल इस मामले में सबसे आगे बढ़ा हुआ है। वहां पर किसी प्रकार का एन्टर्टेनमेंट पर सिवाय सिनेमा के टैक्स नहीं है। चाहे वह कन्सर्ट हो, चाहे नृत्य हो, नाटिका हो, बैले हो, या संगीत सम्मेलन हों उन पर किसी प्रकार टैक्स नहीं है। हमारी राज्य सरकार को चाहिए कि शुद्ध मनोरंजन प्रोवाइड करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको एन्टरटेनमेंट टैक्स से मुक्त किया जाय। जो संस्थाएं, सोसाइटीज़ जरिस्ट्रेशन एक्ट के मातहत हैं उन्हें इस कर से मुक्त किया जाय और एमेच्योर्स भी जो करते हैं उनको मुक्त किया जाय। मैं यह कहना चाहती हूं कि एन्स्टर्टेनमेंट टैक्स के मामले को लेकर सरकार दुरंगी नीति पर चलती है। एक तरफ तो कहती है कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसके लिए एकेडमी स्थापित करते हैं और उनके कार्यक्रम को सब्सिडी देते हैं लेकिन उन्हीं के कार्यक्रमों पर टैक्स लगाया जाता है। उसकी मैं एक ताजा नजीर रखना चाहती हूं। अभी १५-२० दिन पहले हंगेरी का एक सांस्कृतिक दल आया था और दो महीने पहले सोवियत रशिया का दल आया था। वे सरकार के मेहमान थे। सरकार ने उनको हास्पिटेबिलिटी दी केवल राज्य सरकार ने ही नहीं, बल्कि केन्द्रीय सरकार ने उनको हॉस्पिटेबिलिटी दी। उनके ऊपर हजारों रुपया खर्च किया और यहां रवीन्द्र रंगमंच पर जब शो दिखाया गया तो उस पर एन्टर्टेनमेंट टैक्स लगाया गया। यह दुरंगी नीति है। मैं तो, उपाध्यक्ष, आपके द्वारा राज्य सरकार से पूछना चाहती हूं कि राज्य सरकार का यह फर्ज नहीं है कि जनता को वह शुद्ध मनोरंजन दे जब कि वह मनोरंजन टैक्स के रूप में लाखों रुपया सालाना राजस्थान से लेती है। अब जो रुपया वह लेती है टैक्सेज के रूप में, मनोरंजन टैक्स के रूप में तो शुद्ध मनोरंजन के रूप में मनोरंजन देना राज्य का फर्ज हो जाता है। १८ या २० लाख के करीब राज्य को इस कर से सालाना आमदनी होती है। उसमें से १०-१२ लाख रुपया राज्य शुद्ध मनोरंजन के लिए दे।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

उपाध्यक्ष महोदय, मनोरंजन के साथ साथ मैं देख रही हूं कि दो-तीन दिन से यहां सदन में एक "हकीकत" फिल्म को लेकर चर्चा चल पड़ी है। राज्य सरकार ने उसको एन्टरटेनमेंट टैक्स से माफ किया है यह सोच कर कि यह फिल्म सैनिकों को प्रेरणा देने वाला है, बलिदान की भावना भरने वाला है। इसलिए इसका टैक्स माफ किया गया। लेकिन हमारे सदन के कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि यह फिल्म है जो कायरता देने वाली है और सरकार ने इसका टैक्स माफ करके बड़ी भारी गलती की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इसके ऊपर अपना संक्षिप्त विचार रखना चाहती हूं। मैंने इस फिल्म को देखा है, लेकिन उसको कुछ और नजर से देखा है। मैं एक सैनिक की मां हूं। मेरे एक नहीं, दो दो लड़कियों के पति हैं वे चीन के युद्ध में काम कर चुके हैं। मैं अपनी बहू–बेटियों को लेकर सिनेमा देखने गई, जिनके पति आज भी सिक्किम और लद्दाख के मोर्चों पर बर्फ पर पड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से इस फिल्म को स्टडी किया। इस फिल्म को मैंने देखा है कि एक सैनिक की मां, सैनिक की बहू और सैनिक की बहिनों पर इसका क्या असर पड़ता है? मैं कहूंगी कि यह फिल्म कोई बुरी नहीं है। इसका असर बुरा नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें शक नहीं कि इसमें वह प्रेरणा देने वाली भावना नहीं है जो हमारी राजस्थान की संस्कृति की थी। हमारे राजस्थान की सांस्कृतिक परम्पराएं जिस तरह की भावनाएं देने वाली रही हैं वह उसमें नहीं है। हमारी संस्कृति कैसी रही थी।

"संग बल जावे नारियां नर मर जावे कट्ट।
घर बालक सूना रमैं, तिण घर में रज्जवट्ट।"

मैं मानती हूं कि उस कैड़े की यह फिल्म नहीं है, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि इस प्रकार से ऊंची प्रेरणा देने वाले राजस्थान के उस साहित्यकार की क्या दशा है? इस प्रकार के ऊंचे कलाकार की जो गांव गांव में जाकर अपने साहित्य से लड़ाई में जाने के लिए युवकों को प्रोत्साहित करते थे आज उन कलाकारों की क्या दशा है? आज वे भूखों मर रहे हैं। आज उनकी कला को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है और वे छोटा–मोटा प्रयास भी करते हैं तो उन पर एन्टेंटमेंट टैक्स लगाया जावेगा। मैं पूछना चाहती हूं कि राजस्थान का वह साहित्यकार जो इस तरह की परम्परागत बातों से हमारे युवकों को प्रोत्साहन देता रहा है जिससे राजस्थान का सिर ऊंचा रहा है और राजस्थान वीर–शिरोमणि हुआ है ऐसे साहित्यकारों का साहित्य आज प्रकाशित नहीं हो पाता है। अगर कर्ज लेकर प्रकाशित करा देते हैं तो राज्य सरकार के पास खरीदने के लिए जगह नहीं है। आज दूसरे कामों में इस तरह से पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी परम्परागत बातें हैं, हमारे लोगों में बलिदान देने की भावना भरने वाले कलाकारों की ओर ध्यान नहीं है। मैं आपके द्वारा पूरे जोर के साथ कहूंगी कि राज्य सरकार का इस ओर आज तक कोई ध्यान नहीं गया। जब यह सवाल उठाया गया तो उसको एक उपेक्षा की नजर से देखते हैं, लाइट वे में लेते हैं और मजाक में रख देते हैं। मेरा विचार है कि राज्य सरकार इस

Page No 61



(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

तरह की बात की ओर ध्यान नहीं दे सकती है और न मन्त्रि-मण्डल इस बात को सोचने वाला है, न उसको गम्भीरता से लेता है, न उस परम्परा के महत्व को सोचता है। यह का यही हाल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का है। समझ में नहीं आ रहा है कि राज्य किधर जा रहा है। फिल्मों से टैक्स लिया जाय, इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो हमारा एन्टर्टेनमेंट टैक्स आता है उस रुपये को राज्य सरकार ऐसे सीधे मनोरन्जन के लिए व्यय करे जो हमारी परम्परा के ढंग के हों तभी हमारे लोगों को प्रोत्साहन देकर वे इस देश की सेना के लिए तैयार कर सकेंगे।

इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि इस बिल को एक दम आंख मूंद कर पास नहीं किया जाय। इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय और सोच-विचार कर इसको पास करें।

**श्री पोहूमल ईसरदास** (अजमेर शहर-पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, एक शायर ने कहा है....

(१.४०. मं. प.)

**प्राक्कलन समिति से नाम वापिस लेना**

**श्री सांवलियाराम** (रूपवास-सु०): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति से अपना नाम वापिस लेता हूं।

**राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६५**

(पूर्व क्रम से विचार-विमर्श)

**श्री पोहूमल ईसरदास**: एक शायर ने कहा है:

"रो के जीने में कोई लज्जत नहीं,
हंस हंस के मर जाना वफा की शान है।"

हमने कांग्रेस की वफा की कसम खाई है, इसलिये वफा की वजह से साथ देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जब हम जनता के दुःख-दर्द को यहां लावें तो उसको न सुना जावे और न सोचा जावे। मैं इतना ही कहूंगा सरकार से कि जो जनता के दुःख-दर्द उसके सामने लाये जाते हैं उनका निवारण करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से यह सेल्स टैक्स बिल हमारे सामने आया है वह बिल्कुल जल्दबाजी में आया है, इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय क्योंकि सेल्स टैक्स अधिकारी जिस तरीके से व्यापारी वर्ग को तबाह कर रहे हैं उसको देख कर हमारी तो गर्दन शर्म से झुक जाती है। वे जनता के साथ क्या नहीं कर चुके? वे उनकी बहियां जब्त करते हैं। वे उनको बेइज्जत करते हैं और यहां तक कि उनकी जेब में भी हाथ डालते हैं। कभी कभी मैं देखता हूं यहां बताते शर्म आती है, उनकी धोती भी खुलवा लेते हैं। मैंने यह अजमेर में देखा है। यदि आपने सेल्स टैक्स ओफिसर्स का यह रवैया नहीं बदला तो एक दिन जरूर आयेगा जब उसका बदला जनता चुकावेगी। टैक्स वसूल करने का यह मतलब नहीं है कि ख्वाम ख्वाह व्यापारियों को तंग किया जाय और समूचे व्यापारियों को एक ही कसौटी पर कस कर चोर समझा जाय। इन रवैये से सरकार के प्रति लोगों में नफरत

# Page No 62



(श्री पोहूमल ईसरदास)

पेश की है। इसलिये सारे पॉवर्स इस महकमे के अधिकारियों को देने उचित नहीं हैं।

इस कानून में प्रावधान था कि स्टे ऑर्डर के लिये कई जगह जाना पड़ता था, यही का यही प्रावधान अब भी रखा जाय कमिश्नर को यह इजाजत नहीं दी जाय कि वह अकेला स्टे कर सके। हाई कोर्ट के लिये जो प्रावधान था उसको वैसे ही रहना चाहिये। तीसरी बात इसमें जो बिजनेस की डेफिनिशन दी है उसमें लिमिट रखी जाय। यह इतनी बड़ी डेफिनिशन है कि यह हर शख्स पर लागू होगी इससे बड़ी मुसीबत होगी और सब पर बिक्री कर लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, व्यापारी वर्ग इसके बारे में इतनी शिकायत करते हैं कि जब मैं उनसे मिलता हूं तो वे कहते हैं कि हमारे लिये यह कानून कयामत है। वे कहते हैं:—

"कभी जिन्दा, कभी मुर्दा जब से
यह बिक्री कर कानून आया है,
कयामत एक सुनते थे,
कि यहां हरदम कयामत है।"

मैं नहीं समझता था कि वे इसको हर वक्त कयामत ही समझते हैं। मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह जो सारी ताकत कमिश्नर को दी जाती है और जो चीज रिविजन के लिये हाई कोर्ट में जाती थी उसके लिये अब वहां जाने का प्रावधान नहीं किया है। वह वापिस रखा जाय और कमिश्नर को यह पॉवर नहीं दी जाय। यदि यह बिल जैसा है वैसा पास हो गया तो उसका बहुत भयंकर परिणाम निकलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल पहले ही इतना पेचीदा है कि जो गरीब लोग धन्धा करते हैं पान वाले, होटल वाले, चाय वाले, बेकरी वाले उनको मेनुफेक्चरर्स में लाकर उनके साथ सख्ती की जाती है और उनसे भी बिक्री कर लिया जाता है। मैं नहीं समझता कि एक बेकरी वाला जो मैदा लाता है, शक्कर लाता है, डालडा लाता है और सब पर टैक्स देकर आता है वह बिस्कुट बनाने के बाद कैसे मेनुफेक्चरर हो गया। होटल वाले पानी में चाय, शक्कर और दूध डालते हैं तो वह मेनुफेक्चरर कैसे हुआ? पता नहीं उसको मेनुफेक्चरर में लाकर ५ हजार की सेल दिखाकर क्यों उन पर बिक्री कर लगाया जाता है। इससे उन गरीबों को मुनीम रख कर हिसाब बनाना पड़ेगा। सेल्स टैक्स ऑफिसर आता है तो उन बेचारों का खून सूख जाता है। वैसे पानवालों को हाई कोर्ट में जाने के बाद में मेनुफेक्चरर की श्रेणी से हटा दिया, बिक्री कर से मुक्त कर दिया, उसी तरह से होटल वालों, बेकरी वालों इत्यादि को भी मेन्युफेक्चरर के अन्तर्गत माना जाय एवं उन पर भी बिक्री कर नहीं लगना चाहिये। यदि वे साथ में दूसरी चीज बेचते हैं तो उसका अलग हिसाब होना चाहिये, उस पर बिक्री कर लगाया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मुझको ऐतराज नहीं है। मैं एक मिनट और लूंगा। मैं इस बिल के बारे में निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा

(श्री पोहूमल ईसरदास)

जाय, एडवोकेट जनरल की इस पर राय ली जाय। और भी अच्छे अच्छे व्यक्तियों से जानकारी लेकर इस तरह से बनाया जाय कि इससे जनता को दिक्कत न आवे।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री गोकुलप्रसाद। थोड़ा संक्षेप में रखें।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन)विधेयक, १९६५ पर कल से बहस हो रही हैं। कई माननीय सदस्यों ने बड़े विद्वत्तापूर्ण ढंग से, चाहे तथ्य उसमें कुछ न हों, लेकिन अपने तर्क पूर्ण दिमाग से इस सदन में ऐसा वायुमंडल बनाया है जैसे कोई सरकार बहुत ही बड़ा पाप करने जा रही है। जहां तक बिक्री कर का सवाल है, राजस्थान की जनता जब सामान खरीदती है बिक्री कर उससे उस समय वसूल कर लिया जाता है। अब जो लोग बिक्री कर जनता से वसूल करके अपने पास रख लेते हैं उनसे वह बिक्री कर वसूल करने में सरकार सख्ती से काम करे तो यहां कल से जो वातावरण बनाया है उससे ऐसा मालूम होता है कि उस बिक्री कर को बीच में हजम करने वाले विचोलियों की वकालत करने के लिये वे यहां आकर जम गये हैं हमको उनसे बचना पड़ेगा....

**श्री चौसरसिंह** (वेंगू) : आप सदस्यों के लिये यह बात कह रहे हैं।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : आपका दिमाग तेज है, सिर में चोट नहीं आई, फिर भी बैंडेज बांध कर आये हैं। इतना तेज आपका दिमाग है। बिक्री कर खरीददार उसी समय दे देते हैं जब चीज खरीदते हैं और जिनको कर देते हैं वे बीच में रख लेते हैं क्या उनके लिये भी सदन के सदस्य यह कहेंगे कि उनके साथ सख्ती नहीं की जाय, जल्दी वसूल नहीं किया जाय? यह ठीक नहीं है। मैंने सुना है कि बड़ी बड़ी किताबों से इन्कम टैक्स की रूलिंग्ज लाकर बताई। इन्कम टैक्स वे देते हैं जो स्वय की कमाई का हिस्सा है उसमें से दिया जाता है उसके लिये कानून पालियामेंट में बन सकता है लेकिन सेल्स टैक्स वह नहीं है जो इन्कम टैक्स है। व्यापारी सेल्स टैक्स ले चुके हैं पर सरकार को वापिस देने में गड़बड़ी करना चाहते हैं, उनसे वापिस लेने की बात है। उसके लिये निर्णय सरकार ले तो बुरी बात नहीं है। यहां पर अन्य करों की डिमान्ड पर काफी बहस हुई थी, उसमें यात्री कर पर भी बहस हुई थी, सदस्यों ने जोर लगाया कि यात्रियों से बस या मोटरवाले यात्री कर वसूल कर लेते हैं और सरकार में जमा नहीं कराते हैं। यह बिलकुल गबन है और इस तरह के गबन करने वालों के साथ जो व्यवहार होता है वही इनके साथ होना चाहिये। सरकार ने उसमें कुछ सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है। आज उसके विपरीत जब सेल्स टैक्स वसूल करने की बात आती है तो उल्टी बात सामने आती है। यह कहा जाता है कि व्यापारियों के साथ अन्याय हुआ। जब खरीददार से व्यापारी पैसा लेते हैं तो क्यों नहीं सरकार उनसे वसूल करे? मुझे आप यह बतावें कि यात्रा कर की वसूली में और सेल्स टैक्स की वसूली में क्या फर्क है?

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

मैं बस में जाता हूं, बस में यात्रा करता हूं तब मुझसे कर वसूल किया जाता है और जब कोई चीज़ खरीदी जाती है तो सेल्स टैक्स देकर खरीदी जाती है, खरीदते समय सेल्स टैक्स वसूल कर लिया जाता है। एक ही तरह के काम हैं लेकिन क्योंकि एक बसें बहुत थोड़े लोगों के पास है और व्यापारियों से पैसा वसूल करने के मामले में बहुत लोग उलझे हुए हैं। यहां पर बड़े विद्वत्तापूर्ण ढंग से कई वकीलों ने जो यहां पर सदस्य के रूप में आये हैं और जिनका काम वकालत करने का है और जिनमें से काफी सेल्स टैक्स की वकालत करते हैं उन्होंने अपने केस को यहां पर जैसे वे किसी सेल्स टैक्स कमिश्नर के सामने अपने मुवक्किल को बचाने के लिये पैरवी करके कोशिश करते हैं उसी तरह की बातें यहां पर सुनीं। कारोबार में व्योपार किसे कहा जावे? इससे लिए यह बताया गया है कि कोई व्यापार, वाणिज्य या निर्माण कार्य अथवा व्यापार, वाणिज्य या निर्माण कार्य के प्रकार का कोई उपक्रम या प्रतिष्ठान, चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, निर्माण कार्य, उपक्रम या संस्था फायदा या लाभ प्राप्त करने के लिए चलाया जाय अथवा नहीं तथा चाहे ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण-कार्य, उपक्रम या प्रतिष्ठान से लाभ होता हो या नहीं, इससे लोगों को ऐतराज है कि ऐसे को क्यों ले लिया जावे? लाभ नहीं होता है और लाखों रुपयों का सामान खरीदते हैं और लेते हैं और सेल्स टैक्स और लाइसेंस होल्डर बनने में मैं कहता हूं कि आपका क्या ऐतराज है? आप जब लाखों रुपयों का माल खरीदते हैं। इस बात पर बड़ा ऐतराज किया कि कोई व्यक्ति, संस्था, क्लब या एसोसियेशन या कोई फर्म अथवा किसी फर्म की कोई शाखा या विभाग व्यापारी है यह माना जावे, इस पर भी बड़ा ऐतराज है कि एसोसियेशन को क्यों मान लिया जावे। संस्थाओं को क्यों मान लिया है? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दयालबाग जैसी संस्था जो करोड़ों रुपयों की चीजें पैदा करने वाली है, उसको क्यों नहीं माना जावे जो हजारों और लाखों रुपयों का सामान तैयार करता है। तो बीच में नाम आया कि मन्दिरों को नहीं छोड़ा या मस्जिदों को भी नहीं छोड़ा। सदाव्रत का नाम लिया जाता है। मैंने देखा कि कहीं भी सदाव्रत पर कोई टैक्स नहीं लगाया जावेगा। मन्दिरों में प्रसाद पर टैक्स की बात कही गई। मैं यह कहूंगा कि नाथद्वारा का ही एक ऐसा मन्दिर है कि जहां पर नौकरी के एवज में बजाय तनख्वाह के प्रसाद दिया करते हैं और वे उसको बाजार में लेकर दे देते हैं या मन्दिरों में प्रसाद बांटा करते हैं। मैं यह कहूँगा कि मन्दिर और धर्म कोई आपकी दया पर नहीं चलते। अगर कौल साहब किसी मन्दिर में भोग पूजन पर टैक्स लगावें तो उनको कल बन्द करना होगा। मन्दिर मस्जिद आपकी दया पर नहीं जीते। उन पर कोई कर लगता नहीं। कई एसोसियेशन्स ऐसी हैं जो सामान लेकर बेचेंगी।

अब आज कल इनकम टैक्स में क्या किया जाता है और उसमें सख्ती की जाती है। मैंने निवेदन किया कि इन्कमटैक्स आदमी अपनी कमाई में से देता है वहां पर आपकी अपील की बात नहीं मानी जाती

# Page No 65



(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

जब तक आप टैक्स अदा करने की बात नहीं करते। मगर यहां पर आप अपील में कोर्ट में जावेंगे और अगर आपको स्टे ऑर्डर मिलता है तो आप वसूल नहीं कर सकते। यदि वह लम्बे अर्से तक चलता रहा और उसका फैसला नहीं हुआ तो आपको एक भी पैसा राज्य की आय में नहीं मिलेगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो टैक्स आप लोगों से वसूल कर लेते हैं तो उसको उन लोगों को सरकार को देने में क्या ऐतराज है। इसको देने में तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। यह बात हो सकती है कि कुछ लोगों के साथ गलत एसेसमेन्ट कर दिया गया हो। इसके लिए मैं यही कहूंगा कि अगर आपके स्टाफ में कुछ ऐसे आदमी हैं जो कुछ अच्छे आदमी नही हैं और जरा जरा सी बात में लोगों को तंग करते हैं तो आप अपने स्टाफ में सुधार करिये लेकिन इसके लिए यह तो नहीं कि जो टैक्स जनता से वसूल कर लिया जाता है उसको नहीं दिया जाये। मेरी स्वयं की यह मान्यता है कि जितना सेल्स टैक्स जनता से वसूल किया जाता है उसका आठवां हिस्सा भी जमा नहीं होता है। इसलिये इसको वसूल करने के लिए कुछ सख्ती करनी चाहिए और अगर आपने सख्ती नहीं की तो दिन-ब-दिन यह मर्ज बढ़ता ही चला जावेगा। मैं तो इससे भी आगे निवेदन करना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि केश बुक जो वे लोग मेन्टेन करते हैं उनको सेल्स टैक्स कमिश्नर को छपवा कर देनी चाहिए और उस पर बाकायदा नम्बर लगे हुए होने चाहिये ताकि केश बुक बदली न जा सके। अन्यथा केश बुक बदल दी जाती है। पहले केश बुकें नहीं बदली जाती थीं। अगर आप उनको केश बुकें छपवा कर दें तो मैं कहूंगा कि आपका सेल्स टैक्स ईमानदारी से वसूल होगा और आपके पास आवेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर चोरियें होंगी। मैं तो यह कहूंगा कि आपको ऐसा काम करना चाहिये जिससे टैक्स लोगों से ले लिया जाता है वह चोरी न हो सके और सरकार में जमा हो जाए। मैं आपको कई उदाहरण बता सकता हूं, आप मेरे साथ चलिए अगर आप बाजार में घेरा डालेंगे तो आपको मालूम होगा कि करोड़ों रुपयों की सेल्स टैक्स की चोरी होती है। एक मेरे साथी ने प्रेशर कुकर ८५) रु० खरीदा। मेरे साथी ने कहा कि यह मैं ८५) रु० रुपये में लाया हूं। मैंने कहा रसीद। तो उसने कहा कि रसीद इसलिए नहीं दी कि सैल टैक्स के ८।।) और लगेंगे। बम्बई में उसकी फैक्ट्री है और यहां पर उसको दूकानदार बेच रहे है; आप ही बतावें कि वह दूकानदार के पास कहां से आया? अगर रेलवे से आया तो रेलवे रसीद होती है। लेकिन यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वह कहां से आता है? वह आता हैं आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट से। वे चुपचाप लाकर बेच जाते हैं और सेल्स टैक्स की चोरी होती है। आपको इस सेल्स टैक्स की चोरी जो हो रही है उसको आपको बचाना होगा। और जिन लोगों ने सेल्स टैक्स जनता से वसूल कर लिया है उनको वह सेल्स टैक्स सरकार में जमा कराना होगा।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

आपके यहां से, राजस्थान से को जो मोटा अनाज और गेहूं कुल मिला कर २० लाख टन बाहर चला जाता है। उसमें सरकार को बहुत कम सेल्स टैक्स मिलता है। मैं समझता हूं कि एक लाख टन का सेल्स टैक्स सरकार को मिलता होगा। यह जो शिकायत लोगों की है वह सही है। इसलिये आपको चाहिये कि जो स्टाफ में लापरवाही है और इन्तजाम ठीक तरह से नहीं है उसको ठीक करें। आप ऐसे नियम बनाइये कि आपको पूरा का पूरा सेल्स टैक्स मिल जाए। आपको अभी अनाज की निकासी से १० लाख मिलता है वह आपको २।। या ३ करोड़ मिलता। इसी तरह से यात्री कर का हाल है। वह भी बहुत सी जगह आप १९५९ से वसूल नहीं कर पाये हैं। अगर आपकी सरकार कोई सख्त कदम उठाती है तो आपको नाराज क्यों होना चाहिये ?

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर और कहना है।

यात्री कर के बारे में बार बार नाम आते हैं, अभी कम्युनिस्ट माननीय सदस्य हांडा ने बसन्तकुमार के बारे में कहा जिसके लिये कुछ दिन पहले वित्त मन्त्री ने बताया कि ५ हजार रुपया बाकी है। यह संभवतः असेसमेंट गलत हो गया और वे कोर्ट में अपील करने गये जो उनको हक है इस तरह....

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर क्लॉज़ बाई क्लॉज़ बहस होगी इसलिये २। बजे तक....

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : २।। बजे तक रखा जाए।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : तीन बजे तक रखा जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : २.३०, बजे तक।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : यात्री कर के लिय कहा कि उनमें एक पैसा बाकी नहीं है। कुछ लोगों की आदत पड़ गई है इस प्रकार की बातें करने की। यहां पर वे सदस्य ज्यादा विरोध करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, समाज का नियम है कि जो समाज में ज्यादा दोषी होता है वह ज्यादा अकड़कर चलता है। हमने कई इस प्रकार के नजारे देखे हैं। माननीय सदस्य जो हमेशा कहा करते हैं कि चीफ मिनिस्टर के साले ने एक बस ले ली हालांकि उनमें बाकी एक पैसा नहीं है। वे यह भूल जाते हैं जब वे यह कहते हैं तब कि उन्होंने खुद एम. एल. ए. बनने के बाद में अपने लड़के के नाम से, नाबालिग लड़के के नाम से बस का परमिट ले लिया और बेच दिया। उनको चीफ मिनिस्टर का साला याद है, उनको उनका खुद का नाबालिग लड़का याद नहीं है।

**एक माननीय सदस्य** : यह आपके कानून की गलती है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : वे कौन माननीय सदस्य हैं, आप बतावें ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): मैं नाम बताऊंगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : और जिन्होंने बेची भी तो ऐसे आदमी को बेची जिन्होंने तस्कर व्यापार किया, क्या उनका छोटा नाबालिग लड़का दर्खास्त देने आया था...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): कौन है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इधर नहीं, उधर बैठे हैं।

एक माननीय सदस्य : नाम बताइये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि वे कौन हैं, गाड़ी का नम्बर आर. जे. एल. ६९४९ है और रिटर्न्स उन्हें मिले हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय सदस्य को भ्रम तो नहीं हो गया है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : भ्रम नहीं हुआ है, मैंने सही बताया है। मैंने नम्बर बताया है, चाहे यहां चल रही हो या बाहर चल रही हो, रजिस्ट्रेशन यहां जयपुर शहर में हुआ है। वह कितनों के नाम है इसका अन्दाज नहीं लगता। रजिस्ट्रेशन से नाम का पता लगा सकते हैं।

इसके अलावा आर. जे. एफ. १२०५ एक आदमी ने ली और ५ जगह बिकी जैसे द्रोपदी हो। इस तरह से उदाहरण के रूप में कहता हूं, काफी है। वह सदस्य जो दूसरों की बुराई करते हैं, जिनका खुद का दामन साफ नहीं, चेहरा साफ नहीं, जो नाबालिग लड़के के नाम से ब्लेक करते हैं हमें उनसे सावधान रहना चाहिये। वे कौन हैं, नाबालिग लड़के के पिता कौन है, मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता।

मैंने सुना मनोरंजन कर के बारे में, हकीकत फिल्म है इस पर टैक्स सरकार ने क्यों छोड़ दिया, एक बात को बहुत ही जोरों से कहा गया कि यह ऐसी फिल्म है जिसके देखने से मोरल बढ़ता है, इसके देखने से देश के लोग बहादुर हो जायेंगे उन माननीय सदस्य ने कहा कि इसका लिंक अखबार से सम्बन्ध नहीं, दूसरों से नहीं, मेनन साहब की तारीफ कर गये, कौल साहब की बड़ी तारीफ की, मैं आपको बताऊं कि ये फिल्म बनाने वाले कौन हैं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने कौल साहब की तारीफ नहीं की, न मेनन साहब की तारीफ की। मैंने सिद्धान्त की बात कही है। कौल साहब के बारे में मैंने स्पष्ट कहा कि जो शख्स चुंगी की चोरी कर सकता है, मेयो कॉलेज की जमीन ले सकता है, वह एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स का क्या भला कर सकते हैं ? मैंने कौल साहब की तारीफ नहीं की है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं इस चीज को साफ करूंगा, आपके कान कच्चे हैं, कुम्हार के आकड़े में इनको पकाना होगा...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तिलकायतजी के एडवोकेटजी को समझता हूं।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : किसने बनाया है, इस फिल्म के डाइरेक्टर हैं चेतना नन्द, बलराज साहनी इसमें हीरो हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने किसी कारण से पैसा दे दिया होगा। वहां हमारी बहिनों को रोते हुए दिखाया गया है, हमारे सिपाहियों को बिना हथियार के दिखाया गया है, भागते हुए दिखाया गया है, यह हकीकत दिखाई है, सिपाही भाग रहे हैं मार्च से, इससे बहादुरी आयेगी देश के लोगों में ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : पाण्ड्याजी महाराज आपने पिक्चर देखा भी है ?

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : चीनियों के दलाल ठहर जाओ, शर्म खाओ, गैरत करो, गैरत से डूब मर जाना चाहिये ऐसे लोगों को ...

(२. ०५ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री पदासीन )

सभापति महोदया, यह दिखाया गया है इस फिल्म में कि हमारे सिपाही किस तरह भागे हुए जा रहे हैं, उसमें यह दिखाया गया है कि सिपाहियों के पास शस्त्र नहीं हैं, जूते नहीं हैं...

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : एब्सोल्यूटली रोंग है, तेरे ऐसे बहुत पण्डे देखे हैं, फत्तो रोवे यारानूं ले ले वीरां दा नाम...

( शोरगुल )

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : यह फिल्म निर्माताओं का नमूना है । जो सरकार की इन्कम को कम करना चाहते हैं, वे लोग वित्त मंत्री के पास गये और इस पर टैक्स माफ करने के लिए कहा, उन्होंने समझा होगा कि अच्छा फिल्म होगा इसलिए छोड़ दिया।

दूसरों ने भी इस फिल्म को देखा है, सदन की एक महिला सदस्य ने यह कहा कि वह सिपाही की मां है, सास है, उन्हें पता है कि सैनिकों पर उस फिल्म का क्या असर पड़ेगा। सैनिक बड़े बहादुर होते हैं, हमारा भी बहादुरों के साथ सम्बन्ध रहता है, वे सैनिकों की मां हो सकती हैं, मैं भी सैकड़ों सैनिकों का गुरु हूं, सैकड़ों सैनिक मेरे शिष्य हैं जो मेरे पैर छूते हैं, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ जीवित रहो, विजयी होवो।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : वे भागने वाले सैनिक आपके ही शिष्य रहे हैं।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : उस फिल्म में दिखायी गई बातें सही नहीं हैं, इसलिये उसको टैक्स से मुक्त नहीं करना चाहिये...

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : इसलिये आपको आशीर्वाद !

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : तेरे जैसे भगोड़े को आशीर्वाद नहीं देते।

(शोरगुल)

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : अमृत बाजार पत्रिका २-२-६५ की यह कहती है कि राज-

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

स्थान की एक महिला चीन के दूतावास में बराबर मिली हैं, आती-जाती देखी गई हैं, राजस्थान के होम डिपार्टमेंट को हमने सूचना दी और उसे फिफ्थ कोलमिस्ट्स के साथ मिलते देखा है, अमृत बाजार पत्रिका का कटिंग है मेरे पास...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): नाम है क्या महिला का ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जो इस राजस्थान विधान सभा की सदस्या है, अगर अमृत बाजार पत्रिका ने गलत निकाला है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये, और अगर है तो यहां का होम डिपार्टमेंट क्या कर रहा है ?...

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने जो चार्ज लगाया है वह बड़ा गम्भीर है। ऐसे गंभीर आरोप को यों ही वेगली पुट अप करना ठीक नहीं रहेगा। या तो माननीय सदस्य कहें कि अखबार में लिखा है वही उनकी जानकारी है या यों कहें कि किस माननीय सदस्या से उनका मतलब है। मैं सरकार से भी चाहूंगा कि यह मामूली साधारण मामला नहीं है। यह विधान सभा के लिये लांछन है, राजस्थान के लिये लांछन है, देश के लिये लांछन है, और जिस माननीय सदस्या से सम्बन्धित है, उनके लिये भी लांछन है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : इसके साथ जो आप कटिंग बता रहे हैं...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं एक दूसरे अखबार की बात कर रहा हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उस कटिंग को आप टेबल ऑफ दी हाउस पर रख दें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप कहें...

श्री निरंजननाथ आचार्य : बंगाल के अखबार की कटिंग बता रहे हैं वह कटिंग टेबल ऑफ दी हाउस पर रख दें या मुझे दे दें। कुछ न कुछ तो करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपको जानकारी नहीं है

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदया, मुझे इस बात का दुःख है, इस बात को कोई दूसरा व्यक्ति कहता तो समझ में आ सकता था, लेकिन डिप्टी मिनिस्टर, होम कह रहे हैं कि जो अखबार की कटिंग है वह सदन की मेज पर रख दी जाय। मैं समझता हूं कि उनको कहने से पहले दो बार सोचना चाहिए था। यही बात आज के दो महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने इस सदन में कही थी और उसके ऊपर आपने कहा था कि मैं जानकारी करूंगा। उसके बाद आज कटिंग मांग रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सदन की महिला सदस्या का नया प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : यही प्रश्न था उस समय।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : सदन की महिला सदस्या के बारे में जो आपने प्रश्न उठाया......

**श्री भैरोंसिंह** : जो हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड के बारे में पहले बात गई थी वह ३-३-६५ को उठाई थी और आज अमृत बाजार पत्रिका......

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : आज अमृत बाजार पत्रिका का उल्लेख किया गया है तो अखबार में फर्क पड़ता है उसके बारे में मैंने कहा ।

**श्री भैरोंसिंह** : Have you got this information ? यह नहीं है आपको अभी तक ....

**श्रीमती सभानेत्री** : आप इसकी जांच करा लें ।

**श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा)** : सभापति महोदया, यह बहुत बड़ा गम्भीर आरोप है । यहां पर यह कहा जाय कि सदन की कोई सदस्या है तो यह बहुत बड़ी चीज हो जाती है और यह भी कम खेद की बात नहीं है कि राजस्थान के अन्दर ऐसी कोई महिला कार्य करती है । इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय सदस्य श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ने कुछ दिन पहले यह बात इस सदन में रखी थी । जो कुछ दिन पहले की प्रोसीडिंग्ज हैं उनमें यह बात होगी । यह चर्चा दो दफा सदन में उठी है और यह राजस्थान की महिलाओं के लिए कलंक की बात है । इसकी पूरी जांच कर लेनी चाहिए । सरकार के इंटेलीजेन्स विभाग के लिये शर्म की बात है कि दो माह से पत्रों में एक गम्भीर आरोप की चर्चा चलती रहे और इन्हें कुछ भी मालूम नहीं ।

हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड में जो समाचार छपा था उसके बारे में उस दिन ज्वालाप्रसादजी ने कहा था । हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड में इस तरह का समाचार छपा था उसके बाद में आज अमृत बाजार पत्रिका का जिक्र आया । मैं आपके द्वारा, सभापति महोदया, उप-मंत्री, होम डिपार्टमेंट से विशेष तौर से निवेदन करूंगी कि वह सारा काम एक तरफ रख कर सबसे पहले इस बात की जांच करायें कि यह महिला कौन है ।

**श्रीमती सभानेत्री** : मैं चाहूंगी कि गृह विभाग इसकी जल्दी जांच करे ।

**श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर)** : सभापति महोदया, मैं यह नहीं चाहूंगा । मैं यह चाहूंगा कि आज तक जो जांच की है उसके परिणाम क्या निकले हैं वह इस सदन को बतलायें और सदन को कॉन्फीडेंस में लें । ऐसे गम्भीर मामले में जिस प्रकार आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश करते हैं और सदन के सामने तथ्य रखते नहीं है. मैं ऐसा समझता हूं कि आपके लिए शोभा की बात नहीं है और माननीय सदस्यों के लिए भी शोभा की बात नहीं है कि सदन की एक माननीय सदस्या के ऊपर इस तरह का आरोप लगे ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह)** : सभापति महोदया, जो राजस्थान की एक महिला का प्रश्न उठा था उसके

# Page No 71



(श्री निरंजननाथआचार्य)

बारे में क्लेरीफिकेशन एक बार, दो बार यहां पर मुख्य मंत्री जी ने किया है...

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल नहीं किया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : राजस्थान की महिला के सम्बन्ध में क्लेरीफिकेशन किया है।

श्री भैरोंसिंह : किसी महिला के सम्बन्ध में क्लेरीफिकेशन नहीं किया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप समझते नहीं हैं तो...

श्री भैरोंसिंह : यह उस महिला का प्रश्न है नहीं। सभापति महोदया, यह उपमंत्रीजी की आदत है कि वह हर मामले को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो दूसरी महिला के लिए यहां पर संकेत किया गया है कि वह माननीय सदस्या इस सदन की हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इसकी जल्दी से जल्दी जानकारी करेंगे, जैसा माननीय सदस्या ने कहा है वैसे सब काम छोड़ कर मैं इसे जल्दी से जल्दी करा दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक जानकारी करना चाहता हूं कि क्या आपकी नोलेज में इस प्रकार का आरोप आज ही पहली बार आया है क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरी नोलेज में आज ही आया है।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार का आरोप ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : हां, इस प्रकार का आरोप जिस प्रकार सदन के एक माननीय सदस्य ने कहा है कि वह महिला इस हाउस की माननीय सदस्या है। इस प्रकार की पहली मर्त्तबा जानकारी हुई है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या यह पहली बार आपकी जानकारी में आया है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मेरी व्यक्तिगत जानकारी में नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : राजस्थान सरकार की जानकारी में ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : राजस्थान सरकार और उसके ऑफिस और इन्टेलीजेन्स का सम्बन्ध है, उसको जानकारी है या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला : एक महिला, राजस्थान विधान सभा की कोई महिला इस प्रकार का कार्य कर रही हैं-यह आपकी जानकारी में आज से पहले आया या नहीं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं कोई जानकारी का एन्साइक्लोपीडिया हूं ? नहीं है जानकारी मुझे। यह कहा मैंने कि मैं संतोष दे सकता हूं...

# Page No 72



**श्री भैरोंसिंह** : कोई संतोष नहीं है इस सदन को ।

**श्री निरन्जननाथ आचार्य** : सभापति महोदया, they cannot take me by su prise.

**श्री भैरोंसिंह** : आप, जो आदमी कन्ट्री के साथ सेबोटेज करता है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ।

**श्री निरन्जनाथ आचार्य** : कोई प्रोटेक्शन देने का सवाल नहीं है । जो ग्रोनरेबल मेम्बर ने सवाल उठाया है उसको मैं इन्वेस्टीगेट कराऊंगा । लेकिन अभी जानकारी है या नहीं, यह बात....

**श्री भैरोंसिंह** माननीय सदस्य कह रहे हैं....

**श्री निरन्जननाथ आचार्य** : मैं इस सम्बन्ध में कटिंग वगैरह देखूंगा । यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है । आप जिस ढंग से पूछना चाहते हैं कि इसकी जानकारी मुझे है या नहीं । आप मुझे सर्प्राइज़ में नहीं ले सकते हैं कि क्या जानकारी है या क्या जानकारी नहीं है, यह नहीं हो सकता ।

**श्रीमती नगेन्द्रबाला** : सभापति महोदया....

**श्री रामानन्द अग्रवाल ( अलवर )** : क्योंकि....

**श्रीमती नगेन्द्रबाला** : सभापति महोदया, मैं बोल रही हूं, मेरी बात सुनिये । आप यह नहीं कह सकते कि आपकी जानकारी में नहीं है । उस दिन ज्वालाप्रसादजी ने कहा था तो आपने उस दिन पेपर वगैरह का नाम पूछा ! उन्होंने उस दिन वह बताया था । उसके बाद में भी आपको जानकारी नहीं हो यह बड़े शर्म की बात है । राजस्थान सरकार के इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेन्ट के लिए यह शर्म की बात है कि एक महीने, दो महीने में जानकारी न कर सके ।

**श्री निरन्जननाथ आचार्य** : मुझे अफसोस होता है, सभापति महोदया...

**श्री भैरोंसिंह** : सही आराप है । यह आपकी जानकारी में है ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : एक सदस्य के द्वारा कोई पोइन्ट यहां पर रख दिया जाय और क्यों मैं यहां बैठा हुआ हूं इसलिए मुझसे यह एक्सपेक्ट करें कि मेरी जानकारी में यह होना चाहिए और आपने कई बार कह दिया कि शर्म की बात है । मुझे यह समझ में नहीं आता कि क्या शर्म की बात है ।

**श्रीमती नगेन्द्रबाला** : जो यहां कहा जाता है उसकी जानकारी नहीं करते हैं तो यह शर्म की बात है । आपके लिए शर्म की बात है ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : इसमें क्या शर्म की बात है ? कौनसी शर्म की बात है ।

**श्रीमती नगेन्द्रबाला** : आपके इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं यह पूछना चाहता हूं...

श्रीमती नगेन्द्रबाला : जब हमारा नाम आता है तो हमारी यह जिम्मेदारी हो जाती है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : जो बातें सदन के सामने रखी जाती हैं उनकी ओर आप ध्यान देते नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया,....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : आपको चुल्ली भर पानी में डूब मरना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक महिला आपको ललकार रही है और आपको शर्म नहीं आती है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : यह कांग्रेस की महिला सदस्या हैं, ये यह कहती हैं तो आपके लिए शर्म की बात है

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इसमें शर्म की बात बिल्कुल नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके लिए डूब मरने के सिवाय और कोई चारा नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज !

श्री निरन्जननाथ आचार्य : लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट–सब कम्युनिस्टों को मुझे देखना पड़ेगा !

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, मैं माननीय उप–मन्त्रीजी से कहूंगा कि सदन में बजाय एजीटेटेड होने के यह तथ्य कम से कम बतायें कि यह तथ्य सदन में जब लाया जाय कि राजस्थान की कोई महिला हैं जो इस प्रकार का कार्य करती हैं तो आपने उस सम्बन्ध में क्या जानकारी की और जानकारी करने के बाद कौन से नतीजे पर पहुंचे; आप कम से कम इस सदन के अन्दर इतना तो बतायें। आज अगर उनके नोटिस में यह बात आई है कि वह महिला इस सदन की एक सदस्या है तो कम से कम दूसरा जो तथ्य था वह तो आपके नोटिस में था। उस सम्बन्ध में क्या आपने कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की ? मैं समझता हूं कि आपने अगर जानकारी करने की कोशिश की होती तो....

श्री निरन्जनाथ आचार्य : आप तक यह मामला कहीं बढ़ नहीं जाय। जैसा मैंने इस सम्बन्ध में निवेदन किया, इस सम्बन्ध में इस स्टेज पर मैं अधिक कहने की स्थिति में नहीं हूं और न कहूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह कह सकते हैं कि इसकी जांच करेंगे ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या कहा ?

श्री निरन्जनाथ आचार्य : इस स्टेज पर कुछ कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री मुरलीधर व्यास : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, इस सदन के एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि वह महिला इस विधान सभा की सदस्या हैं तो...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सभापति महोदया,...

श्री मुरलीधर व्यास : तो उसका नाम बताया जाय क्योंकि यह सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है । मैं कहना चाहता हूं कि...

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ऐसी कोई महिला नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह मामला चीन और हिन्दुस्तान का है और यह...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर...

श्री मुरलीधर व्यास : सारी बात पार्लियामेंट और दूसरी राज्य सरकारों और हिन्दुस्तान के सामने आयेगी कि राजस्थान की असेम्बली में एक माननीय सदस्या के लिए ऐसा कहा है और इसकी रिपोर्ट छपेगी, अखबारों में भी यह चीज आयेगी, इसलिए जिन माननीय सदस्य ने यह बात कही है. उनसे कहना चाहता हूं और सभापति महोदया, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसी वक्त उस महिला सदस्या का नाम बताया जाय और अगर नाम आपके पास नहीं है तो इस कार्यवाही को रद्द किया जाय ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर !

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य से नाम पूछने की और नाम बताने की आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता इसलिए नहीं कि पेपर में एक रेफरेन्स आया और उसको राज्य सरकार की जानकारी के लिए रेफर किया है । अब जिम्मेदारी आती है राजस्थान की सरकार की कि उस खबर के बारे में जानकारी करके हाउस को जानकारी दे और अगर सही नहीं है तो पत्रों में कॉन्ट्राडिक्शन निकलवायें कि राजस्थान को विधान सभा की महिला सदस्या के बारे में जो समाचार छपा है वह गलत है । मैं समझता हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया कि जानकारी दी लेकिन गवर्नमेंट का दोष है कि उप–मन्त्री यहां खड़े होकर कहें कि इसकी जानकारी नहीं मिली । जब कि उनके पास इस बात की जानकारी है और जांच करवाई जा रही है लेकिन फिर भी हाउस को बताने के लिए तैयार नहीं हैं ।

एक माननीय सदस्य : इन्कार कर रहे हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरी अर्ज यह है कि सदन में मैंने एक अखबार में से एक समाचार पढ़ा था और समाचार सदन के सामने रखा था । मैं सही स्थिति बतलाता हूं कि मुझसे अखबार की कटिंग भी ली और

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

तारीख भी ली थी उप मन्त्री जी ने । लेकिन उस अखबार में यह नहीं लिखा था कि सदन की सदस्या हैं । यह उसमें नहीं लिखा था। उस अखबार में सिर्फ यह लिखा था कि राजस्थान की एक महिला । यह अखबार कलकत्ता का था । उसमें लिखा था कि राजस्थान की कोई महिला है जो दिल्ली में चाइना की एम्बेसी में देखी जाती हैं ।

**श्रीमती नगेन्द्रबाला** : ये कौनसे अखबार की बात करते हैं ?

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : यह 'हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड' है । उसकी कटिंग और तारीख देने को कहा था । वह देने के बाद में कहा था कि जांच हो रही है । इस सदन की सदस्या हैं यह उसमें नहीं था ।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** (कोटपुतली) : अभी तो कहा है ।

**श्रीमती नगेन्द्रबाला** : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर....

(शोरगुल)

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : सदन की मेज पर वह रखा जाना चाहिये ।

**श्रीमती नगेन्द्रबाला** : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर,....

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : अभी तो कहा है । आप लोग झूंठ बोल रहे हो ।

**श्रीमती नगेन्द्रबाला** : मुक्तिलालजी आप बैठ जाइये ।

सभापति महोदया, मेरा पॉइन्ट ऑफ ओर्डर यह है कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि अखबारों में यह निकला है कि राजस्थान की कोई महिला है, न किसी सदस्या का नाम है और न उल्लेख है, मैं निवेदन करना चाहूंगी चेयर से कि अभी जो माननीय सदस्य ने ऐसा कहा है, या तो उन्होंने अपनी जानकारी में कहा है या उन्होंने यह संवाद देख कर उन्हें स्वाभाविक जो दुःख हुआ और इस कारण आवेश में आकर उन्होंने यह कह दिया हो तो इस प्रकार की चीज को आप एक्सपन्ज कर दें ।

**श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़) : जो प्रश्न यहां उठाया गया है वह बहुत साफ है । माननीय सदस्या का उसमें उल्लेख नहीं है । विरोधी पक्ष के लोगों ने इसको मिस-इन्टरप्रेट करने की कोशिश की । इसलिए हम यह केटेगोरिकली डिनाइ करते हैं कि ट्रेजरी बेन्चेज में कोई माननीय सदस्या नहीं हैं जो इस तरह की हरकत करती हों और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात कहने से पहले पत्र को सदन की मेज पर रख दें ।

**श्री भैरोंसिंह** : माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आपकी तरफ से माननीय आचार्यजी से सफाई करा दें ।

(शोरगुल-व्यवधान)

**श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़) : आप जिसका रेफरेन्स देते हो उस पेपर को सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : सभापति महोदया, इस सदन में अभी माननीय सदस्य गोकुलप्रसादजी ने 'अमृत बाज़ार पत्रिका' का उल्लेख किया है और....

( शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य )

(कुछ माननीय सदस्यों का एक साथ बोलना )

**श्री फूलचन्द जैन** : उन्होंने जो कुछ कहा है उसी सन्दर्भ में कहा है।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** ( सांचोर ) : सभापति महोदया...

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : मैं कहता हूं...

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : इन्होंने इस बात को ऐसर्ट किया है कि मेरे पास मौजूद है।

(शोरगुल-व्यवधान )

**श्रीमती सभानेत्री** : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज !

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : नहीं तो, पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज उठाया जायगा।

इस सदन में माननीय सदस्य ने यह एसर्ट किया है कि मैं उस कटिंग को सदन की मेज पर रखूंगा और उन्होंने यह भी कहा है कि उस 'अमृत बाजार पत्रिका' में यह लिखा हुआ है कि इस सदन की सदस्या है। या तो माननीय सदस्य उस कटिंग को रखें या कहें कि गलती से मैं यह कह गया था और उसमें वह नहीं है।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : सभापति महोदया, जहां तक 'हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड' ३-१-६५ और २.२.६५ की 'अमृत बाजार पत्रिका' के संवाद का प्रश्न है, मैंने यह कहा था कि अखबार में लिखा हुआ है और अखबार की बात है। मैंने यह नहीं कहा कि मेरे पास कम्प्लीट कागज पुलिस के भरे पड़े हैं। अब यह तो सरकार का काम है उसको देखने का और जैसा माननीया नगेन्द्रबाला जी ने कहा है कि उसको हटा दिया जाय, मुझे एतराज नहीं है आप उसको हटा दें। लेकिन यह देखने का तो गृह विभाग का काम है कि ऐसी महिला हमारे यहां कौन है? चाहे राजस्थान में कहीं रहती हो, कोई काम करती हो और इतनी गम्भीर बातें बंगाल का कोई अखबार तय करे, या तो कह दीजिये कि यह गलत है या जांच करा लें और सही है तो सही कार्यवाही करिये। दोनों में से कुछ न कुछ हमें करना पड़ेगा।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : सदन की सदस्या कहा है।

**विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर)** : माननीय सदस्य से कहा जाय कि 'अमृत बाजार पत्रिका' का जो कटिंग है वह ही पढ़ दें।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : मैंने अर्ज किया कि 'अमृत बाजार पत्रिका' के २.२.६५ के अंक में निकला है।

**श्री भैरोंसिंह** : आप इस प्रकार के नेशनल इश्यूज को लाइटली कैसे लेते हैं ?

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान सार्वजनिक सम्पर्क विभाग के इन्चार्ज मिनिस्टर आप हैं या वे हैं ? आप बतायें कि इस प्रकार की न्यूज़ अखबारों में आयी या नहीं? आप दूसरे मेम्बर को चार्ज करते हैं। आपने क्या इस पर एक्शन लिया है ? आप बताइये। इतने बड़े नेशनल इश्यू पर आपका जो यह एटीट्यूड है वह अच्छा नहीं है। एक मंत्री को जानकारी न हो जो इस विभाग का स्वयम् इन्चार्ज है और दूसरों को कहते हैं कि आप पढ़ कर सुना दो।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : माननीय सदस्या की उपस्थित होना सही नहीं है। पेपर हों तो बतायें।

**श्री भैरोंसिंह** : कोई इसमें झगड़ा नहीं है कि माननीय सदस्या इस हाउस की हो या बाहर की हो, लेकिन झगड़ा यह है कि कौन है ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : माननीय सदस्य ने केटेगोरिकली यह कहा है कि इस सदन की सदस्या है।

**श्री फूलचन्द जैन** : यह नहीं कहा है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : प्रोसीडिंग्ज मौजूद है। ठीक है इस बात को मंत्री महोदय केटेगोरिकली डिनाई करें।

**श्री मथुरादास माथुर** : जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, जो अखबारों की तारीख दी है, एक घंटे के अन्दर में इस बारे में जानकारी करके केटेगोरिकल स्टेटमेन्ट दे दूंगा इस सदन में।

**श्री भैरोंसिंह** : यह भी निवेदन करूंगा कि एक घंटे के अन्दर किसी अखबार की कटिंग पेश करना चाहते हैं तो साथ साथ अपने पड़ोस में बैठे उप-मंत्री महोदय से भी आप जानकारी कर लें, वे जानकारी करके आये हैं इस न्यूज़ पर और उन्होंने क्या एक्शन लिया है या दाब कर वे बैठ गये हैं उसको या उस पर सो गये हैं, यह राजस्थान का ही इन्ट्रेस्ट नहीं है केवल किन्तु सारे हिन्दुस्तान का इन्ट्रेस्ट है और एक नेशनल इन्ट्रेस्ट है इसको आप बहुत ही सीरियसली लेकर फिर यहां पर केटेगोरिकल स्टेटमेन्ट दें।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : नेशनल इन्ट्रेस्ट है या नहीं, यह मेरे डिपार्टमेंन्ट का प्रश्न है और यह मेरे देखने का प्रश्न है कि मैं उसको दबा रहा हूं या करूंगा। जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि इस सर्माइज का रेकरेन्स पहले बता दिया।

(शोरगुल-व्यवधान)

कॉन्टेन्ट्स का पता नहीं। एक एक पहलू पर कॉन्ट्राडिक्शन है। आप कहते हैं एक घंटे में दे दें। वह हाउस में आना उचित है या नहीं, ये सारे प्रश्न मेरे देखने के हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : सदन की सदस्या है, कांग्रेस की महिला है....

(शोरगुल-व्यवधान)

**श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़) : हम इस बात को चेलेन्ज करते हैं।

**श्री निरंजननाथ आचार्य :** वे रीड करेंगे। I will not say a single word.

**श्री भैरोंसिंह :** आपके कहने से मान जाऊंगा कि आचार्यजी यह कह दें कि वह कांग्रेस की सदस्या नहीं है।

**श्रीमती सभानेत्री :** Let the Hon' ble Minis ter reply.

**श्री निरंजननाथ आचार्य :** महिला यहां की सदस्या है, यह विवाद-ग्रस्त है।

**श्री भैरोंसिंह :** आप यह कह दीजिये कि विवाद-ग्रस्त महिला कांग्रेस की नहीं है ?

**श्रीमती सभानेत्री :** माननीय सदस्य जो कि बोलने वाले हैं खुद कह रहे हैं कि सदस्या का नाम पत्र में नहीं है....

**श्री भैरोंसिंह :** उस चीज को आपने दबाया या नहीं ? उस चीज के लिए कौन जिम्मेदार है, हम यह जानना चाहते हैं ?

**श्रीमती सभानेत्री :** माननीय सदस्य से निवेदन करूंगी कि माननीय सदस्य के पास कटिंग हो, उसको टेबल पर रख दीजिये और होम मिनिस्टर से भी निवेदन करूंगी कि यह बड़ा गम्भीर मामला है, उस पर जांच की जाय।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा :** मैं अर्ज यह कर रहा था उस बिल को लेकर, यहां माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उस चित्र को दिखाया जाय। उस में हिन्दुस्तान के सिपाहियों की करुण दशा है, उसके घर के सारे परिवार के करुण दृश्य दिखाये गये हैं, हिन्दुस्तान के बच्चों की हालत जिसमें खराब बतायी गयी है, उसको यदि बताया जाय तो, आने वाले स्कूल के बच्चे समझेंगे कि लड़ाई में कैसी हालत होती; है हिन्दुस्तान के सिपाही कैसे भागे हुए आये। यह सारा दिखाने के लिए एक षडयन्त्र है। इसमें माननीय सदस्य भी वाहवाही करने लगें कि बहुत अच्छा। उनके लिए बहुत अच्छा क्योंकि वे जो चीन का साथ दे रहे हैं और हिन्दुस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इन कम्युनिस्टों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हिन्दुस्तान के साथ गद्दारी है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** आप गद्दारी कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। मेरी पार्टी की नीति बिलकुल स्पष्ट है। गद्दारी तो आपको करते करते वर्ष हो गये। सरे आम पार्टी के साथ गद्दारी करते हो, देश के साथ गद्दारी करते हो। आप गलत कह रहे हो···

**कुछ माननीय सदस्य :** सही कह रहे हैं।

**श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) :** देश के गद्दार।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** अरे यार ! तू तो सुखाड़िया का चमचा है···

(श्री गिरधारीलाल व्यास के बीच में बोलने के लिए खड़े होने पर)

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) :** सुखाड़ियाजी के चमचे बार बार उछल-कूद मचा रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप रामानन्दजी के चमचे बने हुए हो।

(शोरगुल एवं व्यवधान के कारण अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रामानन्दजी मुख्य मंत्री है क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : टूटे हुए चमचे हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रामानन्दजी के पास पतीली ही नहीं तो चमच कहां से आयगा? तिलकायतजी के मेवे खा खाकर मोटे होते जा रहे हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यात्री कर के बारे में जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया...

श्री निरंजननाथ आचार्य : आज कोई डिबेट सुनने के लिए आया मालूम होता है ?

(शोरगुल एवं व्यवधान के कारण अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भरमार है, नहीं आया है।

(शोरगुल एवं व्यवधान के कारण अश्रव्य)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैंने बस का नम्बर बताया है जो नाबालिग लड़के के नाम से चल रही है। यात्रीकर नहीं देते हैं, आप उनको छिपाकर क्यों बैठे हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह कौन सा सदस्य है? नाम बता दे आप।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बस का नम्बर बता दिया है जो नाबालिग लड़के के नाम में है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, सभापति महोदया, अभी माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि किसी सदस्य ने नाबालिग लड़के के नाम से बस का परमिट ले रखा है। उस सदस्य का नाम नहीं बताया, इससे सदन में यह संदेह होता है कि वह कौन सदस्य है; अतः आप माननीय सदस्य को कहें कि वे या तो नाम बतायें, अन्यथा अपने कहे हुए शब्द वापिस लें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपको क्यों दर्द हो रहा है ? मैंने बस का नम्बर बतला दिया है, आप देख लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : या तो माननीय सदस्य उस सदस्य का नाम बतावें अन्यथा उनके शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इनका ही जैसे हुक्म हो, निकाल दिया जाय ! मैं रजिस्ट्रेशन का नम्बर देता हूं। मियांजी को क्यों गरमी आ गई ? आप बैठ जाइये, सेठ साहब। कम्युनिस्ट का भेष बना कर यह जो खाल ओढ़ रखी है उसको छोड़ो, सेठ साहब....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब पुजारियों का वक्त चला गया है।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : सेठ साहब से कहूंगा जो खाल ओढ़ी हुई है उसको उतार फेंको।

(शोरगुल एवं व्यवधान के कारण अश्रव्य)

**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय सदस्य व्यक्तिगत आक्षेप न लगायें।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : सभापति महोदया, इनका हुक्म नहीं चलने वाला है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद)** : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है मेरा। सभापति महोदया, माननीय रामानन्दजी जो अपनी निर्धारित सीट को छोड़ कर यहां आकर बैठ गये हैं, वे माननीयस दस्य बोल रहे हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनको अपनी सीट पर जाने की इजाजत दीजिये।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

**श्रीमती सभानेत्री** : मंत्रीजी अब उत्तर दें, ढाई बजे का समय इनके लिए था। आप गोकुलप्रसादजी दो मिनट में समाप्त कर दें।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : यह जो करारोपण बिल आया है उसके सम्बन्ध में...

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मेरे पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर कोई व्यवस्था नहीं दी गई। माननीय सदस्य ने एक माननीय सदस्य पर बाकायदा आरोप लगाया है उसका नाम बताया जाय। पहले भी उन्होंने महिला सदस्या पर आरोप लगाया था। इस तरह गलत तरीके से इस सदन के सदस्यों पर आरोप लगाये जाते हैं। सभापति महोदया, मैं आप से इस बारे में व्यवस्था चाहता हूं कि या तो माननीय सदस्य उन सदस्य का नाम लें जिनके नाम पर बस है या अपने आरोपों को वापिस लें।

**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय सदस्यों से बारबार कहा जाता है कि अगर किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगायें तो उनका नाम बताया जाय। अगर नाम नहीं बता रहे हैं तो आप परम्परा का निर्वाह नहीं कर रहे हैं।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : सभापति महोदया, जहां मैंने गाड़ी का नम्बर बताया है और जिस नाम पर रजिस्टर्ड है वह नाबालिग लड़का है।

मुझे आप बाध्य कर रहे हैं कि मैं सदस्य का नाम बताऊं। नाम बता कर क्या मैं सदस्य से लड़ूं? मैंने नम्बर बता दिया जिसके नाम पर है, नाबालिग लड़के के नाम पर है। आर. जे. एल. ६६४६ है।

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

**श्रीमती सभानेत्री** : आप जल्दी से वाइन्ड-अप कर दें।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : आप तो जो व्यक्ति सदन में आकर अपने लिए कहे हुए का जवाब नहीं दे सकते ऐसे सरकारी अधिकारियों पर आप आरोप लगाते हैं।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

मैंने जब इतना कह दिया कि नाबालिग लड़के के नाम पर है, नाम नहीं बताता तो आप मुझे बाध्य कर रहे हैं; मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट उसका पता लगा कर कार्यवाही करे। आप तो सरकारी अधिकारी पर, जिसको अपने आरोप में जवाब में यहां कुछ कहने का अधिकार नहीं और हम कुछ कहते हैं तो आप पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाते हैं। हमारे इधर जो बैठे हैं वे ऐसा नहीं करने वाले हैं, वे तो उधर के ही सदस्य हैं जो ऐसा करते हैं, नाबालिग लड़के के नाम से बस चलाते हैं।

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : माननीय सदस्य बारबार इस आरोप को दोहरा रहे हैं। महिला सदस्या के बारे में भी आरोप लगाया, चूंकि महिला सदस्या केवल कांग्रेस की ही हैं इसलिये यह तो कांग्रेस पार्टी पर आरोप है।

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : गलत परमिट आपकी तरफ के लोग ही लेते हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : परमिट कांग्रेस वालों ने ही दे रखे हैं।

**श्री सभानेत्री** : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

(अश्रव्य-व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : आप लोग रिश्वतें ले लेकर लोगों को परमिट दिलाते हैं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : आप रिश्वतें ले लेकर इतने मोटे हो रहे हो; अपना ४७ का फोटो देखो। ४७ के बाद आपका तीन मन वजन बढ़ गया है।

(शोरगुल-व्यवधान)

**श्रीमती सभानेत्री** : आप जिम्मेवार सदस्य हैं। इस तरह से पेश आ रहे हैं ! माननीय मंत्री इसका उत्तर दें।

**श्री परसराम मदेरणा** (उपमंत्री, वित्त) : सभापति महोदया,....

(शोरगुल)

**श्रीमती सभानेत्री** : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !!

**श्री परसराम मदेरणा** : इस विधेयक पर दो दिन से सदन में बहस चल रही है। बहस में माननीय सदस्यों ने....

(शोरगुल)

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : यह कुनम-कुला कहां से आ गया, सभापति महोदया,....

**श्री परसराम मदेरणा** : सदन की बहस में बहुत से माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया।

इस बिल के जरिये सरकार राजस्थान के तीन-चार टैक्सेशन एक्टों में संशोधन करने जा रही है। लेकिन ज्यादातर माननीय

(श्री परसराम मदेरणा)

सदस्यों ने अपने भाषण सेल्स टैक्स एक्ट के संशोधनों तक और वह भी १४ धाराओं तक के संशोधनों तक ही सीमित रखे और इसमें भी खास तौर से माननीय सदस्यों ने इस संशोधन बिल की छः धाराओं पर काफी ऐतराज व्यक्त किया। इसका मतलब यह है कि सेल्स टैक्स एक्ट के अन्दर जो १४ धाराओं में हम अमेन्डमेंट करने जा रहे हैं उसमें आठ धाराओं में संशोधन करने का तो वे अनुमोदन करते हैं सरकार ऐसा मान कर चले तो ठीक होगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): Not necessarily. They are consiquential.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): कुछ तो मान लो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन में कल से मुतवातिर यह मांग करने पर कि इस बहस के दौरान वित्त मंत्री को सदन में उपस्थित रहना चाहिये और आपकी भी आज्ञा हुई कि माननीय वित्त मंत्री जी को बुला लिया जावे और सदन की बात वे ध्यानपूर्वक सुनें, वे सदन से अनुपस्थित हैं। यहां पर कानूनी सहारा लेकर सम्माननीय डिप्टी मिनिस्टर जवाब भी दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी आज्ञा का पालन होना चाहिये। उनका यहां पर रहना जरूरी है उनको बुला लिया जावे सदन में और अगर यहां बैठना वे पसन्द नहीं करते तो यह सही नहीं लगता।

श्रीमती सभानेत्री: (श्री परसराम से) आप उत्तर प्रारम्भ रखें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आपने कल कहा था। मैं समझता हूं कि आपकी व्यवस्था होने के बाद उनका यहां सदन में रहना जरूरी है।

श्रीमती सभानेत्री: उनको मैसेज भेज दिया जावे तो बेहतर है। वैसे सब की जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है।

श्री परसराम मदेरणा: इस पर्टीकूलर मुद्दे पर क्लेरिफाई कर दूं तो सहूलियत होगी। पर जो बात सरसरी तौर पर कही और फिर हर बात पर खड़े होकर ऑब्जेक्शन करना आप पसन्द करेंगे तो आपका विद्वत्तापूर्ण भाषण जो कल हुआ उसका उत्तर देने में असमर्थ रहूंगा।

जिन धाराओं पर माननीय सदस्य ने रोष प्रकट नहीं किया उससे उनको ऐतराज नहीं है अमेन्डमेंट करने में।

यहां पर यह भी कहा गया मावली से आने वाले माननीय सदस्य के द्वारा कि यह जो अमेन्डेड बिल आया है, यह काला कानून है। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने इसे रौलेट एक्ट की संज्ञा दी और इसके साथ साथ कोलायत से आनेवाले माननीय सदस्य ने और बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस बिल के जरिये हम जुडीशियरी का दरवाजा हमेशा के लिए उन व्यापारियों और असेसियों के लिए क्लोज करने जा रहे हैं और यह भी कहा कि यह बिल सिर्फ व्यापारियों

(श्री परसराम मदेरणा)

पर ही हमला नहीं कर रहा है लेकिन राजस्थान की जुडिशियरी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अधिकारों पर भी हमला कर रहा है। इस प्रकार के विचार व्यक्त करके उन्होंने चार-पांच मुद्दों पर खास तौर से विश्लेषण किया।

सबसे पहले, जो सबसे अधिक डिस्प्यूटेड क्लॉज है, जिस पर हर माननीय सदस्य ने एक जोरदार शब्दों में तकरीर की है वह बिजनेस की डेफीनिशन का क्लॉज है और उसके ही सम्बन्ध में मैं सबसे पूर्व निवेदन करना चाहूंगा। कॉन्स्टीट्यूशन की शिड्यूल की एन्ट्री में सेल्स और पर्चेज पर टैक्स लगाने का प्रावधान है और इसी एन्ट्री के मुताबिक राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट एडमिनिस्टर हो रहा है। इसके साथ साथ हमने डीलर की डेफीनिशन राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट में दी है, सैक्शन २ के सब सैक्शन 'एफ' में :

"A dealer means any person who carries on business by sale or distributing goods......"

और इसका मतलब यह है कि जो खरीदता है और बेचता है वह डीलर की परिभाषा में आता है। यह हमने इसमें प्रावधान किया है और जिस समय यह परिभाषा की थी उस वक्त कतई हमारी यह मंशा नहीं थी कि वह बिजनेस जिससे प्रोफिट नहीं होता है वह इसकी कैटेगरी में नहीं आता है यह कभी भी सरकार का इन्टेन्शन नहीं था। अगर यह होता तो इसी सब क्लॉज का पार्ट (२) है। उसमें यह लिखा है कि "The Society includes a co-operative society, club, firm, or association, which buys goods or sells, supplies or distributes goods to its members."

कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जो अपने मेम्बरों को सामान बेचती है वह भले ही प्रोफिट या अर्निंग के रूप से नहीं बेचती हो लेकिन अपने सदस्यों को सहूलियत देने के इरादे से तो काम करती है, बेचती है–खरीदती है तो इसकी डेफीनेशन में इस बात का भी प्रावधान किया है कि वह भी इस टैक्स से चार्जेबल होगी। इस तरह के प्रावधान रखते समय हमारा इन्टेन्शन क्लीयर था कि हम बिजनेस उसको मानते हैं जिसमें खरीद-बिक्री होती है भले ही फिर उसमें प्रोफिट हो या नुकसान हो या कुछ भी नहीं हो। इस बारे में जिन हाई कोर्ट के निर्णय के उद्धरण माननीय मावली से आने वाले सदस्य ने यहां दिये, मैं उनके विश्लेषण में नहीं जाऊंगा। उन सब पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो चुका है और इसलिये मेरे लिये यह आवश्यक हो गया है कि मैं उनका हवाला यहां दूं। एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का १९६३ में हुआ और दूसरा ६४ में। इन दोनों निर्णयों में सर्टेन डिफरेन्शियेशन है। उससे क्या स्थिति पैदा हो गई है और उससे हमें क्यों आवश्यकता पड़ी कि हम बिजनेस को डिफाइन करें, यह मैं निवेदन करूंगा। इससे पूर्व मैं निवेदन करूं कि ६३ के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रोड इन्टरप्रीटेशन बिजनेस शब्द का लिया है और यह इसलिये लिया था कि वहां पर उस समय टैक्स स्ट्रक्चर नहीं था। ६४ में जो निर्णय दिया उसमें उसने रेस्ट्रिक्टिव मीनिंग रखा

(श्री परसराम मदेरणा)

है और यह इसलिये रखा कि उसमें सेल्स-टैक्स एक्ट डिस्प्यूट में आ गया था और उसी के द्वारा यह मुद्दा खड़ा हुआ था।

अब मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो कि १९६३ का है यूनियन ऑफ इन्डिया वर्सेज श्री लादूराम जैन, ए०आई० आर० ६३, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट १९८१; सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया, मैं यह १९६३ की बिजनैस की डेफीनिशन की बात करता हूं।

"Profit element is not a necessary ingredient of carrying on business, though usually business is carried on for profit. It is to be presumed that the railways are run on a profit motive, though it may be that occasionally they are run at a loss."

और उस वक्त जो थी। सिविल प्रासीजर कोड का एक मुद्दा उनके सामने था और उसके सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया, इससे यह मालूम होता है कि किसी भी बिजनेस के करने में या कारोबार के करने में प्रोफिट इन्ग्रीडियेन्ट जरूरी नहीं है। लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दूसरा केस आया और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने १९६४ में जजमेंट दिया। वह केस है स्टेट ऑफ आन्ध्रप्रदेश . वर्सेज अब्दुलबख्शी एण्ड ब्रॉदर्स १९६४ एस० टी० सी० ६४५; जिसका हवाला आपने कल दिया था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया है :

"the expression' business' though extensively used is a word of indefinite import."

It is of an indefinite import.

"In taxing statutes it is used in the sense of an occupation, or profession which occupies the time, attention and labour of a person, normally with thc object of making profit. To regard an activity as business there must be a course of dealings, either actually continued or contemplated to be continued with a protit motive, and not for sport or pleasure."

इससे वह स्थिति अराइज हुई कि बिजनेस जो वर्ड है वह इन्डेफीनिट का है और इसलिए इन्डेफीनिट इम्पोर्ट का होने की वजह से प्रोफिट हो या नहीं हो और नोर्मली प्रोफिट होना जरूरी है यह उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग लगाया।

तो चेयरमैन महोदया, मद्रास गवर्नमेंट ने अपने यहां के सेल्स टैक्स एक्ट के अन्दर इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद उन्होंने बिजनेस की डेफीनिशन में तरमीम किया, और सेल्स टैक्स एक्ट मद्रास की जो बिजनेस की डेफीनिशन है वही डेफीनिशन आज हमने इस बिल में रखा है। हम इस बिल के जरिये यह चीज इसमें रखना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो कि ६४ में हुआ यह स्थिति खड़ी हुई कि जो भी बिजनेस को इनिडेफीनेट इम्पोर्ट की डेफीनिशन दी जा रही है, इसको डिफाइन करने के अलावा

(श्री परसराम मदेरणा)

कोई चारा नहीं है और मद्रास ने इसको डिफाइन कर दिया और डिफाइन करने के बाद में वहां पर एक केस अभी जो फैसल हुआ है मद्रास हाई कोर्ट में, ६५ में, जो कि ६५ के एस० टी० सी० के पेज १८७ पर उसका जजमेंट है। इसमें सदर्न रेल्वे कोऑपरेटिव केन्टीन वर्सेज डिप्टी कमिश्नर त्रिचनापल्ली है और इस केस के अन्दर ऑनरेबल हाई कोर्ट मद्रास ने यह तय किया है कि बिज़नेस के लिए प्रोफिट मोटिव होना जरूरी नहीं है और बिज़नेस के लिए जब प्रोफिट मोटिव होना जरूरी नहीं है तो जो कुछ भी डेफीनिशन इसमें प्रोफिट मोटिव को जो एक्सक्लूड किया है, जो एक्सक्लूजन वर्ड आपने कल यूज़ किया था, लेजिस्लेचर कॉम्पीटेन्ट था और जब लेजिस्लेचर एम्पॉवर्ड है तो किसी तरह से इल्लीगल या अल्ट्रा–वायर्स नहीं है। यह फैसला ६५ में हुआ है और इसके ऊपर फैसला हो जाने के बाद में हमने भी यह उचित समझा कि हमें भी कुछ डिफाइन करना चाहिये, ताकि "इन्डेफीनिट इम्पोर्ट" का वर्ड न रहे और कोई अच्छी डेफीनिशन हो जाये। इसलिए हमने बिज़नेस की डेफीनिशन दी है।

मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों को इस बिज़नेस की डेफीनिशन के लिए कुछ शकायें हैं। वे शंकायें यह हैं कि बिज़नेस में प्रोफिट मोटिव इसमें जब इन्क्लूड नहीं है तो कोई भी ऐसी संस्थायें चाहे वे रिलीजियस हों, चेरीटेबल हों, स्कूल्स हों, मन्दिर हों, मस्जिद हों और चाहे कोई इस तरह की सोसाइटीज हों जैसे; रामकृष्ण सोसाइटी है और जिसका जिक्र नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे, यह सभी बिज़नेस की डेफीनिशन में आ जायेंगी और इनके ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है। लेकिन इनके ऊपर टैक्स लगाने का राज्य सरकार का कतई इरादा नहीं है और हमने डिफाइन किया है कि चेरीटेबल इन्स्टीट्यूशन के ऊपर बिज़नेस की केटेगरी में लेकर इन्डाइरेक्टली उनके ऊपर टैक्स लगाने का इरादा नहीं है। लेकिन माननीय सदस्यों को कुछ डाउट है और वे ऐसा मान कर चलते हैं कि जो बिज़नेस की डेफीनिशन है, इसके जरिये किसी प्रकार के इन्स्टीट्यूशन्स या सार्वजनिक संस्थाओं पर कुठाराघात होगा, उनकी आजादी को कर्ब किया जायेगा और रोजमर्रा की कार्यवाही को फैटल किया जायेगा, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ऐसा एक अमेन्डमेंट इस डेफीनिशन में प्रस्तुत करने जा रहा हूं और और उसमें जितनी भी रिलीजियस इन्स्टीट्यूशन्स और चेरीटेबल इन्स्टीट्यूशन्स हैं इनको इस डेफीनेशन में से एक्सक्लूड कर रहा हूं।

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली)** : very good.

**श्री परसराम मदेरणा** : अब दूसरा प्रश्न यहां पर जो उठाया गया है माननीय सदस्यों के द्वारा वह था...

**श्री सम्पतिलाल बोहरा** : फैक्टरी केन्टीन भी आ गयीं क्या ? जो रिलीजियस और चेरीटेबल इन्स्टीट्यूशन्स को एग्ज़ेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें फैक्टरी केन्टीन भी हैं क्या ?

**श्री परसराम मदेरणा :** इसके संबंध में जो इलाहाबाद का डिसीजन है वह बहुत क्लियर है और मैं यह भी कहना भूल गया कि यू० पी० ने बिज़नेस को डिफाइन किया है। बिहार के अन्दर बिजनेस को डिफाइन नहीं किया है लेकिन जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वहां पर स्वदेशी कॉटन मिल्स वर्सेज सेल्स टैक्स ऑफिसर स्पेशल इन्वेस्टीगेशन ब्रान्च, कानपुर वाला केस १९६४ एस० टी० सी० ५०५ में है इसमें हेल्ड किया है :—

" that in view of the definition of 'carrying on business', newly inserted in the U. P. Sales Tax Act, a company running a canteen for its workers on a non-profit basis under the provisions of the Factories Act carries on the business of selling goods at the canteen and is liable to sales tax under U. P. Sales Tax Act, 1948."

(३. म. प.)

इसका मतलब यह साफ है कि राज्य सरकार भी यह जानती है कि इस तरह के कैंटीन्स या होटेल्स जो चल रहे हैं वे एग्जेम्पटेड आज भी नहीं हैं और इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अन्नपूर्णा एक केन्टीन सेक्रेटेरियेट में है वह नो-प्रोफिट नो-लोस पर चलता है। उसका कोई प्रोफिट मोटिव नहीं है। एग्ज़ेम्पेशन के पॉवर्स हैं राज्य सरकार के पास में। राज्य सरकार ने यह सोच कर कि इसमें प्रोफिट नहीं भी होता है तो उसको एग्ज़ेम्प्ट किया जाना चाहिये। तो उसको एग्ज़ेम्प्ट किया है। इसलिए केन्टीन में से काट कर बतला रहा हूं। जहां तक चेरिटेबल इन्स्टीट्यूशन्स हैं और एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स का सवाल है और दूसरी इन्स्टीट्यूशन्स का सवाल है उसका राज्य सरकार का कतई इरादा नहीं था और राज्य सरकार के पास एग्ज़ेम्पशन के पॉवर्स हैं लेकिन माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाने के लिए और उनके दिमाग में डाउट नहीं रहे कि डिस्क्रीशनरी पॉवर्स जो राज्य सरकार के पास में एक्जेम्पशन के हैं और आपको यह भी डाउट न रहे कि ऐसे डिस्क्रीशनरी पॉवर्स का राज्य सरकार जुडीशियल यूज नहीं करेगी इसलिए उसको डेफीनिशन में से एक्सक्लूड करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और अभी मैं इसका एमेंडमेंट मूव करने जा रहा हूं।

सभापति महोदया, दूसरी बात यह कही गई कि रिवीज़नल ऑथोरिटी इस एक्ट के अन्दर जो है वह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है और इस बिल के जरिये हमने इस बात का प्रावधान रखा था कि जब कभी रिवीजन ऑथोरिटी के पास में रिवीज़न होगा तो वह रिवीजन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक ही सदस्य सुनकर उसका फैसला करेंगे, और यह हमने इसलिए किया था कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा १० के अन्तर्गत इस बात का प्रावधान है कि सिंगल मेम्बर कोई भी डिसीज़न लेता है तो पार्टीज़ को यह हक है कि वह एक अपील प्रिफर कर सकती है डबल बैन्च के अन्दर। और डबल बैन्च के अन्दर अपनी अपील प्रिफर करती है तो कुल मिलाकर नतीजा यह होता है कि केसेज प्रोलोंग्ड होते हैं। केसेज प्रोलोंग्ड होने में जो

(श्री परसराम मदेरणा)

टैक्सेज के जरिये रिकवरी होकर राज्य सरकार की आमदनी होनी चाहिए उसमें डिले होने की हर सम्भावना थी। वह इनऑर्डीनेट डिले नहीं हो इसलिए एक ऐसा प्रावधान रखा था, लेकिन कई माननीय सदस्यों की ऐसी मन्शा है और कल अपनी स्पीच के दौरान में उन्होंने एक शंका जाहिर की थी कि इस तरह से एक सिंगल बेंच में रख कर आप जो हैं रेवेन्यू बोर्ड के डिसीजन लेने की क्षमता में या उनके अन्दर विश्वास नहीं रखते हैं यानी सैकण्ड अपील करने के जो प्रावधान हैं उसमें एक से अधिक आदमी सुनेंगे उससे आज जो है कानून का इन्टरप्रिटेशन और जस्टिस की ज्यादा सम्भावना है। इन आधारों पर माननीय सदस्यों की ऐसी राय थी तो राज्य सरकार ने भी यह निर्णय लिया है कि जो रिवीजनल ऑथोरिटी की बैन्च कन्स्टीट्यूट हो वह एक के बजाय २ सदस्यों की कन्स्टीट्यूट होनी चाहिए, और इस प्रकार का एमेंडमेंट मैं अभी मूव करने जा रहा हूं।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सिलेसिले में टैक्स की वसूली के कई मुद्दे खड़े किये थे और जितने भी मुद्दे खड़े उन्होंने किये मुझे एक एक मुद्दे का ध्यान है। लेकिन खास तौर से उन्होंने इस सदन के अन्दर एक जुडीशियल एन्क्वायरी बिठाने की बात कही थी और जुडीशियल एन्क्वायरी की बात उन्होंने सांभर के एक एसेसमेंट के केस के सिलसिले में कही थी। उन्होंने यह कहा था कि इस तरह से एक आदमी जिसका एसेसमेंट किया गया ६१–६२, ६२–६३, ६३–६४ का और ६०–६१ का चार सालों को। वह हाईकोर्ट से स्टे लाया और हाई कोर्ट से स्टे लाने के बाद भी कार्यवाही रिकवरी की स्टे नहीं हुई और फिर वह व्यक्ति हाई कोर्ट में गया और वहां जाने के बाद उस व्यक्ति को उल्टी हुई, हाई कोर्ट के आस-पास, जैसा कि एक मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। वह मेमोरेण्डम मेरे पास भी है, और उन्होंने यह कहा कि उसकी मृत्यु टैक्स की रिकवरी के मामले में हैरेसमेंट से हुई है, उसके कारण से हुई है। और मैंने जैसा कि माननीय सदस्यों को कल डिबेट में इन्टर्वीन करते वक्त कहा था कि यह कोई कारण नहीं हो सकते हैं कि यह व्यक्ति सिर्फ टैक्स की रिकवरी निकाल दी गई थी या जो सिक्योरिटी लेने का स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया था और उसको एसेसमेंट ऑथोरिटी ने नहीं माना, इसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई। एक तरफ तो यह बात आती है दूसरी तरफ जो मेमोरेण्डम है उसमें यह लिखा है कि इनके बराबर क्लियर हार्ट और स्ट्रोंग विल का व्यक्ति, आयर्न विल का व्यक्ति नहीं है। मैं नहीं समझ सका कि जिसकी आयर्न होती है विल और हार्ट और विल को डाइसेक्ट करके अलग नहीं कर सकते। यह फ्रॉग नहीं कि अलग-अलग पार्ट उसके कर दें। आदमी की विल का सम्बन्ध हार्ट से होता है और हार्ट और विल को अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि, सभी जानते हैं, विल बहुत स्ट्रोंग हो और हार्ट कमजोर हो। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि जो यह व्यक्ति मरा है वह हार्ट का पेशेन्ट था। अभी प्रतापसिंह कैरों का मर्डर केस हुआ था तो रसोई के सरपंच की कैरों की हत्या के

(श्री परसराम मदेरणा)

बाद मृत्यु हो गई तो पंजाब विधान सभा में कई प्रकार के प्रश्न उठाये गये थे कि इस आदमी की किस हालत में मृत्यु हुई थी। उसके बाद में यह तय हुआ कि वह हार्ट का पेशेन्ट था। उनकी वहां पर मृत्यु हुई तो उसके घर वाले मौजूद थे और हार्ट का अटेक होने से मृत्यु हो गई। जिस तरह से आपने वर्णन किया कि उनके ऊपर अटेक होने के बाद अजमेर आते हैं और अजमेर में ठहरते हैं और अजमेर ठहरने के बाद सांभर जाते हैं और सांभर आने के बाद होली के लिए ठहरते हैं। वे स्ट्रोंग विल के थे इसमें लिखा है। उन्होंने कहा है कि होली के दिन तो नहीं मरूंगा और मृत्यु पर कब्जा रखूंगा, होली जाती है तो वे प्राणान्त कर देते है। इस तरह से मेमोरेण्डम में है और हार्ट का पेशेन्ट होने के बाद होली या दिवाली ले सके या नही ले सके यह माननीय सदस्य जानते हैं। माननीय सदस्य के रिश्तेदार काफी पैसे वाले लोग होंगे, लेकिन जिस आदमी की अचानक मृत्यु हो जाय और आप बात रखते हैं कि उनको मालूम न हो कि कहां पर धन गढ़ा हुआ है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आते हैं, वे कह रहे थे कि पैसा था, जमीन में गढ़ा हुआ था, वे बोल नहीं सके इसलिए बता नहीं सके। अब उस केस में उसके बाद में यह कहना कि इस प्रकार की यह बात है, वह कहां तक ठीक है ?

जिस वक्त कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मैंने कहा था कि जिन वजुहात, जिन मुद्दों और जिन कारणों से सिक्योरिटी एक्सेप्ट नहीं की तो उसके मामले में हाई कोर्ट की यह मन्शा रही है कि ऐसेसिंग ऑथोरिटी को जो फॉर्म दिया था और जिस फॉर्म के बेसिस पर सिक्योरिटी नहीं ली है तो यह ठीक किया है और क्योंकि गलत फॉर्म दिया है तो मैं जजमेंट पढ़ कर निवेदन करूंगा। नोटिस का मुद्दा उठाया तो मैंने कहा था कि पूछ कर इसका जबाब दूंगा; उसके लिए समय दें उसके बाद जवाब दूंगा। तो मैं हाई कोर्ट के जजमेंट के और केसेज के मेरिट्स पर नहीं जा रहा हूं। इसलिए जाना पसन्द नहीं करूंगा कि कोई मामला हाई कोर्ट के जुडीकेचर के सामने है और सबजुडिस केस के अन्दर मैं इसके एसेसमेंट के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सिक्योरिटी क्यों नहीं ली ? वहां पर इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट का जजमेंट २२-३-६५ को हुआ हैं। उनकी मृत्यु के ५ दिन बाद में हाई कोर्ट ने जजमेंट किया है, by Honble Chief Justice and Hon'ble justice Kansingh.

"Heared learned counsel for both the parties. The interim stay order passed by this court on 25-2-65 is hereby confirmed.

Learned counsel for the petitoner says that his client could not furnish the security to the satisfaction of respondent No. 2 within 15 days, because respondent No. 2 did not accept the security furnished by him and followed a policy of victimisation, since hisclient had approached this court.

(श्री परसराम मदेरणा)

Learned Govt. Advocate contends that this allegation is not correct. It is pointed out by him that the security bond executed by the petitioner was not in proper form and, therefore, it could not be accepted. Moreover the properties belonging to the surety were not fully disclosed. We have seen the security bond which the petitioner wanted to execute and we are of opinion that it was certainly not in proper form. Learned Govt. advocate would now supply to the petitioner the form in which the security bond is to be executed. The petitioner will furnish the security in the proper form within 15 days from today to the satisfaction of respondent No. 2. The petitioner would also ask the surety to disclose all the property of the surety to order to satisfy respondent No. 2 about his solvency."

**श्री मानिकचंद सुराणा** (कोलायत) : इसके आगे भी कुछ कहा होगा, चार लाइन्स और हैं उनको भी पढ़ दें ।

**श्री परसराम मदेरणा** : मैं सब पढ़ दूंगा । इसके आगे चार लाइनें ये हैं :

"It is expected that respondent No. 2 will conduct in a manner that an impression is not created in the mind of the petitioner that any policy of victimisation has been followed."

इसलिये साफ कहा था कि यदि विक्टिमाइजेशन दिखता है तो आर्बिट्रेरी तौर पर नहीं कहना चाहिये जुडिशियरी के तौर पर होना चाहिये । यह कोई स्ट्रिक्चर पास नहीं हुआ है । माननीय सदस्य इसका जिक्र कर रहे थे । मावली के सदस्य कह रहे थे कि अब सिक्योरिटी ली है या नहीं । अब सिक्योरिटी के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस जजमेंट के बाद ३-४-६५ को आज से ३ दिन पहले सिक्योरिटी का फार्म लेकर पिटीशनर के एडवोकेट वहां पहुंचे थे, उसके बाद में उनसे यह मालूम हुआ कि अटेस्टिंग आॅथोरिटी जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट, अजमेर हैं और जो सिक्योरिटी देने वाले व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपने भी कहा और नसीराबाद के सदस्य ने भी उनकी साॅलवेन्सी के बारे में जोरों से कहा था । साॅलवेन्सी कहने से नहीं होती, प्रोपर्टी को डिक्लेयर करना पड़ेगा । हाई कोर्ट ने जजमेंट में भी लिखा है कि साॅलवेन्सी में प्रोपर्टी को डिस्क्लोज करना चाहिये, और प्रोपर्टी को डिस्क्लोज करने का मतलब यह है कि उस पर कोई इन्कम्ब्रेन्स है या नहीं पार्टी साॅलवेन्ट है या नहीं, इस तरह की बात लिखनी चाहिये । हाई कोर्ट ने माना है कि प्राॅपर्टी डिस्क्लोज नहीं की है, असेसिंग आॅथोरिटी ने ठीक तरह से नहीं लिया अब, यह डिस्क्लोज करे...

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** : जो सिक्योरिटी बाॅन्ड हाई कोर्ट में गवर्नमेंट एडवोकेट ने पेश किया और जो राॅन्ग था उसमें और जो बाॅन्ड एसेसिंग ओथोरिटी द्वारा पेश किया गया उसमें क्या फर्क है, सिवाय इसके कि 'गवर्नर आॅफ राजस्थान' एड किया है, सिर्फ

(श्री सम्पत्तिलाल वोहरा)

Govener of Rajasthan has been added. क्योंकि हाई कोर्ट में एडवोकेट ने एतराज उठाया, उस पर एतराज एसेसिंग ऑथोरिटी ने नहीं किया।

**श्री परसराम मदेरणा :** सिक्योरिटी बॉन्ड का प्रश्न है, जो प्रश्न खड़ा किया, मेरे पास पहले वाला सिक्योरिटी बॉन्ड है नहीं लेकिन ३-४-६५ को अटेस्टिंग ऑथोरिटी को दिया है वह मेरे पास जरूर है जो गवर्नमेंट एडवोकेट ने दिया है। मैं इन दोनों को कम्पेयर किये बिना नहीं कह सकता, और न यह कह सकता हूं कि हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने का कहा है वह इसमें हैं। इसका मतलब यह है कि गवर्नर ऑफ राजस्थान की बात कह रहे हैं उतना ही नुक्स होता तो सिक्योरिटी की बात थी तो निश्चय ही हाई कोर्ट ऐसा फैसला नहीं देता। अब उसमें जाने का प्रश्न नहीं है जिसको हाई कोर्ट ने ठीक नहीं समझा है उसके लिये माननीय सदस्य मुझसे कहलवाना चाहते हैं। जो हाई कोर्ट ने फैसला किया है उससे हम बाध्य हैं।

**श्री मानिकचंद सुराणा :** मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट ने ऐसा फॉर्म प्रेस्क्राइब कर रखा है जिससे कोई सिक्योरिटी मांगी जाय वह उस फॉर्म को भर कर देगा; इस तरह का फॉर्म प्रेसक्राइब कर रखा है ? या इस जजमेंट के बाद डिपार्टमेंट को यह आदेश दिया है कि एडवोकेट जनरल ने जो प्रोफॉर्मा दिया है उसमें सिक्योरिटी भर कर गवर्नमेंट को पेश करें ? क्या आपके सेल्स टैक्स ऑफिसर को इस तरह का पहले आदेश हो चुका था ? क्या उसने वह फ़ॉर्म सप्लाई किया था और उसके बाद क्या पार्टी ने अपनी सिक्योरिटी पेश करने से इन्कार किया था या हिचकिचाहट की थी ? इस तरह की बात नहीं है। आपके डिपार्टमेंट ने कोई फॉर्म प्रेसक्राइब किया या नहीं किया आप इसका स्पष्टीकरण करें।

**श्री परसराम मदेरणा :** इसमें स्पेसिफक फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। जनरल फाइनेन्शियल रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड है, जो सिक्योरिटी बॉन्ड देंगे वे इन इन पर्टिकुलर चीजों को मेन्शन करेंगे। हाई कोर्ट का मकसद भी पर्टिकुलर फॉर्म के लिये नहीं है। क्या फॉर्म होना चाहिये कि इसके लिये उसमें लिखा है :

"Learned Government Advocate would now supply to the petitioner the form in which the security bond is to be executed."

**श्री मानिकचन्द सुराणा :** जिस फॉर्म में आप लेना चाहते हैं, जिस फॉर्म से आप सेटिस्फाइ होना चाहते हैं, हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा फॉर्म दे दीजिये ताकि पार्टी भर कर दे दे। आप दोनों फॉर्मों को कम्पेयर करिये। यह सही है कि मजिस्ट्रेट ने ऐतराज किया था। जिस तरह हाई कोर्ट ने मेन्शन किया आप उसको देंगे। सेल्स टैक्स ऑफिसर ने भी यह कहा है कि क्योंकि यह गवर्नर के पक्ष मे नहीं है इसलिये लेने से इन्कार किया। इन सारी कमियों को पूरा किया, उसके बावजूद भी बॉन्ड नहीं लिया इसलिये हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि यह गवर्नर के पक्ष में नहीं है। आपके एडवोकेट जनरल ने

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

भी यह कहा, मैं भी कहता हूं कि गवर्नर के पक्ष में होना चाहिये। सिक्योरिटी इतने अर्से से होती है, राज्य सरकार सिक्योरिटी मांगती है तो इसके लिये आप फॉर्म प्रेस्क्राइब करिये ताकि जिनसे सिक्योरिटी मांगते हैं उनकी परेशानी खत्म हो जाय।

**श्री परसराम मदेरणा** : इस तरह का फॉर्म प्रेस्काइब कर दिया है। अब इस तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है।

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** : उसने १० तारीख को सिक्योरिटी फॉर्म भरा, ११ तारीख को फिर भरा उसको क्यों रिजेक्ट किया; उसके बारे में क्या कहना है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : डिफेक्टिव था।

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** : ६ तारीख को भरा, आपने उस पर ऑब्जेक्शन किया, १० तारीख को दूसरा भरा फिर उस पर ऑब्जेक्शन किया। ११ तारीख को तीसरी बार भरा...

**श्री परसराम मदेरणा** : १० तारीख को डिफेक्टिव था या नहीं; मान लीजिये डिफेक्टिव था और ११ को भरा वह डिफेक्टिव नहीं था। दोनों हाई कोर्ट में गये। मेरे ख्याल से हाई कोर्ट ने दोनों को नहीं देखा होगा। एक को देखा होगा उसके बाद हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया। उसके बाद तो आपका और मेरा डिस्क्रीशन नहीं रह जाता है। आपने कल पूछा था कि उन्होंने सिक्योरिटी बॉन्ड पेश किया या नहीं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ३-४-६५ को पेश किया था और जो सिग्नेचर्स अटेस्टिंग ऑफिसर के हैं उन पर डेट लगाई है और बॉडी ऑफ दी फॉर्म पर भी डेट लगाई है और वे दोनों डेट्स डिफरेन्ट हैं। अटेस्टिंग ऑफिसर मुंसिफ मजिस्ट्रेट था। बॉडी ऑफ दी फॉर्म में ३१ मार्च, ६५ तारीख लिखी है और नीचे दस्तखत किये हैं उसमें ३-४-६५ लगा दी है और निश्चय ही उसको रेक्टिफाई करने का प्रश्न था उसके लिये अजमेर गये हैं। एडवोकेट ने माना था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक है, वे चाहते थे कि पूरा का पूरा बॉड ले जावें। हम चाहते थे कि कॉपी दे दो, वह कॉपी हमारे पास रह गई वह मैं सदन में लाया हूं। अब फॉर्म रेक्टिफाई हो जायगा तो जो मिस्टेक डेट की है ३१ नहीं होगी, १ तारीख होगी गलती से रह गई होगी या दूसरी बात होगी लेकिन एडवोकेट कहता है कि गलती से रह गई। नीचे दस्तखत थे इसलिये मैं समझता हूं हाई कोर्ट के ऑर्डर को कम्पलाइ नहीं करना या हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के ऑर्डर को नॉन-कम्पलायेन्स तरीके से देखने की राज्य सरकार की कतई मंशा नहीं है।

अगर इस मुल्क में हम डेमोक्रेसी को चलाना चाहते हैं तो डेमोक्रेसी में जो कानून हैं, जो विधियां हैं उनको रेस्पेक्ट करके चलना चाहिए चाहे वह जुडीशियरी के सम्बंध में हों और चाहे लेजिस्लेचर के सम्बन्ध में हों।

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** : एक इम्पोर्टेन्ट बात और है कि २५ तारीख को हाई

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

कोर्ट से ११ बजे उस केस में स्टे ऑर्डर हो गया। उसके बाद ११ बज कर ५० मिनट पर यह एप्लीकेशन दे दी, जिसमें यह कहा गया कि एक दिन का टाइम इसमें दे दिया जाय क्योंकि हाई कोर्ट इस सम्बन्ध में स्टे पास कर रही है।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर)** : इससे क्या मतलब है ?

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** : कैसे नहीं है। और मैंने कल इस सदन में इस पॉइन्ट को रेफर किया था उस वक्त वह एप्लीकेशन पढ़ कर सुनाई थी।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : सभापति महोदया, इस केस में चूंकि इतने फेक्ट्स इन्वॉल्व्ड हैं कि तीन बार सिक्योरिटी दी गई, यह भी इन्वॉल्व्ड है कि हाई कोर्ट के एडवोकेट ने मैसेज दिया कि स्टे मन्जूर हो गया और पिटीशन कर रहे हैं। यह भी इन्वॉल्व्ड है कि सेल्स टैक्स ऑफिसर के यहां यह पेश किया गया लेकिन उसके बाद भी उसने मंजूर नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि इस सारे केस के अन्दर जो सिक्योरिटी का प्रश्न है, सिक्योरिटी को स्वीकार नहीं किया जाना और एप्लीकेशन को मानने में रिलक्टेन्सी दिखानी ऐसे प्रश्न है जिनकी आपको जांच करनी चाहिए। हाई कोर्ट ने जो सिक्योरिटी वाले मामले पर ऑब्जवेशन दिये हैं वह ११ बजे के बाद नहीं दिये हैं और ११ बज कर ५० मिनट पर एप्लीकेशन दे दी है। लेकिन सेल्स टैक्स ऑफिसर का इस सम्बन्ध में विन्डिक्टिव एटीट्यूड रहा है। हाई कोर्ट के इस मामले में ऑब्जर्वेशन के बाद और हाई कोर्ट के कह देने के बाद भी जो सेल्स टैक्स ऑफिसर का इस सम्बन्ध में रुख रहा है कि इसी तरह मैं केस को कन्डक्ट करूंगा और एप्लीकेशन को नहीं माना जाना एक विंडिक्टिव एटीट्यूड है और विक्टीमाइजेशन है। मैं समझता हूं कि इस सारे मामले की पुन: जांच करवानी चाहिए और यह जांच कमिश्नर के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा, किसी जुडीशियरी ऑफिसर के द्वारा करानी चाहिए और उसको सिफारिश करनी चाहिए कि उस सेल्स टैक्स ऑफिसर ने विन्डिक्टिव एटीट्यूड अख्तियार किया है या नहीं।

**श्री परसराम मदेरणा** : सभापति महोदया, जहां तक हाई कोर्ट के स्टे का ताल्लुक है, वह स्टे ऑर्डर टेलीफोन के द्वारा कम्युनिकेट हुआ, जो पिटीशन एडमिनिस्टर हुई वह हमारे असेसिंग ऑथोरिटी के सामने पिटीशन गई—यह बात सही है। लेकिन हाई कोर्ट का कोई जजमेंट होता है, कोई स्टे ऑर्डर होता है तो माननीय सदस्य एडवोकेट हैं, तो जहां तक इसका ताल्लुक है उनको मालूम हो जाय कि हाई कोर्ट ने किसी मामले पर स्टे ऑर्डर कर दिया है तो उस सम्बन्ध में केवल एप्लीकेशन देना काफी नहीं होता है, it should be supported by the affidavit. यह हमेशा अपन करते हैं। इसमें एफीडेविट नहीं दिया गया।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : क्या आपने संतोष कर लिया है कि सेल्स टैक्स ऑफिसर ने यह लिखा है; but are you satisfied ? · It should be supported, इसलिये मैं रिजेक्ट करता हूं...

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : Why should he do.......

श्री मानिकचन्द सुराणा : He should, if he wants to give an impression that he is doing justice, otherwise he can do anything.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : Not only that, उस वकील ने यहां तक कहा कि एफीडेविट देने को टाइम देना पड़ता है, इसलिए एक दिन का टाइम मिले तो स्टे आॅर्डर लेकर पेश कर दूं।

श्री बालकृष्ण कौल : The burden is not only an the Sales Tax Officer.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : But for the sake of justice, you will have to give time.

श्री बालकृष्ण कौल : Not necessary.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : जस्टिस के लिए एफीडेविट देना पड़ेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय सदस्यों के द्वारा जो तथ्य रखे गये हैं और माननीय उप-मंत्री का जो उत्तर है यह सब चीजें इस प्रकार की हैं कि हो सकता है आपके कथन में कुछ सत्य हो और हो सकता है कि कुछ फेक्ट्स दिये जा रहे हैं। तो सत्य-असत्य को जानने के लिए इन्क्वायरी इस मामले में कम से कम हो।

श्री बालकृष्ण कौल : किसकी ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : ये सब बातें हुई या नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : He has performed his part of duty in a conscious way. We must be proud of this assessing authority.

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री का यह कहना ऐसे असेसिंग ऑथोरिटी को शील्ड करना है। यह इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। जो फेक्ट्स आपके सामने लाये जा रहे हैं, उसको हार्ट अटेक हुआ या नहीं, वह मरा या नहीं—ये जांच करने के मुद्दे हैं। जो मुद्दे उठा उठा कर बार बार आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है और उसके बाद यह आशा करते हैं कि इस सम्बन्ध में और जांच करेंगे। लेकिन बिना जांच किये और बिना एश्योरेन्स दिये आप कहते हैं कि इस मामले में फोर्स क्यों करते हैं; फोर्स नहीं करें, आप उसको फांसी पर चढ़ा दीजिये और ऐसा कानून बना दीजिये।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : You should make an enquiry.

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस सारे मामले की जांच करवाने में आपको एतराज क्या है ?

श्री बालकृष्ण कौल : किसकी जांच करायें, किस मुद्दे की जांच करायें। इस बात की जांच करायें कि १६६१ से जो आदमी टेक्स इवेड कर रहा है उससे मुश्किल से

(श्री बालकृष्ण कौल)

चालीस-पचास हजार रुपये वसूल किये गये हैं। इस बात की जांच करायें जिससे जिस ऑफिसर की नेकनियती रही उसको हम डिमोरेलाइज कर दें, जिससे आयन्दा वह वैसा काम न करे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : हाई कोर्ट को खराब किसने किया ? वकीलों ने किया। इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वकीलों के द्वारा अगर गलत और झूठी दरख्वास्त दी जाय तो उसको कटघरे में डाला जा सकता है और वकालत की सनद जब्त की जा सकती है। आप उसकी एप्लीकेशन पर भरोसा नहीं करेंगे, आप एफीडेविट की मांग नहीं करेंगे। और इसकी जांच करने की मांग करें और यह देखना चाहें कि न्याय हुआ है या नहीं तो आप उसकी जांच नहीं करना चाहते। तीन-तीन सिक्योरिटी किसी आदमी से ली गई हैं—आप इसकी जांच नहीं करेंगे। और इसके बजाय सेल्स टैक्स ऑफिसर के लिए यह कह देना कि उस पर हमें गर्व होना चाहिए—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात है। यह ऑब्जेक्शनेबल है कि सैल्स टैक्स ऑफिसर, जो बेईमान है, वह बेईमानी करना चाहे तो उसके खिलाफ इन्क्वायरी न करवाना चाहें, हाई कोर्ट का स्टे होने के बावजूद जो दरख्वास्त लगे तो उसको एक्सेप्ट न करके हाई कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करना चाहें। इससे सैल्स टैक्स ऑफिसर के ऑर्डर पुष्ट होते हैं और उसके हाथ मजबूत होते हैं और उसका दिमाग खराब करते हैं। मैं इसके प्राटेस्ट में, जो इस प्रकार सैल्स टैक्स ऑफिसर विंडिक्टिव रहते हैं और विक्टीमाइजेशन करते हैं, इस सदन से वाक-आउट करता हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसमें इन्क्वायरी होल्ड नहीं करना चाहती है और सैल्स टैक्स ऑफिसर्स को ऐसे काम करने में प्रोत्साहन देना चाहती है और हाई कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी ऐसी कार्यवाही होती है तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को फ्लाउट किया जाता है। इसलिए मैं सदन से वाक-आउट करता हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कौनसा ऑर्डर फ्लाउट किया है ?

(३.२७ म.प.)

(श्री मानिकचन्द सुराणा ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिस प्रकार मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है और सेल्स टैक्स ऑफिसर को सर्टीफिकेट देने की कोशिश की है, वैसे हमारी कोई मन्शा नहीं है कि हम उन ऑफिसर पर मोटिव इम्प्यूट करें लेकिन यह सत्य है कि कई जगह सैल्स टैक्स ऑफिसर इस प्रकार के हैं जिन्होंने असेसमेंट के सिलसिले में बहुत बड़े तरीके से डिस्क्रिशन को यूज किया है और फेक्ट्स को टाल दिया है और उसके लिए कोई कारण नहीं बताये हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इस बिल से क्या ताल्लुक है ?

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यहां पर इस तरह कहना और ऑफिसर्स को सर्टिफिकेट दे देना कि जो कुछ किया है वह ठीक किया है, और जो इतने तथ्य माननीय सदस्यों के द्वारा रखे जा रहे हैं उनका उत्तर देने से इन्कार करना और यह कहना कि हम कोई इन्क्वायरी नहीं करना चाहते क्योंकि ऑफिसर ने जो किया है वह ठीक किया—मैं समझता हूं कि यह इस तरह का रवैया है जो जनतंत्र को हानि पहुंचाने वाला है। और आपने इस उत्तर के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए मैं विधान सभा से वाक आउट करता हूं।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : करिये साहब !

(३. २८ म. प.)

(श्री कृष्णकुमार गोयल ने सदन से बाहिर्गमन किया।)

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) : मैं जो बात कर रहा हूं कि एप्लीकेशन समय पर आपके सामने पेश की गई और उस एप्लीकेशन में हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के कारण टाइम मांगा। परन्तु आपके ऑफिसर एफीडेविट की मांग करते हैं। उस व्यक्ति ने कोशिश की और वह पर्सनली मिला। लेकिन उस एप्लीकेशन पर क्या लिखा है your applicaticn is rejected, यह नहीं लिखा है.......

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : इसमें इन्जस्टिस क्या हुई ? जब रिजेक्ट नहीं किया तो कॉज़ ऑफ एक्शन अराइज़ क्या हुआ ?

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** : असेसमेंट कर दिया। आप समझते तो हैं नहीं। उसको मार दिया। उसकी एप्लीकेशन को एन्टर्टेन नहीं किया।

I have been informed, that the Hon'ble High court of Judicature of Rajasthan has granted stay orders for the assessment and re-assessment for the years 62-63, 63-64. In view of the above, it is submitted that no proceeding should be taken today.

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसींद) : सभापति महोदया, माननीय सदस्य एप्लीकेशन की बात बराबर कह रहे हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि मंत्री महोदय ने बताया कि उसके साथ आपको एफीडेविट देना चाहिये था वह नहीं दिया गया। जब मिनिस्टर ने आपको जवाब दे दिया, फर भी आप उसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं। यह क्या कोई ठीक बात है।

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** : भाई साहब ! आप समझते नहीं हैं इस बात को।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : आपने ही सारी समझ का ठेका ले लिया है।

**श्री परसराम मदेरणा** : मैं यह निवेदन करूंगा कि आप एप्लीकेशन को माफिक रूल्स के एफिडेविट से सपोर्ट नहीं करें और फिर गलती सरकार की बतावें। आप कहते हैं कि ऑथोरिटी ने उसको नहीं माना। मैं यह कहूंगा कि हाईकोर्ट ने भी उसको डिफेक्टिव माना है।

( श्री परसराम मदेरणा )

( ३. ३२ म० प० )

( राव श्री नारायणसिंह मसूदा, उपाध्यक्ष, पदासीन ) ।

यह मामला सब–जुडिस है। यह कहा जाता है कि इस मामले में व्यक्ति की मृत्यु हो गई। एक चार्ज है कि यह पेम्पलेट निकाला है। जिसने यह पेम्पलेट निकाला है वह फर्म का पार्टनर है। अगर वह किसी की मृत्यु का नाम लेकर राज्य सरकार के इन्कम टैक्स को नहीं देना चाहता है या हजम करना चाहता है तो यह काबिले बर्दाश्त नहीं है और सरकार इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई भी व्यक्ति सरकार के टैक्स की चोरी करे। हाईकोर्ट ने मेरिट पर निर्णय दिया है और इसको ठीक माना है।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य क्लेरीफिक्शन को लेकर एक या दो प्रश्न पूछ सकते हैं मगर इस तरह से भाषण नहीं दे सकते।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : माननीय सदस्य बराबर खड़े हैं।

**श्री परसराम मदेरणा** : मैंने रेफरेन्स में कहा था और राज्य सरकार का पक्ष मजबूत था यह मैंने आपको निश्चित तौर से बता दिया। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर उन्होंने सिक्योरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया तो ठीक ही किया। हम यह चाहते हैं कि जस्टिस होनी चाहिये और कम से कम यह कहना चाहता हूं कि रेवेन्यू जो हमारे राज्य की लाइफ पाइप लाइन है उसमें किसी तरह का विक्टेमाइजेशन हमारे सबोर्डीनेट द्वारा नहीं होना चाहिये लेकिन अगर कोई राज्य सरकार का टैक्स वसूल करना चाहता है और वह उसको वसूल नहीं होने देता है और चोरी करता है तो किसी की इस मामले में मृत्यु हो जावे इस कारण उसको नहीं छोड़ना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे पोइन्ट पर आता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अपना पोइन्ट ऑफ क्लोरीफिकेशन संक्षेप में ही दें।

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** : मुझे थोड़ा सा निवेदन करना है। मैं वाक आउट करना चाहता हूं और उस सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : आप पहले वाक आउट के लिये कह चुके है।

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** : मैं एक बात कह रहा हूं। सिक्योरिटी के बारे में....

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि बार बार वे इसी बात को कह रहे हैं जिसको इन्होंने कई बार दोहराया है। और सदन का समय यों ही खराब कर रहे हैं।

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** : मैं यह कहना चाहता हूं कि सिक्योरिटी...

( शोरगुल )

एप्लीकेशन दी आपने, वह एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की....

( घंटी-शोरगुल )

( श्री सम्पत्तिलाल बोहरा शोरगुल में बोलते रहे)

# Page No 97



श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने खूब वकालत कर ली। अब आप पधारिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, इनको बन्द किया जाए. ये बोलते ही जा रहे हैं। इन्होंने इस पोइन्ट पर कई बार कह दिया है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसके बारे में मैंने यह मांग की है कि यदि आप सच्चे हैं तो आप डरते क्यों हैं ?

(घंटी-शोरगुल)

मैं इसको आपत्तिजनक मानकर सदन से बहिगमन करता हूं।

(३.३४ म० प०)

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस केस के बारे में बहुत कुछ कह चुका हूं। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मगर इस तरह से इस केस को तूल दिया जा रहा है, यह गलत है और हाई कोर्ट के फैसले के बाद में कुछ बात नहीं रह जाती। सिक्योरिटी बाण्ड के बारे में आर्बीट्री तौर पर ज्युडिशियरी तौर पर जो कुछ किया है और उस पर हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसमें साफ जाहिर है कि उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिये था और वही ऑथोरिटी ने किया है।

प्री पब्लिकेशन के बारे में कहा गया कि किसी भी एसोसियेशन या संस्था की पब्लिकेशन का स्थाई ज्ञान नहीं होगा तो इससे केस प्रेजुडिशियल होता है और हैरेशमेंट होता है। मैं यह कहूंगा कि इसके लिये राजस्थान एन्टर्टेनमेंट एक्ट में प्रावधान है और इलेक्ट्रिक ड्यूटी एक्ट में भी है और हमें भी इसी तरह का प्रावधान करना चाहिये और हम तभी डिस्पेन्स विथ करेंगे। इसको हम एज ए रूल नहीं करें कि जब राजस्थान सरकार आवश्यकता समझेगी तब प्री पब्लिकेशन करेगी। यहां पर नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि प्रकाशचन्द्र नाम का व्यक्ति था उन्होंने राष्ट्रीय कोष में, डिफेन्स फन्ड में, रुपया देने के लिये चन्दा किया था उसके बाद में एन्टर्टेनमेंट टैक्स के १२०) रु० लिये गये। हमारे यहां पर इस प्रकार का प्रावधान है कि कोई शिक्षा संस्था हो या कोई इसी तरह की नृत्य कला वाले हों उनको राज्य सरकार से एग्जम्प्शन देना चाहिये। इसके लिये पहले इजाजत लेनी चाहिये वह प्रोस्पेक्टिव है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये जो १२०) रु० का टैक्स निकाला गया है, इस तरह के दूसरे केसेज भी सरकार के सामने आये। राज्य सरकार इसमें एग्जम्प्शन का क्लाज है उसको रिट्रोस्पेक्टिव बनाना चाहती है तो इसी तरह के एन्टर्टेनमेंट टैक्स माफ किये जा सकें। इसलिये मैं समझता हूं कि नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, इस संशोधन से उनकी मंशा भी पूरी हो जावेगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): मेरी इच्छा कैसे पूरी हो जावेगी। मैंने यह मांग की कि यह किसी की मर्जी या व्हिम पर नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

एन्टर्टेनमेंट टैक्स में सब के साथ बराबर का बर्ताव हो। आप किसी को उचित समझते हैं कि पर्टीकुलर देश भक्ति के बटोई हैं या छूआछूत को रोकने वाले हैं उनको एग्जेम्शप्न दिया जाना चाहिये। इसके लिये ऐसा बोर्ड हो जो उचित समझे कि यह फिल्म ठीक है उसको एग्जेम्पशन दिया जावे। यह होना चाहिये कि एक आदमी के विम पर किसी को एग्जेम्पशन देदिया जाए। यह नहीं होना चाहिये। इसलिये आपने कहा है कि मेरे को संतोष हो जावेगा तो मेरे को कैसे संतोष हो जावेगा।

**श्री परसराम मदेरणा** : उपाध्यक्ष महोदय, कोई बोर्ड या कमेटी बैठ कर एग्जेम्प्शन के लिये निर्णय करे, ऐसी कमेटी कॉन्सीट्यूट करने को राज्य सरकार की मान्यता नहीं है। क्योंकि एग्जेम्पशन का मामला है उसमें एक छोटा सी संस्था होती है वह एक या दो दिन पहले इत्तला देती है और वह एक दो दिन पहले हमारे पास आती है। क्योंकि मेरे सामने भी कई एग्जेम्पशन के मामले आ चुके हैं इसलिये मुझे मालूम है।

चूरू के अन्दर कल कोई इस तरह का शो हो रहा है और शाम को ४, ५ बजे हमारे पास आते हैं कि हम शो कर रहे हैं। इसको टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दीजिये तो कई दफा हमें हमारे ऑफिसर्स को टेलीफोन करना पड़ता है कि ये शो कर रहे हैं, इससे टैक्स चार्ज मत करना। तो माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है उसके साथ मेरी सहानुभूति नहीं है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : मेरा यह कहना है कि जो संस्थाएं इस तरह के शो चलाती हैं, उनके एम्स आपके सामने होते हैं, वे कल्चरल एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने वाली होती हैं, ऐसी छोटी-छोटी संस्थाओं को आप एग्जेम्प्ट करते होंगे पर जो फुल-फ्लेज्ड पिक्चर्स हैं, जिनसे आय ३ लाख से ६ लाख होने वाली है, उनके लिये कहता हूं। मैं कहता हूं कि आपकी अकादमी है, दूसरी संस्थाएं हैं, उनके लिये जैसा आप चाहें करें पर जो मेजर चीजें हैं, उनके अन्दर एन्टर्टेनमेंट के मामले में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, उनके लिये बोर्ड बनाना चाहिये। सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेंसर बोर्ड बनाती है। यह ३ लाख या ६ लाख तक छोड़ना है तो सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिये, बोर्ड के द्वारा यह एग्जेम्पशन होना चाहिये। मिनिस्टर एग्जेम्प्ट करने लगे तो मिनिस्टर को क्वेश्चन नहीं कर सकते। राज्य सरकार की नीति है या नहीं, राज्य सरकार से हम यहां तर्क पर, लोजिक पर उम्मीद करते हैं और हमने टैक्स लगाया है उससे सेटिस्फाई होना चाहते हैं, तीन-चार एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होनी चाहिये, हम एक से सेटिस्फाई नहीं हो सकते।

**श्री परसराम मदेरणा** : जिस मुद्दे को लेकर माननीय सदस्य ने सवाल उठाया वह मुद्दा हकीकत फिल्म को टैक्स से एग्जेम्पशन करने के बारे में था, उस सम्बन्ध में वित्त मन्त्री पहले बयान दे चुके हैं और सरकार की मान्यता है कि इस फिल्म को टैक्स से एग्जेम्प्ट करना उचित था ताकि राजस्थान के ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति इसको देखें। बोर्डर पर हमारे जवान किन मुश्किलात में

(श्री परसराम मदेरणा)

काम करते हैं, बावजूद अनेकों मुश्किलात के वे सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं, इस प्रकार की फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाने के लिए इस प्रकार की फिल्म का प्रदर्शन करना जरूरी था इसलिये इसको एग्ज़ेम्प्ट किया गया है। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने केल्कुलेशन किया था कि उसको एग्ज़ेम्प्ट नहीं करते तो ३ लाख रुपया एन्टर्टेनमेंट टैक्स का आनेवाला था; मैं यह मानता हूं कि ३ लाख आने वाला नहीं था और यह लार्जर इन्ट्रेस्ट में एग्ज़ेम्प्ट किया गया है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : मैं आपको दिलाने को तैयार हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह आप बगैर देखे कह रहे हैं। अगर देखकर कह रहे हैं तो मान सकता हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने देखा है या नहीं ?

**श्री सम्पतिलाल बोहरा** : सभी को दिखाना चाहते हैं क्या ?

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : वे हमारे रिप्रेज़ेन्टेटिव हैं।

**श्री परसराम मदेरणा** : मैंने वह फिल्म नहीं देखी।

**एक माननीय सदस्य** : वित्त मन्त्री ने देखा है, उनको बुला लें।

**श्री परसराम मदेरणा** : राज्य सरकार सेटिस्फाई हो चुकी है कि इस फिल्म को एग्ज़ेम्प्ट करना चाहिये और इसे एग्ज़ेम्प्ट कर दिया है। रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस फिल्म के बारे में बहुत सी बातें कहीं और कहा कि इसे एग्ज़ेम्प्ट करना जरूरी था और राजस्थान को एम्फेटिकल एम्फेसिस के साथ कहना चाहिये कि इसको एग्ज़ेम्प्ट करने में सरकार ने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने इस पिक्चर को देखा है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : हममें यह हीन भावना पैदा करने वाली है, मलामत पैदा करने वाली है। प्रो-कॉम्युनिस्ट हमारी मलामत को कील ठोक कर रखना चाहते हैं, हीन भावना पैदा कर रहे हैं इसलिये कॉम्युनिस्ट मेम्बर ने इस फिल्म की वकालत की है। आप यदि इसे देखेंगे और प्राइवेट में भी मुझे कह देंगे तो मैं इस बात को छोड़ दूंगा।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय सदस्य से मैंने खुद ने दो-तीन दिन पहले बात की थी, जब पहले इस फिल्म को लेकर मुद्दा उठाया गया था। मैं चाहता था कि तीन चार तारीख को इस फिल्म को देखने जाऊं पर नहीं जा सकता, पर दूसरे लोगों ने देखी है, उन्होंने एप्रेशियेट की है....

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : मैंने कहा उस ओपिनियन का कोई ख्याल नहीं।

**श्री परसराम मदेरणा** : उन्होंने हीन भावना की बात कही, कॉम्युनिस्टों के कहने से हीन भावना आने वाली नहीं है।

(श्री परसराम मदेरणा)

(३.४५ म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

इस फिल्म के बारे में माननीय सदस्य ने जो कहा है वह काबिले गौर है।

**श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) :** वे न मालूम क्या क्या कहते हैं, उसके लिये तो आप कहते हैं हमेशा कि वह गलत है और आज इस बात के लिये आपने उनका समर्थन किया है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** केरल में जिन्हें बन्द भी करती है सरकार, आज उनकी ओपिनियन की यहां वक्त हो गई। जो मैं कहता हूं उसकी कोई कीमत नहीं, हमारी ओपिनियन की कीमत नहीं। मैंने आपको इस फिल्म को देखने के लिये इनवाइट किया था कि मेरे साथ चलिये, मैं आपके टिकट के पैसे दूंगा।

**श्री परसराम मदेरणा :** सभापति महोदय, इसके बारे में डिवाइडेड ओपिनियन है, यह डिस्प्यूटेड मैटर है। अगर सभी लोगों की राय ऐसी बनती है तो इस पिक्चर को टैक्स से एग्ज़ेम्प्ट नहीं किया जाना चाहिये। पर इस सदन के माननीय सदस्य अलग अलग राय रखते हैं इसलिये राज्य सरकार के द्वारा जो फैसला इसे एग्ज़ेम्प्ट करने का लिया गया है, वह औचित्य को देख कर लिया है। इसको एन्टरटेनमेंट टैक्स मे एग्ज़ेम्प्ट किया है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

एक बात और कही गई कि राजस्थान पैसेन्जर्स एन्ड गुड्स टैक्स कई लोगो में बाकी है। रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, क्योंकि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि कॉम्युनिस्टों की कोई बात मानते हैं कोई बात नहीं मानते, मैं यह कहना चाहता हूं कि सही बात को मानना चाहिये, जनसंघ के माननीय सदस्य, इस बात को कुबूल करेंगे ठीक बात को मानना चाहिये, चाहे जनसंघ के माननीय सदस्य कहें, चाहे कांग्रेस के माननीय सदस्य कहें, चाहे कॉम्युनिस्ट सदस्य कहें।

उन्होंने एक बात पैसेन्जर्स टैक्स के एरियर्स के बारे में रखी कि बसन्तकुमार दीनानाथ में काफी रुपया बाकी है और अब तक राज्य सरकार वसूल करने में नाकामयाब रही है। मैं उनकी जानकारी के लिये, सदन की जानकारी के लिये कहूं, मैं इसलिये खास तौर से इसके बारे में कहना चाहता हूं कि इस मामले को लेकर बार बार, मुख्य मन्त्रीजी का नाम इनके साथ जोड़ते है, टैक्स की ऑथोरिटीज है उनके साथ जोड़ते हैं, इसलिये मुझे सफाई देना आवश्यक हो गया है। इस बसन्तकुमार दीनानाथ फर्म मे ३७,१०० रु० बकाया था ७२-६३ तक। उन्होंने अपील के जरिये ६३५६ रुपया १५ न० पै० तो इस बकाया में से रिड्यूस कर दिया, इस रिडक्शन के साथ साथ ७०० रुपयों की पेनल्टी थी वह इन्वेलिड कर दी और इस प्रकार २६,०४३ रुपया ८५ न० पै० बाकी रहा, इनमें से २०,३०३ रु० ९८ न० पै० जमा करा दिया। अब बैलेंस ५,७३९ रु० ८७ न० पै० रहता हैं। इस रकम के बारे में भी उन्होंने रिविज़न पिटिशन रखी है। रिविज़न पिटिशन के फैसले के बाद में यह रकम वसूल की जाती

# Page No 101



(श्री परसराम मदेरणा)

चाहिये या नहीं, जैसी भी स्थिति होगी देखा जायगा ।

**श्री भैरोंसिंह** : दूसरी फर्म है बसन्त कुमार जहूरबक्स । उसमें कितना है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : बसन्तकुमार दूसरा कोई होगा ।

**श्री भैरोंसिंह** : यही है ।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय मंत्रीजी ने सदन में कहा था कि बसन्त कुमार की दो बसेज हैं और ये ये नम्बर हैं उनके । उनके अगेंस्ट में जितना पैसा बाकी था पेनल्टी के सिलसिले में, उसके सम्बन्ध में वे हाई कोर्ट में गये और वहां हाई कोर्ट उसको इन्वेलिड कर दे, अपील में रिड्यूस कर दे तो जब उस अमाउन्ट में से २० हजार रुपया दे देता है, बाकी के लिये रिविजन करा चुका है उसके लिए यह कहना कि पैसेन्जर टैक्स का बाकी है, पैसेन्जर्स से वसूल किया और इनको रियायत दी जा रही है, यह गलत है । इस फर्म के बारे में चार्ज लगाया था तो भी मैंने कहा था कि कोई व्यक्ति राज्य के किसी बड़े से बड़े अधिकारी का रिश्तेदार हो, कानून की दृष्टि में उसके साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जावेगी और इस फर्म के साथ कोई रियायत नहीं बरती गई है । टैक्स बाकी है, उसके लिए इस फर्म ने रिविजन करा रखा है । हमारे हिसाब से उसमें एक पैसा भी बाकी नहीं है । इसी मुद्दे को यहां बार बार पेश किया जाता है, इसलिये मैं यह सदन में साफ करना चाहता था ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : रिविजन में स्टे हो गया ?

**श्री परसराम मदेरणा** : जी हां ।

कोलायत से आने वाले सदस्य ने सेक्शन १२ का हवाला देते हुए यह बात बतायी कि सेक्शन १२ के नीचे...

**श्री भैरोंसिंह** : एक क्लेरिफिकेशन तो आप और कर दीजिये कि आपने बसन्तकुमार दीनानाथ की फर्म का नाम बताया था । उसका उल्लेख कर दिया । एक बसन्तकुमार जहूरअहमद की फर्म है उसमें कितनी बकाया है ? यह पूछा गया था तो आपने प्रश्न के उत्तर में बताया था कि बकाया है । तो वह वसूली जो की गई है वह बसन्तकुमार दीनानाथ के नाम से है या बसन्तकुमार जहूरअहमद के नाम से ? किस फर्म की वसूली हुई है और इस फर्म में कितना बकाया है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : सभापति महोदय, बसन्तकुमार जहूरअहमद नाम की कोई फर्म है, यह इस राज्य सरकार को जानकारी नहीं है ।

**श्री भैरोंसिंह** : इस सदन में प्रश्न के उत्तर में बताया था ।

**श्री परसराम मदेरणा** : नहीं दिया । गलत कह रहे हो । इस सदन के एक माननीय सदस्य ने, गवर्नर साहब के भाषण

(श्री परसराम मदेरणा)

पर जब बहस हो रही थी, तो तीन-चार बातें और नाम, बसन्तकुमार के नाम से जोड़ रखी थीं। हमें पता लगा कि इस प्रकार की कोई फर्म नहीं है। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में बसन्तकुमार की दो बसेज के नम्बर दिये थे और उनके नाम पर रजिस्टर्ड है, वह सदन को बताया। किसी दूसरी फर्म में पार्टनर हो या और कोई गाड़ी हो, इस प्रकार की जानकारी हमको नहीं है। जो जानकारी कराई है तो इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि जो फर्म दूसरी हो उसमें उनके नाम की पार्टनरशिप नहीं है और न गाड़ी है।

कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य का जिक्र था कि सैक्शन १२ में फोर्म प्रेस्क्रांइब किया चाहिये था, वह नहीं किया गया। उन्होंने यह बात कही कि फोर्म प्रेस्क्राइब नहीं करने में जो रेस्पोन्सिबिलिटी है उसको ठीक तरह से डिस्चार्ज नहीं किया है। इसके एग्जीक्यूटिव हैड हैं कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्सेशन; मैं यह निवेदन करूं कि राज्य सरकार की ऐसी मान्यता थी कि सैक्शन १२ के नीचे जो हमने रूल्स बना दिये हैं और एक रूल इस तरह से है :

" Every summon or notice issued under the Act or these rules for production of documents or the appearance of any person shall be in form ST 12. Notice under section 12 shall be in form ST. 12A

तो राज्य सरकार की यह मान्यता रही है कि जिस फोर्म के प्रेस्क्राइब करने का उसमें जिक्र है वह फोर्म एस. सी के अन्तर्गत है। यह फोर्म प्रेस्क्राइब कर दिया जावेगा। कमिश्नर के सामने वह गलती नहीं रही, राज्य सरकार के सामने गलती रही।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): यह रूल आपने किस तारीख को बनाया ?

श्री परसराम मदेरणा: तारीख तो मुझे मालूम नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करूं कि मामला हाई कोर्ट में चला गया। उस दर्मियान में, एस. सी. १२ पर सैल्स टैक्स अधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया। पहले आप यह मालूम कर लीजिये कि रूल किस तारीख को बनाया ?

श्री परसराम मदेरणा : जो हाईकोर्ट ने होल्ड किया है। जिसका रेफरेन्स आपने दिया है, प्रोपर फोर्म प्रेस्क्राइब किया हुआ नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रावधान किया है "Notice under section 12 shall be in form RT. 12 A." यह हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद बनाया है। मेरा निवेदन यह है कि वह ऑलरेडी रूल में फोर्म का प्रावधान था। राज्य सरकार यह सोचती थी कि एस. सी. १२ का जो प्रावधान है वह सफाई कर देगा। कमिश्नर को तो मालूम था, लेकिन राज्य सरकार का ऐसा इन्टरप्रिटेशन था। उसको हाई कोर्ट ने रूल आउट किया, इसलिए यह बताना पड़ा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप कमिश्नर साहब को बचा रहे है, यह आपकी मह-

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

रखानी है और बचाना भी चाहिये क्योंकि डिपार्टमेंट के हैड हैं। सेल्स टैक्स एक्ट के नीचे जो प्रोफोर्मा, रूल्स बनने चाहिए थे इसको वाच करने की और जिन रिलेवेन्ट रूल्स, डेलीगेटेड हैं, रूल्स के लिए कह दें, "as may be prescribed:—"

इन सारी बातों की विजिलेन्स रखने की जिम्मेदारी आपके कमिश्नर पर नहीं है क्या ? इन सब बातों की विजिलेन्स रखने की जिम्मेदारी केवल लॉ डिपार्टमेंट पर है और आपके डिपार्टमेंट वाले सो जाय और सरकार को सलाह न दें तो कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या ?

**श्री परसराम मदेरणा** : जैसा माननीय सदस्य जानते हैं, राजस्थान के हाई कोर्ट में ही नहीं हिन्दुस्तान भर की हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में कानून के मामलों को लेकर इन्टरप्रिटेशन होते रहते हैं और राज्य सरकार की यह मान्यता रही है कि नया फॉर्म प्रेस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है और जो फॉर्म है वही सफाई करेगा। हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी मंशा यह नहीं है। इसके लिए अलग तौर से फॉर्म प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा। इसलिए कर दिया। इसमें कमिश्नर विजिलेन्ट रहे, लॉ डिपार्टमेंट और मिनिस्टर विजिलेन्ट रहे, तो विजिलेन्ट रहते हुए भी हाई कोर्ट के मामलों में माननीय सदस्य यहां के वकील हैं, एक छोटा सा लॉ का इन्टरप्रिटेशन होता है तो आप देखते हैं कि चीफ जस्टिस तक माइनोरिटी में रह जाते हैं और दूसरे जस्टिस मैजोरिटी में हो जाते हैं। इसलिए यह कानून के इन्टरप्रिटेशन का सवाल है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : कुल मिला कर आपकी तरफ से इस बारे में किसकी रैस्पोन्सिबिलिटी है ? कौन अफसर, कौनसा विभाग इस बारे में सरकार को सलाह देगा और सरकार उसकी सलाह पर विचार करेगी ?

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) : उन्होने कहा था गवर्नमेंट की।

**श्री परसराम मदेरणा** : इन्डिविजुअल की रैस्पोन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि आखिर जाकर रिलैक्सेशन्स होते हैं रूल्स में, गवर्नमेंट डिसिजन्स लेती है और गवर्नमेंट के जितने अधिकारी हैं वे अपनी २ जगह रैस्पोन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं। इसलिए इन्डिविजुअल पर पिनपॉइन्ट नहीं कर सकते। राज्य सरकार का इन्टरप्रिटेशन हाई कोर्ट ने नहीं माना और हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार रूल्स में चेन्ज करके नया फॉर्म प्रेस्क्राइब कर दिया।

(४. म. प.)

यहां पर यह बात कही गई कि...

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : आप यह आश्वासन दीजिये, जितने भी फॉर्म्स आपने सेल्स टैक्स एक्ट में बताये हैं और जो प्रेस्क्राइब किये जायेंगे आप उस बारे में विजिलेन्ट हो जायं। उन फॉर्म्स को आप एक महीने में, डेढ़ महीने में जो प्रेसक्राइब्ड हैं, रूल्स में जुड़वा दीजिये। जितने भी फॉर्म्स

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

की आवश्यकता हो उनको प्रेसक्राइब करवाइये ।

श्री परसराम मदेरणा : सरकार आपकी राय की बहुत कद्र करती है । इसके लिए सरकार सतर्क है और इसीलिए हमारे फाइनेन्स डिपार्टमेंट में खास तौर पर डिप्टी लीगल ड्राफ्ट्समेन का अपोइन्टमेंट किया है ताकि इनमें किसी प्रकार की खामी नहीं रहे । करीब इनका साल भर से अपोइन्टमेंट कर रखा है ।

इसके साथ साथ कोडिफिकेशन वगैरह के स्टेप्स लिये हैं । राज्य सरकार विजिलेन्ट है । रूल्स और एक्ट के तहत जो फॉर्म्स प्रेस्क्राइब होने चाहिये उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहे, ऐसा मैं आश्वासन दे सकता हूं । इन्टरप्रिटेशन का तो मामला हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन यह बात निश्चित है कि फॉर्म प्रेस्क्राइब करने व रूल्स बनाने के अन्दर किसी प्रकार की देरी नहीं होगी, राज्य सरकार इसका पूरा पूरा ध्यान रखेगी ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इस संबंध में एक मांग थी । सेल्स टैक्स एक्ट के रूल्स नये बन रहे हैं, आप इस बात की घोषणा कर दें कि कब तक ये बन कर तैयार हो जायेंगे नये फॉर्म में...

श्री परसराम मदेरणा : आप यह बात कल कहना भूल गये थे, यह बात शायद कल के मेमोरेन्डम में नहीं लिखी हुई थी । आज शायद आपको ध्यान आया कि एक्ट नया ला रहे हैं ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : सेल्स टैक्स एक्ट कम्बरसम हो गया है इसलिए डिसीजन लिया है आपने कि इसको री-राइट किया जाय; जिस प्रकार इन्कम टैक्स नये रूप में आया है; उसी प्रकार सेल्स टैक्स को कोडिफाई किया जाय । इस बारे में डिसीजन लिया गया है । इस डिसीजन को कब तक इम्प्लीमेंट कर दिया जायगा ?

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक एक्ट का सवाल है वह कोडीफाइड फॉर्म के अन्दर है । लेटेस्ट जो अमेन्डमेंट एक्ट में हुए हैं वहां तक कोडिफाई कर दिया गया है । आज जो अमेन्डमेंट करने जा रहे हैं यह सब पास हो जांय, उसके बाद कोडीफाई करने में समय लगेगा ।

वापिस इस एक्ट को पब्लिश करना पड़ेगा । रूल्स का कोडीफिकेशन, मैं जहां तक समझता हूं जल्दी ही होने वाला है, करीब करीब तैयार हो गया है; जल्दी ही प्रिन्ट हो जायगा । कोडिफिकेशन का मामला भी साथ साथ किया जा रहा है, जल्दी ही कोडिफाई करके पब्लिश करने में प्रयत्नशील हैं ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आप इसको टालने की कोशिश कर रहे हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्कम टैक्स एक्ट जो १९२२ में था उसको १९६१ में नये रूप में लाये । इस एक्ट में जितने भी डिटेल्स थीं, उन सब को उलट करके नया रूप बना कर जितने भी रिप्रेजेन्टेशन आये, जितनी कमेटीज की रिपोर्ट हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हुए, सारा सेल्स टैक्स नया बन रहा है । उस एक्ट के बारे में सिम्प्लीफिकेशन कमेटी है...

**श्री परसराम मदेरणा :** कोडिफाइ मैंने कहा, जो आपकी समझ मे नहीं आया। कोडिफाइ इसको कर दिया गया है, नया बिल ला रहे हैं रिकास्ट करके। इस सम्बन्ध में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि राज्य सरकार सोच रही है, इस तरह का नया बिल एग्ज़ास्टिव सेल्स टैक्स का स्ट्रक्चर है इसको देख कर लाया जाना चाहिये। अभी तक तैयार नहीं हुआ है, इसलिए नहीं कह सकता कि किस स्टेज पर ला सकेंगे। रैफरैन्स दूसरी स्टेट्स से करना पड़ेगा, मैटिरियल इकट्ठा करना पड़ेगा। दूसरी स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स से जानकारी लेनी पड़ती है, इससे समय लगता है। इस ओर सरकार सोच रही है। नया एग्ज़ॉस्टिव और कोम्प्रीहैन्सिव बिल सदन के अन्दर ज्योंही तैयार हो जायगा लाने की कोशिश करेंगे।

सभापति महोदय, खास तौर से क्लॉज १५ ए० पर माननीय सदस्य ने विचार रखे। कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्सेज के लिए जो प्रावधान रखा गया है उसमें माननीय सदस्यों की ऐसी राय थी कि इस प्रकार के अमेन्डमेंट्स १५ ए० का प्रोवीज़न रख कर जो हाई कोर्ट के इनहैरेन्ट पॉवर्स हैं उनको कर्टेल किया जा रहा है। जहाँ तक हाई कोर्ट के पॉवर्स को कर्टेल करने का प्रश्न है, जो कानूनी मुद्दा उठाया था उसको मैं क्लीअर कर दूं जहां तक हाई कोर्ट को रैफरैन्स करने का प्रश्न है, इस सिलसिले में पहले स्टे के पॉवर्स फॉर्ड थीं। आज जो प्रावधान हम रखने जा रहे हैं नया नहीं रखने जा रहे हैं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा :** आपने एडवोकेट जनरल से इस सिलसिले में बात कर ली है क्या? या कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के कहने पर राय बना ली है।

हाई कोर्ट के पॉवर्स कैटल किस आधार से बनते हैं उनके लिये ऑलरेडी १५ का सब सैक्शन (७) है। (७) में स्टे नहीं।

**श्री परसराम मदेरणा :** सभापति महोदय, मैं सब सैक्शन (७) की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा करूंगा:—

"The payment of the amount, if any, of tax due in accordance with the order of the Board of Revenue and in respect of which an application has been made uuder sub-section (1), shall not be stayed by the High Court pending the..."

**श्री सम्पतिलाल बोहरा :** "Shall not be stayed" हाई कोर्ट के लिये नहीं कहा है। "Shall not be stayed by the High Court." नही है; "हाई कोर्ट" इसमें शब्द नहीं है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा :** 'Shall not be stayed" है।

**श्री परसराम मदेरणा :** "Shall not be stayed", हाई कोर्ट के लिये है।

**श्री मानिकचंद सुराणा :** आपने जो पढ़ा है सब सेक्शन (१) के अन्तर्गत दर्ख्वास्त दी जायगी। उसमें "Shall not be stayed

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

pending the disposal of such application" है। sub-section(1) में एप्लीकेशन कहां दी जायगी ?

सब सेक्शन (१) में बोर्ड ऑफ रेवन्यू को मूव करने का प्रश्न है। हाई कोर्ट इसमें कब आता है ? सब सेक्शन (२) में है:—
"If by reasons to be recorded in writing, the Board of Revenue refuses to make such reference, the applicant, may, within 60 days of such refusal, apply to the High Court against such refusal."

Under sub-section (2) he will go to the High Court. सब–सेक्शन (२) में वह हाई कोर्ट जावेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफ्यूज़ कर देगा तो जावेगा। हमने इसमें अधिकार दिया है कि वह डाइरेक्टली चला जावेगा। सब-सेक्शन (१) की दर्ख्वास्त तय न हो जावे तब तक स्टे नहीं होगा। इसका यह मतलब नहीं कि सब सेक्शन (२) में जावेगा तब भी स्टे नहीं होगा। सब सेक्शन (१) में स्टे नहीं होगा, यह ठीक है। पर इसमें भी हाई कोर्ट का कहीं रैफरेन्स नहीं था।

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** : यह जो पोइन्ट है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पैंडिग में पड़ा है, तो वहां रैफरेन्स के लिये एप्लीकेशन फाइल कर देने से टैक्स स्टे नहीं होगा, यह ठीक है। पर इसका यह मतलब नहीं कि बोर्ड ऑफ रेवन्यू या हाई कोर्ट स्टे नहीं कर सकती, simply by giving an apdlication of reference or application to the Revenue Board, not to the High Court. अब इसमें हाई कोर्ट तो पिक्चर में ही नहीं आया। चूंकि एप्लीकेशन फाइल कर दी रैफरैन्स के लिये रेवन्यू बोर्ड में इसलिये हाई कोर्ट को पॉवर स्टे करने के नहीं हैं।

अब कल आपने जो उत्तर दिया था वह इसी दृष्टि से समझ कर दिया था, जो गलत था। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें तो मालूम होगा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक रिवीज़न खारिज हो गई और इसके बाद में किसी व्यक्ति ने दर्ख्वास्त फाइल की कि मैं हाई कोर्ट में जाना चाहता हूं रैफरैन्स के लिये ग्रौर वह दर्ख्वास्त उसकी जब तक पैंडिग में रहती है, डिस्पोज़ ऑफ नहीं होती है तब तक के लिये टैक्स पे नहीं समझा जावेगा। यही समझा जावेगा। यह नहीं कि हाई कोर्ट स्टे नहीं कर सकता। हाई कोर्ट तो अभी पिक्चर में ही नहीं आता। बोर्ड ऑफ रेवन्यू तक ही सीमित है मामला। वह तो सिर्फ डेट ऑफ एप्लीकेशन से या डेट ऑफ डिस्पोज़ल से या बोर्ड नहीं कहे तब तक के लिये है। सिम्पली बाई एप्लीकेशन स्टे नहीं समझा जावेगा।

**श्री मानिकचंद सुराणा** : सब सेक्शन (१) तो हाई कोर्ट पिक्चर में ही नहीं है।

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** : रेवेन्यू बोर्ड स्वयं स्टे दे सकता है। हाई कोर्ट तो बाद में आवेगा।

**श्री परसराम मदेरणा** : उनका इन्टरप्रिटेशन गलत है। अब जहां तक कोलायत

( श्री परसराम मदेरणा )

से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया उसका सवाल है, वह रैफरैन्स बोर्ड का नहीं है, बोर्ड का तो रिवीजन होगा। रैफरैन्स के सेक्शन में सब सेक्शन (७) में यह बात लिखी है कि:—

An application has been made under sub-section (1) shall not be stayed pending the disposal of such application or any reference made in consequenee thereof.

इसको साफ पढ़िये।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : This is for disposal of application only.

श्री परसराम मदेरणा : उसमें सब सैक्शन (२) में भी रैफरेन्स करने की बात है। वह सब सैक्शन (१) के रिफ्यूजल करने के बाद अराइज़ होती है, जो कॉन्सीक्वेन्शियल है। उसमें भी स्टे का प्रावधान है और (२) में भी प्रोविजन हैं। तो मैंने लॉ डिपार्टमेन्ट को पूछ लिया है। यह इन्टरप्रिटेशन लॉ का सही है, जो हाई कोर्ट में स्टे हुआ है। लोगों ने स्टे के लिये एप्लाई किया है और स्टे के पॉवर हाई कोर्ट के इस सब सैक्शन के नीचे फैटर्ड हैं। एक भी रैफरेन्स के केस में स्टे नहीं दिया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बोर्ड ऑफ रैवेन्यू ने स्टे दिया कि नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : दिया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा ; बोर्ड ऑफ रैवेन्यू के पॉवर्स कर्ब कर दें, आप यह चाहते हैं ? हमारे पॉवर्स फैटर्ड नहीं हैं। उन्होंने स्टे दे दिया और केस स्टे कर दिया। इसलिये हाई कोर्ट की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। ऊपर की अदालत को स्टे देने का सवाल ही नहीं पैदा होता जब कि नीचे की अदालत ने ही दे दी। बोर्ड ऑफ रैवेन्यू ने इन्टरप्रिटेशन कर दिया। अब आप कहते हैं, लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी व्याख्या कर दी। तो बोर्ड ऑफ रैवेन्यू खुद ने स्टे दिया है वह सब-सैक्शन (१) में दिया है। अब सब सैक्शन (७) के डालने से जो परिस्थिति पैदा हो गई उसका मुकाबला करने के लिये अमेंडमेंट ला रहे हैं। आप तो यह कहिये। यह स्टेण्ड लीजिये। वह क्यों कहते हैं ? इसकी मंशा यह है। बोर्ड ऑफ रैवेन्यू कहता है। वे तो कहते हैं स्टे कर सकते हैं। आप मानते हैं कि उन्होंने स्टे किया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सब सैक्शन (७) के नीचे स्टे करने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : सैक्शन १४ के नीचे जो भी ऑथोरिटी का ऑर्डर है जो या तो अपीलेबल है, या रिवीजनेबल है। जो रिवीजन होता है बोर्ड ऑफ रैवेन्यू में होता है। असेसिंग ऑथोरिटी को भी हो सकता है और रिवीजन अपीलेट ऑथोरिटी को भी हो सकता है। रिवीजन के अन्दर स्टे ऑर्डर सैक्शन १७ में होता है। उनमें स्पैसिफिक प्रावधान नहीं है कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास में रिवीजन होगा तो उसकी एक एक प्रोसीडिंग के ड्यूरेशन के अन्दर स्टे करेगा; इसका प्रोविजन नहीं था। वह तो हाई कोर्ट के सम्बन्ध में है।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिए हाई कोर्ट के सम्बन्ध में जो है वह है।

अब रहा सवाल १४ के नीचे रिवीज़न बोर्ड आँफ रैवेन्यू में होता है और उसके रिविज़न के अन्दर स्पेसिफिकली हमने पॉवर नहीं दिये स्टे के और वे कहते हैं, पॉवर इन्हेरेन्ट इन्क्लूडेड हैं । सेक्शन १४ के नीचे आते हैं। १५ में यह नहीं है । इसलिए स्थिति वैसी ही खड़ी है।

इसलिए राज्य सरकार की मान्यता रही थी कि जहां पर स्पेसिफिकली टैक्स स्टैच्यूट्स हैं, जो लेजिस्लेचर से पॉवर डिराइव करते हैं और इसके बाद में करेन्ट स्टैच्यूट के जरिये इन्क्लूड और इनहैरेन्ट पॉवर हैं उसके इन्टरप्रिटेशन का सवाल है। स्टेच्यूट्स की इसकी अलग अलग मान्यतायें रही हैं और खास तौर से यह कहा है वृन्दा ने जो स्टैच्यूट के सम्बन्ध में है। स्टेच्यूट्स के इन्टरप्रिटेशन के अन्दर जो कोर्ट के एक्ट हैं या डूइंग्ज हैं उसके एग्जीक्यूशन में एसेन्शियली नैसेसरी हैं, एसन्शियली नेसेसरी पॉवर हैं कि नहीं, यह इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न रहता है। पर इसके अन्दर एसेन्शयली जो नैसेसरी हैं और नैसेसरी जो इम्प्लीकेशन हैं, उसके अन्दर मतलब यह है कि रिवीज़नल आँथोरिटी या अपीलेट ऑथोरिटी या रेफरेन्स की आँथोरिटी है, उन कोर्टों को नैसेसरी इम्प्लीकेशन जिनको मानते हैं, उसका मतलब यह है एक्ज़ीक्यूशन या फैसले में डिफिकल्टी तो खड़ी नहीं होती है ।

जहां तक टैक्स का सवाल है, कानूनी मुद्दा है। कानून के पोइन्ट पर फैसला करना टैक्सिंग का इतना नहीं होता है, हालांकि इसी के बेसिस पर पैदा होता होता है । हाई कोर्ट की एडवाइज़री कैपेसिटी में क्या मान्यता है, इसलिए रेफर होता है। इनहैरेन्ट और इम्प्लाइड पॉवर कोर्ट के केस के स्टे के बिना जरूरी है। इन स्टेच्यूट्स के इन्टरप्रिटेशन में जो ऑथोरिटी समझे जाते हैं मैक्सवेल है, कम्पार्ट है, वृन्दा है, इन्टरप्रिटेशन में लिखा है :

"The concept of the implied power would thus go to mean that whenever anything is authorised and specially if a matter of duty requires to be done by law and it is found impossible to do that thing uniess something else is authorised in express terms, then that something else will be supplied by necessary implication."

तो मेरे कहने का खुद मकसद यह है कि इसमें अगर हमने उनकी पॉवर्स को कर्टेल किया है या हाई कोर्ट की पॉवर्स को कर्टेल किया है तो जो टैक्स स्टेचूट्स हैं उसमें जो मुद्दे खड़े होते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि उनको स्टे की पॉवर्स नहीं हो और जो लॉ का पोइन्ट होगा उस पर फैसला नहीं कर सकेंगे या उनकी ज्यूरिस्डिक्शन के अन्दर भी और किसी प्रकार की दिक्कतें खड़ी होंगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : स्टे देने में दिक्कत होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी।

**श्री परसराम मदेरणा** : रेफरेन्स के सम्बन्ध में यह था।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : आपने जो इतना स्पष्टिकरण किया हैं कि रिवीज़न के साथ सैक्शन १४ में कोई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पॉवर्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं की थी। यह सही है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपनें एक्ट में रेस्ट्रिक्ट हो, यह कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए उन्होंने इनहैरेन्ट जुरिस्डिक्शन समझ लिया। इसलिए डिस्प्यूट यह है और जब यह डिस्प्यूट है तो दफा १५ में जब कोई एप्लीकेशन रेफरेन्स की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने गई है, हमारा कहना है कि उस रेफरेन्स की एप्लीकेशन को सुनते समय भी सब-सैक्शन ७ में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने स्टे ऑर्डर्स जारी किये हैं। रेफरेन्स की दर्ख्वास्त को सुनते समय भी जारी किये हैं और ऐसे पच्चीसियों केसेज़ हुए हैं। जब हमने लिख दिया कि स्टे ऑर्डर नहीं कर सकते तो वह उनका इन्टरप्रिटेशन यह लिया गया कि नहीं, हमको अधिकार है और हम कर सकते है और इस तरह के स्टे ऑर्डर्स दिये हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसलिए आपने जो इन्कम टैक्स एक्ट का हवाला दिया था वह भी हमने मंगवाया और उसका भी अध्ययन किया और उसमें जो रूलिंग हुई है उनको भी देखा है और उसमें मन्शा सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई दर्ख्वास्त इन्कम टैक्स की चली जाय तो उसका मतलब यह नहीं है कि उसमें औटोमैटीकली स्टे हो गया, उसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन केसेज़ में अपने माइन्ड को एप्लाई करे और बाद में आर्डर दे कि टैक्स की रिकवरी रुकेगी या नहीं। जिस तरह से नॉन-बेलेबल केसेज़ में मजिस्ट्रेट को माइन्ड एप्लाई करना पड़ता है कि जमानत होगा या नहीं, उसी तरह से जो आपने सुबह इनकम टैक्स का प्रोविज़न बताया उसका मतलब यह था कि हाई कोर्ट में कोई डिस्प्यूट जाय तो टैक्नीकल स्टे नहीं होगा। लेकिन हाई कोर्ट अपना माइन्ड एप्लाई करके ऑर्डर्स जारी करता है और फैसला देता है कि हम कर सकते हैं। इसी तरह से सब-सैक्शन ७ में भी बोर्ड ऑफ रैवन्यू ने भी स्टे ऑर्डर्स जारी किये हैं, यह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। बोर्ड ऑफ रैवन्यू के बीसियों फैसले हैं कि हम स्टे ऑर्डर्स जारी कर सकते हैं।

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** : मैं एक बात बताना चाहता था और जिस केस का भी हवाला दिया था उसमें साफ लिखा है। सुबह भी २६५ का हवाला दिया था :

"Notwithstanding that a reference has been made to the High Court or the Supreme Court or an appeal has been preferred to the Supreme Court, tax shall be payable in accordance with the assessment made in the case."

इसका मतलब इसी से था और इसी की कमेन्ट्री है। उसके नीचे लिखा है:—

"This section provides that the tax shall be payable notwithstanding the pendency of reference in the High Court or the Supreme Court or on appeal to the Supreme Court. The Andhra High Court has held

# Page No 110



(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

that the High Court has power to order in a proper case stay of recovery proceedings pending the disposal of refernce."

और इसके साथ ही साथ मैक्सवेल भी कहते हैं :—

"Where an Act confers a jurisdiction, it impliedly also grants the power of doing all such acts, or employing such means as are essentially necessary to its execution. Thus an Act which empowered justices to require persons to take an oath as special Constables and gave them jurisdiction to inquire into an offence impliedly empowered them to apprehend the persons who unlawfully failed to attend before them for those purposes. Otherwise the jurisdiction could not be effectively exercised.

Where an inferior is empowered to grant an injunction the power of punishing disobedience to it by commitment is implidly conveyed by the enactment, for the power would be useless if it could not be enforced."

इस दृष्टि से आपने जो प्रावीज़न रखा है और जो इन्कम टैक्स का हवाला देकर आपने कहा है उस हवाले से तो साफ है कि इन्कम टैक्स के इतने लिखने के बाद भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की राइट्स को कर्टेल नहीं किया गया है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हमारा इनहेरेन्ट जुरिस्डिक्शन है सिविल प्रोसीजर कोड में और आपका इस प्रकार का कानून लाना बिल्कुल ही कॉन्स्टीट्यूशन के विरूद्ध जाता है और जो आपने प्रोवीज़न सेक्शन ७ में बताया है उसकी भी मन्शा यह नहीं है जो कि आप प्लीड कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सेक्शन १५ में जो बात बताई वह कानूनन वही पोजीशन है चाहे आप मानें या नहीं मानें। आपने जो कही वह बात तो इसलिए नहीं मानता कि आपने २६५ के नीचे फुटनोट की बात कही वह एक हाई-कोर्ट का फैसला है और वह आंध्रप्रदेश का है जिसमें उन्होंने १५१ सिविल प्रासीजर कोड का हवाला दिया है। अब उसके लिए १५१ सिविल प्रासीजर कोड में यह है :—

"Nothing in this Code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Court to make such orders as will be necessany for the ends of justice or to prevent the accused of the process of the Court."

इसका मतलब यह है:—

"Nothing in this code shall be deemed..."

मतलब सिविल प्रोसीजर कोड। इसलिए हाई कोर्ट का जो केस साइट किया है २६५ इन्कम टैक्स के नीचे यह सिर्फ इस कोड के सम्बन्ध में जो इनहेरेन्ट पॉवर्स जहां

(श्री परसराम मदेरणा)

अन्नेसेसरली अराइज़ हो जाती हैं वहां एग्ज़ीक्यूशन के लिए अगर वह पॉवर्स स्पेसीफिकली मेन्शन नहीं हैं तो वह इनेहरेन्ट पॉवर्स कोड को अपने आप हैं। इसका मतलब यह है और डिफरेन्ट इन्टरप्रिटेशन के अन्दर जो आन्ध्र के हाई कोर्ट का फैसला है यह मैटर ऑफ डिस्प्यूट है इसलिए मैं कहूंगा कि इसमें दूसरे व्यूज़ हाई कोर्ट्स के हैं और २६५ में आप देखिये कि जहां एक ओर हम रिवीज़नल आथोरिटी या अपीलेट आथोरिटी या रेफरेन्स की आथोरिटी के सम्बन्ध में जहां स्टे ऑर्डर्स की पॉवर्स उनको नहीं दे रहे हैं वहां पर इन्कम टैक्स के अन्दर सुप्रीम कोर्ट को भी स्टे की पॉवर्स नहीं। ग्रान्ट करने का प्रावधान है २६५ में और इसका इन्टरप्रिटेशन मैक्सवेल का उदाहरण देकर किया है यह उपयुक्त नहीं है और जो फैसला आन्ध्र का हुआ है वह सिविल प्रॉसीजर कोड के प्रावधानों के सम्बन्ध में अगर कोई मुद्दा आये तो उस समय डिक्री को एग्ज़ीक्यूट करने में इनहेरेन्ट पॉवर्स हैं स्टे ग्रान्ट करने के। यह सिविल प्रोसीजर कोड से सम्बन्धित है। स्टेच्यूट से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में काफी एतराज किया कि इस तरह के आर्बीट्रेरी पॉवर्स कमिश्नर को देने जा रहे हैं और मैं ऐसा समझता हूं कि अगर सदन के माननीय सदस्यों की राय है कि सभी अपीलेट, रिवीज़नल और रेफरेन्स की ऑथोरिटीज़ हैं उन सब के पॉवर्स स्टे के मामले में जो कमिश्नर को दिये थे सदन के माननीय सदस्यों की इच्छाओं को और उनकी मान्यताओं को ध्यान में रख कर मैं अभी एक अमेन्डमेंट ला रहा हूं और उसके बाद में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को सेटिस्फेक्शन होगा। इसलिए जो भी प्रावधान इस बिल के जरिये हमने सेल्स टैक्स एक्ट में अमेन्डमेंट करने का सोचा है वह अनकॉन्स्टीट्यूशनल नहीं है और न दूसरों को हैरेसमेंट के लिए है। यह सब कुछ किया गया। उनमें बहुत से प्रोवीज़न्स जो रखे हैं इस बिल के अन्दर व्यापार उद्योग मण्डल ने और दूसरी ऐसोसियेशन्स ने और दूसरे लोगों ने बहुत सी धाराओं का-मैं कह सकता हूं कि ८ धाराओं का स्वागत किया है; इसलिए मैं समझता हूं कि जो क्लॉज़-बाई-क्लॉज़ आयेगा, जो अमेन्डमेंट्स मैं मूव करना चाहता हूं आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं कुछ अमेन्डमेंट्स यहां पर इस विधेयक में ला सकूं और जो माननीय सदस्यों को एतराज हैं वे काफी हद तक मीट आउट हो जायेंगे और इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाये।

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** : एक प्रश्न रह गया था। केज़ुअल ट्रेडर के बारे में रजिस्ट्रेशन की बात थी। शायद उसका रिप्लाई आपने नहीं दिया है।

**श्री सभापति** : उसके बारे में संशोधन है।

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** : कल मैंने रेफर किया था।

**श्री परसराम मदेरणा** : चैयरमैन महोदय, जहां तक जनरल प्रिन्सिपल्स पर बोलने का सवाल है यहां पर फर्स्ट रीडिंग

(श्री परसराम मदेरणा)

में जनरल प्रिन्सिपल्स के बारे में बातें कही थीं उसका मैंने जवाब दिया है। अब क्लॉज बाई क्लॉज आयेगा, उस वक्त सम्बन्धित क्लॉज की बात होगी तब ले लूंगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : संशोधन मूव कर दें, ताकि बहुत से वापिस ले लें।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : इससे पहले कि माननीय मंत्रीजी अपने संशोधन पेश करें मैं यह जानना चाहूंगा कि दो मैटर्स एक गणेशीलाल गेंदालाल, कोटा का है और एक दूसरे के बारे में कहा था मैंने रेवेन्यू बोर्ड के जजमेंट के विरुद्ध सेल्स टैक्स के एक अधिकारी ने यह लिख कर जजमेंट दिया कि कमिश्नर का यह आदेश है कि इसका जनरल एप्लीकेशन नहीं होगा, इन दो मामलों के बारे में जिसमें एक सैल्स टैक्स के अधिकारी ने चार बार डिप्टी कमिश्नर के हुक्म की अवहेलना की है और एक मामले में सैल्स टैक्स के एक अधिकारी ने रेवेन्यू बोर्ड की हुक्म की अवहेलना की है, मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसे मसलों पर मंत्रीजी को कुछ कहना है कि सरकार ऐसे मामलों में जो कि स्पैसिफिकली रेज किये गये हैं उसमें कुछ करना चाहती है या कुछ नहीं करना चाहती है।

**श्री परसराम मदेरणा** : चेयरमैन महोदय, यहां पर इन्डिविजुअल जजमेंट्स के जो टैक्सिंग ऑथोरिटीज के द्वारा या हाई कोर्ट का या रेवेन्यू बोर्ड के कुछ जजमेंट का हवाला दिया या डिप्टी कमिश्नर के कुछ जजमेंट का हवाला दिया, तो मेरे पास समय नहीं था कि उन इन्डिविजुअल केसेज को इस तरह से एग्ज़ामिन करता। मैं उन केसेज में इसलिए नहीं जा सका कि माननीय सदस्यों ने कुछ कानूनी मुद्दे खड़े कर दिये थे और उनमें क्या कुछ करना चाहिए था, इसमें व्यस्त रहा। रात को और सुबह ड्राफ्टिंग में रहा। इसलिए इन इन्डिविजुअल केसेज को नहीं देख सका। मेरे पास समय नहीं था, लेकिन जितने इन्डिविजुअल केसेज जिनमें से एक कोटे का था गणेशीलाल गेंदालाल कोटे का जो है उसमें डिप्टी कमिश्नर के ६-३-५४ के फैसले का हवाला दिया था। इन केसेज को मैं नहीं देख सका।

चेयरमैन महोदय, उसमें यह हमेशा कोई अपीलेट ऑथोरिटी या रिवीजनल आथोरिटी किसी बात को फैसल कर दे और फैसला कर देने के बाद फैसले को नहीं मानने का प्रश्न राज्य सरकार के सामने आता है तो राज्य सरकार जिस तरह से दूसरी ऑथोरिटीज को रेफरेन्स कर देती है सेक्शन ५० के प्रावधान के द्वारा और गोटा किनारी वाला केस हाई कोर्ट में रेफर किया है और मामला सबजुडिस है और उस पर कुछ कहना इस मौके पर उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।

जहां तक दूसरे केस का सवाल है उसके फक्ट्स मेरे ध्यान में हैं। फेक्ट, मुमकिन था कि, इतने थोड़े अर्से में पढ़ भी नहीं सकता था। इसको एग्ज़ामिन करने के बाद जब कभी मौका आयेगा तो जानकारी दूंगा या

(श्री परसराम मदेरणा )

माननीय सदस्य से बात करके उनको कन्विन्स कराने का हर प्रयत्न करूंगा । मैं इतना ही आश्वासन इस वक्त दे सकता हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसकी फाइल मैं आपको दे देता हूं । आप पूरे केस की एग्जामिन कर लें । मैं राज्य सरकार की यह नीति जानना चाहता था कि जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या हायर कोर्ट यह लिख दे कि नीचे के अधिकारी ने हमारा कंटेम्पट किया है, हमारे आदेशों की अवहेलना की है । जब यह ऑब्जर्वेशन हायर कोर्ट कर दे किसी लोअर कोर्ट के लिए तो उन मेटर्स में राज्य सरकार लोअर कोर्ट के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना चाहती है या नहीं और उसको सीरियस व्यू पाइन्ट से देखती है या नहीं । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस बारे में अपना क्या मस्तिष्क बनाया है ?

श्री परसराम मदेरणा : कन्टेम्प्ट के सिलसिले में जैसा कि निवेदन किया आपसे कि हाई कोर्ट का या अपीलेट ऑथोरिटी का या रिवीजनल ऑथोरिटी का, किसी का भी लेते हैं तो कब कंटेम्प्ट किया है, अभी वह जजमेंट हमारे सामने नहीं है इसलिए अभी मालूम नहीं है कि किस तरह से कंटेम्प्ट किया है और कहां कंटेम्प्ट किया है और कंटेम्प्ट किया है तो कहीं करने की बात है तो क्या कार्यवाही उनके खिलाफ करना चाहते हैं, राज्य सरकार यह तभी निर्णय ले सकती है जब कि वह सारा मामला सामने हो । इसलिए जितने भी फैसले हैं वे इन्डिविजुअल फैसले मंगवा कर देखने हैं । मगर डिफिकल्टी यह है कि आपके सब मुद्दे इस तरह के हैं कि यह कोई किसी ऑथोरिटी के द्वारा एक दूसरे के कन्टेम्प्ट करने का प्रश्न नहीं है चाहे वह अपीलेट ऑथोरिटी हो, रिवीजनल ऑथोरिटी हो लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी किसी अपीलेट ऑथोरिटी के फैसले को नहीं मानती हैं या जानबूझ कर उनको एवायड किया है, या फ्लाउट किया हैं यह तो मैं उन इन्डिविजुअल केसेज को देख लूंगा उनके फ्लाउट करने के सम्बन्ध में । निश्चित तौर से राज्य सरकार एग्जामिन करके उसके बाद जो उचित कार्यवाही करनी होगी वह राज्य सरकार करेगी ।

श्री सभापति : संशोधन के प्रस्ताव जो माननीय सदस्य ने रखे हैं उनको वापिस लेना चाहें वह ले लें ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मैंने जो सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव किया है वह वापिस लेता हूं ।

(स्वीकृत)

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्लॉज २ पर...

श्री सभापति : जो सिलेक्ट कमेटी या पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजने के प्रस्ताव हैं वे वापिस लेना हों तो कह दें ।

(विराम)

(श्री सभापति)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ! वापिस लेते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई वापिस लेते हैं ?

प्रश्न यह है कि राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६५ को विचारार्थ लिया जाय। जो इसके पक्ष में हों वे 'हां' कहें।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): 'Noes' have it.

श्री सभापति : खण्ड २; माननीय मंत्री महोदय।

[ इस खन्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :—

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) :
1. Part (b) : Delete the words "or any adventure or concern' occurring in new clause (cc) sought to be inserted in section 2.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :
2. Part (b) : In new clause (cc) sought to be inserted in section 2, omit the expression "whether or not such trade, commerce, manufacture, adventure or concern is carried on with a motive to make gain or/and whether or not any profit accrues from such trade, commerce, manufacture, adventure or concern."

3. Part (b) : Omit part (ii) of new clause (cc) sought to be inserted in section 2.

4. (1) In the amendment proposed by the Minister-in-charge, insert the words 'with or' between the words 'carried on' and 'without';

(2) add the following new subclauses after sub-clause (ii):—

"(iii) Any trade association in the performance of its functions for achieving its avowed objects;

(iv) an industry, where such sales are of outdated Machineries and of capital goods."

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री,वित्त):
5. In sub-clause (b), in the definition of the word "business", add the following as a separate para at the end, namely;—

"but does not include activities of sale, supply or distribution of goods carried on without any profit motive by—

(i) any charitable or religious institution in the performance of its functions for achieving its avowed objects; and.

(ii) an educational institution, where such sale, supply or distribution is made to its students."

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : 6. Part (b) : In new clause (cc) sought to be inserted in section 2. omit the expression, "whether or not such trade, commerce, manufacture, adventure or concern is carried on with a motive to make gain or profit and whether or not any profit accrues from such trade, commerce, manufacture, adventure or concern."

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : 7. In view of the proposed amendment in the definition of 'Business' by the Minister-in-charge the proposed clause (cc) be replaced by the following:—

"(cc) "business" means any trade, commerce or manufacture or any adventure or concern in its nature by a dealer whether or not carried on with the view to make gain or profit and whether or not any profit accrues therefrom and all and every transactions in connection with, or incidental and ancillary to such business:

Provided that any parson or class of persons or institution whether charitable, religious or educational whose avowed object is other than business shall not be included herein."

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि इस विधेयक में कुछ संशोधन के प्रस्ताव जैसा कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान सूचित किया है सदन में प्रस्तुत करने के लिए यहां आसन से अनुमति चाही है। सदन के माननीय सदस्यों की भावना के अनुरूप उन्होंने कुछ संशोधन प्रस्ताव इस समय पेश करने की अनुमति चाही और मैं समझता हूं कि उनके सम्बन्ध में नोटिस नियमानुसार सर्क्यूलेट जैसा होना चाहिए वह नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप सरकार ने कुछ संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मैं समझता हूं कि सर्क्यूलेट नहीं हुए हैं, लेकिन, फिर भी उनको प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर दी जाय इसमें शायद किसी को आपत्ति नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदय, जो आपने अनुमति प्रदान की है और उसकी जो व्यवस्था दी गई है उसके बारे में मेरा कोई एतराज नहीं है। प्रश्न सिर्फ यह है कि ये तीन पेज के एमेंडमेंट्स हैं जो कि माननीय मन्त्रीजी ने अभी पेश किये हैं। इन एमेंडमेंट्स पर काउन्टर एमेंडमेंट्स मूव करना, कुछ प्रोवीज़ो जोड़ना या कुछ वर्ड्स को डिलीट कराने के लिए हमें लोगों को एमेंडमेंट देने का अधिकार है, और यह जो अभी तीन पेज के एमेंडमेंट्स

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

क्यूंलेट हुए हैं। इतने थोड़े समय में चूंकि इतना लम्बा समय नहीं है कि इस तरह के काउन्टर एमेंडमेंट हम आज ही इस चीज पर मूव कर दें। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो समय इस सदन का निर्धारित किया गया है वह सिर्फ ६ बजे तक कार्यवाही चले और उसके बाद में यह बिल जो है और जितने एमेंडमेंट्स हैं उन पर बहस हो चाहे न हो वह कर्सारिली पास कर दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट मन्त्रीजी ने मूव किये हैं तो मन्त्रीजी की भी यह इच्छा नहीं होगी कि इन एमेंडमेंट्स को बिना डिस्कशन के ही रश कर दिये जायं, और यदि सदन की सारे की राय जानना चाहें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धाराओं पर डिस्कशन कर लें जिन पर एमेंडमेंट नहीं है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): एक घंटे का समय है और हो सकता है कि तीन घन्टे भी विधान सभा में डिस्कशन में लग जायं। चूंकि एक लाख एसेसीज का सम्बन्ध इस सेल्स टैक्स एक्ट का है इसलिए एक लाख आदमियों को इफेक्ट करने वाला यह एक्ट है इसलिए सदन का समय २–३ घन्टे बढ़ा दें, और इस पर कई अमेंडमेंट्स जो आज शाम को दिये जायं वे कल सुबह तक आपको मिल जाय तो मैं समझता हूं कि कल सुबह उन पर बहस करने और मूव करने की इजाजत आपके द्वारा दी जानी चाहिए ताकि राजस्थान की जनता यह न कह सके कि ये एमेंडमेंट्स दो बजे, तीन बजे आये और ५ बजे तक उनको पास करके सारे विधायक घर चले गये और उनको पढ़ने का किसी ने कष्ट नहीं किया और एक लाख आदमियों के भाग्य का निर्णय बिना पढ़े हुए, बिना समझे हुए कर दिया। मैं आपकी इजाजत चाहूंगा कि इन एमेंडमेंट्स पर काउन्टर एमेंडमेंट्स मूव करने की इजाजत होनी चाहिए।

सभापति महोदय, जो अमेंडमेंट्स मूव किये गये हैं उनको देखने के लिये हमें किताबें भी देखनी पड़ेंगी किस सेक्शन में कहां अमेंडमेंट हुआ है। साथ ही साथ हमने जो अमेंडमेंट दिये हैं उनसे इनके अमेंडमेंट कहां मेल खाते हैं, कहां फर्क पड़ा है इन सारी बातों को देखना पड़ेगा। ये जितने भी अमेंडमेंट्स दिये हैं वे ५ मिनट में तो पास हो नहीं जायेंगे। हमें यह पता नहीं लग सका कि सरकार ने क्या किया है इसलिये इतनी जल्दी में पास कर देना ज्यादती होगी इसलिये सदन से अर्ज करूंगा कि इसके लिये समय दिया जाय।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): इसकी कोपियें सिर्फ दो मेम्बर्स को दी हैं। या तो आप आदेश यह दे दीजिये कि हम चले जावें, मिनिस्टर साहब और दो सदस्य मिल कर पास कर देंगे। दरअसल में या तो एक स्टेटमेंट मन्त्री महोदय से दिलवा दीजिये कि वे क्या क्या अमेंडमेंट करना चाहते हैं।...

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): ये भी आपकी पार्टी के हैं।

श्री विजयसिंह झाला: पार्टी का कोई सवाल नहीं है।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा): माननीय सभापति महोदय....

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : इसके बारे में आसन से जो ओब्ज़र्वेशन्स हुए है वे यह है कि माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए अमेंडमेंट रखे हैं और उन पर डिस्कशन्स हो चुके हैं और बिल्कुल हूबहू वैसे ही अमेंडमेन्ट्स हैं जो पहले से मौजूद हैं तो उनको मंजूर किया जा सकता है। इसके अलावा यदि वर्डिंग्ज़ और कन्स्ट्रक्शन्स में कुछ हेर फेर करके, लीगल डिफेक्ट्स को एग्ज़ामिन करके लाये हैं तो बात और है। उन वर्डिंग्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उनको माननीय सदस्य मंजूर कर सकते हैं। जो भावना माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है उनके अलावा और कोई अमेंडमेंट्स हैं तो अपोज़ीशन एतराज रख सकता है। पहले जो भावना व्यक्त की है उसके अनुरूप है तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : भावना व्यक्त की है या नहीं, यह तो रघुनाथ जी बिश्नोई को भी मालूम नहीं है कि उनको दरअसल में स्वीकार किया है या ज्यादा खराब बनाया है; जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं कह सकते। या तो स्टेटमेंट दे दें, उसके बाद हमारे दिमाग में जो आयगा वैसा करेंगे।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : सवाल यह नहीं है कि अमेंडमेंट दिये हैं, लेकिन ये अभी दिये हैं. सर्क्यूलेट सभी सदस्यों को हुए नहीं हैं, फिर भी उनको विचारार्थ लिया जाय, मैं इस पर ऐतराज यह करता हूं कि पंचायत बिल इस हाउस में पास किया जा रहा था उस समय भी इस तरह के अमेंडमेंट्स लाये जा रहे थे. उस समय व्यवस्था दी गई थी क्योंकि पास करना है इसलिये इनको ले लिया जाय। लेकिन आज आप इंगलिश में अमेंडमेंट्स दे रहे हैं, राज्य भाषा हिन्दी हो गई है, सभी सदस्यों के पास अमेंडमेंट्स नहीं पहुँचे हैं। यदि आप चाहते हैं कि कानून के खिलाफ हाउस में बिल पास कर दिया जाय तो ठीक नहीं होगा इसलिये जब तक हिन्दी की कॉपी नहीं आवे, सभी मेम्बर्स को सर्क्यूलेट न हो जायं तब तक इसको लेना ठीक नहीं होगा। जब तक अमेंडमेंट देने का समय नहीं हो तब तक विचार नहीं होना चाहिये।

**श्री परसराम मदेरणा** : जो कुछ अमेंडमेंट्स मैं अभी लाया हूं वे ऐसे अमेंडमेंट्स नहीं हैं जो राज्य सरकार द्वारा किसी पर्टिकुलर क्लॉज़ को अपने व्यू पोइन्ट से ज्यादा स्ट्रिन्जेन्ट बनाने के लिये हों। जो पहले अमेंडमेंट्स आये थे, पंचायत बिल का हवाला दिया उसमें सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स आये थे जिनसे मेटीरियल परिवर्तन कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ये अमेंडमेंट्स माननीय सदस्यों की भावना की कद्र करते हुए लाये गये हैं जैसे स्टे के बारे में बिज़नेस की डेफिनिशन में एज्युकेशन इन्स्टिट्युशन्स, चेरिटेबल इन्स्टिट्युशन्स नहीं आये, उनको एग्ज़ेम्प्ट किया जाय उसके लिये क्लोज़ डाला है। स्टे के बारे में यह किया है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को स्टे करने के पॉवर्स दिये हैं। जहां इस तरह के प्रावधान किये हैं वहां कुछ कॉन्सीक्वेन्शियल अमेंडमेंट्स भी लाने पड़े हैं, इस तरह से रखे गये हैं कि पहले एक ही में था

(श्री परसराम मदेरणा)

अब रेवेन्यू बोर्ड का प्रावधान रिलेवेन्ट सेक्शन में जायगा, स्टे की पॉवर्स आप रेवेन्यू बोर्ड को देना चाहते हैं तो नेचुरली पहले जो कमिश्नर को एक ही व्यक्ति को पॉवर दे रहे थे उसके लिये एक क्लाज़ था, अब रिविज़न का सेक्शन १४ है. रिविज़न सुनने वाली आॅथोरिटी को स्टे के पॉवर्स हैं तो उसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ा है, कुछ कांसीक्वेन्शियल हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आपने रिविजन का रेवेन्यू बोर्ड को पॉवर दिया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपने पढ़ा नहीं क्या ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : कहां पढ़ा, समय कहां था ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया । जैसा कि मन्त्रीजी ने फरमाया ये अमेंडमेंट्स उस तरह के हैं जैसे माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये थे। इस बहस में भाग लेने वाले तो ५,१० सदस्य होंगे सारे हाउस ने तो बहस में भाग नहीं लिया था । ये अमेंडमेंट्स आपने केवल २ सदस्यों के पास भेजे, दूसरों को तो पता भी नहीं है कि क्या अमेंडमेंट्स आपने रखे हैं। जब तक हमें पता न हो कि क्या अमेंडमेंट्स पेश किये हैं तब तक हम क्या राय दे सकेंगे। इसलिये जब तक हमारे पास अमेंडमेंट्स की कोपी नहीं आवे, हम उनको पढ़ नहीं लें तब तक आप कैसे पास करवाना चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : कॉपी भी हिन्दी में।

श्री विजयसिंह झाला : आप इन दोनों सदस्यों को मकान पर बुला लें हम सब चले जावें।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति प्रस्तुत की है, इस विधेयक के सम्बन्ध में सरकार की ओर से संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनका हिन्दी अनुवाद प्राप्त नहीं हुआ है इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि विधेयक के महत्व को देखते हुए आवश्यक है कि इनका अंग्रेजी अनुवाद और हिन्दी में मूल प्राप्त होना चाहिये, इसलिये इन संशोधनों को अभी पास न करके जिन धाराओं पर सरकार के प्रस्ताव नहीं हैं उनको अभी पास करें या जिन धाराओं पर किसी के संशोधन नहीं है उनको अभी पास कर देते हैं। इनकी एक्स्ट्रा कॉपीज हों वे माननीय सदस्य जानना चाहें उनको दे दें। इन धाराओं के बाद आवश्यकता हुई तो समय माननीय सदस्यों को दिया जायगा।

श्री विजयसिंह झाला : मेरी समझ में बहुत कम ऐसी धाराएं हैं जिन पर अमेंडमेंट्स नहीं हैं, जिन पर ऐतराज नहीं हैं वे पास हो जायेंगी।

श्री सभापति : जिन धाराओं पर संशोधन प्रस्ताव नहीं हैं उनको पारित कर दिया जाय तो आपत्ति नहीं होगी। खण्ड ३, खण्ड ४, खण्ड १४, खण्ड १७ और खण्ड २०—इनमें कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं हैं। सदन की अनुमति हो तो मैं उनको पेश कर दूं। माननीय सदस्यों के संशोधन प्रस्ताव

(श्री सभापति)

इन ५ खण्डों में से किसी में नहीं हैं इसलिये इन पांचों खण्डों को रख रहा हूं...

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि स्टे का प्रोविज़न खण्ड १४ रखा है; कांसीक्वेन्शियल अमेंडमेंट्स भी होंगे ऐसी स्थिति में दूसरे अमेंडमेंट्स दूसरे सदस्यों द्वारा भी दिये जा सकते हैं...

श्री सभापति : इन खण्डों पर न तो सरकार ने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं न सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं, नियमानुसार जिन पर संशोधन प्रस्ताव नहीं हैं उनको ले सकते हैं, इस पर आपत्ति नहीं हो सकती। अधिक से अधिक आपत्ति यह हो सकती है कि जिन खण्डों पर सरकार ने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उनके लिये समय मांग सकते हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : कुछ खण्ड ऐसे हो सकते हैं जिनके लिये कम्प्लीट खण्ड डिलीशन की मांग करें, इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक खण्ड लिया जाय।

श्री सभापति : मैं एक एक खण्ड को अलग अलग लूंगा, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जैसा आप अपने लिये अधिकार चाहते हैं उसी तरह से दूसरों को भी सहयोग दें। अनिवार्य रूप से जो ऐसी खण्ड हैं जिन पर विरोध करना चाहिये उन पर सरकार विचार करेगी और यह उसी का परिणाम है कि जो विचार आपके द्वारा व्यक्त किये गये थे उन्हीं से बाध्य होकर संशोधन प्रस्ताव लाये हैं।

(विराम)

खण्ड ३

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ३। विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ४

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड १४

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड १४, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : सभापति महोदय, आपके द्वारा "खण्ड" बोलने के बाद में हमें खण्ड देखना पड़ता है और क्योंकि उसके बीच में कोई समय ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तो श्री सम्पत्तिलाल बोहरा की तरह एडवोकेट नहीं हैं कि जान लें खण्ड १४ में क्या है और हमें मालूम पड़ जाय; इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा... ।

**श्री सभापति** : आप जैसा चाहें वैसा कर लें ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : खण्ड १४ पर निवेदन करना है और इस पर कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं ।

**श्री सभापति** : स्वीकार तो हो गया ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : स्वीकार तो हो गया । हम खण्ड देखते रह गये और वह स्वीकार हो गया ।

**श्री सभापति** : आप क्लॉज १४ के बारे में बोलना चाहते हैं ? क्या है उसमें ?

(विराम)

आप कहते हैं कि क्लॉज १४ पर बोलना चाहते हैं ? फिर कैसे कहते हैं कि क्लॉज १४ पर बोलना चाहते हैं ?

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : क्लॉज १४ कहा । यह सेक्शन १४ है ।

**श्री सभापति** : क्लॉज १४ !

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : खण्ड !

**श्री सभापति** : सेक्शन पास नहीं करते हैं, सदन क्लॉजेज पास करता है । आपने कोई अमेंडमेंट नहीं रखा है क्लॉज १४ में ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : इसके द्वारा सेक्शन १४ को नहीं किया गया है, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

**श्री विजयसिंह झाला** : इसको रहने दीजिये !

**श्री सभापति** : कौन सी ?

**श्री विजयसिंह झाला** : १४ !

**श्री सभापति** : क्लॉज १४ तो पास कर दिया । आगे ध्यान रखेंगे । वैसे मैं क्लॉज रखता हूं तो ध्यान रखता हूं कि कोई सदस्य बोल तो नहीं रहे ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : समय नहीं रहा !

**श्री सभापति** : आप रख दें । इस क्लॉज में क्या है ?

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : मैं अब कह देता हूं ।

**श्री सभापति** : क्या है ?

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** ( सांचोर ) : संशोधन बोलें, कोई सम्बन्धित हो तो !

**श्री सभापति** : खण्ड १७

(विराम)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड १७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड १७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड २०

**श्री विजयसिंह झाला** : सुराणाजी को १७ वां खण्ड मिला नहीं है अभी।

**श्री सभापति** : अमेंडमेंट।

वह महत्वपूर्ण होता तो जरूर देते, क्योंकि बाकी के खण्डों पर संशोधन दिये हैं।

(विराम)

खण्ड २०

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २० विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड २० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

खण्ड २, खण्ड ५ और खण्ड ६ में माननीय मन्त्री के संशोधन हैं इसलिए इनको बाद में लेंगे।

खण्ड ७।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : Kindly move your amendment.

इसके बाद खण्ड ११ व खण्ड १२ लेंगे। इसलिए बाकी के सदस्य चाहें तो उन पर विचार कर सकते हैं।

**श्री विजयसिंह झाला** : सभापति महोदय, इसका हिन्दी अनुवाद नहीं आया है। आपकी व्यवस्था हुई है उसके अनुसार मूव नहीं कर सकते!

**श्री सभापति** : कौन?

**श्री विजयसिंह झाला** : वर्ना जो आपने व्यवस्था दी, सभापति महोदय, हिन्दी अनुवाद और अंग्रेजी की प्रति—दोनों साथ नहीं हो तब तक महत्वपूर्ण विचार नहीं हो सकता। सुराणाजी ने जो अमेंडमेंट मूव किया है उसका हिन्दी अनुवाद नहीं मिला है। इसलिए आपने जो व्यवस्था दी उसके विरूद्ध वे अपना अमेंडमेंट मूव कर रहे हैं।

**श्री सभापति** : मैंने व्यवस्था दी है कि जो खण्ड महत्वपूर्ण हों, न कि संशोधन महत्वपूर्ण हों!

**श्री विजयसिंह झाला** : यह व्यवस्था नहीं है कि कौन सा खण्ड महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं है। इसलिए जो व्यवस्था दी है उसके अनुसार जब तक हिन्दी अनुवाद न आ जाय तब तक अमेंडमेंट मूव नहीं हो सकता; इसलिए यह आपकी व्यवस्था के विपरीत है। जब तक हिन्दी अनुवाद न हो जाय वाद-विवाद नहीं हो सकता!

श्री सभापति : मैंने कहा कि अंग्रेजी मैटर और साथ में हिन्दी अनुवाद दें। अब आप समाजवादी दल के सदस्य हैं; उनकी नीति है उनके अनुसार वह दें या न दें, यह उनके देखने की बात है।

श्री रघुनाथ विश्नोई ( सांचोर ) : हिन्दी कर लें।

श्री सभापति : खण्ड ७।

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : 1. In new section 12 A, sought to be inserted, substitute the expression "Board of Revenue" for the expression "Commissioner" whereever occurring.

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : 2. In clause (b) of sub-section (1) of new section 12 A, proposed to be inserted after the expression "or if tax is payable" insert the expression "the point and,"-

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : 3. In new section 12 A, sought to be inserted, substitute the expression, "Board of Revenue" for the expression "Commissioner" wherever-occurring.]

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, मैंने क्लॉज ७ में जो संशोधन दिया है उसको मैं मूव करता हूं। जो इस धारा में संशोधन पेश किया है उसमें यह लिखा है कि जहां वर्ड "कमिश्नर" है वहां शब्द "कमिश्नर" की जगह शब्द "आयुक्त" का प्रयोग किया गया है वहां बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शब्दों का प्रयोग किया जाय ; इस क्लॉज ७ के द्वारा, सभापति महोदय, एक नये क्लॉज को प्रविष्ट किया गया है १२ ए, यह नया अमेंडमेंट सेल्स टैक्स एक्ट में लाया जा रहा है और इसकी मंशा यह है कि जो भी टैक्सेज इस लेजिस्लेचर ने इम्पोज किये हैं, जो बिक्री कर लगाया है, उस बिक्री कर को लगाने में-किस वस्तु पर क्या टैक्स हो—इस बात का विवाद हो जाय तो उस विवाद को तय कमिश्नर करेगा और जो कमिश्नर तय करेगा, वह उनका तय किया हुआ फाइनल समझा जायेगा। यह इस धारा में कहा गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके सब-क्लॉज (३) में कहा गया है, यदि कोई निर्णय किसी अधिकारी ने कर दिया, किसी असेसिंग ऑथोरिटी ने कर दिया है और वह मामला अपीलेट कोर्ट में पेंडिंग हो तो ऐसा मैटर कमिश्नर के सामने १२ (ए) के तहत नहीं जा सकेगा और उस पर निर्णय वह नहीं करेगा। सभापति महोदय, इस नये सेक्शन का, इस नये खण्ड का मतलब यह होगा कि अगर कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जायगा कि किस चीज पर कौन सा टैक्स लगे, तो कमिश्नर का फैसला फाइनल हुआ माना जायगा। मेरा संशोधन है कि कमिश्नर चूंकि डिपार्टमेंट का प्रतिनिधि है और क्योंकि टैक्स एक महत्वपूर्ण चीज है इसलिए इस पर जुडीशियल प्रोनाउन्समेंट होना चाहिए। इसमें मेरा संशोधन है कि यह ताकत, यह अधिकार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को होना चाहिए और कमिश्नर के पास रहना उचित नहीं कहा जा सकता।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

इसके साथ नये क्लॉज़ के ऊपर दूसरा एतराज है वह यह है कि इसके द्वारा जितनी अपील की कार्यवाही चल रही है, जितनी निगरानी की कार्यवाही चल रही है, तो अपील और निगरानी की कार्यवाही अन्डर दी एक्ट चूंकि डिप्टी कमिश्नर के पास होती है, और राजस्थान में चूंकि टैक्स लगाया है उसके पचासों मामले एक तरीके के डिप्टी कमिश्नर के पास पेंडिंग हो सकते हैं। तो जो मामले पेंडिंग हैं उनकी पार्टी दर्ख्वास्त नहीं दे सकती कमिश्नर के यहां पर और जिस तरह के पोइंट्स उन मामलों में इन्वोल्व्ड हैं उसी तरह के पोइन्ट्स दूसरी पार्टी के हों जिनके केस पेंडिंग नहीं हो, वे कमिश्नर के यहां पर एप्रोच कर सकते हैं और कमिश्नर उस पर फैसला कर देगा। मेरा निवेदन यह है कि ऐसे पेंडिंग केसेज़ की अपील कमिश्नर के पास होगी। नतीजा यह होगा कि डिप्टी कमिश्नर को जो अपील प्रोवाइड की है उस अपील को एक तरीके में होने का अधिकार कमिश्नर महोदय के पास देना चाहते हैं। यह सारा नया क्लॉज़ इन्ट्रोड्यूस किया है, जो नया क्लॉज़ पेश किया है उसकी यह मंशा है। मैं सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि कमिश्नर को अधिकार देना चाहते हैं, यह अधिकार कमिश्नर को न होकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को होना चाहिए क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो जुडीशियल प्रोनाउंसमेंट किसी विषय में कर देगा कि इस पर इतना टैक्स होना चाहिए तो वह मान्य होगा। इसलिए मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है कि यह अधिकार कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को नहीं हो और हम चाहते हैं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी टैक्स के मामले में जुडीशियल प्रोनाउन्समेंट करता है तो वह मान्य होगा। मैं इसलिए समझता हूं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मेरा संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस सरकार के खिलाफ कोई फैसला करे तो यह सदन मौजूद है। अगर आप उसके फैसले से एग्री नहीं करते हैं और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो टैक्स रेट लगाई है वह ठीक नहीं है तो हमने नोटिफिकेशन की पॉवर दे रखी है और टैक्स को घटाने या बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कमिश्नर को यह अधिकार नहीं होना चाहिए और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यह अधिकार होना चाहिए।

**श्री सभापति** : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा !

**श्री मथुरादास माथुर** (विधि मंत्री) : मैंने एक स्टेटमेंट देने का वायदा किया था। आपकी इजाजत मुझे हो जाय तो मैं पांच मिनट के लिए हाउस की प्रोसीडिंग्ज़ इन्टरप्ट कर लूं।

**श्री सभापति** : आप पांच मिनट ठहर जायं। क्लॉज़ पास कर लें।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : पांच मिनट में हो जायगा ?

**श्री सभापति** : पांच मिनट में हो जायगा ? सदन का समय आधा घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

(५ म. प.)

**श्री सम्पतिलाल बोहरा** ( मावली ) : सभापति महोदय, क्लॉज ७ में मेरा यह अमेन्डमेंट है :

"In clause (b) of sub-section (1) of new section 12 proposed to be inserted after the expression 'or if tax is payable' insert the expression 'the point and.'

ये शब्द बढाये जावें कि इसमें कमिश्नर के द्वारा जो पोइन्ट डिस्प्यूटेबल है और उसमें महीनों तक कोई जवाब नहीं मिलता और उसकी कोई लीगत सेंक्शन नहीं कि वह पेंन्डिग है या नहीं, इस बात का लोगों को पता नहीं लगता। इसलिये मेरा जो प्रस्ताव है वह यह है कि पोइन्ट मालूम हो जाय कि किस पोइन्ट पर जानकारी करनी है कि किस बिन्दू पर टैक्स लगेगा। इससे फायदा होने वाला है बहुत छोटे छोटे व्यापारियों को क्योंकि जो लोग हाई कोर्ट में जाते हैं वे तो बड़े बड़े लोग होते हैं। ओरडीनरी मैन है वह यह जानना चाहता है कि किस आइटम पर क्या टैक्स है और हम छुट्टी पावें। छोटे छोटे व्यापारियों का यह दृष्टिकोण है कि जो पैसा उनको देना है वह दे दें। मगर यह भी स्पष्टीकरण कर दिया जावे कि कौन से बिन्दु से देय होगा। इसके साथ ही इसमें जो यह दिया गया है कि ऑर्डर अपीलेबल है तो वह अपील कौन करेगा ?

वित्त मंत्री मेरी बात सुनिये। मेरा जो कहना है वह यह है कि जो निर्णय लिया और आपका ख्याल है कि वह सही या तो जन-साधारण को कोई फायदा होने वाला नहीं है, अगर वह आपकी फाइल में पड़ा रहेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आवश्यकता है इस बात की कि इस प्रकार जो भी निर्णय हों उनको गजट में प्रकाशित किया जावे और जितनी बार एसोसियेशन्स हैं रजिस्टर्ड उनको उसकी एक एक कॉपी दे दी जावे ताकि वह नोटिफिकेशन का रूप ले सके। नोटिफिकेशन निकालने से वह सब पर लागू हो जावेगा उसका छोटे से व्यापारी को भी पता लग जावेगा अगर आपकी फाइल में ही रह जावेगा तो वह आपकी फाइल में तो मौजूद होगा मगर जनता को मालूम नहीं होगा। किसी के लाखों का फर्क पड़ता होगा तो वह कैसे अपील करेगा ?

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का ऑर्डर हो उसको पब्लिकली अनाउन्स करें या सक्यूंलर के द्वारा बार एसोसियेशन के पास भेजें और चेम्बर ऑफ कामर्स और दूसरी व्यापारी संस्थाएं हैं उनके पास भेजें। इसमें प्रावधान है कि उसकी अपील हो सकती है। दूसरा आदमी रेज नहीं कर सकता। एक आदमी ने एक पोइन्ट रेज किया और कमिश्नर के यहां फैसला उस पोइन्ट का हो गया और वह आपके यहां पर फाइल में बन्द रहा उस फैसले की सारे राजस्थान के लोगों को मालूम नहीं और अपील वही कर सकता है जिसका फैसला हुआ। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है इसके लिये आप गजट में प्रकाशित करावें और ज्यादा से ज्यादा प्रचार करावें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीबाद) : सभापति महोदय, इस सिलसिले में सबसे पहली बात मैं यह समझता हुं कि इस क्लॉज में ऐसी कोई बात नहीं है जो को-सीक्वेन्शल हो और इसमें आती हो।

"any person, society, club or association or any firm or any branch or department of any firm, is a dealer,...

यह कमिश्नर पर रखा गया है जब कि खुद के लिये ओरिजिनल क्लॉज है उसमें है और इसमें संशोधन सरकार की तरफ से लाया जा रहा है। इसलिये यह कोन्सीक्वेन्ट करना पड़ता है। इसलिये इसको पोस्टपोन करना पड़ता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हू कि इसको बहुत सरल किया जाए।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : इसमें क्या करना पड़ता है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कोई चेरिटेबल सोसाइटी नहीं रही तो क्या होगा ? जिस बात को हम नहीं जानते कि फेवरेबल कन्सीड्रेशन होना चाहिये या नहीं क्या चीज होगी क्या नहीं होगी, क्या निर्णय कमिश्नर करेगा।

श्री सभापति : अगर ये प्रोफिट मोटिव से काम करेंगे तो आवेंगे और अगर प्रोफिट मोटिव से काम नहीं करेंगे तो नहीं आवेंगे

"But it does not include activities of sale, supply or distribution of goods carried on without any profit motive by-

(i) any charitable or religious institution in the performance of its functions for achieving its avowed objects and-ii) an education institution to its students."

तो प्रोफिट मोटिव से नहीं होगा तो एग्जेम्प्शन में आ जावेगा और प्रोफिट मोटिव में होगा तो नहीं आवेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप फिर भी उनको वेग छोड़ना चाहते हैं। यह प्रोफिट का मोटिव होगा या नहीं, जैसा आपने इसमें रखा है चेरिटेबल इन्सटीट्यूशन की हालत में। ऐसी हालत में आपने चेरिटेबल इन्सटीट्यूशन पर उनके प्रोफिट के मोटिव की बात करके तलवार को लटका दी। इन पर मुमकिन है जो सरकार संशोधन लाई है उसमें और संशोधन करे। इसलिये मेरा इस पर भी शक है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कानून के बारे में कितने ही डिस्प्यूट्स होते है। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को सही कानून और सरल कानून बनाने चाहिये जो सब के समझ में आ जावे। आज सरकार इस बात का नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकती कि कितना टैक्स लगेगा। कितना डिटर्मिनेशन हो और दूसरा प्रश्न अपील में जाते हैं वहां डिपार्टमेंट सही तौर से एग्जिक्यूटिव तरीके से नकल रखे कि इतना टैक्स वसूल कर लिया। २ परसेन्ट है या ६ परसेन्ट के बजाय १० परसेन्ट की केटेगरी में आता है। इसका बराबर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों में झगड़ा चलता रहता है। सरकार खुद निकाले तो देने वाले और लेने वाले को साफ जाहिर हो। यह प्रश्न डिपार्टमेंट और व्यापारियों के बीच का नहीं है। यह असलियत है वह तो दलाल की तरह से टैक्स वसूली का काम करते हैं। अगर किसी व्यापारी ने दो परसेन्ट न लेकर १० परसेन्ट ले लिया और दो परसेन्ट की मांग थी तो हाई कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट ने तय कर दिया कि दो परसेन्ट ठीक है। तो इससे तो उसने बाकी का पैसा बचा लिया और वह पैसा उसके पास रह जाता है इसलिये यह डिटर्मिनेशन कमिश्नर पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये। इसके लिये हमें नोटिफिकेशन निकालना चाहिये कि कितना परसेन्ट टैक्स किस पर है। जिससे टैक्स पेअर यह डिटर्मिन कर सके कि वह व्यापारी जायज टैक्स ले रहा है या नाजायज टैक्स वसूल कर रहा है?

आज हमारी हालत यह होती है कि एक चीज लेने के लिये जनता बाजार में जाती है तो व्यापारी जो चाहता है टैक्स ले लेता है और फिर डिटर्मिन हुआ करता है। मैं सारे लिटिगेशन्स को खत्म कर रहा हूं, डिटर्मिनेशन की चीज किसी व्यक्ति पर नहीं छोड़नी चाहिये। डिटर्मिनेशन का अधिकार कमिश्नर को नहीं देना चाहिये, मिनिस्टर का नाम रखा जाय, कमिश्नर की जगह मिनिस्टर करे तो हमें संतोष तो हो कि इलेक्टेड मेम्बर ने किया है, करेंगे वैसा भरेंगे; हमने जिसे चुना उस इलेक्टेड मेम्बर ने किया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह नजरे इनायत वाला मामला मिनिस्टर पर ही छोड़ा जाय, जिससे कम से कम हमें संतोष तो हो। १० पैसे किसी चीज पर देने वाला रिक्लेम करने की स्थिति में नहीं है, इसलिये इस क्लॉज को इस तरह कन्स्ट्रक्ट करना चाहिये, यह बड़ी सीरियस बात है, सरकार इसको कन्सीडर करेगी। मैं चाहूंगा कि इसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट हो, उस पर जो फैसले कमिश्नर ने, रेवेन्यू बोर्ड ने, हाई कोर्ट ने दिये हैं, उनको लेकर केटेगोरिकली सरकार की तरफ से लिस्ट दी जाय।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप कौनसे क्लॉज पर बोल रहे हैं?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप देख लीजिये। पर मार कर क्यों उड़ रहे हैं?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैंने देख लिया है। मुझे मिला नहीं, इसलिये आपसे पूछ रहा हूं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मिलेगा कहां से, चश्मा जो लगा रखा है आपने।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : चश्मा तो आपने भी लगा रखा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस चश्मे में और आपके चश्में में फर्क है। आपके चश्मे से ऐसा लगता है कि अभी आप पर मार कर उड़ जावेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): उनका कांग्रेसी चश्मा है, आपका और है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : आप दोनो एक हैं।

कमिश्नर करेगा :

"Commissioner shall make an order determining such question."

उसी सिलसिले में कह रहा हूं, डिटर्मिन का क्वैश्चन उठाया जा सकता है। जब कि साफ तौर से टैक्स चाहते हैं ऐसी लिस्ट दें, ताकि टैक्स देने वाला भी समझे कि व्यापारी जो टैक्स ले रहा है वह ठीक है या नहीं। मिनिस्टर साहब चाहते हैं वही काम तो कमिश्नर से वे लेते हैं; तो क्यों नहीं कमिश्नर की जगह फाइनेन्स मिनिस्टर किया जाय।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : सभापति महोदय, मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि कमिश्नर के स्थान पर बोर्ड आॅफ रेवेन्यू कर दिया जाय।

**श्री सभापति** : वही मानिकचन्दजी ने रखा है पुष्टि में; और फैक्ट्स हों तो रखिये।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : कुछ और अर्ज करना चाहता हूं, टैक्स की रेट तय करने के लिये कमिश्नर को एम्पॉवर किया है। ज्वालाप्रसादजी ने कहा कि मिनिस्टर साहब को यह पॉवर दे दिया जाय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कमिश्नर साहब और मिनिस्टर साहब को देना उचित नहीं होगा

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आपको दे दिया जाय।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : मुझे दे दिया जाय, मैं कर लूंगा।

रेवेन्यू बोर्ड को इस प्रकार का अधिकार सुपुर्द कर दिया जायगा तो किसी को यह शिकायत नहीं होगी कि अमुक के साथ पक्षपात किया है।

दूसरा प्रश्न यह है कि जो प्रश्न कमिश्नर साहब के द्वारा तय होंगे उनकी अपील किस जगह होगी, इस प्रकार का कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया है, कमिश्नर के द्वारा डिसाइड किये हुए केस की अपील का प्रावधान नहीं किया है। अपील का प्रावधान इसमें उप-आयुक्त के पास ही किया है, कमिश्नर के फैसले की अपील उप-आयुक्त के पास हो यह तो एक दम असंगत और अनुचित है, कमिश्नर के पास अपील हो नहीं सकती, क्योंकि वे ही फैसला करने वाले हैं। इसलिये कमिश्नर के फैसले की अपील बोर्ड आॅफ रेवेन्यू के द्वारा सुनी जानी चाहिये। इस प्रकार का प्रावधान इसमें किया जाय।

**श्री परसराम मदेरणा** (उप-मंत्री, वित्त) : सभापति महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कमिश्नर की जगह रेवेन्यू बोर्ड वर्ड रखने का अमेंडमेंट मूव किया है, मैं उसको मानने में असमर्थ हूं, इसलिये मानने में असमर्थ हूं कि इसको अगर मान लेते हैं तो क्वैश्चन एक ही जगह डिटर्मिन होगा और एक ही जगह एग्ज़ामिन होगा,

# Page No 128



(श्री परसराम मदेरणा)

एक ही ऑथोरिटी क्वेश्चन को डिटरमिन करने वाली और वही रिविज़न करने वाली होगी। दूसरी बात यह है कि इसको अगर स्वीकार कर लेते हैं तो रिविज़न में आगे ले जाया जा सकता है, वह ऑपोर्चुनिटी नहीं रहेगी। तो नेचुरल जस्टिस के प्रिन्सिपल के आधार पर भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। असेसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास रिविज़न में जाता है, असेसमेंट का केस जायगा असेसमेंट से प्रूव कराना चाहता है तो कमिश्नर के पास जायगा, असेसमेंट से संतुष्ट नहीं है तो असेसी को रिविज़न का मौका मिल जायगा।

इसलिये मैं समझता हूं कि कमिश्नर को क्वेश्चन के डिर्टमिन करने का अधिकार देना उपयुक्त होगा।

दूसरा, मावली से आने वाले माननीय सदस्य का अमेंडमेंट है कि क्वेश्चन डिर्टमिन करें, उसमें पॉइन्टे ऑफ क्वेश्चन डिर्टमिन कर लें, यह मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। एक उन्होंने यह रखा कि वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिये, इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा बुलेटिन निकलेगा, जो प्राइस बुलेटिन होगा, उसे हर आदमी पर्चेज कर सकेगा, उसमें यह सब दिया जायगा, इससे माननीय सदस्य ने जो दिक्कत पेश की है, वह हट जायगी।

**श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली)** : एक पोइन्ट।

**श्री सभापति** : बिल्कुल नहीं।

**श्री सम्पतिलाल बोहरा** : केवल एक पोइन्ट क्लीयर करना चाहता हूं।

**श्री सभापति** : Not at all.

**श्री सम्पतिलाल बोहरा** : वह हिन्दी में भी हो।

**श्री सभापति** : अभी कह रहे हैं हिन्दी में हो, फिर कहेंगे मोटे प्रिन्ट में हो।

**श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत)** : मंत्री महोदय ने कहा कि कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ रिविज़न रेवेन्यू बोर्ड में होगा इसलिये कमिश्नर के पास रखने में एतराज़ नहीं है। पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाना पड़ेगा। जो मंत्री महोदय ने कहा है, यदि सरकार की मंशा यह है कि रिविज़न बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रखना चाहते हैं तो मुझे एतराज नहीं है, पर धारा १९ जिसको क्लॉज १४ के द्वारा संशोधित किया है, उसको एग्ज़ामिन करा लें। १३ और १४ अपील और रिविज़न की हैं, उनको एग्ज़ामिन करा लें; कल तक एग्ज़ामिन करा के पोज़ीशन को सेटिस्फाई करा लें। कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ कोई रिविज़न रेवेन्यू बोर्ड में नहीं हो सकती। रिविज़न हो सकता है तो कल एश्योर कर दें और यदि आप सेटिस्फाई हो जायं कि रिविज़न नहीं हो सकती है तो १४ में यह कर दें कि रेवेन्यू बोर्ड में कमिश्नर के ऑर्डर की रिविज़न हो सकेगी।

**श्री परसराम मदेरणा** : रिविज़न के सम्बन्ध में जो क्लॉज १४ है उसमें कहीं स्पेसिफिकली मेन्शन नहीं किया गया है कि

(श्री परसराम मदेरणा)

उन उन मुद्दों पर रिविजन होगा । अपील किन किन-मुद्दों पर, हो सकती है, यह तय किया है । इस क्लॉज को ड्राफ्ट करते समय राज्य सरकार के सामने यह साफ था, इसमें रिविजन होगा, रेवेन्यू बोर्ड के सामने जावेगा और एग्रीव्ड फील करे तो अपना पोइन्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो रिविजन ऑथोरिटी है उसके सामने जाकर कर सकता है । रिविजन को जरूरी समझते हैं । व्यक्ति जो डिटर्मिन करना चाहते हैं उनके सामने यह होना चाहिये ।

श्री मुकटबिहारी गोयल : एक एक्स्प्लेनेशन इसमें जोड़ दिया जाय ।

श्री सम्पतलाल बोहरा : अपील भी हो सकती है । सेक्शन बनेगा । इसमें लिखा है :

" such question may be raised in appeal against, or by way of, revision of, such order...

अपील भी हो सकेगी और रिविजन भी हो सकेगा और अपील करने के लिए सेक्शन १३ आवश्यक है इसलिये यह कॉन्सीक्वेन्शियल अमेन्डमेन्ट उसमें कर दिया जाय ।

श्री परसराम मदेरणा : अपील करता है तो मैं मंजूर नहीं करता । डिप्टी कमिश्नर अपीलेट ऑथोरिटी है । कमिश्नर के हुक्म की अपील डिप्टी कमिश्नर के पास हो तो यह गलत हो जायगा ।

श्री सम्पतलाल बोहरा : "but such quesion shall be raised in appeal against, or by way of revision of, such order..." फिर अपील किसके पास होगी ? "or by way of revision of, such order..." आप ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं । एक तरफ कहते हैं और दूसरी तरफ कॉन्ट्राडिक्ट करते है । आपने लिखा अपील हो सकती है और रिविजन हो सकता है । अपील करवाना चाहते हैं तो क्लॉज १३ में अमेंडमेंट करना पड़ेगा । सभापति महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि जो मेरा अमेन्डमेंट स्वीकार हुआ है, उसके बाद सेक्शन १२ ए. को ड्राफ्ट कर दिया जाय । इसको अच्छी तरह से एग्जामिन कर लें और कॉन्सीक्वेन्शियल अमेन्डमेंट कल मूव कर दीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : अमेडमेंट की आवश्यकता इसलिये महसूस नहीं करता कि कमिश्नर के ऑर्डर का रिविजन होने वाला है और आप अपील करना चाहते हैं ।

श्री सम्पतलाल बोहरा : आपने ही रखा है । मैं तो आपकी ही बात कह रहा हूं । "but such question may be raised in appeal or by way of revision..." अपील और रिविजन दोनों...

श्री सभापति : उसमें कन्फ्यूजन इस कारण से है कि जो उसमें जो सब क्लॉज (३) है वह यह कहता है कि

" if any such question arises from any order already passed under this Act or" और दूसरे ऑर्डर्स कोई हुए

(श्री सभापति)

हों और इसमें कोई क्वेश्चन अराइज हो और उसमें ऐसा मसला तय हो गया हो तो " no such question shall be entertained for determining under this section" कोर्ट में डिटर्मिन हो गया है तो, इसमें नहीं आवेगा और आगे लिखा है :— "but such question may be raised in appeal or by way of revision of such order..."

'such' का मतलब यह है कि ऐसी अपील उस आॅर्डर के खिलाफ होगी जो अपीलेट आॅथोरिटी के द्वारा हटायी जा सकती है। 'सच वर्ड' तीन जगह आ गया है। एक जगह इस सेक्शन में, उस एक्ट के तहत में और फिर 'सच' का यूज इस एक्ट के अन्तर्गत। वह प्रश्न निर्णीत नहीं किया जावेगा। मतलब यह है कि इसका रेसजुडिकेटा नहीं होगा।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : कमिश्नर के डिसिजन की अपील हो सकती है, वह प्रश्न नहीं रहता है। उनकी कहां अपील हो सकती है, इन्टरप्रिटेशन इसमें नहीं है।

श्री सभापति : श्री मानिकचन्द सुराणा !

आप इसको वापिस लेते है या प्रेस करते है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं इस संशोधन के बाद इसको वापिस लेता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): अपील का प्रश्न आपने उठाया है। कमिश्नर कोई मामला तय करता है। उसकी अपील डिप्टी कमिश्नर के पास होगी क्या ?

श्री सभापति : नहीं होगी। कहां लिखा है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : सब क्लॉज (३) में लिखा है। किसके पास अपील होगी ? ६० का सब-सेक्शन, है उसमें लिखा है; ऐसे प्रश्न उस अपील रिविजन में उठाये जा सकेंगे।

श्री सभापति : इसका मतलब यह है कि जो पहले फैसले हो गये हैं उसमें उठाये जा सकेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : I withdraw my amendment.

श्री मनिकचन्द सुराणा : माननीय मंत्री महोदय ने सम्पत्तिलालजी का संशोधन मंजूर कर लिया है, इसलिए मैं अपना संशोधन विदड्रा करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने जो संशोधन रखा है और जिसे माननीय मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड ७, यथा–संशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

माननीय विधि मंत्री।

**श्री मथुरादास माथुर** (विधि मंत्री) : सदन का समय पांच मिनट के लिए बढ़ाया जाय।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय पांच मिनिट के लिए बढ़ाया गया।

(५. २८ म. प.)

## एक महिला के चीनी एजेंन्ट होने विषयक आक्षेप सम्बन्धी शासकीय वक्तव्य

**श्री मथुरादास माथुर** (विधि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय श्री गोकुलप्रसादजी ने अपने भाषण के दौरान में सदन में कुछ बातें कही थीं और उन्होंने हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड तारीख जनवरी ३, १९६५ का जिक्र करते हुए कुछ बातें सदन के सामने कहीं। हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड जनवरी ३, १९६५ में जो खबर छपी है उसकी हैड लाइन है—

"These belated arrests-by Staff Reporter."

उसके बाद में कन्सर्न्ड चीज है वह यह है। पूरी न्यूज को पढ़ता नहीं हूं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : डेट क्या बतायी ?

**श्री मथुरादास माथुर** : जनवरी ३, १९६५।

"A number of people including a Lady-Rajasthan holds large sums for left communists....

How they manage to escape from the arms of the law ?"

यह उसमें एक न्यूज जो कि ८–१० लाइन के कालम में है उसमें ये तीन सेन्टेन्सेज हैं।

यह खबर है। इससे कोई इस सदन के माननीय सदस्यों में या और कोई जगह भ्रम हो कि सदन की कोई माननीय सदस्या इसमें है तो इस खबर से वह भ्रम दूर हो जाना चाहिये। इसलिए इस सदन की माननीय सदस्या के बारे में जो आपस में वहम हुई है इस खबर में कहीं, यह नहीं लिखा हुआ है कि कोई असेम्बली की माननीय सदस्या इस काम को करती हो। लफ्ज ये है:—

"A number of people-including a lady Rajasthan holds large sums for Left Communists."

यह खबर वहां के स्टाफ रिपोर्टर द्वारा हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड डाक एडीशन जनवरी ३, १९६५ में छपी है। इसके अलावा अमृत बाजार पत्रिका का भी आपने जिक्र किया....

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : कॉन्ट्राडिक्शन मैंने उसी समय कर दिया था कि इस सदन की कोई सदस्या नहीं है और न ही हो सकती...

Page No 132



**श्री मथुरादास माथुर** : इसलिये साफ हो जाना चाहिये कि सदन की सदस्या के बारे में कोई न्यूज नहीं।

दूसरा अमृत बाजार पत्रिका २ फरवरी का जिक्र किया गया। उस तारीख की अमृत बाजार पत्रिका शुरू से आखिर तक पढ़ डाली, इस प्रकार की कोई खबर नहीं छपी। २ तारीख के बजाय ३ तारीख में आ जाय, ३ तारीख का भी अखबार पढ़ा उसमें भी ऐसी कोई खबर नहीं। (१) तारीख में भी नहीं। १, २ ३, इन तीन दिनों के अखबार अमृत बाजार पत्रिका पढ़ डाली उसमें कोई इस प्रकार की खबर नहीं जो कलकत्ता से निकलता है।

सभापति महोदय, इस खबर के संबन्ध में इस समय यह भी सूचित करना मुनासिब होगा कि राज्य सरकार का इन्टेलीजेन्स विभाग इस मामले के अन्दर कन्सर्न्ड अधिकारियों यानि जिनके कन्सर्न से यह खबर छपी है उन लोगों के सहयोग से तेजी से कोशिश कर रहा है कि न्यूज का कहां तक आधार है, या निराधार है, वाकई में ऐसी कोई हस्ती है. कोई राजस्थान की महिला ऐसी है, जिसके बारे में छानबीन जोरों से चल रही है इतना ही इस विषय में इस समय कहना उचित होगा। बिल्कुल साफ खबर है, स्टाफ रिपोर्टर की खबर है, न जाने खबर में तथ्य है या नहीं....

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, बाजार) : आप इस समाचार-पत्र के आधार पर यह कहते हैं कि इस सदन की सदस्या नहीं है, क्या जांच के आधार पर भी यह कह सकते हैं कि सदन की सदस्या इन्वोल्वड नहीं है?

**श्री मथुरादास माथुर** : जाच के आधार पर किसी महिला का पता नहीं लगा; "सदस्य" जो वर्ड है, उसका पता नहीं......

**श्री भैरोंसिंह** : सवाल यह है कि जांच हो रही है और जांच पूरी नहीं हुई तो आप यह तो नहीं कह सकते कि सदन की सदस्या इन्वोल्वड नहीं है?

**श्री मथुरादास माथुर** : जांच हो रही है और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है।

**श्री भैरोंसिंह** : कोशिश कर रहे हैं; इसलिये आप कह नहीं सकते कि सदस्या नहीं है। उस औरत का पता कौन लगायेगा?

**श्री मथुरादास माथुर** : अभी नहीं कह सकता कि वह औरत कौन है।

**श्री भैरोंसिंह** : तो आप यह भी नहीं कह सकते कि विधान सभा की सदस्या नहीं है?

**श्री मथुरादास माथुर** : अखबार के अन्दर जिस प्रकार की चर्चा आयी है, उसमें विधान सभा की सदस्या का नाम नहीं है। आज राजस्थान में १ करोड़ के करीब महिलायें हैं, उनमें से ऐसी कौन औरत है, इसकी छानबीन चल रही है।

**श्री भैरोंसिंह** : तो इसका मतलब यह हुआ कि आप विधान सभा की सदस्या को एग्जोनरेट नहीं कर पा रहे हैं।

**श्री मथुरादास माथुर** : अभी तक जांच चल रही है। इसमें विधान सभा की सदस्या का सवाल नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : सवाल तो यही उठाया गया है कि विधान सभा की सदस्या है। श्री गोकुलप्रसादजी ने केटोगोरिकली कहा है कि विधान सभा की सदस्या है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : जिस प्रकार श्री गोकुलप्रसादजी से बात कही, आप उस फैक्ट को डिनाई करते हैं तो इस संबन्धी जो बात कही गई है उसको कार्यवाही से अलग कर दिया जाय। उन्होंने केटेगोरिकली कहा है उससे डिनाई नहीं किया। अगर उनका स्टेन्ड कायम रहता है तो विधान सभा की सदस्या के बारे में निराकरण होना चाहिये।

**श्री मथुरादास माथुर** : अगर उन्होंने न्यूज के आधार पर कहा है तो वह न्यूज मैंने पढ़ कर सुना दी है और बाकी जांच चल रही है और जोरों से चल रही है। जो कुछ गोकुलप्रसादजी ने कहा उसको वापिस लिया जाय या क्या किया जाय, यह तो उनके सोचने की बात है। इन्फोर्मेशन का जो आधार उन्होंने रखा वह मैंने बता दिया। जो कुछ उन्होंने कहा है गलत कहा है तो एक्सपन्ज करवा लें। जब तक यह साबित न हो जाय एक्सपन्ज होना चाहिये। पुलिस के स्तर पर इसकी जांच हो रही है और पता चल जायगा तो सदन के सामने वह आ सकता है। सदन के माननीय सदस्य पूछ सकते हैं।

**श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल** (बयाना) : सभापति महोदय, जब हमारी भारत सरकार ने चाइना एम्बेसी को सब प्रकार की सुविधायें दे रखी हैं, जनता की मांग के बावजूद भी राजनयिक संबंध उनसे विच्छेद नहीं कर रही है वैसी हालत में किसी का वहां आना-जाना अपराध है, मैं ऐसा नहीं मानता। इस तरह की बातें कह कर सदन का बहुमूल्य समय बरबाद न किया जाय।

**श्री भैरोंसिंह** : अमृत बाजार पत्रिका का जो बंगला एडीशन है उसको भी आपने देखा है? उसका नाम आनन्द बाजार पत्रिका है?

**श्री मथुरादास माथुर** : अमृत बाजार पत्रिका का कोई बंगला एडीशन नहीं निकलता।

अमृत बाजार पत्रिका तो नहीं, आनन्द बाजार पत्रिका बंगला में निकलता है वह हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड का ही रूपान्तर है। जिस प्रकार हिन्दुस्तान टाइम्स और उसका हिन्दी हिन्दुस्तान है उसी प्रकार यह पत्रिका हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड का रूपान्तर है....

**श्री भैरोंसिंह** : यह खबर आनन्द बाजार पत्रिका में छपी है....

**श्री मथुरादास माथुर** : जहां तक आनन्द बाजार पत्रिका का सवाल है वह बंगला में निकलती है। न मैं बंगला जानता हूं और न मैं उसको पढ़ता हूं। आनन्द बाजार पत्रिका का इंग्लिश ट्रान्सलेशन मेरे

पास है वह मैं सुना देता हूं। News of the State I. B. reveals that several lacs of Rupees of the pr -Chinese communists are kept with a lady of Rajasthan;"

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : जिस रूप में अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि इसकी जांच हो रही है, जब तक जांच न हो जाय जैसी खबर मैंने सुनी है नाम किसी सदस्या का उसमें था या नहीं, जांच द्वारा पता चल जायगा कि कोई है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : It is for the Home Minister. I do not make any commitment in this connection.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, "माननीय सदस्या" यह शब्द जहां पर आये हैं उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, जब तक मंत्री महोदय यह न कह दें कि सदन की माननीय सदस्या कोई नहीं है, तब तक निकाला नहीं जा सकता।

श्री मथुरादास माथुर : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य डाइनेमिक बात कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मगर जैसी दोनों अखबारों में न्यूज़ आई है "a lady of Rajasthan" राजस्थान की महिला बंगाल में रहती है, उनमें से भी कोई हो सकती है और न्यूज भी कलकत्ता से रिलीज हुई। मैं समझता हूं सदन की माननीय सदस्या के वहम करने की कोई बात नहीं, वे ऐसा गुनाह नहीं कर सकतीं।

श्री भैरोंसिंह : सब से बड़ा गुनाह यह है कि दो तारीख के अखबार में खबर प्रकाशित होती है। विधान सभा की कोई सदस्या शामिल नहीं, लेकिन जिस पत्र में समाचार छपा है उससे आपने जानकारी की है कि सदस्या के बारे में जो लिखा है वह वेग लिखा है।

श्री मथुरादास माथुर : उस पत्र में सदस्या का प्रश्न नहीं।

श्री भैरोंसिंह : यह देशद्रोह का चार्ज है, जो बहुत घातक चार्ज है। आज आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि जांच के आधार पर आप यह कह सकें कि विधान सभा की सदस्या नहीं है। आपने जिस जगह से खबर छपी है वहां से पता लगाने की कोशिश की है ?

श्री मथुरादास माथुर : जिस जगह से खबर पैदा हुई है वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं। खबर भी निराधार है।

श्री भैरोंसिंह : आज आप यह नहीं कह सकते, तथ्य है या नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं जो कुछ सोर्सेज से खबर ले पाया हूं, इन्क्वायरी कर पाया हूं, खबर में तथ्य कम मालूम पड़ते हैं। आगे तथ्य मालूम होने पर नाम खोला जायगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : राजस्थान में ऐसा कोई नहीं हो सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : विधि मंत्री महोदय, प्रश्न यह है कि गोकुलप्रसादजी ने सदस्या कहा। अखबारों में जो खबर आयी है उसके अनुसार "राजस्थान की एक महिला"; तो इस खबर के आधार पर गोकुलप्रसादजी ने जो बात कही वह निराधार है, उसमें कोई तथ्य नहीं है।

श्री सभापति : कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, माननीय गोकुलप्रसादजी ने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी जिसमें 'एक सदस्या' यह कह कर चर्चा की थी। उस रेफरेन्स में जो बात कही गई कि अमुक अखबार में छपी है—आनन्द बाजार पत्रिका या अमृत बाजार पत्रिका और जिन बातों का रेफरेन्स आया, अखबारों का रेफरेन्स आया, इसके बारे में विधि मंत्रीजी ने सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया। अब इस स्थिति में सदन के एक सम्माननीय सदस्या से सम्बन्ध जुड़ता है और माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं उनका आधार क्या है, यह बहुत स्पष्ट हो गया। इस स्थिति में मैं आसन से यह व्यवस्था चाहूंगा कि जो कुछ भी 'माननीय सदस्या' से सम्बन्धित बातों का उल्लेख हुआ है उसको इस सदन की कार्यवाही से एक्सपन्ज कर दिया जावे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह नहीं हो सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप एक सदस्या को अपमानजनक स्थिति में रखना चाहते हैं, जब कि इसमें कोई तुक ही नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : खुद ही स्पष्ट कर रहे हैं कि इसको एक्सपन्ज कराया जावे, तो फिर झगड़ा किस बात का है ?

श्री भैरोंसिंह : 'महिला सदस्या' है; क्या आप उनकी तरफ से यह एश्योरेन्स दे सकते हैं कि कोई भी रूसी अथवा चाइनीज एम्बेसी में वह कभी नहीं गई ?

(शोरगुल)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : जब कोई तथ्य है ही नहीं, तब कैसे प्रिज्यूम कर सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : तो आप एश्योरेन्स दे दीजिये कि वह चाइनीज़ एम्बेसी में या रूसी एम्बेसी में कभी नहीं गई ?

श्री मथुरादास माथुर : चाइनीज़ एम्बेसी में जाना नहीं जाना अलग बात है। कल्चरल प्रोग्राम हो सकता है और कोई प्रोग्राम हो सकता है। यह ठेका मैं सभी सदस्यों का नहीं ले सकता। मगर मैं यह कह सकता हूं कि कोई महिला सदस्या रुपया लेकर लेफ्टिस्ट कम्युनिस्टों को मदद देती हो, ऐसा जांच कराने से साबित नहीं हुआ है। आगे कभी भी अगर साबित हो जावेगा तो चाहे महिला सदस्या हो या पुरुष सदस्य हों, देश का गद्दार होगा और उसके खिलाफ राज्य सरकार बराबर योग्य कार्यवाही करेगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसलिये इस सम्बन्ध बहस की कार्यवाही को शेष सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जावे, क्योंकि अभी तो यह साबित नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : आज गोकुलप्रसादजी ने जिस तरह के वेग चार्जेज लगाये, वैसे चार्जेज सदन में कई बार माननीय सदस्यों द्वारा लगाये जाते रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं बताता और वे प्रूव भी नहीं हुए, तो क्या उन सबको एक्सपन्ज किया जावेगा और जब वे कभी भी एक्सपन्ज नहीं किये गये और न उनके एक्सपन्ज करने का सवाल उठाया गया तो फिर इसके साथ ही ऐसा क्यों ?

श्री मथुरादास माथुर : एक बार किसी के बारे में यहां कह दिया जावे तो ये सीरियस चार्जेज हैं; तो जब तक वे प्रूव न हो जावें तब तक सदन की कार्यवाही में उनका रहना माननीय सदस्या के लिये उचित नहीं होगा और महिला सदस्या की रेपूटेशन को रखना सदन का कर्त्तव्य है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह अहम सवाल है। महिला सदस्या के बारे में यहां अनर्गल लांछन लगा देना उस महिला सदस्या का ही अपमान नहीं है, बल्कि सदन का भी है। मैं यह चाहूंगा कि इस कार्यवाही का अन्त इस तरह से हो कि सदन में सदस्य यह मांग करें कि या तो यह कथन कहने वाले सदस्य इसे साबित करें जैसा वे साबित नहीं कर सके हैं तो वे या तो सदन से क्षमा-याचना करें या खेद प्रकट करें। उन्होंने एक प्रकार से महिला सदस्याओं पर, उनकी देश-भक्ति पर लान्छन लगाया है। मैं दावे से कहता हूं कि कोई महिला सदस्या ही नहीं, बल्कि कोई भी इस प्रदेश की महिला ऐसी हो ही नहीं सकती जो ऐसा गद्दारी का काम करे। तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस पर खेद प्रकट करें और सदन में क्षमा याचना करें खड़े होकर। मैं समझता हूं कि उनको खेद प्रकट करने में ही बड़प्पन महसूस करना चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य एक स्पोर्ट्स-मेन स्पिरिट में खेद प्रकट करेंगे।

श्री विजयसिंह झाला : माननीय सदस्य, श्री गोकुलप्रसादजी ने दो चार्जेज लगाये और दोनों में नाम नहीं लिया है। एक तो यह कि उधर बैठे किसी विरोधी व्यक्ति ने मोटर परमिट अपने नाबालिग लड़के के नाम करा लिया है और दूसरे माननीय सदस्या के बारे में। तो या तो इन दोनों को निकाला जावे क्योंकि ये दोनों निराधार साबित हुए है या फिर किसी को नहीं निकाला जावे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्यों ?

श्री विजयसिंह झाला : ऐसे चार्जेज लगाये जावें और जो साबित नहीं किये जा सकते हों उन सबको प्रोसीडिंग्ज में से निकाल दिया जाया करे, ऐसी परिपाटी होनी चाहिये।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): जिस गैर जिम्मेदार तरीके से माननीय सदस्य श्री गोकुलप्रसादजी ने बिना किसी आधार के सदन की माननीय सदस्या को एक अपमानजनक स्थिति में डाल दिया है उसके लिये मैं माननीय मुकुटबिहारी लालजी के प्रस्ताव का समर्थन करूंगा कि वे सदन में खड़े होकर इसके लिये खेद प्रकट करें और क्षमा याचना करें सदन से।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद): एक साधारण सा प्रश्न है और जब यह आसन पर छोड़ा गया है कि जैसा वे उचित समझें करें, इसके बाद जिस तरह की बातें सदन में कही जा रही हैं वे गलत हैं। जो जनरलाइज किया जा रहा है किसी बात को, यह ठीक नहीं है। यह तो आसन का काम है कि समय समय, पर मौकेबे-मौके जैसी स्थिति देखें वैसी व्यवस्था दें।

इसमें मैं यह भी कहूंगा कि सदन का कोई माननीय सदस्य अगर ईमानदारी से किसी बात को सही समझ कर यहां कहता है तो सरकार उसकी जांच कराती है और उस पोइन्ट का सरकार सही रूप में उपयोग भी कर सकती है। अगर जांच करने पर सही साबित नहीं होती है तो नहीं हो, उससे सदस्य पर क्यों आंच आनी चाहिये? उसने तो ईमानदारी से जिस बात को सच माना वह यहां कह दी। तो माननीय सदस्य के सम्बन्ध में इस तरह की आपस में बात करना व्यक्तिगत नाम लेकर, इसे मैं सम्माननीय नहीं समझता।

दूसरी, ये सारी बातें, जो आई आपके सामने हैं, उस पर आसन जैसी चाहे व्यवस्था दे। मैं बता सकता हूं कि कई बातें इसी तरह से सही समझ कर यहां रेफर की गई। और एक उदाहरण में देता हूं कि उस रेफरेन्स से सरकार को ६ लाख फायदा हुआ। कई बार ऐसी चीजें यहां पर आती हैं। अब यह सरकार का काम है कि वह जांच करके गलती या सही का एलान कर दे। अब उसको लेकर जिस हल्की भाषा में बात की जा रही है तो दूसरे भी उसी तरह की भाषा में बात कर सकते हैं। तो यह वातावरण ठीक करने की बात नहीं होगी; बल्कि इस तरह का बन्धन अपने पर लेना चाहिये। जब जहां बतलाते हैं वहां कीचड भी नहीं मिलता कई बार ऐसी बातें भी सामने आती हैं, तो इस जरा सी बात को तूल देना कहां तक ठीक है। इसका पूरा ध्यान रख कर आसन अपनी व्यवस्था दे।

**श्री भैरोंसिंह**: इस सदन मे एक माननीय सदस्य का उल्लेख करके जो बात कही गई उसको एक्सपन्ज करने का सवाल आता है। सदन में किन बातों को एक्सपन्ज किया जावे इसका नियमों में प्रावधान है। एक ने चार्ज लगाया सरकार ने कह दिया कि यह चार्ज सही नहीं है। अब दोनों चीजें प्रोसीडिंग्ज में हैं। अब अगर कह मान कर चलें कि चार्ज लगा दिया दया, मैं डिफेन्स नहीं कर सका इसलिये उसे प्रोसीडिंग्ज में से निकाल दिया जाय तो उचित नहीं होगा, न नियमानुकूल भी होगा। यहां चार्जेज भी लगते हैं उनका पर्सनल इम्प्लोकेशन भी होगा, साबित भी होंगी, नहीं भी होंगी, अब दोनों चीजें बराबर प्रोसीडिंग्ज में जावेंगी। तो इस एक्सपन्ज

(श्री भैरोंसिह)

की बात को जितना लाइटली लेकर चलते हैं वह अच्छा नहीं है। यह मेम्बर का प्रिविलेज है। अगर गोकुलप्रसादजी ने गलत बात कह दी तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन कर सकते है; गलत सूब साबित होगा तो वे माफी मागेंगे, नहीं मांगेंगे तो उसका परिणाम भुगतेंगे। पर आज ही किसी को कटघरे में खड़ा करके कहो कि माफी मांगो तो यह भी उचित नहीं है, और एक्सपन्ज करने की स्थिति भी नहीं है। एक ने चार्ज लगाया, दूसरे ने उसको रिफ्यूट कर दिया तो प्रोसीडिंग्ज़ में दोनों चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। प्रेस वाले दोनों चीजें दे सकेंगे,। अब चार्ज तो स्टेण्ड ही नहीं करते, मामला अण्डर एन्क्वायरी है। आप कहते हैं एक्सपन्ज कर दो, एक कहते हैं माफी मांगो। अब अगर इस एक्सपन्ज करने के मामले को इतना हल्के तरीके से लिया गया और अपनी ब्रूट मेजोरिटी से एक्सपन्ज भी करा लें। लेकिन इस एक्सपन्ज की आवश्यकता नहीं है। सही-गलत दोनों चीजें प्रोसीडिंग्ज़ में रहेंगी और वे प्रेस में छपेंगी तो छप जावेंगी। आफत कौनसी है इसमें ?

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, इसमें दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि जो माननीय सदस्य, श्री गोकुलप्रसादजी, ने कहा था वह किसी अखबार का हवाला देकर कहा था और जिस अखबार का हवाला दिया और जिस समाचार के बारे में उन्होंने कहा था उसके लिए माननीय माथुर साहब के वक्तव्य देने के पश्चात् जो वस्तु-स्थिति है वह हमारे सामने है। इसलिए जो आधार बनाया गया था वह स्पष्ट हो गया। दूसरा प्रश्न यह है कि जो स्थिति सामने आई है उस स्थिति से एक दूसरा ही नक्शा हमारे सामने आया है कि राजस्थान की कोई दूसरी महिला हो सकती है जो कि वहां घूम रही हो तो, उसकी राज्य सरकार जांच कर रही है। और इस सदन की माननीय सदस्या को, जो इसमें जोड़ा गया अगर इन शब्दों को एक्सपन्ज नहीं किया गया तो जो राज्य सरकार जांच कर रही है उससे बिना मतलब ही एक सम्बन्ध जुड़ता है क्योंकि एक माननीय सदस्या का सम्बन्ध जुड़ता है और उसका कोई आधार नहीं मिला है. इसलिए मैंने निवेदन किया था कि इसको निश्चित रूप से एक्सपन्ज किया जाना चाहिए वरना यह परम्परा के विपरीत होगा।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदय, सदन की कार्यवाही में से शब्दों को एक्सपन्ज कराने के लिए हमारे यहां नियमों में प्रावधान हैं। उसके अनुसार केवल अनपार्लियामेन्ट्री वर्ड्स को ही एक्सपन्ज किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई फैक्ट्स यहां पर सदन में रखे जायें, और वे गलत हों या सही हों, इस तथ्य को लेकर उन्हें एक्सपन्ज नहीं करवा सकते हैं। यदि आप इस आधार पर एक्सपन्ज करायेंगे तो सरकारी बैंचेज़ से कोई भी कह सकता है कि इनको एक्सपन्ज कराया जाये। रूल्स हमारे कहीं प्रोवाइड नहीं करते कि इस तरह के फैक्ट्स को चाहे वे गलत हों या सही हों एक्सपन्ज किया जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, प्रश्न यह है कि माननीय श्री

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

गोकुलप्रसादजी शर्मा ने किसी अखबार का नाम बताया और उसकी तारीख भी दी और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि उन खबरों में यह लिखा हुआ है कि चाईनीज एम्बेसी के अन्दर इस विधान सभा की एक माननीय सदस्या को आते जाते देखा गया लेकिन जब कि हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड के उसी तारीख के पत्र को देखा गया तो खबर बिल्कुल डिफरेन्ट निकली। इसका मतलब यह है कि माननीय श्री गोकुलप्रसादजी ने बिना पत्र को पढ़े हुए यहां पर घोषणा कर दी कि इस विधान सभा की सदस्या को आते जाते देखा गया। इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं कि प्राइमाफेसी इस विधान सभा की किसी माननीय सदस्या का उनके लगाये हुए चार्ज में किसी प्रकार का इम्प्लीकेशन नहीं होता बल्कि हण्ड्रेड यार्ड तक नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि माननीय महिला सदस्या को इस अपमानजनक स्थिति में नहीं छोड़ा जाये। माननीय श्री भैरोंसिंहजी को गोकुलप्रसादजी की चिन्ता है और मुझे समस्त सदन की चिन्ता है। इस सदन की माननीय महिला सदस्या जिस अपमानजनक स्थिति में हैं उनकी मुझे विशेष रूप से चिन्ता है। इसलिए मैं 'एज ए प्रोटेस्ट' कहता हूं कि सभ्यता के नाते यह बहुत आवश्यक है कि इन वर्ड्स को एक्सपन्ज किया जाये क्योंकि यह हेल्दी ट्रेडीशन क्रियेट नहीं करते हैं। और इस सदन की परम्परा के अनुकूल भी नहीं है कि इस तरह की बेसलेस बात जो कि पन्द्रह मिनट में ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाये वह सदन की कार्यवाही में रहे। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एक्सपन्ज किया जाये।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य श्री फूलचन्दजी जैन ने एक व्यवस्था का प्रश्न खड़ा किया है कि जो वादविवाद के समय श्री गोकुलप्रसादजी ने अपने भाषण के दौरान चाईनीज एम्बेसी के पास किसी राजस्थानी महिला के घूमने-फिरने और धन-संग्रह करने की दृष्टि से इस सदन की महिला सदस्या भी उसमें हो, इस संबध का एक विवरण इस सदन में प्रस्तुत किया जिसके बारे में सदन के माननीय सदस्यों ने स्वयं ने जानना चाहा कि इस संबंध में क्या जांच हुई और उसमें वस्तु-स्थिति क्या है और साथ में ही यह भी जानना चाहा कि आज तक इस संबंध में जनसम्पर्क कार्यालय ने क्या कार्यवाही की। जनसम्पर्क विभाग के माननीय मंत्री श्री मथुरादासजी माथुर ने इस संबंध में अभी तक बयान दिया और अखबारों के उद्धरण प्रस्तुत किये और इसको साबित किया कि राजस्थान विधान सभा की किसी भी माननीय सदस्या का हाथ अभी तक भी किसी जानकारी के आधार पर हो- ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने आगे अपने बयान में कहा है कि जांच अभी जारी है और परिणाम उसके अभी आये नहीं हैं। इसलिए किसी भी प्रकार निश्चित तौर पर ऐसी बात नहीं कही जा सकती। इसलिए जहां तक सदन की परम्पराओं का सवाल है कि आया इन शब्दों को, जो कि माननीय सदस्य श्री गोकुलप्रसादजी शर्मा ने सदन की एक माननीय सदस्या के प्रति कहे हैं, जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया, सदन की कार्यवाही में से निकाला जाये या नहीं। यह प्रश्न

(श्री सभापति)

सदन के सामने विचाराधीन है और मैं समझता हूं कि सदन में गत दिनों में भी कई बार इस प्रकार के प्रश्न उपस्थित हुए हैं और सदन के माननीय सदस्यों पर कई ऐसे निराधार आरोप सदन में लगाये गये हैं और उनका निराकरण भी सदन के माननीय सदस्यों ने किया है और दल के नेताओं ने किया है। मैं नहीं समझता कि उन कार्यवाहियों को सदन की कार्यवाही से निकाला गया हो। उसके विपरीत सदन के माननीय सदस्यों के लिए यह निर्धारण करने की बात है और यह उन्हीं के विचारने का प्रश्न है कि जब तथ्य सामने आये कि इस प्रकार की निराधार बातें सदन में कही जायें या नहीं और इस प्रकार की बातें जिनसे सदन की प्रतिष्ठा गिरती हो और जिससे अपमानजनक व्यवहार होता हो, ऐसी बातें यहां कही जायें या नहीं। ऐसी बातें सदन में करना और कहना सदन के माननीय सदस्यों के स्वयं विचारने की बात है।

इसके अलावा मैं सदन के माननीय सदस्यों को स्मरण कराऊं कि कई बार ऐसे प्रश्न सदन में आये हैं कि इसी सदन के माननीय सदस्यों को किसी को चीन का दलाल कहा है, किसी को अमेरिका का दलाल कहा है और किसी को रूस का दलाल कहा है और ऐसे अनेक शब्दो से उद्बोधन किया गया है जो कि किसी प्रकार से उचित नहीं हैं, फिर भी वे शब्द सदन की कार्यवाही में रहे, वे आरोप और प्रत्यारोप बराबर सदन की कार्यवाही में रहे। यह तो सदन के सदस्यों के स्वयं सोचने की बात है कि ऐसे निराधार आरोप लगाने से सदन की प्रतिष्ठा गिरेगी या नहीं। सदन का स्तर बनाये रखना और सदन की परम्परा को बनाये रखना, हमारा सबका कर्तव्य है और मेरा मतलब है कि शब्दों को ही निकालने से काम नहीं चलेगा क्योंकि इसका उल्लेख सारे वादविवाद में ही मिलता है और बाकी पढ़ने वाले लोग ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नहीं तो हम कहेंगे कि माननीय सदस्या के बारे में जो उल्लेख किया गया उसको सारे को निकालने का आदेश दे दिया जाये, यह किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं होगा; बाद में जो वादविवाद हुआ है उसको पढ़ने के बाद कोई भी निष्कर्ष निकाल सकता है कि ऐसे आरोप लगाये माननीय सदस्या के संबंध में, उसके बारे में गलत कहा गया। ये सारी बातें सदन की कार्यवाही में से नहीं निकाली जा सकतीं। तो यह सदन के विचार करने की बात हैऔर मैं समझता हूं कि सदन के सामने जो तथ्य आये हैं वे इसके बारे में पर्याप्त हैं कि जिसके कारण से सदन में जो माननीय सदस्य ने बात कही है वह सदन उसके बारे में अनुमान लगा सकता है। जहां तक सदन से बाहर का सवाल है पिछली बार भी और पहले भी ऐसे आरोप आये हैं जो कि नहीं आने चाहिए थे, लेकिन उनके एक्सपन्ज करने की कार्यवाही नहीं हुई। एक्सपन्ज करने की असाधारण शक्ति इस आसन में निहित है, उसका उपयोग साधारणतया नहीं किया जाता। इसलिए मैं समझता हूं कि इस असाधारण शक्ति का उपयोग इस समय आसन इन शब्दों को कार्यवाही में से निकालने के लिए असमर्थ है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं

(श्री सभापति)

विचार करेंगे कि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाये या नहीं। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित माननीय सदस्य ने जो दुख प्रकट किया है उन्होंने सारी भूल को स्वीकार किया, यह महत्व की बात है। यह भी जनता के सामने प्रकाश की चीज है। माननीय सदस्य ने स्वयं ने स्वीकार किया और इसलिए स्वीकार किया कि वह इसको प्रेस नहीं करना चाहते है। लेकिन जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है उन शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाला जाये, यह प्रश्न पैदा नहीं होता। इसलिए जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय श्री फूलचन्दजी जैन ने खड़ा किया मैं उसको अस्वीकार करता हूं।

## राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६५

(पूर्व क्रम से विचार-विमर्श)

दूसरा प्रश्न अब यह है कि जैसा मैंने पहले सदन के माननीय सदस्यों को सूचित किया मैं आपको इस सम्बन्ध में थोड़ा निर्देश भी देना चाहूंगा और सुझाव भी चाहूंगा कि धारा ११,१२,१३,१५,१६,१८ व १९ में कोई मोटे संशोधन नहीं है–कुछ माननीय सदस्यों के संशोधन हैं; यदि सदन चाहे तो उन संशोधनों पर विचार कर सकता है और बाकी जो हैं उनके बारे में व्यवस्था दी है वह यह है कि सरकार की ओर से उनका अधिकृत हिन्दी अनुवाद करके सदस्यों में प्रसारित किया जाये और उसके बाद में इस सदन में सारे संशोधनों पर विचार किया जाये। वे संशोधन जो प्रस्तुत किये हैं आज वें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए संशोधन जब तक प्रसारित नहीं किये जायेंगे हिन्दी और अंग्रेजी में तब तक विचार करना उन पर किसी प्रकार से भी न्यायसंगत नहीं होगा। इसलिए मेरी व्यवस्था यह है कि उन संशोधन को आज मैं सदन में प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं देता और वे बाद में होंगे। सदन अगर चाहे तो बाकी धाराओं पर हम यहां पर अभी विचार कर लें और उनको बहुत ही सूक्ष्म समय में कर लिया जाये-इस प्रकार का सहयोग आप मुझे दें। जैसा कि मैंने आपके सुझाव के अनुसार बाकी के जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत होने वाले थे उन संशोधनों को आज पेश करने की अनुमति नहीं दी है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इतना सहयोग करें कि बाकी जो धारायें जिनमें संशोधन नहीं हैं उनको कम से कम समय में पारित कर लें तो फिर इसके बारे में और दिन भी यह विधेयक आपकी सुविधा के लिए लाया जा सकता है। यह मेरी व्यवस्था है। जब आपको सुविधा होगी, जब आपको संशोधन प्रसारित कर दिये जायेंगे हिन्दी में और अंग्रेजी में और उन पर विचार हो जायेगा और आप पूरी तरह से धारानुसार तैयार होकर आ सकेंगे! ऐसा न हो कि सुराणाजी को उठकर यह प्रश्न नहीं उठाना पड़े कि कौनसी धारा पढ़ी गई। मुझे आशा है, आप तैयार होकर आयेंगे, ऐसा अवसर आप को प्रदान हो जाये। इस दृष्टि से बाकी धाराओं पर मेरा नम्र निवेदन है कि सदन के माननीय सदस्य इतना सहयोग करें कि जो महत्वपूर्ण क्लॉज नहीं हैं उनको पारित करने में मुझे सहयोग दें; इतना निवेदन सभी सदस्यों से करना चाहता हूँ।

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) : सभापति महोदय, इन क्लॉजेज़ पर भी बहुत सारे संशोधन हैं, शायद वे आपकी दृष्टि से महत्वपूर्ण न हों, लेकिन प्रत्येक क्लॉज़ महत्वपूर्ण है और उनका बहुत बड़ा कॉन्सीक्वेन्स होने वाला है। तो मैं सदन से मांग करूंगा कि बाकी के प्रस्तावों को भी साथ ही साथ ले लिया जाय तो अच्छा रहेगा।

**श्री सभापति** : सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ६ बजकर १ मिनट पर, मंगलवार, दिनांक ७ अप्रेल, १९६५ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

## परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७५५ का उत्तर देखें)

| महीना | माहवारी आय | कितनी मील चली | प्रति मील आय |
|---|---|---|---|
| | **कोटा – अकलेरा** | | |
| | रु० | | |
| नवम्बर, ६४ | ९३९०–५६ | ११८३७ | ०-७९ पै० |
| दिसम्बर, ६४ | १०७१८–६८ | १६३०८ | ०–६६ ,, |
| जनवरी, ६५ | ११२१३–८५ | १६५५४ | ०–६८ ,, |
| फरवरी, ६५ | १२५४१–१६ | १४९५२ | ०–८४ ,, |
| योग : | ४३८६४–२५ | ५९६५१ | |
| | **कोटा – रामगंज मंडी** | | |
| नवम्बर, ६४ | २९१४–०४ | ४६९८ | ०–६२ ,, |
| दिसम्बर, ६४ | ४९३५–२८ | ६१०२ | ०–८१ ,, |
| जनवरी, ६५ | ५२१३–०६ | ६६९६ | ०–७८ ,, |
| फरवरी, ६५ | ५००६–०६ | ५९४० | ०–८८ ,, |
| योग : | १८०६८–४४ | २३४३६ | |
| | **कोटा – चेचट** | | |
| नवम्बर, ६४ | २३००–४६ | ४२७२ | ०–५४ ,, |
| दिसम्बर, ६४ | २६६२–६६ | ४८९६ | ०–५४ ,, |
| जनवरी, ६५ | १९२६–२७ | २९७६ | ०–६४ ,, |
| फरवरी, ६५ | २०५४–८७ | २६८८ | ०–७६ ,, |
| योग : | ८९४४–२६ | १४८३२ | |
| कुल योग | ७०८७६–९५ | | |

## परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

### राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, सिरोही

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, सिरोही के पास की गली में शराब की दूकान है जिसके कारण वहां का वातावरण गंदा है और स्थानीय जनता तथा मुख्य अध्यापिका ने इस संबंध में कई बार शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

#### उत्तर

यह सही है कि राजकीय उच्च कन्या शाला, सिरोही के पास ही एक शराब की दूकान है, परन्तु इस प्रकार की कोई शिकायत, कि वहां का वातावरण गंदा है न तो जनता द्वारा और न ही प्रधानाअध्यापिका द्वारा की गई है ।

### क्लेरिकल स्टाफ से कन्डक्टर का कार्य

७६१. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि क्लेरिकल स्टाफ को कन्डक्टर की ड्यूटी पर नहीं भेजा जाना चाहिए ।

(२) क्या यह भी सच है कि अजमेर डिपो पर से अजमेर-ब्यावर चलने वाली बस पर जो अजमेर से १७-३० पर चलती है श्री आत्माराम, डिस्पेच क्लर्क को जो कि ब्यावर का रहने वाला है, मांह अक्टूबर, से दिसम्बर, १९६४ में कितनी ही बार ब्यावर भेजा गया ? यदि हां, तो उनको अजमेर से ब्यावर तक की यात्रा में क्या-क्या आमदनी हुई, तारीख वार बताई जावे ?

(३) क्या यह भी सच है कि उक्त श्री आत्माराम टिकट गलत काटने व नहीं काटने के मामले में पकड़ा भी गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की ?

#### उत्तर

(१) जी हां ।

(२) श्री आत्माराम डिस्पेच क्लर्क को परिचालक के अभाव में अजमेर से ब्यावर जाने वाली बस पर भेजा गया । जब कोई परिचालक उपलब्ध नहीं हो तो गाड़ी को रोकने के बजाय क्लर्क को भी गाड़ी पर भेज दिया जाता है । सूची संलग्न है ।

(३) जी नहीं । टिकट न काटने का कोई अपराध उस पर नहीं है । लेकिन एक बार एक स्टेशन के बजाय दूसरे स्टेशन का टिकट काटना अवश्य पाया गया जिसकी कार्यवाही सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के यहां चल रही है ।

परिशिष्ट

सूची

| क्रम संख्या | तारीख जिसमें आत्माराम परिचालक की ड्यूटी पर माह अक्टूबर से माह दिसम्बर १९६४ | वे–बिल नम्बर | माइलेज | मार्ग | आमदनी मय टैक्स २० प्रतिशत | विशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| | अक्टूबर, १९६४ | | | | | |
| १. | २०–११–६४ | ६६६७२६ | १९८ | अजमेर–ब्यावर वापस | २६१–५० | श्री आत्माराम को अक्टूबर में कभी नहीं भेजा गया था। |
| २. | २१–११–६४ | ६६८४११–१२ ६६८४१४–१५ | १३२ | अजमेर–ब्यावर | २११–४५ | |
| ३. | २२–११–६४ | ६६४५७२ | ६६ | अजमेर–ब्यावर | १०४–८० | |
| ४. | २६–११–६४ | ६६५१५४ व ६६७१३४ | ६६ | अजमेर–ब्यावर | १०२–७० | |
| ५. | २७–११–६४ | ६६७१३५–३६ | ६६ | अजमेर–ब्यावर | १३३–१५ | |
| ६. | २८–११–६४ | ६६५१६०–६१ | ६६ | अजमेर–ब्यावर | ७८–०५ | |
| ७. | २९–११–६४ | ६६५१६२–६३ | ६६ | अजमेर–ब्यावर | ८२–४५ | |
| ८. | ४–१२–६४ | ६६६४९१–९२ | ६६ | अजमेर–ब्यावर | ६५–९५ | |
| ९. | ५–१२–६४ | ६६६४९३–९४ | ६६ | अजमेर–ब्यावर | ६४–४५ | |

[ ८८७२

परिशिष्ट

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १०. | ६-१२-६४ | ६६६४६५-६६ | ६६ | अजमेर-ब्यावर | ७८-२० | |
| ११. | ११-१२-६४ | ६६६४८०-८४ | ६६ | अजमेर-ब्यावर | ७२-०५ | |
| १२. | १२-१२-६४ | ६६६३५८-५६ | ६६ | अजमेर-ब्यावर | ८३-६५ | |
| १३. | १३-१२-६४ | ६६६३६०-६१ | ६६ | अजमेर-ब्यावर | ५३-७५ | |
| १४. | १७-१२-६४ | ६६६६३१-३२ | ६६ | अजमेर-ब्यावर | ७६-७० | |
| १५. | १८-१२-६४ | ६६६६६७-६८ | ६६ | अजमेर-ब्यावर | ६७-५• | |
| १६. | १६-१२-६४ | ७०१२३०-३१ | ६६ | अजमेर-ब्यावर | ६७-८० | |
| १७. | २५-१२-६४ | ७००५२६-२७ | ६६ | अजमेर-ब्यावर | १०५-•० | |

## सहायक अभियन्ता, बारां के क्षेत्र का झालावाड़ क्षेत्र में स्थानान्तरण

७६२. श्री दयाचन्द सोन (बारां सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) बारां सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता के क्षेत्र को कोटा जिला क्षेत्र से हटा कर झालावाड़ क्षेत्र में किन कारणों से मिलाया गया है ?

(२) क्या बारां की जनता ने इसका विरोध किया है ?

(३) बारां पी. डब्लू. डी. क्षेत्र को झालावाड़ क्षेत्र में मिलाने के कारण क्या सरकारी अधिकारियों का टी. ए. व डि. ए. का खर्च नहीं बढ़ा है ?

### उत्तर

(१) प्रशासनिक कारणों से।

(२) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(३) डी. ए. में कोई अन्तर नहीं हुआ है। सफर भत्ते में विशेष अन्तर नहीं हुआ है।

## रतनगढ़-चूरू सड़क के निर्माण पर व्यय तथा सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

७६३. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे:-

(१) रतनगढ़ से चूरू की सड़क का निर्माण कब शुरू हुआ और कब तक इसमें कितना रुपया खर्च हुआ है ?

(२) अब तक इस सड़क पर कितना काम हुआ है और बाकी का काम कब तक पूरा होगा ?

(३) क्या यह सत्य है कि इस सड़क पर समय पर तारकोल न डालने से यह सड़क जगह जगह से टूट गई है और अब इस कारण से अनावश्यक खर्चा करना पड़ेगा ?

(४) क्या इस सड़क के लिए ली गई भूमि का मुआवजा किसानों को दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब और कितना मुआवजा दिया गया ?

### उत्तर

(१) वर्ष १९६०-६१ में शुरू हुआ और ८,४३,११९ रु० व्यय हुआ है।

(२) सड़क की कुटाई का कार्य पूरा हो गया है और तृतिय योजना के अन्त तक काम सारा पूर्ण हो जायगा।

(३) सड़क की मरम्मत साधारण है।

(४) कार्यवाही चालू है।

[ ७८७५ क

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७४७ का उत्तर देखिये)

तृतीय पंच वर्षीय योजना में निम्न ग्राम निर्धारित किये गये हैं:–

१– लगभग सभी ग्राम जिनकी जनसंख्या ५,००० या इससे अधिक है सड़क द्वारा जोड़ दिये जायेंगे ।

२– तमाम तहसील जिला हैड क्वार्टर से सड़क द्वारा जोड़ दी जावेगी ।

३– मुख्य–२ स्टेट हाईवेज (Highways) तथा major District roads डामर करा कर पक्की बनादी जावेगी ।

४– माकरा कैनाल क्षेत्र में सड़कों की बढ़ोत्तरी ।

५– मुख्य खानों को एप्रोच रोड द्वारा मुख्य सड़कों से जोडना.

६– मुख्य–२ सड़कों पर पुल तथा पुलियों का निर्माण ।

## शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण-मंगलवार, दिनांक ६ अप्रेल, १९६५)

| स्तम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| ७५८९ | ३ व ४ के मध्य में | — | श्री मूलचन्द चौधरी |
| ,, | ७ | (वारा०— | (वारा — |
| ,, | ९ | कृपा करेंगे.... | कृपा करेंगे:— |
| ७५९१ | शीर्षक | ६ अप्रल | ६ अप्रेल, |
| ७५९५ | अन्तिम से ६ | (रार्यसिहनगर) | (रायसिहनगर) |
| ७५९६ | १३ | मन्यिों | मत्रियों |
| ,, | २२ | श्री निरंजश्रानाथ आचार्य | श्री निरंजननाथ आचार्य |
| ७५९९ | १ | ालती | गलती |
| ७६०१ | १० | श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत | श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत |
| ७६०२ | ११ | मंत्रीजां | मंत्रीजी |
| ,, | १४ | श्री योगेन्द्नाथ हांडा | श्री योगेन्द्रनाथ हांडा |
| ,, | १६ | शीघ्रा | शीघ्रा- |
| ,, | १८ | श्री मथुरादास माथु | श्री मथुरादास माथुर : |
| ,, | २३ | झूठ | झूठ |
| ७६०३ | अन्तिम से ३ | (श्री मीमसिह) | (श्री भीमसिह) |
| ७६०४ | १८ | श्री भामसिंह | श्री भीमसिंह |
| ७६०५ व ७६०६ | अन्तिम से ६ व ४,१२,१६, | श्री कृष्णकुमार गोयल | श्री कृष्णकुमार गोयल |
| ,, | २२ | अनियमिततायें | अनियमितताए |
| ७६०७ | शीर्ष | (श्र अध्यक्ष) | (श्री अध्यक्ष) |
| ,, | अन्तिम से ७ | श्री आध्यक्ष | श्री अध्यक्ष |
| ७६१२ | २१ | बैद | वैद |
| ७६१६ | १२ | श्रा | श्री |
| ७६१९ | शीर्षक | तारांक्ति प्रश्नोत्तर-६ अप्रल, | तारांकित प्रश्नोत्तर -६ अप्रेल, |
| ,, | ८ | श्री निरंतनाथ आचार्य | श्री निरंजननाथ आचार्य |
| ७६२८ | ४, ५ | (कोलामत) | (कोलायत) |
| ,, | ९ | Tere | There |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ७६२८ | १० | abouf it, Wrill, It will | about it. It Will |
| ,, | अन्तिम से ७ | व्क्ति | व्यक्ति |
| ७६२९ | अन्तिम | ाग्ररोप | आरोप |
| ७६३० | २२ | पांच वार ५छ, | पांच बार पूछे, |
| ७६३१ | शीर्षक | ६ अप्रल, | ६ अप्रेल |
| ७६३३ | शीर्षक | अतारांकित प्रश्नोत्तर -६ अप्रेल, ६५- अतारांकित प्रश्नोत्तर | तारांकित प्रश्नोत्तर -६ अप्रेल, ६५-तारांकित प्रश्नोत्तर |
| ,, | अन्तिम से ६ | वस | वस |
| ७६३६ | ३ | श्री गोबिन्दसिंह् | श्री गोविन्दसिंह् |
| ७६३८ | ३ | श्री मोह्र्सिह | श्री मोहरसिंह |
| ,, | ६ | Collecpor | collector |
| ,, | १० | श्री रामचन्द्र अग्रवाल | श्री रामानन्द अग्रवाल |
| ,, | १७ | सशन | सैशन |
| ७६३९ | १४ | 11.545 | 11,545 |
| ७६४० | अन्तिम से २ | श्री मुरलीघर व्यास | श्री मुरलीधर व्यास |
| ७६४२ | १६ | मर्थी | भर्ती |
| ७६४३ | शीर्षक | -६ ग्रप्रल, ६५- | -६ अप्रेल, ६५- |
| ,, | ७ | : श्री निरंजननाथ आचार्य | श्री निरंजननाथ आचार्य : |
| ७६४७ | ५ | हैन्डिक्राफ्ट | हैन्डिक्राफ्ट |
| ७६५० | ६ | एप्रूव | एप्रूव |
| ७६५१ | ६ | श्री मुरलीघर व्यास | श्री मुरलीधर व्यास |
| ,, | अन्तिम से ७ | श्री कृणकुमार गोयल | श्री कृष्णकुमार गोयल |
| ७६५२ | शीर्षक | सार्वजनिक निर्माण मंत्री-६ अप्रेल, ६५-अनुपस्तिय सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर | अनुपस्थित सदस्यों के -६ अप्रेल, ६५- तारांकित प्रश्नोत्तर |
| ७६५३ | ३ | श्री भूलचन्द चौधरी | श्री मूलचन्द चौधरी |
| ७६५४ | १३ | निम्ब्राहेडा-मंगलवाडा | निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ |
| ७६५७ | शीर्षक | तारांकित प्रश्नोत्तर | अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर |
| ,, | १ | प्राथमक | प्राथमिक |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ७६५७ | ५ | न के | न मिलने के |
| ७६५६ | ८ | श्री बिरदाराम फुलवारिया | श्री बिरदाराम फुलवारिया |
| ७६६० | ८ | खोोती | खातोली |
| ७६६१ | १२ | घोाणा | घोषणा |
| ,, | १८ | १६६५-६६ | १६६५-६६ : |
| ७६६२ | ८ | ,, ,, | ,, ,, |
| ७६६३ | स्कम्म | ४६६३ | ७६६३ |
| ७६६७ | १६ | सव | सर्व |
| ७६६८ | २२ | श्री माकिकचन्द सुराणा | श्री मानिकचन्द सुराणा |
| ७६७२ | शीर्षक | (संशोधत) | (संशोधन) |
| ७६७४ | अन्तिम से २ | उसके | उनके |
| ७६७५ | २१ | evado Paymet | evade payment |
| ,, | अन्तिम से ७ | टै स | टैक्स |
| ७६७६ | २ | प्राबधान | प्रावधान |
| ,, | ५ | कोर | और |
| ७६७८ | शीर्षक | विधिया | विधियां |
| ७६७९ | ६ | १२ । हजार | १२ हजार |
| ७६८० | १६ | सदालत | सदाव्रत |
| ७६८१ | ४ | इन्स्टीटय शन | इन्स्टीट्यूशन |
| ७६८५ | १८ | एन्टरटेंवतमेंट | एन्टरटेन्मेन्ट |
| ७६९३ | शीर्षक | विधियां ६ अप्रेल, ६५ | विधियां —६ अप्रेल, ६५ |
| ७६९८ | शीर्षक | विधेयक, १२६५ | विधेयक, १६६५ |
| ७७०२ | ४ | एन्स्टर्टेनमेट | एन्टरटेन्मेन्ट |
| ७७०९ | अन्तिम से ४ | (वैगू) | (वैगू) |
| ७७१० | १० | स्वय | स्वयं |
| ७७११ | शीर्षक | —६ अप्रल, ६५ | —६ अप्रेल, ६५ |
| ७७१९ | २, ३ | चेतनान दी | चेतनानन्दी |
| ,, | १८ | (श्रीमती मक्ष्मीकुमारी | (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी |
| ,, | अन्तिम से २ | श्री गोकुलप्रसाद शर्गा | श्री गोकुलप्रसाद शर्मा |
| ७७२६ | ३ | श्री निरन्जनाथ आचार्य | श्री निरंजननाथ आचार्य |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ७७२७ | शीर्षक | विधियां ६ अप्रेल, ६५– | विधियां –६ अप्रेल, ६५– |
| ,, | ५ | s i prise | surprise |
| ,, | १४ | श्री भैरोंसिंह मानतीय | श्री भैरोंसिंह : माननीय |
| ७७२८ | १२ | आराप | आरोप |
| ७७३० | शीर्षक | १२६५ | १९६५ |
| ,, | २२ | श्री निन्जनाथ आचार्य : | श्री निरंजननाथ आचार्य |
| ७७३३ | १८ | श्रीमती नगेन्द्रवाला | श्रीमती नगेन्द्रबाला |
| ७७३६ | २२ | श्री निरजननाथ आचार्य | श्री निरंजननाथ आचार्य |
| ७७३८ | ११ | हो | ही |
| ७७४० | ६ | होती; है | होती है; |
| ७७४३ | १३ | माननीयस दस्य | माननीय सदस्य |
| ७७४५ | अन्तिम से ५ | श्री सभानेत्री | श्रीमती सभानेत्री |
| ७७५२ | स्कम्भ | ७५२ | ७७५२ |
| ,, | १४ | protit | profit |
| ,, | २१ | रेट्रिक्टेड | रेस्ट्रिक्टेड |
| ७७५४ | १५ | Conpany | Company |
| ७७५६ | शीर्षक | ६ अप्रल, | ६ अप्रेल, |
| ७७६१ | शीर्षक | करारोान | करारोपण |
| ७७७६ | अन्तिम से २ | (श्री सम्पत्तिलाल वोहरा | (श्री सम्पत्तिलाल बोहरा |
| ७७७७ | अन्तिम से ७ | य जुडिशियरी | या जुडिशियरी |
| ७७८८ | ८ | सुझे | 'मुझे |
| ७७९१ | शीर्षक | विधिया | विधियां |
| ७८१७ | अन्तिम से ६ | ढावरिया | ढाबरिया |
| ७८१९ | १२ | व्यास | व्यास |
| ,, | १६ | श्री उमरावसिंह ढाबरिया। | श्री उमरावसिंह ढाबरिया : |
| ७८२३ | शीर्षक | –६ अप्रल, ६५ | ६ अप्रेल, ६५ |
| ७८३१ | १ | श्री सम्पतिलाल बोहरा | श्री सम्पत्तिलाल बोहरा |
| ७८३२ | शीर्षक | (सशोधन) | (संशोधन) |
| ७८३३ | १, २ | (नसीबाद) | (नसीराबाद) |
| ७८३६ | शीर्षक | राजरथान | राजस्थान |
| ७८४१ | १२ | श्री मुकटबिहारी गोयल | श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ७८४१ | १४ | श्री सम्पतिलाल बोहरा | श्री सम्पत्तिलाल बोहरा |
| ७८४२ | २ | quesion | question |
| ७८४४ | १५ | श्री मनिकचन्द सुराणा | श्री मानिकचन्द सुराणा |
| ७८५३ | अन्तिम से २ | श्रा | श्री |
| ७८६३ | शीर्षक | ६ घप्रेल, ६५- | ६ अप्रेल, ६५- |
| ७८७५ | अन्तिम से ४ | तृतिय | तृतीय |